खण्ड-405, अंक-1
बृहस्पतिवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1914
(2 अप्रैल, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल ...	क-ञ
उपस्थित सदस्य	ट्र
नकल विरोधी कानून के विरोध में छात्राओं द्वारा कथित आत्महत्या सम्बन्धी मामला उठाने का प्रयास	1
जनपद इटावा के जसवन्त नगर क्षेत्र में तीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या के मामले की सूचना मंगाने हेतु अनुरोध ...	1
प्रश्नोत्तर	1-109
अपरिहार्य परिस्थितियों में अति महत्वपूर्ण मामलों को नियम–110 के अन्तर्गत लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	109
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	109-110
जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द के ग्रामों में इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी पाग बड़ा मार्ग में ली गई किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	110
स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में कार्यरत विश्लेषकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110-111
सूचना विभाग की कथित अनियमितताओं की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद इटावा के ब्लाक सहार के ग्राम–इमुरा के कृषकों से फर्जी वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	111-112
जनपद हरदोई के ग्राम–परियल में कमजोर वर्ग के पट्टेदारों की फसल अराजक तत्वों द्वारा काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
फिरोजाबाद के हनुमानगंज मोहल्ले में शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद इटावा के जसवन्त नगर क्षेत्र में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर विचार (जारी) ...	112-115

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्कृत भाषा के प्रचार, विकास एवं संस्कृत भाषियों को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ...	115
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	115-118
जनपद इटावा के जसवन्त नगर क्षेत्र में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर विचार ..	118-122
नकल विरोधी अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार छात्राओं की तत्काल जमानत व्यवस्था कराने की मांग	122-123
वित्तीय वर्ष 1992–93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा आय–व्ययक), अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	123-166
वित्तीय वर्ष 1992–93 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–1 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	166-211
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	211
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना एवं औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	211-212
श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा परगनाधिकारी निचलौल जनपद महराजगंज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	212-213
श्री श्याम नारायण, द्वारा ग्राम विकास प्राधिकारण द्वारा विकास कार्य हेतु धन–आवंटन में परिवर्तन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	213
श्री भोला शंकर मौर्य, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी द्वारा जनपद बदायूं में दिनांक 26 जनवरी, 1992 को श्री भोला शंकर मौर्य पर हुये प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना ...	213-214
दिनांक 28 फरवरी, 1992 को पूंछे गये तारांकित प्र० सं०-4 नत्थी 'घ' से संबंधित सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन	214
नत्थियां	215-226

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अंगद सिंह यादव, श्री — आजमगढ़
2–अकबर, श्री — मुरादाबाद
3–अखिलेश, श्री — महराजगंज
4–अछैबर लाल, श्री — बहराइच
5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
7–अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
8–अनिल कुमार तिवारी, श्री — फैजाबाद
9–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
10–अब्दुल ए० सलाम, श्री — आजमगढ़
11–अभिमन्यु सिंह, श्री — फतेहपुर
12–अमर नाथ यादव, श्री — वाराणसी
13–अमर सिंह, श्री — बिजनौर
14–अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री — मऊ
15–अम्बिका सिंह, श्री — देवरिया
16–अरविन्द कुमार, डा० — ललितपुर
17–अरविन्द प्रताप सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
18–अरिदमन सिंह, श्री — आगरा
19–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
20–अरजुन सिंह, श्री — सुल्तानपुर
21–अवध पाल सिंह, श्री — एटा
22–अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
23–अशोक कुमार, श्री — लखनऊ
24–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
25–अशोक दुबे, श्री — इटावा
26–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
27–इजहार आलम खां, श्री — फर्रुखाबाद
28–इन्द्र देव सिंह, श्री — बिजनौर
29–इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
30–इम्तियाज अहमद, श्री — मऊ
31–इस्लाम साबिर, श्री — बरेली
32–उदय प्रताप, श्री — गाजीपुर
33–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
34–उमानाथ, श्री — जौनपुर
35–उम्मेद सिंह, श्री — आगरा
36–उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
37–ऊदल, श्री — वाराणसी
38–ओंकार सिंह, श्री — एटा
39–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
40–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
41–ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
42–ओम प्रकाश, श्री — फतेहपुर
43–ओम प्रकाश, श्री — बिजनौर
44–ओम प्रकाश दिवाकार, श्री — फिरोजाबाद
45–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
46–कंवर पाल मास्टर, श्री — सहारनपुर
47–कटार सिंह, श्री — मेरठ
48–कप्तान सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
49–कमल नयन वर्मा, श्री — रायबरेली
50–कमलेश कुमार, श्री — गोण्डा
51–कल्पनाथ, श्री — आजमगढ़
52–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
53–कासिम हसन सैय्यद, श्री — फतेहपुर
54–किशन गोपाल, श्री — आगरा
55–किशन लाल, श्री — पीलीभीत
56–किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
57–किशोरी लाल यादव, श्री — जौनपुर

58–किशोरी लाल, श्री — सीतापुर
59–किशोरी श्याम, श्री — मथुरा
60–कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री — इलाहाबाद
61–कृष्ण किंकर सिंह, श्री — बस्ती
62–कृष्ण कुमार, श्री — फतेहपुर
63–कृष्ण कुमार उर्फ के० के० राज, श्री — इटावा
64–कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
65–कृष्ण चन्द्र, श्री — पिथौरागढ़
66–कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
67–कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
68–कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री — बदायूं
69–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
70–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
71–केशव सिंह, श्री — जालौन
72–कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
73–कोविद कुमार सिंह, श्री — शाहजहांपुर
74–खालिद गौरी, श्री — हरदोई
75–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
76–गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
77–गन्धर्व सिंह, श्री — मैनपुरी
78–गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
79–गामाराम शास्त्री, श्री — गाजीपुर
80–गिरधारी, श्री — गाजीपुर
81–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
82–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
83–गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
84–गोमती प्रसाद, श्री — लखनऊ
85–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
86–घुरहू, श्री — बलिया
87–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
88–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
89–चन्द्र शेखर सिंह, श्री — बस्ती
90–चरन सिंह, श्री — मेरठ
91–छक्की लाल, श्री — इटावा
92–छत्रपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
93–छब्बू जी, श्री — वाराणसी
94–छेदीलाल श्री — गोण्डा
95–छोटेलाल मिश्र, श्री — हमीरपुर
96–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
97–जगदम्बा सिंह, श्री — बस्ती
98–जगदीश मुनि आचार्य, श्री — हरिद्वार
99–जगदीश सिंह, श्री — सहारनपुर
100–जगराम सिंह यादव, श्री — कानपुर नगर
101–जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
102–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
103–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थ नगर
104–जागेश्वर प्रसाद उर्फ भाई जी, श्री — फतेहपुर
105–जाहिद हुसैन, श्री — मुरादाबाद
106–जी० एस० विनोद, डा० — मुजफ्फरनगर
107–जे० पी० सिंह मेजर, श्री — मुरादाबाद
108–जैदान सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
109–ज्ञान चन्द्र, श्री — उत्तरकाशी
110–ज्ञानवती सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
111–ज्ञानेन्द्र, श्री — महराजगंज
112–ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
113–ज्वाला प्रसाद, श्री — रामपुर
114–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
115–झाऊ लाल यादव, श्री — फिरोजाबाद
116–ठाकुर पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
117–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ला, श्री — गोरखपुर
118–तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
119–तुलसी दास, श्री — गोण्डा
120–तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद
121–तेज नारायन त्रिवेदी, श्री — लखीमपुर खीरी
122–तेजपाल, श्री — हरिद्वार
123–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
124–त्रिवेनी, श्री — फैजाबाद
125–दयाराम वर्मा, श्री — हरदोई

126–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
127–दल सिंगार, श्री आजमगढ़
128–दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री इलाहाबाद
129–दिनेश जौहरी, डा० बरेली
130–दिवाकार विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
131–दीना नाथ सिंह, यादव, श्री वाराणसी
132–दीप लाल भारती, श्री देवरिया
133–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
134–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135–दुलारे लाल, श्री मिर्जापुर
136–देवेन्द्र पाल सिंह, श्री शाहजहांपुर
137–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री कानपुर देहात
138–दौलत राम, श्री सीतापुर
139–धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
140–धनीराम वर्मा, श्री इटावा
141–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री बुलन्दशहर
142–नन्द किशोर मिश्रा, श्री देवरिया
143–नन्द राम, श्री बरेली
144–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
145–नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
146–नरेन्द्र सिंह, श्री मैनपुरी
147–नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
148–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
149–नरेश अग्रवाल, श्री हरदोई
150–नवल किशोर, श्री बुलन्दशहर
151–नवाब सिंह, श्री मथुरा
152–नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री बांदा
153–नारायण दत्त तिवारी, श्री नैनीताल
154–निर्वेन्द्र कुमार, श्री लखीमपुर
155–नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
156–नीलम सिंह, श्रीमती बहराइच
157–नेतराम, श्री शाहजहांपुर
158–नेतराम सिंह, श्री एटा
159–पतिराज, श्री आजमगढ़
160–पद्मा सेठ, श्रीमती सीतापुर
161–परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री रामपुर
162–पवन कुमार पाण्डेय, श्री फैजाबाद
163–पीतम सिंह, श्री एटा
164–पूरन चन्द्र, श्री अल्मोड़ा
165–पूरन चन्द्र शर्मा, श्री अल्मोड़ा
166–पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
167–पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
168–पूर्णमासी पंकज, श्री वाराणसी
169–पृथ्वी सिंह, श्री हरिद्वार
170–प्यारे लाल संखवार, श्री कानपुर देहात
171–प्रताप सिंह, श्री मुरादाबाद
172–प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
173–प्रमोद कुमार, श्री पीलीभीत
174–प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
175–प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
176–प्रीतम सिंह, श्री मुरादाबाद
177–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री सिद्धार्थनगर
178–प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
179–फतेह बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
180–फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
181–फागू, श्री मऊ
182–बंशीधर भगत, श्री नैनीताल

183–बंशीधर राज, श्री — लखीमपुर खीरी
184–बच्ची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
185–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
186–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
187–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
188–बी० आर० वर्मा, श्री — आजमगढ़
189–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
190–बसंतलाल गुप्ता, श्री — लखनऊ
191–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
192–बाबू खां, श्री — हरदोई
193–बाबूराम एम० काम०, श्री — जालौन
194–बाबूराम यादव, श्री — मैनपुरी
195–बाबूलाल गोयल, श्री — आगरा
196–बालचन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
197–बालाप्रसाद, श्री — खीरी
198–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
199–बिन्दुलाल, श्री — गोण्डा
200–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
201–बृजभान यादव, श्री — इलाहाबाद
202–बृजराज त्रिपाठी, श्री — बहराइच
203–बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
204–बृजेश कुमार शर्मा, श्री — प्रतापगढ़
205–बेनी प्रसाद वर्मा, श्री — बाराबंकी
206–बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
207–ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
208–भगवन्त प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
209–भगवत सरन गंगवार, श्री — बरेली
210–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
211–भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
212–भरत सिंह, श्री — बलिया
213–भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
214–भागीरथी, श्री — इलाहाबाद
215–भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री — जालौन
216–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
217–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
218–भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
219–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
220–मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ बद्री प्रसाद, श्री — फैजाबाद
221–मदन भइया, श्री — मेरठ
222–मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
223–मन्नूलाल कुरील, श्री — बांदा
224–भयंकर सिंह, श्री — बहराइच
225–मस्तराम, श्री — उन्नाव
226–महक सिंह, श्री — मेरठ
227–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
228–महावीर सिंह, श्री — बिजनौर
229–महावीर सिंह, श्री — हरदोई
230–महेन्द्र जैन, श्री — मेरठ
231–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
232–महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
233–महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — इलाहाबाद
234–महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — अलीगढ़
235–महेन्द्र सिंह भाटी, श्री — गाजियाबाद
236–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
237–माधव, श्री — एटा
238–मामचन्द, श्री — सहारनपुर
239–मायाशंकर पाठक, श्री — वाराणसी
240–मारकण्डेय, श्री — बलिया
241–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
242–मिही लाल, श्री — हमीरपुर

243–मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
244–मुलायम सिंह यादव, श्री इटावा
245–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
246–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थ नगर
247–मोहम्मद रिजवानुलहक, श्री मुरादाबाद
248–मोहम्मद वसीम हाजी, श्री रायबरेली
249–मोहम्मद हसन एडवोकेट, श्री सहारनपुर
250–यदुनाथ प्रसाद, श्री गोरखपुर
251–यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
252–योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
253–रघुराज, श्री जौनपुर
254–रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
255-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
256-रमाकांत यादव, श्री आजमगढ़
257-रमापति उर्फ रमाकांत, श्री देवरिया
258-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
259–रमेशचन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
260–रमेश पोखरियाल, श्री गढ़वाल
261–रमेश बहादुर सिंह, श्री प्रतापगढ़
262–रविकान्त गर्ग, श्री मथुरा
263–रवीन्द्र प्रताप, श्री देवरिया
264–रवीन्द शुक्ल, श्री झांसी
265–राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
266–राज नारायण बिन्द, श्री जौनपुर
267–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
268–राजीव कुमार, श्री नैनीताल
269–राजेन्द्र, श्री बिजनौर
270–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
271–राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिर्जापुर
272–राजेन्द्र सिंह, श्री एटा
273–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
274–राजेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
275–राजेश कुमार, श्री वाराणसी
276–राधेश्याम वर्मा, श्री बाराबंकी
277–राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
278–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
279–राम किशन ददाजू, श्री फिरोजाबाद
280–राम कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
281–राम कुमार शुक्ल, श्री लखनऊ
282–राम कृष्ण, श्री सीतापुर
283–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
284–रामगोपाल वर्मा, श्री लखीमपुर खीरी
285–राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
286–राम चन्द चौधरी, श्री सुल्तानपुर
287–राम चरितर, श्री बस्ती
288–रामदेव आचार्य, श्री बाराबंकी
289–राम पारस रजक उर्फ नाटे, श्री जौनपुर
290–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
291–रामपाल सिंह, सैनी मुजफ्फरनगर
292_राम प्यारे आजाद, श्री महराजगंज
293–राम प्यारे शुक्ल, श्री सुल्तानपुर
294–रामप्रताप सिंह, श्री गोंडा
295–राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
296–राम प्रसाद सिंह, श्री बांदा
297–राम मूति सिंह, श्री शाहजहांपुर
298–राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
299_राम लखन, श्री फैजाबाद
300–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
301_राम शरण, श्री लखीमपुर खीरी
302–राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत

303–राम सरन सिंह, श्री अलीगढ़
304–राम सिंह, डा० अलीगढ़
305–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306–राम सिंह, श्री हमीरपुर
307–राम सेवक, श्री बदायूं
308–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
309–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
310–राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर देहात
311–रामू प्रियदर्शी, श्री फैजाबाद
312–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
313–रामेश्वर नाथ चौबे, श्री बरेली
314–रुदेन्द्र विक्रम सिंह, श्री बहराइच
315–लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री बस्ती
316–लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
317–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
318–लाखन सिंह, श्री नैनीताल
319–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
320–लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर
321–लालचन्द्र, श्री जौनपुर
322–लालचन्द निषाद, श्री गोरखपुर
323–लालचन्द्र पाण्डेय, श्री वाराणसी
324–लालजी वर्मा, श्री फैजाबाद
325–लीला राम शर्मा, श्री पिथौरागढ़
326–वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
327–विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट, श्री इलाहाबाद
328–विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
329–विजय कुमार त्रिपाठी राजा, श्री लखनऊ
330–विजयपाल सिंह, श्री आगरा
331–विजयपाल सिंह तोमर, श्री मेरठ
332–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
333–विजय सिंह राणा, श्री आगरा
334–विजेन्द्र कुमार, श्री गाजियाबाद
335–विजेन्द्र कुमार सिंह, श्री मथुरा
336–विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
337–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
338–विशुन दयाल, श्री बहराइच
339–विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
340–विश्वनाथ, श्री देवरिया
341–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
342–वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री सहारनपुर
343–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
344–श्याद अली, श्री प्रतापगढ़
345–शारदा चौहान, श्रीमती गाजीपुर
346–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
347–शिव कुमार वेरिया, श्री कानपुर
348–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
349–शिव दर्शन, श्री रायबरेली
350–शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर देहात
351–शिव नारायण मिश्र, श्री प्रतापगढ़
352–शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव
353–शिवपूजन राम, श्री वाराणसी
354–शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
355–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
356–शिव बालक पासी, श्री रायबरेली
357–शिवलाल मित्तल, श्री सिद्धार्थ नगर
358–शिवाकान्त ओझा, श्री प्रतापगढ़
359–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज

360–श्याम देव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
361–श्याम नारायण, श्री — महराजगंज
362–श्याम बिहारी सिंह, श्री — बरेली
363–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
364–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
365–श्री निवास, श्री — देवरिया
366–श्रीराम, श्री — जालौन
367–श्रीराम, श्री — मऊ
368–श्रीराम चौहान, श्री — बस्ती
369–श्रीराम सिंह, श्री — गोण्डा
370–सतीश भाटिया, श्री — लखनऊ
371–सतीश महना, श्री — कानपुर नगर
372–सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
373–सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
374–सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
375–सन्त श्रीराम द्विवेदी, श्री — फैजाबाद
376–समीउल्ला, श्री — गोण्डा
377–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
378–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
379–सुखदेव, श्री — आजमगढ़
380–सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
381–सुधाकर वर्मा, श्री — एटा
382–सुधीर, श्री — बलिया
383–सुधीर कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
384–सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
385–सुभाष चन्द्र पटेल, श्री — बरेली
386–सुरेन्द्र प्रताप, कुंवर — बरेली
387–सुरेन्द्र नाथ, श्री — बाराबंकी
388–सुरेन्द्र शुक्ला, श्री — देवरिया
389–सुरेन्द्र सिंह, श्री — [illegible]
390–[illegible] — मुजफ्फरनगर
391–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
392–सुरेश प्रताप गांधी, श्री — अलीगढ़
393–सुरेश भारती, श्री — प्रतापगढ़
394–सुरेश संगल, श्री — मुजफ्फरनगर
395 सुलतान रजा मिर्जा, श्री — जौनपुर
396–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
397–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
398–सोमनाथ शुक्ला, डा० — कानपुर देहात
399–सोमपाल प्रकाश, श्री — मुजफ्फर नगर
400–सोमारूराम, श्री — जौनपुर
401–स्वामी नाथ यादव, श्री — देवरिया
402–हनुमन्त सिंह, श्री — गोण्डा
403–हरक सिंह रावत, श्री — पौड़ी गढ़वाल
404–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
405–हरद्वार दुबे, श्री — आगरा
406–हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
407–हरपाल, श्री — बुलन्दशहर
408–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
409–हरी चरन यादव, श्री — सुल्तानपुर
410–हरिनारायण, श्री — बलिया
411–हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
412–हरिशंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
413–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
414–हरिश चन्द्र, श्री — बरेली
415–हरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
416–हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव
417–होरल, श्री — बुलन्दशहर
418– — रिक्त
419– — रिक्त
420– — रिक्त
421– — रिक्त
422– — रिक्त
423– — रिक्त
424– — रिक्त
425– — रिक्त
426– — रिक्त (नाम निर्देशित)

राज्यपाल

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी

मंत्रि–परिषद्

1–श्री कल्याण सिंह	मुख्य मंत्री एवं प्रभारी सामान्य प्रशासन, सूचना, निर्वाचन, नागरिक उड्डयन, गृह, आवास तथा उद्योग । अतिरिक्त कार्यप्रभार–ग्राम्य विकास, वन, पर्यावरण, जन–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ।
2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन
3–श्री लालजी टण्डन	ऊर्जा
4–श्री गंगा भक्त सिंह	कृषि
5–श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, न्याय तथा विधायी
6–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी	राजस्व
7–श्री राजनाथ सिंह	माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग
8–श्रीमती प्रेमलता कटियार	नगर विकास
9–श्री सत्य प्रकाश विकल	आबकारी, परिवहन, पूर्त धर्मस्व
10–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन
11–डा० सरजीत सिंह डंग	लोक निर्माण
12–श्री हनुमन्त सिंह	गन्ना विकास
13–श्री रमापति शास्त्री	हरिजन एवं समाज कल्याण
14–श्री एजाज रिजवी	खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ
15–श्री सुधीर कुमार बालियान	सहकारिता
16–श्री केदार सिंह फोनिया	पर्यटन, सांकृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद

राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

1–श्री उमानाथ सिंह	कारागार एवं राजनैतिक पेंशन
2–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	पंचायती राज
3–श्री चन्द्र शेखर सिंह	पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य
4–श्री शिव प्रताप शुक्ल	बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा
5–श्री पूरन चन्द्र शर्मा	पर्वतीय विकास

राज्य मंत्री

1–श्री सूर्य प्रताप शाही	गृह
2–श्री धनराज यादव	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
3–श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण
4–श्री मस्त राम	नागरिक आपूर्ति
5–श्री अमरनाथ यादव	माध्यमिक शिक्षा
6–श्री मयंकर सिंह	लघु उद्योग
7–श्री रविकान्त गर्ग	ऊर्जा
8–श्री हरद्वार दुबे	संस्थागत
9–श्री सुरेश कुमार खन्ना	नगर विकास
10–श्री बाल चन्द्र मिश्र	श्रम तथा सेवायोजन
11–श्री शिव बहादुर	गन्ना विकास
12–श्री हरवंश कपूर	ग्राम्य विकास
13–श्री बाबू राम एम० काम	खाद्य
14–श्री बृजेश कुमार शर्मा	परिवहन
15–श्री सूरज सिंह शाक्य	सहकारिता
16–श्री बालेश्वर त्यागी	राजस्व
17–श्रीमती शारदा चौहान	नियोजन
18–डा० अमर सिंह	1–चिकित्सा
	2–परिवार कल्याण
19–श्री अनिल कुमार तिवारी	हरिजन एवं समाज कल्याण
20–श्री महाबीर सिंह	1–कृषि शिक्षा
	2–कृषि अनुसंधान
21–श्री हरख सिंह	पर्यटन
22–श्री पृथ्वी सिंह	सिंचाई

उप मंत्री

1–श्री राम सरन वर्मा	दुग्ध विकास
2–श्री पतिराज	पंचायती राज
3–श्री मन्नू लाल कुरील	1–कारागार
	2–होमगार्ड्स

नेता विरोधी दल

कुंवर रेवती रमण सिंह जनता दल (ब)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

श्री राम आसरे वर्मा

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा

2–श्री माया शंकर पाठक, सदस्य, विधान सभा

3–श्री अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा

4–श्री सत्य देव पचौरी, सदस्य, विधान सभा

5–श्रीमती उर्मिला राजपूत, सदस्य, विधान सभा

6–श्री विश्राम दास, सदस्य, विधान सभा

7–श्री भगवती सिंह बिशारद, सदस्य, विधान सभा

8–श्री मोहम्मद हसन, सदस्य, विधान सभा

9–श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा

10–श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	मदन भैया, श्री	मेरठ
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
कृष्ण कुमार, श्री	इटावा	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गामा राम शास्त्री, श्री	गाजीपुर	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
घुरहू, श्री	बलिया	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
ज्वाला प्रसाद, श्री	रामपुर	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	शिवाकान्त ओझा, श्री	प्रतापगढ़
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	सर्वेश कुमार	मुरादाबाद
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
नवाब सिंह, श्री	मथुरा	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर		

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1992

(विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनउ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नकल विरोधी कानून के विरोध में तीन छात्राओं द्वारा कथित आत्महत्या सम्बन्धी मामला उठाने का प्रयास

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, यह सरकार पुलिस के बल पर नकल विरोधी कानून के तहत अल्प वयस्क छात्राओं को जेल में ठूस रही है । इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में तीन छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है । प्रदेश की तमाम छात्राओं में भय व रोष व्याप्त है । इस प्रदेश में छात्राओं को जेल में अपराधियों के साथ रखा जा रहा है । .....(व्यवधान)

इटावा के जसवन्त नगर क्षेत्र में तीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या के मामले की सूचना मंगाने हेतु अनुरोध

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इटावा के जसवन्तनगर क्षेत्र में तीन अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या कर दी गई है । इनके नाम हैं श्री मानिक चन्द्र जाटव, सिरतौल, श्री कोमल सिंह व श्री रामनाथ, जारीखेड़ा के रहने वाले हैं । श्री रमेश चन्द्र नामक व्यक्ति घायल है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रश्न काल तक सरकार इस संबंध में सूचना मंगवा ले ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री अग्रवाल जी व श्री दीक्षित जी कृपा करके आप बैठ जायं । प्रश्नकाल के बाद मैं आप लोगों को सुन लूंगा । श्री दीक्षित जी आप अपनी सूचना को लिखित रूप से सरकार को दे दें । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप इस घटना को दिखवा लीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य, मुझे लिखकर दे दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप इसे इतने हल्के ढंग से न लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे हल्के ढंग से नहीं ले रहा हूं । मैंने कहा कि आप प्रश्नकाल के बाद इसे उठा लें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण तथा योजनाओं को सफल बनाने हेतु मा० विधायकों को जीप उपलब्ध कराये जाने की मांग

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

**1–क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों के निरीक्षण व शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में योगदान हेतु विधायकों को क्षेत्र में भ्रमण के लिए जीप की सुविधा प्रत्येक शनिवार को सप्ताह में एक बार सुलभ करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)–

माननीय विधायकगण को जीप की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का मामला राजस्व विभाग के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायकों को सुविधा देने के सम्बन्ध में कोई चीज विचाराधीन नहीं है। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा सांसदों को यह सुविधा दी जा रही है। मान्यवर, जो दल उधर बैठता है, उस पर केन्द्रीय संगठन हावी हो जाता है। और वह सांसदों तक ही सीमित रहता है। सिद्धान्ततः इसे मानते हुए भी इस परम्परा को बदला नहीं जा रहा है। सांसदों को सुविधा दी जा रही है लेकिन विधायकों को नहीं दी जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं जिला स्तरीय जितनी समितियां है जैसे जिला नियोजन अनुश्रवण समिति, जिला ऊर्जा सलाहकार समिति आदि जिनके क्षेत्र में हैं उन समितियों से सम्बन्धित सांसदों और विधायकों को जो उनके समानरूप से सदस्य हैं भेद करने का क्या कारण है क्योंकि सांसदों को जीप की सुविधा प्राप्त है विधायकों को नहीं तो क्या इस भेद को दूर करेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, वर्तमान समय में वैसे ही वित्तीय संसाधनों की कमी है और विधायकों की संख्या केवल विधान सभा में 425 है और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या अलग है। अगर मोटे तौर से लिया जाय और यह सुविधा दी जाय तो लगभग 12 करोड़ रुपया खर्च केवल विधायकों को देने पर आता है और तीन करोड़ रुपया विधान परिषद् के सदस्यों पर आता है। इस प्रकार 15 करोड़ रुपया खर्च आता है और जब कि हम मितव्ययिता बरतने की बात कर रहे हैं और किसी तरह मितव्ययिता हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर आने दें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

तो मान्यवर, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, मितव्ययिता की दृष्टि से उपयोगी नहीं पाया गया, इस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। आपका प्रश्न था यह मामला विचाराधीन है तो मैंने उत्तर दिया विचाराधीन नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी बताया है कि माननीय विधायकों के क्षेत्रों में विकास योजनाओं तथा सरकारी योजनाओं का अध्ययन करने तथा उनको देखने के लिये कोई सुविधा मितव्ययिता के कारण नहीं दी जा रही है। दूसरा आपने यह भी कहा कि विधान परिषद् के सदस्यों का कोई क्षेत्र नहीं होता और न जनता से सीधा सम्पर्क रहता है। माननीय संसद सदस्यों को यह सुविधा प्राप्त है। 10 दिन के लिये उनको जीप दी जाती है। वर्तमान सरकार में तो अधिकांश सांसद पूरे महीने जीप का प्रयोग करते

हैं । तो जिस तरह से उनको 10 दिन के लिये जीप दी जाती है विधायकों को तीन दिन या दो दिन के लिये देने पर विचार करेंगे । इससे सरकार को फायदा ही होगा योजनायें जो चल रही हैं उनका अध्ययन करेंगे उनका क्या लाभ मिल रहा है इसका परीक्षण करेंगे । तो क्या इसके लिये वैसी ही सुविधा जैसे सांसदों को है देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

यहां विधायकों को जाने के लिये क्षेत्रीय भत्ता मिलता है । फिर भी अगर चाहते हैं तो विचार कर लेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार हर वक्त कटोरा लिये रहती है, इनका खजाना हमेशा खाली रहता है (व्यवधान) तो मितव्ययिता बरतने की बात है तो क्या वह इस पर विचार करेंगे, सांसदों को जो सुविधा दे रहे हैं मितव्ययिता को दृष्टि में रखते हुये उसको समाप्त करेंगे जिससे पूरा पैसा बच जायेगा । माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उनके भविष्य के लिये कह रहा हूं । भविष्य में आप लोग सरकार में रहने वाले नहीं हैं मात्र विधायक रहेंगे तो यह आपके हित में होगा ।

दूसरी बात यह है मैं जानना चाहता हूं कि सांसदों को दी जाने वाली सुविधा मितव्ययिता को दृष्टि में रखते हुये उसे वापस लेंगे जिससे आपकी बचत हो सके । (व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विधायकों के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा विचार कर लेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

सांसदों से वापस लेने पर विचार करेंगे । (व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मूल प्रश्न था विधायकों को यह सुविधा देने के सम्बन्ध में तो हमने कहा विचार कर लेंगे । आपसे दूसरा प्रश्न किया कि सांसदों को जो सुविधा मिल रही है, उसको समाप्त करने पर विचार करेंगे । तो मान्यवर, इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, यहां पर जीप की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि रेलवे किराया भी बढ़ गया है और बराबर बढ़ता जा रहा है । इसके बारे में कूपन पर भी कोई विचार किया जा रहा है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, वह हो गया है । आप ही बता दें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, जानकारी दे दें । कुछ तो बता दें ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, सरकार की नीतियों और कार्यों का प्रचार करना और जनता को उससे अवगत कराना भी एक आवश्यक कार्य है । सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है । जनता के हित के लिये कर रही है या अहित के लिये इससे जनता को अवगत कराना जन प्रतिनिधियों का नैतिक कर्तव्य है । जन प्रतिनिधियों का कार्य सही तरह से हो सके उसके लिये इन्हें साधन उपलब्ध कराया जाय तो इनको भी अधिक लाभ होगा क्योंकि यह भी जन प्रतिनिधि हैं । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी ऐसा कोई निश्चित आश्वासन देंगे कि माननीय संसद सदस्यों की ही तरह अपनी सरकार की नीतियों और कार्यों को जनता तक प्रचारित करने के उद्देश्य से विधायकों को भी जीप उपलब्ध कराने का आश्वासन सदन में देंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मैंने पहले ही कह दिया कि उस पर विचार करेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा मेरी बात को सत्य मानकर कि जो शासन के विधायी या विकास के कार्य हैं, वह सही तरीके से निष्पादित नहीं हो पाते हैं । विधायक उनकी देख-रेख नहीं कर पाते हैं । क्या राजस्व मंत्री इस बात का निर्देश जिले के विभागाध्यक्षों को देने का कष्ट करेंगे कि विधायक जिस विभाग का कार्य देखना चाहे उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को साथ लेकर उस क्षेत्र में जाकर उस कार्य को देख लें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

नहीं मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि आप अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की देख-रेख नहीं कर पाते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं, मैं अपनी ही नहीं सब की बात कर रहा हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

शासन की तरफ से माननीय विधायकों को जीप क्रय की सुविधा देने के लिये प्राविधान है । इसके लिये उन्हें ऋण दिया जाता है । उससे आप जीप खरीद सकते हैं । वैसे कान्स्टीट्यूऐंसी एलाउन्स भी मिलता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने प्रश्न किया है कि क्या विभागाध्यक्षों को निर्देश देने का कष्ट करेंगे । इसका उत्तर दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है विचार करेंगे ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, जब मैं पहले विधायक बन कर आया था तो उस समय यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक शनिवार के दिन एस० डी० एम०, एस० डी० ओ० विधायक को साथ लेकर सीलिंग भूमि आवंटित या

ग्राम सभा के भूमि आवंटन का निरीक्षण करने जाते थे । मान्यवर, क्या वह परम्परा अब नहीं है उसे रोक दिया गया है । माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो कहा है उसमें इतना और जोड़ दें कि विभागों के अधिकारी अपनी कार्यालय की जीप से ले जाया करें । इससे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा । ऐसा करने में शासन को क्या कठिनाई है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक निर्धन प्रदेश है । जनता को सुविधा पहुंचाने की बात होनी चाहिए । जनता को सुविधा मिले उसके ऊपर व्यय भार न पड़े यह चिन्ता होती तो ज्यादा अच्छा होता । मैंने फिर भी कह दिया कि हम विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री जी जो विभिन्न विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है, कि क्षेत्र में जाकर जो उनके विभाग द्वारा कार्य किये जा रहे हैं, उसका सर्वेक्षण करेंगे, उनकी जांच करेंगे, तो जब वह जांच और सर्वेक्षण करने के लिये जायें, तो एक सवारी उस क्षेत्र के विधायक को भी बैठा लें ।

(मेजें थपथपाई गईं ।)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मैं समझता हूं कि जिसके पास आने जाने के साधन नहीं हैं और वह जाना चाहते हैं, जो अधिकारी जांच करने के लिए अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय विकास को देखने जाते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं यह तो ठीक है लेकिन जिनके पास आने जाने के साधन हैं वह तो स्वयं जा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह कोई बात नहीं हुई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सब बैठ जायें । माननीय राजस्व मंत्री कृपया इस बात पर विचार करें जब विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी सर्वेक्षण और जांच करने के लिए क्षेत्रों में जायें उस समय कोई विधायक उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करें उनके साथ जाना चाहते हों तो विभागीय अधिकारी उन्हें भी अपने साथ ले जायें ।

(मेजें थपथपाई गईं ।)

हज यात्रियों की समस्याओं के समाधान का प्रकरण

श्री श्याम देव राय चौधरी–

**2–क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य से जाने वाले हज यात्रियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के त्वरित समाधान किए जाने हेतु उन्होंने कोई पत्र माननीय प्रधान मंत्री

को लिखा है ? यदि हां, तो वह कठिनाइयां क्या हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

जी नहीं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हज यात्रियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है, उसके आधार पर यह प्रश्न किया गया था मुख्य मंत्री जी से, लेकिन सम्भवतः विभागीय हेराफेरी करके मुस्लिम वक्फ मंत्री जी से सम्बन्धित कर दिया गया । यह हज यात्रा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं । क्या मुख्य मंत्री जी के द्वारा लिखे गये पत्र की जानकारी इनको है ? अगर है तो कृपया अवगत करा दें ? दूसरी बात मान्यवर, राज्य सरकार की जो हज कमेटी है उसको सहायता हेतु चालू वित्तीय वर्ष मैं कितना अनुदान दिया गया और वर्ष 1992-93 में कोई वर्तमान सरकार ने वृद्धि की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

बाद वाला प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है कितना अनुदान दिया गया यह तो आपने पूछा नहीं है यह तो विस्तृत प्रश्न है । पहले प्रश्न का उत्तर मंत्री जी दे दें ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, 24 जनवरी, 1992 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं और पूरे प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है हज यात्री भी यह जानना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने उनकी कठिनाइयों के विषय में क्या लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

पत्र के मुख्य बिन्दु बता दें ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हज पर जाने के लिए लोग पानी के जहाज से जाना पसन्द करते हैं और उनकी संख्या अधिक होती है क्योंकि केन्द्र की तरफ से संख्या बहुत कम निर्धारित की गई है कोटा 994 का है ।

इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारे प्रदेश से हज पर जाने वालों का जो कोटा निर्धारित किया गया है उसको बढ़ाया जाय । दूसरा जो पानी का जहाज जाता है उसके लिये मुख्य मंत्री जी ने आग्रह किया है कि एक जहाज और बढ़ाया जाय । तीसरी बात यह है कि ऐसी प्रथा है कि अगर पर्यटक बाहर जाना चाहता है तो हवाई जहाज से जाने के लिये हवाई जहाज कम्पनियां, एयर इण्डिया सिंगिल टिकट–डबुल जर्नी की व्यवस्था करती हैं । एक टिकट से आने जाने का प्राविधान है । लेकिन जो यात्री हज पर जाते हैं उनके लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । इससे हज पर जाने वालों पर वित्तीय भार अधिक पड़ता है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह

किया है कि हज पर जाने वाले लोगों को उसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिस प्रकार से पर्यटकों को दी जाती है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, भाषण नहीं जवाब दिलवाइये यह तो बड़ा लम्बा भाषण हो गया ।

(शोर)

मान्यवर, मुझे खुशी है कि भा०ज०पा० के सदस्यों को भी हज यात्रियों से हमदर्दी है ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय हज कमेटी 27,467 रुपये यातायात, खाने के लिये, ठहरने के लिये हज यात्रियों से पहले ले लेती है । लोगों ने शिकायत की थी कि यह धनराशि ज्यादा है इसलिये मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया है इस खर्च को कम कराया जाय । इसी तरह से हज हाउस के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्य मंत्री जी ने आग्रह किया है कि हज हाउस बनाने के लिये दिल्ली में कोई स्थान दिलाने की व्यवस्था करा दें । यही पत्र की मुख्य-मुख्य बातें हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दिलवा दें ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष 15 लाख 70 हजार की धनराशि थी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9 जनवरी, 92 को यह धनराशि बढ़ाकर 25 लाख 70 हजार कर दी है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

25 वोट नहीं मिलेंगे चाहे जितने लाख कर लें । (डा० सरजीत सिंह डंग के खड़े होने पर ।)

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर इनसे कोई सवाल पूछना है तो आधे घन्टे बाद इनसे सही सवाल पूछ लीजियेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, जो मूल प्रश्न था वह यह था कि क्या कोई पत्र मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया है । उसका जवाब आया है, "जी नहीं" ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह था कि क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री द्वारा कोई पत्र लिखा गया है जिसका उत्तर उन्होंने दिया है "जी नहीं" । यह पत्र मुख्य मंत्री द्वारा लिखा गया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो पत्र लिखा गया है, यह सही है कि हज यात्रियों को बड़ी परेशानी है और पिछली कई सरकारों ने इसकी कोशिश भी की है कि पानी जहाज बढ़ाए जायं और हवाई जहाज में कोटा बढ़ाया जाय, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है । मैं सिर्फ इतना ही

जानना चाहूंगा, जो सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है, अभी कम दिन हुए हैं, पिछली सरकार ने हज हाउस बनाने के लिये केन्द्र सरकार से जमीन भी ली थी और 15 लाख रुपये लिये थे, जो दिल्ली में जमा हैं । क्या आपने उस पैसे का उपयोग करने के लिये, हज हाउस बनाने के लिये कोई काम शुरू किया है और इसके अलावा जो असल परेशानी है, वह हवाई जहाज से जाने वालों को नहीं है, गरीब हाजी पानी के जहाज से जाते हैं, उसके लिये हाजियों को बम्बई जाना पड़ता है, वहां के बाद पानी के जहाज से जाते हैं । क्या आपने कोई पैसा बढ़ाया है । आप बड़े उदार हैं । एक हाजी मंत्री भी बनाया है, ये हज पर जाएंगे भी । क्या ये पानी के जहाज से बम्बई से जाएंगे ताकि सारी कठिनाइयों का इंतजाम हो सके जो पानी के जहाज से जाने वाले यात्रियों को होती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पहला प्रश्न कि क्या पिछली किसी सरकार ने 15 लाख रुपये हज हाउस की स्थापना के लिये अनुदान दिये थे, इसका उत्तर दे दें । दूसरा प्रश्न सुझावात्मक है कि पानी के जहाज से जाएं, उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता, इसके लिये जानकारी की आवश्यकता होगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपके निर्देश के बाद मंत्री जी कह रहे हैं कि जानकारी की आवश्यकता होगी । इससे एक गलत परम्परा पड़ जायगी । इस पीठ को विश्वास में नहीं लेंगे तो एक गलत परम्परा पड़ जायगी । आपके निर्देश के बाद मंत्री का यह कहने कि आवश्यकता नहीं है, मूल प्रश्न की परिधि में नहीं है, यह गलत है, आप जवाब दिलवा दें । हम आपकी पीठ की अवहेलना नहीं करेंगे । आप दयालु हैं । यह आपकी पीठ की अवमानना है । आपके निर्देश के बाद जवाब देना चाहिये नहीं तो भविष्य में मंत्री लोग आपके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे । आप हम लोगों को संरक्षण दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा था । आपने मंत्री जी से उत्तर जानना चाहा । कार्यवाही में भी होगा । मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप नहीं चाहते कि उत्तर आए । अगर ऐसा है तो अपना सवाल वापस लेता हूं । आप नहीं चाहते कि उत्तर आए तो सवाल वापस ले लूंगा । यह सही है कि सरकार हज यात्रियों के लिये कुछ नहीं करना चाहती । हज यात्रियों को भीख नहीं, सुविधा चाहिये । मेरा प्रश्न अगर गलत था तो मैं प्रश्न वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं । यह सही है कि प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं है, इसलिये सूचना हो तो जवाब देने के लिये कहा जाय ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट था ।

(घोर व्यवधान)

[गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में भूकम्प पीड़ित परिवारों को पुनर्वास व सहायता प्रदान करने का प्रकरण

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में भूकम्प से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास व सहायता की क्या योजना है ? भूकम्प की विभीषिका से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर बसाने तथा तम्बू-टेन्टों में रह रहे परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

प्रदेश में भूकम्प पीड़ित परिवारों के पुनर्वास व सहायता हेतु सरकार की योजना निम्न प्रकार है –

1–भूकम्प पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता–

(क) अनुग्रह अनुदान–

प्रति मृतक रु० 30,000

अधिकतम रु० 90,000 प्रति परिवार

गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति रु० 5,000

साधारण रूप से घायल व्यक्ति रु० 2,000

(ख) अहेतुक सहायता–

रु० 3,000 प्रति परिवार

(निःशुल्क खाद्यान्न क्रय करने हेतु नकद धनराशि, कम्बल तथा तिरपाल) (तारपोलीन टेन्ट आदि के लिए)

(ग) गृह अनुदान–

पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त भवनों हेतु रु० 20,000 (रु० 10,000 नकद व रु० 10,000 की भवन निर्माण सामग्री) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों हेतु रु० 5,000

अत्यन्त साधारण क्षतिग्रस्त दरार वाले भवनों हेतु रु० 500

इसके अतिरिक्त भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को सहायता/सुविधा हेतु पशुओं की बीमारी के इलाज औषधि क्रय तथा मृत जानवरों के निस्तारण एवं पशुओं को मिनरल्स आदि उपलब्ध कराने हेतु पशुधन विभाग को 175 लाख रुपये की धनराशि, प्रभावित परिवारों की चिकित्सा उपचार तथा दवा क्रय करने हेतु 75 लाख रु०, जनपद उत्तरकाशी में निःशुल्क आलू बीज वितरण हेतु 7.50 लाख रुपये तथा महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग को पोषाहार की उपलब्धता कराने हेतु प्रसंस्करण दुलाई के लिए 19.40 लाख रु० की व्यवस्था भी आपदा राहत निधि से किया गया है ।

भूकम्प की विभीषिका से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने तथा तम्बू/टेन्टों में रह रहे परिवारों को आवास प्रदान करने हेतु सरकार की योजना निम्नवत् है –

1–भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को अस्थायी प्रवास उपलब्ध कराने के लिए 2,000 सामुदायिक केन्द्र (670 साइट मोड्यूल) की स्थापना की जानी थी, जिनमें से 630 मोड्यूल स्थापित हो चुके हैं ।

2–उपर्युक्त प्रस्तर "ग" के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवासों के स्वामियों को भवन निर्माण हेतु हुडको से रु० 15,000 के ऋण तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवासों के स्वामियों को जवाहर रोजगार योजना (इन्दिरा आवास योजना) के अन्तर्गत रु० 14,500 तथा आपदा राहत निधि के रु० 500 कुल 15,000 रु० के अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गई है ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि गढ़वाल में जो भूकम्प आया उसका पहली बार पटवारी द्वारा निरीक्षण किया गया फिर नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी जिसमें सहायक विकास अधिकारी सम्मिलत किये गये, कानूनगो सम्मिलित किये गये, उनसे जांच कराई गई । लोगों ने आपत्ति की । जांच में गड़बड़ी पाई गई । प्रशासनिक अधिकारी और उसी तरह के और वरिष्ठ अधिकारी, उनके नेतृत्व में जांच टीम वहां गई और जांच की गई । मान्यवर, कई ऐसे परिवार आज भी भूकम्प राहत पाने से छूट गये हैं और अभी तक .. राहत उपलब्ध नहीं हो पाई है । प्रशासन ने दोबारा उनसे आवेदन-पत्र मांगे थे कि आप आवेदन-पत्र भरकर दे दें दोबारा जांच करवायेंगे ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ....

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा था कि जो परिवार भूकम्प राहत देने से छूट गये हैं उनको भूकम्प राहत देने पर क्या यह सरकार कार्यवाही करेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसे संज्ञान में ले लेंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

इसको लिखित में दे दीजिएगा ।

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

जनपद लखनऊ से उन्नाव के बीच सई नदी की क्षतिग्रस्त ब्रेकिंग के मरम्मत का प्रस्ताव

*3–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दो जिलों लखनऊ व उन्नाव को जोड़ने वाले एम०एम०यू० रोड के सई नदी पर जबरैला ग्राम जिला उन्नाव का पुल जर्जर है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था ? क्या इतने महत्वपूर्ण मार्ग के इस पुल का नव निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम कुमार वर्मा)–

मोहनलालगंज मार्ग के कि० मी०–13 में स्थित सई नदी के पुल की डेकिंग क्षतिग्रस्त है ।

पुल का निर्माण वर्ष 1993 में हुआ था ।

क्षतिग्रस्त डेकिंग के स्थान पर नई डेकिंग का कार्य वर्ष 1992-93 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पुल का निर्माण वर्ष 1903 में हुआ था, इस तरह से 100 वर्ष हो रहे हैं । वह पुल इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि उससे आना-जाना असम्भव सा हो गया है, पुल के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर्स बना दिये गये हैं, उस पुल से किसी प्रकार से गाड़ी का निकलना मुश्किल हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्थान पर नये पुल के निर्माण के लिए क्या सरकार कोई विचार कर रही है, क्या सरकार की कोई योजना इसके बारे में इस वित्तीय वर्ष में है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, नये पुल निर्माण के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार के पास संसाधनों का अभाव है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अगले वित्तीय वर्ष में जिन नये-नये पुलों को यह सरकार बनाने जा रही है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं ? उसका मानक क्या है । मान्यवर, अन्तरजनपदीय की बात मैंने उठाई है । क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगले वित्तीय वर्ष में जिन पुलों को ये लेने जा रहे हैं, उसमें अगर यह आता हो, तब तो हम अनुरोध करें ।

(श्री सरजीत सिंह डंग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इनका दोष नहीं है, सिर्फ आधा घंटा बाकी है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्नगत पुल के सम्बन्ध में बताया कि संसाधनों का अभाव सरकार के पास है, इसलिए हमारा दूसरा प्रश्न बना । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के पास संसाधनों का अभाव किस-किस पुल के बारे में है और कहां-कहां पर संसाधनों की उपलब्धता है ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत व्यापक हो जायगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैं मानक जानना चाहता हूं कि क्या यह पुल उस तरह के मानक में नहीं हैं ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस पुल के संदर्भ में चर्चा की है, वह पुल हर प्रकार से महत्वपूर्ण है। मान्यवर, 1903 में यह पुल बना था। एक बात मा० सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह इतना पुराना पुल है, उसका पुनर्निर्माण क्यों नहीं करा रहे हैं। मान्यवर, इस सदन में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, जो नौजवानों का भी कान काटते हैं, जैसे माननीय भगवती सिंह विशारद हैं, माननीय किशोरी श्याम हैं, अब उनको तो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ऊपर से वह पुल टूटा है, उसकी डेकिंग खराब है, उसकी डेकिंग बनाने के बाद यातायात में कठिनाई नहीं होगी और मजबूती आ जायगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि ऊपर से कमजोर है और नीचे से मजबूत है, तो श्रीमन्, ऊपर से तो आवागमन है नहीं, तो क्या नीचे से आया-जाया जा सकता है ?

(हंसी)

यह 1903 में बना था। मैं जानना चाहता हूं कि किसी एक पुल की कितनी आयु होती है, जिसके उपरान्त उसको नया बनाया जाता है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

सामान्यतः जब इस तरह के पुलों का निर्माण होता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह 100 साल तक चलेगा, उसका बराबर निरीक्षण किया जाता है और अगर वह मजबूत है तो उसकी मरम्मत कराते रहते हैं। जहां तक इस पुल का सवाल है, उसकी डेकिंग खराब है और उसके लिये धन का प्राविधन कर दिया गया है। आप चिंतित हैं, तो हम भी चिंतित हैं और हम उसको जून के महीने तक बनवा देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप भी देख रहे होंगे कि सरकार से जब कोई प्रश्न किया जाता है, तो सरकार कहती है कि उसके पास साधन नहीं है। मान्यवर, सिद्धान्त की बात है, उसमें हम लोग आपका सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन क्या सरकार आश्वासन देगी कि जब संसाधन हो जायेंगे तो इस पुल को और इसी प्रकार के और पुलों का निर्माण अन्य पुलों की तुलना में पहले करायेगी और नये पुलों का निर्माण इनके बाद करायेगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण पुल जो हैं उनके निर्माण में प्राथमिकता दी जायेगी। यह बात मैं बराबर कह रहा हूं।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को केन्द्र से प्राप्त धनराशि का विवरण

*4–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उ० प्र० को पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं में कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उनमें कितनी समर्पित की गयी ? धनराशि का सम्पूर्ण क्यों करना पड़ा तथा धनराशि के उपभोग के बदले मिलने वाली कितनी अनुदान राशि से प्रदेश सरकार वंचित हुई ? इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को पिछले चार वर्षों में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं में कुल 7,310.39 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी ।

उक्त धनराशि में से कोई धनराशि भारत सरकार को समर्पित नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं में कुल 7310.39 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है, उसमें से कितना रुपया आजमगढ़ जिले के लिये आवंटित किया गया है ।

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में इन्होंने जिले का पूछा नहीं था । जिले का मैं इन्हें बता दूंगा ।

*5–श्री राम प्रसाद सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद वाराणसी में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण का विवरण

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निराश्रय और असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण का विवरण योजना के अन्तर्गत वाराणसी में वर्ष 1991 में कहां और किन्हें यह सहायता उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

निःशुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण का विवरण योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में कुल 426 निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को खाद्यान्न एवं वस्त्र वितरण कराया गया । सूची संलग्न है । †

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो असहाय और निराश्रित शब्द हैं, उन्हीं के आधार पर पात्रता का चयन होता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि असहाय और निराश्रित का मानक क्या है, दूसरे इस चयन के आधार पर जो योग्य और पात्र हैं, उनको कितनी और कौन सी वस्तु उपलब्ध करायी जाती है ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, निराश्रित ऐसा शब्द है, जिसके अन्तर्गत यह बात आती है कि जिसके पास कमाने की क्षमता नहीं है और जिस परिवार में कोई कमाने वाला न हो, वह निराश्रित होता है ।

मान्यवर, राजस्व विभाग के अधिकारी इसका चयन करते हैं । उनके क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका चयन राजस्व विभाग के लोग करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उनको कितने तरह की और कितनी मात्रा में सहायता दी जाती है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, उनको 10 किलोग्राम प्रतिमास गेहूं दिया जाता है और साल में एक मर्तबा 100 रुपये का कपड़ा दिया जाता है ।

श्री किशोरी श्याम–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितने निराश्रितों को सहायता दी गयी, कृपया उनकी संख्या बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए अलग से प्रश्न करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह जो सूची हमको दी गयी है मैंने प्रश्न इसलिए किया था .....

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मुझे क्या पता था कि इस तरह से पूछने में खतरा हो जायेगा । मेरा कोई सीधा सवाल नहीं है मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, हमारे यहां की तो भाषा है –

वचनन्त हेला बोलन्त गारी, करीलन के वृक्ष और कूप जल खारी, देखी कान्हा मधु प्यारी ।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से सीधा प्रश्न कर लीजिए, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, वाराणसी में करीब 3 महापालिका क्षेत्र हैं और 3 विधान सभाई क्षेत्र हैं, मुझे यह निश्चित जानकारी है कि इन तीन विधान सभाई क्षेत्रों में किसी निराश्रित असहाय व्यक्ति को सहायता नहीं दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी से शिकायत करिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीनों विधान सभाई और महापालिका के जो क्षेत्र हैं उसमें किसी का भी चयन नहीं किया गया और किसी को भी सहायता नहीं दी गयी इसका क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न परिधि में नहीं आता है ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों में क्षेत्र में इस विभाग के अन्तर्गत यह वस्त्र वितरण का काम हुआ और राजस्व विभाग के जो अधिकारी वस्त्र खरीद कर लाये थे वह झिल्लर किस्म का था उसको 10 दिन से ज्यादा कोई निराश्रित नहीं प्रयोग कर सकता था । झिल्लर का मतलब बहुत ही खराब और कमजोर किस्म का था । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि किसी समुचित अधिकारी की देखरेख में जो 100 रुपये का वस्त्र दिया गया है उस वस्त्र को बांटने की जगह 100 रुपये नगद दे दिया जाय ताकि वह उस पैसे से अच्छा सा वस्त्र खरीद सके ?

श्री अध्यक्ष–

क्या वस्त्र की जगह नगद दिये जाने की कोई योजना है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

श्री श्रीराम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में ऐसे कितने अधिकतम असहाय और निराश्रितों को यह सुविधा देने का प्राविधान है ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें सूचना की आवश्यकता होगी, प्रदेश भर के बारे में कोई प्रश्न करेंगे तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री श्रीराम–

मान्यवर, एक जिले में अधिकतम कितने लोगों को सुविधा दी जा सकती है जो पात्र होते हैं, यह मैंने पूछा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो वाराणसी जिले की बात थी, इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री भागवत पाल–

किसी जिले में मान्यवर, मानक कितना है और कैसे दिया जाये किसी जिले का कुछ तो तय किया होगा कि इतना दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह है कि क्या यह सहायता देने के लिये कोई सीमा निर्धारित है ?

श्री एजाज रिजवी–

ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

जानना चाहूंगा कि महापालिका सीमा के अन्तर्गत किसी का चयन नहीं हुआ है तो पात्रता के आधार पर अब चयन करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

जिलाधिकारी पूरे जिले के लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं, उसी के आधार पर दिया जाता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मा० मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उससे लगता है कि गड़बड़ी की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से प्रश्न पूछ ले ।

*7–श्री नेतराम सिंह तथा श्री ओंकार सिंह–

[दि० 20-2-92 को तारा० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० के समस्त कारागारों की बैरकों में पंखा लगाने की मांग

*8–श्री निर्वेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में सरकार द्वारा उ० प्र० के सभी कारागारों में गर्मी के दिनों में बिजली के पंखे बैरकों में कैदियों हेतु लगाए जाने के आदेश किए गए थे ? क्या आदेश के परिपालन में बैरकों में पंखे लगाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश के सभी कारागारों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जेल मैनुअल में सभी बैरकों में बिजली के पंखे लगाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

उत्तर प्रदेश की कोल जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने की मांग

*9–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाली कोल जाति को अन्य प्रान्तों की भांति अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत लाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रकरण भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मा० मंत्री जी ने जो मेरा मूल प्रश्न है उसके सन्दर्भ में कह दिया कि भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । जानना चाहूंगा कि "कोल" जाति के लोग जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बड़ी तादाद में रहते हैं और उनको आदिवासी ही माना गया है, क्या उनको अनुसूचित जनजाति में लाने के लिये भारत सरकार से कार्यवाही करने के लिये कोई प्रयास करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

22-4-81 को जनजाति में शामिल करने के लिये पत्र लिखा गया था, अभी प्रतीक्षित है । 30 मार्च, 1992 को फिर पत्र लिखा गया है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या कोल जाति को अनुसूचित जनजाति में लाने के लिये इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी कोई पत्र लिखा था ?

श्री रमापति शास्त्री–

22-4-81 को भारत सरकार को पत्र लिखा गया है तथा 30-3-92 को पत्र लिखा गया है । इसके बाद कोई पत्र नहीं लिखा गया है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा "तारांकित प्रश्न संख्या 10, 11 और 14" पुकारे गये किन्तु प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

जनपद सोनभद्र के क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव

*10–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सोनभद्र में गत वर्ष आयी भयंकर बाढ़ में पुल टूट जाने से आवागमन अभी तक रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त टूटे पुलों का निर्माण अभी तक न कराये जाने का क्या कारण हैं ? उक्त पुल कब तक बन जायेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

जनपद सोनभद्र में गत वर्ष बाढ़ से केवल रिहन्द नदी पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है । यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ।

उक्त क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण कार्य नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड के तत्वावधान में बोर्डर रोड संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

पुल के पुनर्निर्माण का कार्य मई 1992 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ।

उ० प्र० राज्य सेतु निगम के मार्ग निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता की जांच

*11–श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम (रोड विंग) के द्वारा मार्ग निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता की जांच शासन स्तर पर समय-समय पर किस एजेन्सी द्वारा करायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस मामले में सेतु निगम द्वारा कराये गये रोड विंग के कार्यों की गुणवत्ता की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के मार्ग निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता की जांच अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार यथावश्यक लोक निर्माण विभाग द्वारा कराई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*12–श्री शिवलाल मित्तल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*13–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद आगरा के ऊपर रिंग रोड बनाये जाने तथा राष्ट्रीय मार्ग नं० 3 को राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 से जोड़े जाने की मांग

*14–श्री विजय सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के ऊपर रिंग रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मार्ग नं० 3 को राष्ट्रीय मार्ग 2 से जोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 4 मई, 1988 व 17 मई, 1988 का पत्र मिला ? यदि हां, तो इन पत्रों पर मुख्य मंत्री जी के आदेश क्या हैं ? इन आदेशों के परिपालन के लिए क्या प्रक्रिया होगी ? यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 4 मई, 1988 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अपितु दिनांक 2-5-88 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जो मुख्य मंत्री कार्यालय से 4-5-88 को निर्गत हुआ है । दिनांक 17-5-88 का पत्र भी शासन में प्राप्त हुआ है ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 17-5-88 के पत्र पर कोई आदेश नहीं दिये गये थे बल्कि संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध सचिव, सा० नि० वि० से किया गया था । दिनांक 2-5-88 के पत्र पर तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री द्वारा सड़क बनाने के आदेश दिये गये थे ।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित स्वीकृति शासनादेश सं०–1414 ई/23-सा०नि०अनु०-11-162ई/88, दिनांक 24-3-90 द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा में चकबन्दी विभाग द्वारा चकबन्दी कार्य सुचारु रूप से किया जाना

*15–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में चकबन्दी विभाग में जुलाई, 1991 से डी० डी० सी० व एस० ओ० सी० व सी० ओ० न होने के कारण पूरे जनपद की जनता परेशान है तथा चकबन्दी प्रक्रियायें अवरुद्ध हो गयी हैं, जिससे पूरे जिले की चकबन्दी प्रभावित हो गयी है ? यदि हां तो कब तक अधिकारी वहां नियुक्त कर दिये जायेंगे ? चकबन्दी क्रियाओं के कार्य पूर्ण विवरण क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

जी नहीं । जनपद में स्वीकृत 3 चकबन्दी अधिकारी कार्यरत हैं तथा 1 सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की दिनांक 31-7-91 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त उस पद का कार्य देखने हेतु सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कानपुर को अधिकृत किया गया है । डी० डी० सी० का अलग पद स्वीकृत नहीं है । चकबन्दी कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ।

जनपद के 599 ग्राम अभी तक चकबन्दी में लिये गये जिसमें 576 ग्रामों में धारा-52 का प्रकाशन भी हो चुका है । शेष 23 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तरों पर है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मैं यह जानना चाहता हूं कि चकबन्दी अधिकारियों के पद वहां कब से रिक्त थे, यह जो 3 चकबन्दी अधिकारियों का उल्लेख किया गया है यह कब से नियुक्त किये गये, इन चकबन्दी अधिकारियों की जिस समय से नियुक्ति हुई, उस बीच में कार्य के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था रही ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, तीन चकबन्दी अधिकारी वहां पर नियुक्त हैं । यह जो निश्चित तिथि जानना चाहते हैं इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, उत्तर में बताया गया है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सेवानिवृत्ति के उपरान्त उस पद का कार्य देखने हेतु सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कानपुर को अधिकृत किया गया है । क्या बांदा में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा क्यों कि बांदा से कानपुर आने जाने में दिक्कत पड़ती है और चकबन्दी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, अलग से सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है । मैंने पहले ही उत्तर में बताया कि 599 ग्राम में से 576 ग्रामों में धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है । शेष 23 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर हैं, कार्य प्रगति पर है इसलिए कानपुर के अधिकारी को सम्बद्ध कर दिया गया अलग से किसी अधिकारी की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जनपद बांदा में कुल कितने ग्राम शेष हैं उसमें चकबन्दी कब तक करा दी जायेगी पूर्ण ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैंने बताया कि 23 ग्राम शेष हैं ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, वहां पर जो चकबन्दी कार्य चल रहा है, उसमें जो विवाद है, वहां पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के न होने से वादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है । इसके लिए या तो सप्ताह में इस कार्य के लिये ज्यादा दिन कर दिये जायें या किसी को वहां नियुक्त कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का आशय कार्य के शीघ्र निष्पादन से है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो ग्राम रह गये है, जैसा कि उत्तर में बताया, उनमें कार्य प्रगति पर है । उनमें भी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण हो जायेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मंत्री जी अपने कक्ष में बुला लें, उनके जिज्ञासा का समाधान हो जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वहां पर जनता को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के अभाव में कठिनाई हो रही है । वहां से आपने कानपुर के अधिकारी को सम्बद्ध किया किसी भी व्यक्ति को यदि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करनी हो या परेशानी हो तो वह बांदा से कानपुर आये तो इस नाते मैं भी जानना चाह रहा हूं कि क्या वहां सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मेरे विचार से वर्मा जी और माननीय विशम्भर प्रसाद जी मंत्री जी से उनके कक्ष में मिलकर के वहां की तकलीफों का ब्यौरा देकर उनका समाधान कर लें ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, चकबन्दी की प्रक्रिया के तहत जो ग्राम चयनित किये जाते हैं यह क्या अधिकारियों की मंशा के ऊपर होता है या जनता के प्रतिनिधियों को भी इसमें महत्व दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय से सम्बन्धित नहीं है, प्रश्न बांदा से सम्बन्धित है ।

श्री भागवत पाल–

प्रदेश सरकार की नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

नीति के बारे में अलग से प्रश्न कर लीजिये ।

श्री भागवत पाल–

माननीय वर, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व दिया जाता है या नहीं इस प्रक्रिया में ?

श्री अध्यक्ष–

जब विभाग के बजट पर चर्चा होगी तो उसमें अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सी० ओ० का आफिस वहां न हो, यह तो उचित नहीं है । अब बांदा के लोग समस्या के लिये दो जिले छोड़कर कानपुर आयेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने कह दिया कि मंत्री जी से माननीय सदस्य कक्ष में मिल लें । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि केवल 23 ग्राम ही शेष थे और उसमें भी कार्य विभिन्न स्तर पर चल रहा है, इसलिये कानपुर से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य मिल करके राजस्व मंत्री जी को बता दें और अपनी समस्याओं का समाधान उनसे कर लें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, हमारे जनपद बांदा में एक गांव में चकबन्दी कार्य बाधित है वहां पर राजनीतिक प्रयास से नुकसान किया जा रहा है ...

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय राजस्व मंत्री जी को बता दीजियेगा, उनके कक्ष में जाकर । वह आपकी शंका का समाधान कर देंगे ।

जनपद मैनपुरी में फुटकर डीजल विक्रेताओं की नियुक्ति

*16–श्री राम औतार शाक्य–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 91-92 में सरकार को फुटकर चीनी विक्रेता व हाई स्पीड डीजल विक्रेताओं की नई दुकानें खोलने की सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? क्या मैनपुरी में जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 91-92 में कोई नई दुकानें खोली जायेंगी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु व्यापारी (लाइसेंस देना और अपसंचय पर निबन्धन) आदेश 1989 के अन्तर्गत फुटकर चीनी विक्रेता को लाइसेंस दिया जाता है । वर्तमान नीति के अनुसार चीनी का फुटकर लाइसेंस दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कोई भी व्यक्ति जो 10 कुन्तल से कम चीनी रखकर बेचना चाहता हो, उसे उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस दिये जाने की नीति है ।

2–हाई स्पीड डीजल विक्रेताओं की नई दुकान खोलने की वर्तमान नीति यह है कि ऐसे क्षेत्र में जहां 5 किलो मीटर की परिधि में किसी आयल कम्पनी का कोई डीजल आउट लेट नहीं है तथा जहां डीजल की बिक्री प्रति माह 20-25 किलो लीटर हो सकती है, वहां जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय जनता की मांग पर फुटकर हाई स्पीड डीजल का लाइसेंस दिये जाने की नीति है ।

वर्ष 91-92 में जनपद मैनपुरी में 21 फुटकर डीजल विक्रेताओं की नियुक्तियां की गयी हैं फुटकर चीनी विक्रेताओं की दुकानें खोलने के लिये न तो कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और न ही कोई लाइसेंस निर्गत किया गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस राम के राज्य में न तो बिजली है और न पानी तो बिजली और पानी के न होने से किसानों को बेहद परेशानी हो रही है ...

(शोर)

राम के राज्य में यह आये हैं । तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जो सरकारी मानक हैं फुटकर विक्रेताओं को लाइसेंस दिये जाने के, उस मानक के अनुसार मैनपुरी जनपद में किसानों को राहत देने के लिए उनको डीजल आसानी से मिल सके, कितनी नयी दुकानों को खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे क्षेत्र में जहां 5 किलोमीटर की परिधि में किसी आयल कम्पनी का कोई डीजल आउट लेट नहीं है तथा जहां डीजल की बिक्री प्रति माह 20-25 किलो लीटर हो सकती है, वहां पर से यदि कोई दरख्वास्त है तो उसके ऊपर लाइसेंस दिये जायेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर कोई मेजरमेंट करायेंगे, वैसे तो हर जगह डीजल नहीं मिलता है तो हमारा सवाल यह है कि सरकारी स्तर पर ऐसा कोई सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

ऐसी कोई आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, प्रश्नकर्ता ने बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न किया है कि हाई स्पीड डीजल विक्रेताओं की नई दुकानें खोलने की सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 5 किलोमीटर की परिधि और जहां डीजल की बिक्री 20, 25 किलोलीटर मिनिमम यदि होगी, तो विचार करेंगे । मेरा आपसे स्पष्ट प्रश्न है कि क्या यह बताने की अनुकम्पा करेंगे कि 5 किमी० की परिधि और 25 किलोलीटर बिक्री के आधार पर प्रान्त में चल रही दुकानों की संख्या कितनी है और आवश्यकता कितनी है ?

श्री एजाज रिजवी–

माननीयवर, इसके लिये जानकारी लेनी होगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, इसमें जानकारी वाली क्या बात है, मैंने सिर्फ यह पूछा है कि जो आपने मानक बताये हैं, उसके आधार पर प्रान्त में चल रही हाई स्पीड डीजल की दुकानों की संख्या कितनी है और आगे कितनी आवश्यकता है । यह तो पूरे प्रदेश से सम्बन्धित प्रश्न है, कोई जनपद विशेष से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

नीति के बारे में मंत्री जी ने बता दिया, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, वह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है ।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपूर्ति विभाग और फुटकर डीजल, चीनी की दुकानों के लाइसेंस लेने वालों में ऐसी दुरभिसंधि है, जिसकी वजह से एक ही परिवार के लोग भिन्न-भिन्न नामों से हाई स्पीड डीजल और चीनी की दुकानों के लाइसेंस ले लेते हैं, क्या मंत्री जी के समक्ष कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि इस तरह एक ही परिवार के लोग भिन्न-भिन्न नामों से दुकानें न ले सकें, इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, शासन के संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर माननीय साथी कोई इस तरह की शिकायत देगें, तो उसको दिखवा लेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इसमें कोई संसाधन वाली बात नहीं है । जहां तक मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, कई साल से जिलों में इस तरह के मामले लम्बित पड़े हैं कि जगह भी है, आवश्यकता भी है, मानक के अनुसार आते भी हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं जारी कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि किसानों के हित में, कृषि रक्षा के काम को देखते हुये, उन लोगों को लाइसेंस निर्गत करने में क्या कठिनाई है, जिन्होंने आवेदन-पत्र दे रखे हैं ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है । मानक के अनुसार ही लाइसेंस दिये जाते हैं ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, जो अधिकारी लाइसेंस देते हैं, वह पहले वैकेन्सी क्रियेट करते हैं । ऐसे बहुत से स्थान हैं, जो 5 किमी० की परिधि से बाहर हैं और वहां पर आवश्यकता भी है, लेकिन अधिकारियों द्वारा वैकेन्सी क्रियेट नहीं की गयी है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे स्थानों पर जहां आवश्यकता भी है, के लिये जिलाधिकारी को निर्देशित करेंगे कि वह शीघ्रातिशीघ्र वैकेन्सी क्रियेट करा दें और दुकान खुलवायें ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, जो मानक हैं, उन्हीं के आधार पर दिया जा रहा है । अगर कहीं मानकों के आधार पर नहीं दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ वह अपील कर सकते हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, क्या आप स्वयं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं ? हर बात पर वह कह दे रहे हैं कि नियमानुसार कार्य हो रहा है । माननीय सदस्य व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं, फिर भी मंत्री जी यह नहीं कह रहे कि हम इस पर विचार कर लेंगे । जहां पर जगहें रिक्त हैं और प्रशासन की तरफ से उनका सर्वेक्षण कराकर घोषणा भी कर दी गई है कि यहां पर इसकी आवश्यकता है । तो क्या माननीय मंत्री जी जिलाधिकारियों को निर्देश देंगे कि जहां पर आवश्यकता है और आवेदन पत्र आये हैं, उनका वह तुरन्त निस्तारण कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, आप जिलाधिकारियों को निर्देश देंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी लाइसेंस देते हैं । अगर कहीं नहीं दिया गया है तो संचय निबन्धन आदेश, 1979 के अन्तर्गत वह अपील कर सकते हैं ।

*17–श्री अंगद सिंह यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कारागार में बन्दी व्यक्तियों को 30 वर्ष के उपरान्त समय पूर्व मुक्ति करने पर विचार

*18–श्री राम सरन (अनुपस्थित)–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सपरिवार 20 से 30 वर्ष तक सजा काट रहे बन्दी अभी तक जेलों में बन्द हैं, जबकि 10–14 वर्ष सजा काटने के बाद प्रपत्र फार्म के अनुसार बन्दियों की सजा माफ हो जाती है ? यदि हां, तो 20–30 वर्ष से सजा काट रहे कितने बन्दी जेल में सम्प्रति बन्द हैं ? क्या उन्हें शीघ्र छोड़ा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां, किन्तु 10–14 वर्ष सजा काटने के बाद सजा माफ होने का कोई सामान्य नियम नहीं है और विधिक स्थिति के अनुसार आजीवन कारावास का तात्पर्य अन्तिम स्वांश तक के लिए कारावास से होता है । जेल मैनुअल तथा यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन ऐक्ट 1938 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर ऐसे बन्दी कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन समयपूर्ण मुक्ति हेतु केवल विचार के पात्र होते हैं किन्तु उक्त अवधि पूर्ण करने पर सभी बन्दियों को छोड़े जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

वर्तमान में 710 ऐसे बन्दी जेलों में निरुद्ध हैं जो 20–30 वर्ष की सपरिवार सजा भोग चुके हैं ।

14-8-91 को 30 वर्ष की सपरिवार सजा भोग चुके व्यक्तियों को छोड़ने के आदेश वर्तमान सरकार द्वारा किये जा चुके हैं । नियमानुसार समय पूर्व मुक्ति के अन्य मामलों में समय-समय पर शासन द्वारा विचार किया जाता है तथा उपयुक्त मामलों में मुक्ति के आदेश दिये जाते हैं ।

जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के खातेदारों को भूमि का स्थानान्तरण

*19–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत किसी हरिजन को तब तक जमीन बेचने की इजाजत नहीं दी जाती है जब तक उस पर पांच बीघा जमीन अवश्य रह जाये ? क्या यह सत्य है कि इस अधिनियम के लागू होते हुए भी सरकारी देयों की वसूली में इस नियम का उल्लंघन कर सम्पूर्ण जमीन की नीलामी कर दी जाती है और हरिजन भूमिहीन हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 157–क के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का कोई भी खातेदार उसी दशा में अपनी भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अन्तरित कर सकता है जब उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि न हो तथा संक्रमण के बाद भी उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो जाने की सम्भावना न हो ।

सरकारी देयों की वसूली में अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि का विक्रय उसी दशा में ही किया जाता है जब उपबन्धित अन्य उपायों के माध्यम से वसूली सम्भव नहीं हो पाती है ।

इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि अन्य उपायों के माध्यम से वसूली न होने पर जोत का विक्रय न किये जाने की दशा में सरकारी देयों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सवाल है । इस सवाल के उत्तर से सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह हरिजन विरोधी सरकार है । जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 157–क के अन्तर्गत हरिजनों को यह सुरक्षा दी गई है कि यदि उनके पास 1.26 हेक्टेयर तक जमीन रह जाती है तो उसको न वह बेच सकते हैं और न ही उस जमीन को कोई ले सकता है ताकि हरिजन भूमिहीन न हों । हरिजन जो ऋण लेते हैं, जब उनसे वसूली नहीं हो पाती है तो यह सरकार उनकी भूमि को जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, उसको नीलाम कर हरिजनों को फिर से भूमिहीन बना दे रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है, जिन हरिजनों की भूमि को आपने नीलाम करके भूमिहीन बना दिया है, उन्हें भूमि दुबारा आप कैसे उपलब्ध करायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है । भूमि के विकास के लिए बैंक से ऋण लिया जाता है, सारे उपाय करने के बाद जब वसूली नहीं हो पाती है, तब विक्रय के माध्यम से वसूली होती है यदि इस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोग ऋण लेते रहें और उसे दें नहीं तो इससे तो सारी बैंकिंग व्यवस्था व आर्थिक अनुशासन समाप्त हो जायेगा यह प्रदेश के विकास के लिए भी हितकर नहीं होगा । इसलिए जो व्यवस्था बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि भूमिहीन होकर वह भूखा मरे और सड़क पर घूमे । तो मैं जानना चाहता हू कि इस वसूली से जो किसान भूमिहीन हो जायेंगे उनको दुबारा भूमि किस माध्यम से उपलब्ध करायेंगे, इस पर शासन की नीति क्या है क्योंकि हम गरीबों के उत्थान की बात करते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय नरेश जी ने कहा कि वह उजड़ जायेगा और यह सरकार हरिजन विरोधी है जब कि वह जानते हैं यह व्यवस्था पहले से ही है जब जमीदारी विनाश अधिनियम, 1950 से लागू हुआ था तब से यह व्यवस्था लगातार चली आ रही है । आप चाहते हैं कि यह व्यवस्था कर दी जाय कि कोई ऋण लेता रहे और उसकी वसूली न हो और उसकी भूमि भी नीलाम न हो तो इसके जो दुष्परिणाम होंगे उसको भी देखें ।

श्री अध्यक्ष–

उनका प्रश्न यह है कि जिन अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन ऋण वसूली में बेच दी गयी वह भूमि से वंचित हो जायेंगे तो क्या उनको दुबारा भूमि आवंटित करने का प्राविधान है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, न व्यवस्था है न उचित होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऋण लेकर उसकी अदायगी नहीं करेगा और फिर दुबारा प्रार्थना पत्र देगा कि भूमि आवंटित की जाय दूसरी ओर जरूरत मंद व्यक्ति को भूमि नहीं मिल पायेगी । इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न व्यावहारिक है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

इससे सरकार किसी को भी भूमिहीन बना देगी । तो वह कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताने की कृपा करें नहीं तो इससे लोग गरीबी की रेखा से और नीचे चले जायेंगे । फिर हमारे उस 20 सूत्री कार्यक्रम की क्या उपयोगिता है जिस 20 सूत्री कार्यक्रम कमेटी के माननीय ब्रह्मदत्त जी भी सदस्य हैं । तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं वह भूमिहीन हरिजन अपने परिवार को कैसे चलायेगा उसकी रोजी रोटी की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष–

उसका उत्तर दे दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह स्पष्ट घोषणा करें कि हम उसे जमीन नहीं देंगे जिससे मालूम हो जायेगा कि यह शासन हरिजन विरोधी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप इस तरह से पूछें कि जमींदारी-विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम या उसके नियमों में इस बात का प्राविधान है कि जो भूमिहीन हरिजन हैं उनको भूमि दी जाय, गांव समाज की भूमि ऐसे लोगों को जिनकी जमीन नीलाम हो जाय उनको दुबारा जमीन देने पर कोई प्रतिबन्ध है अगर आप ऐसे पूछें तो मैं उत्तर के लिये कह सकता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

हम हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं उनके वोट लेकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया है आप उसमें संरक्षण नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको सुझाव दिया कि इस प्रकार पूछें ।'

श्री नरेश अग्रवाल–

यह सरकार हरिजन विरोधी है, उनके पक्ष में कोई कार्य नहीं कर रही है इसलिए मैं इनकी इस नीति के विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में व्यवस्था है कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर शैड्यूल्ड कास्ट के किसी व्यक्ति को जमीन बेचनी है तो उस जमीन को कोई गैर शैड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है । तो ऐसी जमीन जो नीलाम हो रही है उसमें भी यह व्यवस्था करेंगे कि अगर शैड्यूल्ड कास्ट की जमीन इस प्रकार नीलाम हो रही है तो उसमें गैर शैड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति नीलामी नहीं ले सकेगा ।

श्री अध्यक्ष–

कौन सी व्यवस्था है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जमींदारी अधिनियम की धारा 279 में बकायेदार पर मांग-पत्र तामिल किया जायेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न दूसरा है.....

नहीं, नहीं प्रश्न दूसरा है । आप समझे नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, वही उत्तर दे रहा हूं । माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि जो कि एक निश्चित सीमा में उसके पास बनी रहने की बताई गई है । उसको भी बेच कर उससे वसूली की व्यवस्था है और मैं कह रहा था कि उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं होगी।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अभी इस पर चर्चा हो रही थी । माननीय नरेश अग्रवाल जी पूछ रहे थे कि क्या उन हरिजनों को भूमि दी जायेगी जिनकी जमीन नीलाम कर दी गई है । मेरी समझ में नहीं आता श्री द्विवेदी जी अधिवक्ता भी हैं । कानून के ज्ञानी भी हैं बैनामी ट्रांजिक्शन में यह प्राविधान है कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमिहीन मजदूर है उसे एलाटमेंट के दिन 155 के आधार पर वरीयता के आधार पर भूमि दी जायेगी । इसका जवाब देने में उन्हें संकोच क्यों हो रहा है । माननीय अग्रवाल जी के इतने से प्रश्न का जवाब नहीं दे पाये और वह इसीलिये वाक आउट कर गये । मैं आपके माध्यम से माननीय

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वह भूमिहीन न हो जायं । भूमि बेचने की परमीशन लेनी पड़ती है । एक निश्चित सीमा के बाद की बकाया भूमि बेचने की परमीशन मिलती है। कुछ अनुसूचित जाति के छोटे काश्तकार अपनी उस भूमि को भी, जो कि निश्चित सीमा के अन्दर है बड़े काश्तकारों को (अनुसूचित जाति के) बेच देते हैं । बाद में यह बड़े काश्तकार उस जमीन को सवर्ण लोगों में बेच देते हैं । इस तरह से बैनामी ट्रांजिक्शन का क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी केवल इसी के बारे में बतायें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इसका पूरा स्पष्ट प्राविधान है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को भूमि तभी बेचने का अधिकार है जब बेचने के बाद भी 1.26 हेक्टेयर भूमि उसके पास शेष बची रहे । यदि इतनी भूमि नहीं बचती है तो उसको परमीशन कलेक्टर नहीं दे सकता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

हमारा प्रश्न आप समझ नहीं पाये ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आप पूरा उत्तर तो सुनिये । यह प्राविधान इसलिये है जिससे कि अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन न हो जायं । जो लोग भूमिहीन हैं उनको हमारी सरकार भूमि आवंटित कर रही है और पिछली सभी सरकारों से ज्यादा 183 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा किया है । लेकिन प्राविधान में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब तो आया नहीं । मंत्री जी की समझ में नहीं आया । पूछो कुछ जवाब कुछ आता है ।

(व्यवधान)

(माननीय सदस्य अपनी बात कहते रहे और व्यवधान के मध्य अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न सं०–20 पुकारा)

श्री अध्यक्ष–

श्री लाखी राम जोशी नत्थी–ख–1 के बारे में कुछ कहना चाहते थे अभी दो तीन मिनट का समय है।

श्री श्रीराम–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब "हरिजन" शब्द हटा दिया गया है तो उसका प्रयोग क्यों किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने उस शब्द का प्रयोग किया है ।

उ० प्र० के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में जानकारी

*20–श्री पूरन प्रकाश तथा श्री सुन्दर लाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य तथा रसद विभाग, उ० प्र० के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, राजपत्रित का वेतनमान (रु० 1600–2900), पुलिस उप निरीक्षक, प्रवर वर्ग सहायक तथा आशुलिपिक अराजपत्रित के वेतनमान (रु० 1640–2900) से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वेतन विसंगति को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का वेतनमान रु० 1600–2900 नहीं है, अपितु रु० 1600–2660 है । यह वेतनमान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पुराने वेतनमान रु० 625–1240 का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान है। पुलिस उप निरीक्षक व प्रवर वर्ग सहायक के पद का वेतनमान रु० 1640–2900 केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर अनुमन्य हुआ है । आशुलिपिक संवर्ग में भी केन्द्रीय समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है, तद्नुसार ही आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमान निर्धारित होंगे । क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के वेतनमान के प्रकरण पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया और इस वेतनमान में कोई विसंगति नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद खीरी की तहसील निघासन के ग्राम कोयलार खम्भरिया के निवासी असगर पुत्र फजल खान के नाम पट्टा का न होना

1–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1548/91 असगर पुत्र फजल खान ग्राम कोयलार खम्भरिया, परगना व तहसील निघासन, खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये गये । श्री असगर पुत्र फजल खान के नाम कोई पट्टा नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जनपद खीरी की तहसील निघासन के ग्राम पलिया के झिनकान पुत्र नन्हकू द्वारा आबादी का उपयोग

2–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं० 1549/91, झिनकान पुत्र नन्हकू, नि० ग्रा० पलिया, तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी जनपद लखीमपुर खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । प्रार्थी झिनकान पुत्र नन्हकू को ग्राम मझरा पश्चिम में भूदान समिति द्वारा 8–25 एकड़ का पट्टा दिया गया है । इसमें से भूमि नं०–13/2–50 एकड़ पर भूदान समिति के ही पट्टेदार श्री कुरन्दर, श्री राम, श्री राम खिलावन, नगेश्वर, राजवली, राम किसुन, गंगा प्रसाद एवं स्वयं प्रार्थी झिनकान आबादी बना कर रह रहे हैं अतः इनको बेदखल नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद बांदा के कर्बी के लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री सत्येन्द्र शर्मा के विरुद्ध जांच

4–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राज बहादुर सिंह यादव, महामंत्री, जनता दल (एस), बांदा ने दिनांक 23-8-91 को लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री को एक शिकायती-पत्र लोक निर्माण विभाग, कर्बी (बांदा) के सहायक अभियन्ता, श्री सत्येन्द्र शर्मा व अवर अभियन्ता, श्री वी० के० दलेला द्वारा राजापुर मार्ग के कि० मी० एक से दस तक फर्जी मोरम व 40–63 गिट्टी की सड़क रिपेयर दिखाकर गबन करने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच टी०ए०सी० से करवाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच विभागीय माध्यम से कराई गई । जांच आख्या विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में लालगंज कस्बे के समीप कुआनो नदी पर सेतु के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की मांग

5–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कुआनो नदी और मनोरमा नदी के संगम पर लालगंज के पास कोई पुल निर्माण का कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है और पिछली सरकार द्वारा उसका शिलान्यास भी हुआ था ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद बस्ती में कुदरहा लालगंज मार्ग के कि० मी०–5 में कुआनो नदी और मनोरमा नदी के संगम पर लालगंज कस्बे के पास निर्माण हेतु स्वीकृत आर० सी० सी० सेतु का शिलान्यास तत्कालीन उप मंत्री, कारागार एवं होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जा चुका है ।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद लखनऊ के गोसाईगंज में स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में कार्यरत जीप चालक के स्थानान्तरण तथा वेतन का भुगतान

6–श्री सन्त बक्श रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ० प्र० के पत्र संख्या 4579–83/बा० वि० परि०/लखनऊ/स्था/90-91, दिनांक 9 जनवरी, 1991 द्वारा किसी जीप चालक का स्थानान्तरण किया गया था जिसके परिपालन में उक्त चालक ने 9-1-91 को कार्यमुक्त होने के पश्चात् 10-1-91 को बाल विकास परि० अधिकारी, गोसाईगंज, लखनऊ के कार्यालय में योगदान किया था ? क्या उसके पश्चात् उक्त जीप चालक को वहाँ 8-2-91 को पुनः अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया था ? बार-बार स्थानान्तरण करने का क्या कारण है ? क्या उसे जनवरी, 91 से वेतन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जीप चालक को ड्यूटी और वेतन कब तक दिलायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

इनको केवल एक बार ही प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्बन्धित जीप चालक ड्यूटी कर रहे हैं और वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम बिहारीगंज गुलालपुर में अतिरिक्त सीलिंग भूमि के आवंटन का प्रकरण

7–श्री तेज भान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री भोदई पुत्र सुकरू, निवासी ग्राम बिहारीगंज गुलालपुर, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 11-3-89 का (आवंटन पत्रावली में शामिल) प्रार्थना पत्र जिसमें उसने अपने सहन, दरवाजा व मकान, पेड़, सुअरबारा आदि किसी अन्य को कृषि हेतु आवंटित कर देने की शिकायत की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी ने मौके की जांच की है ? यदि हां, तो किसने और जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

श्री भोदई पुत्र सुकरू, निवासी ग्राम गुलालपुर बिहारीगंज, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 11-3-1989 नहीं बल्कि 28-8-1989 प्राप्त हुआ है ।

मौके की जांच नायब तहसीलदार द्वारा भूलेख निरीक्षक, लेखपाल की उपस्थिति में की गयी । भूमि नं० 1386/2 रकबा 0–4–17 अतिरिक्त सीलिंग भूमि के आवंटन का प्रस्ताव दि० 25-12-1988 को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा श्रीमती केवला पत्नी रामधनी के पक्ष में पारित किया गया है । जांच में पाया गया कि अतिरिक्त सीलिंग भूमि ग्राम बस्तीदेई की है तथा आवंटी श्रीमती केवला पत्नी रामधनी जिसके पक्ष में आवंटन किया गया है वह ग्राम बस्ती देई की निवासिनी है तथा शिकायतकर्ता श्री भोदई पुत्र सुकरू ग्राम गुलालपुर का निवासी है इसलिये उसके नाम आवंटन नहीं किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[दिनांक 27-2-92 को अता० प्र० सं० 146 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम अम्बर पुरवा निवासी धनीराम पुत्र सरजू को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु कृत कार्यवाही

9–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1553 धनीराम पुत्र सरजू, नि० ग्रा० अम्बापुर, परगना व तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषयक प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री धनीराम पुत्र सरजू नि० अम्बरपुरवा के चक संख्या–918 की दो बार मौके पर पैमाइश की जा चुकी है, किन्तु सन्तोष सिंह पुत्र गुरुदत्त सिंह ने मौके पर कब्जा नहीं छोड़ा है । पुलिस बल द्वारा कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम पटिहन निवासी रफी उल्ला पुत्र सफीउल्ला को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की कृत कार्यवाही

10–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1557/91, रफी उल्ला पुत्र सफी-उल्ला, नि० ग्रा० पटिहन, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । चकबन्दी विभाग द्वारा संदर्भ तैयार किये जा रहे हैं । संदर्भ निस्तारण के उपरान्त पट्टेदार श्री रफीउल्ला पुत्र सफीउल्ला को कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जायेगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम चखरा निवासी श्री महावीर की भूमि से वन विभाग द्वारा किया गया कब्जा हटाने की कार्यवाही

11–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं० 1585/91, श्री महावीर, नि० ग्रा० चखरा, तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । श्री महावीर पुत्र रघुनाथ को गाटा सं०–509/0–70 एवं 513/0–86 की पैमाइश कराके कब्जा दिया जा चुका है । गाटा सं०–1511/1–03 एकड़ वन विभाग के कब्जे में है और उस पर पेड़ लगे हुए हैं, जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा–198(4) के अन्तर्गत की जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम रानीगंज के निवासी श्री कल्लू को कब्जा दिया जाना

12–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं०–1586/91, श्री कल्लू, नि० ग्रा० रानीगंज, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री कल्लू पुत्र श्याम लाल, निवासी रानीगंज, मजरा लोधौरी के नाम चक संख्या–2554 असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है । गाटा सं०–1838/0–28, 1839 मि/0–50, 1551/0–59 रकबा चकबन्दी बाहर एवं मौके पर आबादी है, जिससे कब्जा दे दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम सरपतहा निवासी श्री फैजनूर को कब्जा दिया जाना

13–श्री निर्वेन्द्र कुमार –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–1645/91 श्री फैजनूर, नि० ग्रा० सरपतहा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना–पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दि० 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । श्री फैजनूर पुत्र छोटकऊ नि० डन्डूरी, मजरा सरपतहा की पट्टे की भूमि की पैमाइश करके दिनांक 24-1-92 को कब्जा दिया जा चुका है । अब कोई विवाद नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम सुदिनपुर के अपात्र व्यक्तियों को आवंटित भूमि के पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही

14–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की ग्राम सुदिनपुर, तहसील अतर्रा, जिला बांदा के ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा वर्ष 1988–89 में जो पट्टे किए गए उनके अवैध होने के सम्बन्ध मे ग्रामवासियों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को शिकायत की थी, जिस पर मुख्य मंत्री ने जिला अधिकारी, बांदा को आदेश किए थे ? यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं ? क्या वे आदेश परगनाधिकारी, अतर्रा के पास आने पर, उन्होंने नायब तहसीलदार से जांच करवाई थी ? यदि हां, तो क्या जांच में यह आख्या दी गयी है कि अधिकतर पट्टेदार गलत्त हैं ? यदि हां, तो क्या उसके बाद आज तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या शीघ्र इस पर कार्यवाही करके दोषी जनों को दण्डित करके पात्र व्यक्तियों को पट्टा करके कब्जे दिलवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं, ग्राम सुदिनपुर में ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा वर्ष 1988–89 में जो पट्टे किये गये उनके अवैध होने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को शिकायत नहीं की थी बल्कि तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष दिनांक 12-12-1990 को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था ।

जिलाधिकारी, बांदा ने परगनाधिकारी, अतर्रा को शीघ्र जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 12-12-1990 को दिये थे ।

जी हां ।

जी नहीं, केवल 16 अवैध पट्टे पाये गये ।

जांच में यह पाया गया कि स्वीकृत प्रस्तावों में से 16 व्यक्ति अपात्र पाये गये, जिनके पट्टों के निरस्तीकरण की रिपोर्ट तैयार करके उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–198(4) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बांदा के न्यायालय को बेदखली हेतु भेजी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा के कर्वी के लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता के तैनाती के आदेश

15–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह आदेश पारित हुए थे कि लोक निर्माण विभाग, कर्वी (बांदा) में अधिशासी अभियन्ता का चार्ज वरिष्ठ सहायक अभियन्ता को दिया जाये ? यदि हां, तो आदेशों के बावजूद भी क्या सबसे जूनियर सहायक अभियन्ता को पद का चार्ज दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? श्री सतेन्द्र शर्मा, कर्वी के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कोई सी० आई० डी० जांच एवं आडिट के दौरान चालीस हजार रुपयों का गबन साबित हुआ था ? यदि हां, तो उक्त सहायक अभियन्ता को इतना महत्वपूर्ण कार्य, वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं के होते हुए दिए जाने का औचित्य क्या है ? क्या शीघ्र ही श्री सत्येन्द्र शर्मा के स्थान पर वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं में से किसी को अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कर्वी (बांदा) पद का कार्यभार दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रमुख अभियन्ता के स्तर से प्रश्नगत आदेश निर्गत नहीं हुए हैं।

कर्वी के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त खण्ड का चार्ज स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यहित में प्रभारी मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र द्वारा श्री सत्येन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता को दिया गया है।

जी नहीं।

सामान्य उपयुक्तता।

शासनादेश दिनांक 17-2-92 द्वारा अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई, कर्वी में नियमित अधिशासी अभियन्ता की तैनाती के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

महेन्द्र नगर (नेपाल) में निर्माणाधीन पुल हेतु आयातित बिटुमन बैंकर के विक्रय की जांच

16–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 88 में महेन्द्र नगर (नेपाल) में बन रहे पुल निर्माण में लगभग 16 लाख रुपये का बिटुमन बैंकर सिंगापुर से मंगवाया गया था ? यदि हां, तो तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा इसे बेचने का क्या औचित्य था ? क्या शासन इस प्रकरण पर उच्च जांच कमेटी गठित कर शासकीय हानि की वसूली करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां।

उक्त बिटुमिन बेचा नहीं गया था।

प्रकरण में पूर्व में ही दो जांचें हो चुकी हैं, अतः अब और कोई जांच कराने का औचित्य नहीं है।

जनपद मैनपुरी के अभिलेखागार से कतिपय ग्रामों के जिल्द बन्दोबस्त गायब होने के सम्बन्ध में कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

17–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के रेवेन्यू रिकार्ड रूम से बहुत से मौजों की जिल्द बन्दोबस्त गायब है ? यदि हां, तो कलेक्टर मैनपुरी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि ग्राम दाऊदपुर कुसमरा, मैनपुरी देहात की आ० प० 45 में फर्जी

अमल दरामद कर दिए गये है ? यदि हां, तो कलेक्टर ने क्या कार्यवाही इस बारे में की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद मैनपुरी के राजस्व अभिलेखागार से केवल (1) ग्राम मकबूलपुर, परगना कुरावली, तहसील मैनपुरी तथा (2) ग्राम भोगांव, परगना व तहसील भोगांव की जिल्द बन्दोबस्त गायब है।

ग्राम मकबूलपुर की जिल्द बन्दोबस्त की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और अपराध पंजीकृत हुआ। अभियोग-पत्र न्यायालय, सी० जे० एम०, मैनपुरी में प्रस्तुत है, जो भी विचाराधीन है। इसी जिल्द बन्दोबस्त के गायब होने की विभागीय जांच की गयी और दोषी कर्मचारी की चार वेतन वृद्धियां रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दे उसको दंडित किया गया। ग्राम भोगांव की जिल्द बन्दोबस्त के सम्बन्ध में एक कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जा चुका है। विस्तृत जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जा रही है।

ग्राम (1) दाऊदपुर और (2)कुसमरा के आकार पत्र 45 में फर्जी अमल दरामद का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। ग्राम मैनपुरी देहात के आकार पत्र 45 में तथाकथित फर्जी अमलदरामद किये जाने की जांच की जा रही है।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद जालौन की तहसील व परगना कालपी के मौजा बागी के श्री राम प्रसाद पुत्र श्री लालमन आदि को पट्टे का कब्जा देने के उपरान्त चकबन्दी अभिलेखों में नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में

18–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील व परगना कालपी के मौजा बागी में माह अगस्त, 1985 में अनुसूचित जाति के श्री बुद्धी पुत्र श्री राम दयाल, श्रीमती गेंदारानी पत्नी श्री सुक्खा, श्री गोविन्दा पुत्र श्री भूप ी राम शंकर पुत्र श्री राम प्रसाद, श्री घसीटा पुत्र श्री सुक्खा, श्री महेश्वरीदीन पुत्र श्री दमर चक सं० 44अ में प्रत्यके को पृथक-पृथक 1.02 एकड़ तथा श्री राम प्रसाद पुत्र श्री लालमन को खसरा नं० 267 मि० में 1.71 एकड़ खसरा नं० 27 मि० में 0.64 एकड़ के पट्टे आवंटित करके सत्यापित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पट्टेदारान को पट्टों की आराजी पर कब्जा दखल दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त पट्टों के आधार पर राजस्व कागजात खतौनी में अमल दरामद कराया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या पट्टे दिये जाने के बाद मौजे में चकबन्दी क्रियायें लागू हो गयी थीं ? यदि हां, तो क्या तहसील कालपी के राजस्व अधिकारियों द्वारा पट्टों के आधार पर चकबन्दी कागजातों में अमलदरामद किये जाने हेतु सक्षम चकबन्दी अधिकारी के पास परवाना अमलदरामद तैयार कराकर भेजे गये थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत ग्राम में माह अगस्त, 1985 में सर्वश्री बुद्धी पुत्र राम दयाल, गेंदारानी बेवा सुक्खा, गोविन्दा पुत्र भुरा, रामेश्वर पुत्र राम प्रसाद, महेश्वरीदीन पुत्र दमरू को 1–02 एकड़ प्रत्येक को एवं श्री घसीटा पुत्र सुक्खा को 1–01 एकड़ (सीलिंग भूमि) के पट्टे चक संख्या–44-अ में से आवंटित किये गये थे। श्री राम प्रसाद पुत्र लालमन को वर्ष 1985 माह अगस्त में उक्त मौजा में कोई पट्टा आवंटित नहीं किया गया था।

उक्त पट्टेदारान को मौके पर कब्जा दखल दिया गया है ।

पट्टे किये जाने व कब्जा देने के बाद न्यायालय से स्थगन प्राप्त हो जाने के कारण राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद नहीं हो सका था ।

प्रश्नगत ग्राम, पट्टे दिये जाने के पूर्व चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत था । अपीली न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् चकबन्दी अभिलेखों में अमल दरामद कराने हेतु परवाना अमलदरामद दिनांक 7-3-92 को भेजकर चकबन्दी अभिलेख में पट्टेदारान के नाम अंकित करा दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में जवाहर पुल के पास आगरा–कानपुर पहुंच मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री सम्बन्धी मामला

19–श्री किशन गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि आगरा में जवाहर पुल के पास आगरा–कानपुर पहुंच मार्ग बनाया गया है, जिसमें ठेकेदारों द्वारा सही व उत्तम मेटेरियल का प्रयोग न करके घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? क्या यह सत्य है कि अप्रैल, 1991 में लेबोरेट्री में सामान टेस्ट कराया गया तो लेबोरेट्री में टेस्ट करने वाले की ठेकेदारों द्वारा पिटाई कर दी गयी, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है ? क्या मंत्री जी लोक हित में आगरा–कानपुर पहुंच मार्ग में लगी सम्पूर्ण मेटेरियल की जांच लखनऊ के अधिकारियों को व लखनऊ की लेबोरेट्री की जांच करने वालों को भेज कर कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो क्या जब तक जांच पूर्ण न हो जाये तब तक ठेकेदारों को पेमेन्ट रोकने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग में प्रयुक्त सामग्री क्वालिटी कण्ट्रोल खण्डीय प्रयोगशाला के परीक्षणोपरान्त डालरेंस सीमा के अन्दर मानकों के अनुसार पायी गयी ।

प्रश्नगत घटना की कोई सूचना नहीं है ।

कार्य-स्थल तथा क्वालिटी कण्ट्रोल प्रयोगशाला में निर्धारित परीक्षण किये जा चुके हैं । पुनः जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में विधवाओं को पेंशन दान दिया जाना एवं लम्बित आवेदन पत्र

20–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में विधवाओं को पेंशन देने का लक्ष्य कितना है ? कितनी विधवाओं को पेंशन से लाभान्वित किया गया है ? अभी कितने और आवेदन पत्र लम्बित हैं ? क्या लम्बित आवेदन पत्रों को देखते हुए लक्ष्य को बढ़ाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद मऊ में विधवाओं को भरण–पोषण अनुदान दिये जाने का लक्ष्य 1604 है ।

1180 विधवाओं को लाभान्वित किया गया है ।

675 आवेदन पत्र लम्बित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण ।

आवास आवंटन नियमों के अन्तर्गत शैडो को आवास आवंटित किया जाना

21–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम निहोर राय, सांसद, लोक सभा का पत्र दिनांक 12-8-91 तथा संयोजक, अखिल भारतीय झुग्गी झोपड़ी मजदूर सेवा संघ का पत्र दिनांक 6-8-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच कराकर, आवास आवंटन नियमों के अन्तर्गत दोषी शैडो के आवास निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में बछरांवा मौरांवा लिंक मार्ग में स्टोन बैलास्ट के चोरी की जांच

22–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली में बछरांवा-मौरांवा लिंक मार्ग के कि० मी० 12, 13, 14 में एक लाख रुपये स्टोन ग्रिट की चोरी का मामला प्रकाश में आया है । यदि हां, तो तत्कालीन कार्य अधीक्षक द्वारा उक्त मार्ग पर वर्ष 89–90 एवं 90-91 में कब-कब दौरा किया गया ? क्या निरीक्षण के दौरान जीप आदि पर किये गये व्यय एवं दौरा कार्यक्रम तथा लाग बुक में अंकित यात्राओं के समन्वय में भिन्नता है ? यदि हां, तो दोषी कार्य अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी क्या उक्त शासकीय हानि की वसूली उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व करने का सरकार आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

स्टोन ग्रिट की चोरी का मामला नहीं वरन् स्टोन बैलास्ट की चोरी का मामला प्रकाश में आया है ।

दौरे की तिथियों का विवरण संलग्न है ।

यात्राओं के समन्वय में भिन्नता की पुष्टि लाग बुक उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं हो पा रही है ।

सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 215 पर)

23–श्री राम सरन–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

रा० मा०–24 के निर्माण में अधिक मात्रा में की गई खपत के सम्बन्ध में श्री ए० क्यू० खां, अधिशासी अभियन्ता का निलम्बन

24–श्री राम सरन–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ए० क्यू० खां, अधिशासी अभियन्ता को वर्ष जून, 88 में नार्म से अधिक सामग्री प्रयोग करने एवं अधिक दर पर सामग्री लेने के लिए निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो रा० मा०–28 लखनऊ फैजाबाद मार्ग के कि० मी० 3 से 30 तक वर्ष 1988 से 1990 तक प्रयोग की गयी प्रत्येक साइज की सामग्री का क्या नार्म था ? कितनी-कितनी प्रयोग में लाई गई एवं सामग्री की दरें क्या थीं तथा कुल कितनी लागत आयी ? क्या रा० मा० खण्ड नं०–1 व 2 में प्रयोग की गयी सामग्री के नार्म में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस भिन्नता का चार्ट एवं सरकार को हुई हानि का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

डा० ए० क्यू० खां, अधिशासी अभियन्ता, अ० रा० मार्ग खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को रा० मा०–24 (दिल्ली–लखनऊ) पर बी० एम० तथा एस० डी० सी० में अधिक मात्रा में सामग्री खपत करने एवं अन्य अनियमितताओं के लिये जून, 1988 में निलम्बित किया गया ।

रा० मार्ग–28 लखनऊ–फैजाबाद मार्ग के कि० मी० 3 से कि० मी० 5 तक बी० एम०/एस० डी० सी० का कार्य प्रश्न में इंगित अविध में नहीं कराया गया है ।

प्रश्नगत अवधि में कि० मी०–6 से कि० मी०–30 तक (बाराबंकी शहरी मार्ग को छोड़कर) कराये गये कार्य में प्रयोग की गई प्रत्येक आकार की सामग्री (गिट्टी) के मानकों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं । अनुबन्ध के अनुसार सामग्री ठेकेदार द्वारा खरीद कर प्रयोग की जानी थी, तथा दरें पूरी तरह से तैयार (कम्पलीट फिनिस्ड) आइटम की थीं । इन्हीं दरों के आधार पर ही ठेकेदार को कि० मी० 6 से 15 तक के कार्य के लिए रु० 108.79 लाख तथा कि० मी०–16 से 30 तक के कार्य के लिये बिटुमिन की लागत को छोड़कर रुपये 106.10 लाख का भुगतान किया गया है ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–1 व 2 में प्रयोग की गयी प्रत्येक आकार की गिट्टी के मानक में वजन के अनुसार कोई भिन्नता नहीं है । आयतन के अनुसार मात्राओं में अन्तर है क्योंकि दोनों खण्डों में

अलग–अलग खदानों की गिट्टी का प्रयोग हुआ है । इन खदानों की गिट्टी के घनत्व में अन्तर होने के कारण वजन के अनुसार समान मानक होने के बावजूद आयतन के अनुसार मात्रा में अन्तर है । अतः सरकार को कोई हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 216-217 पर)

25–श्री राम सरन–

[दि० 13-2-92 को अता० प्र० सं० 94 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के प्रान्तीय खण्ड में कार्यरत श्री उमेश दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता से शिकायती पत्र की द्वितीय प्रति देने का अनुरोध

26–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री उमेश दीक्षित, अधिशासी, अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, बांदा के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र मुख्य मंत्री के कार्यालय के पत्र सं० सी० एम०/वि० को०/एम०–3–67–280 ह्यु० 91 दिनांक 15-10-91 द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां, किन्तु प्रश्नगत शिकायती पत्र इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । प्रश्नकर्त्ता से दूसरी प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

जनपद इलाहाबाद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों को लेपन स्तर तक कराने की मांग

27–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र की जी० टी० मार्ग से चन्दौहा मार्ग और तारडीह लिंक मार्ग तथा सिकन्दरा मलाका मय भैंसाही मार्गों के लेपन स्तर का कार्य गत वर्ष राज्य सेक्टर (एस० एन० डी०) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है और इन सड़कों पर गिट्टी, मौरंग और डामर भी रखा गया है किन्तु निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? ये सभी सड़कें कब तक बन जायेंगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण प्रगति अवरुद्ध हुई है ।

मार्गों का पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

झूंसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहसों–धरहरा मार्ग पर बगई ग्राम में ध्वस्त पुल को पुनः बनाने की मांग

28–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि झूंसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहसों-धरहरा मार्ग पर बगई ग्राम में बने पुल के ध्वस्त हो जाने से आवागमन काफी दिनों से अवरुद्ध है ? इस पुल के न बनने का क्या कारण है ? यह कब तक बन जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सहसों–धरहरा मार्ग के ग्राम खगई में बनी पुलिया वर्षा ऋतु में ध्वस्त हो गयी थी । परन्तु बाई पास बना देने के कारण आवागमन अवरुद्ध नहीं है ।

क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण दैवी आपदा के अन्तर्गत आता है । इस मद में वित्तीय वर्ष 1991–92 कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत हरनही से मोलनापुर तक सड़क निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा भुगतान करने की मांग

29–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर अन्तर्गत हरनही से मोलनापुर तक सड़क 5 वर्ष पूर्व बनी है और उस पर बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो किसानों को मुआवजा की बकाया धनराशि आठ लाख चार सौ बीस रुपये मात्र अब तक वितरित न किये जाने का क्या कारण है । क्या किसानों को शीघ्र वितरण करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां । प्रश्नगत मार्ग वर्ष 1989 में बनकर तैयार हुआ है और उस पर बसें चल रही हैं ।

धन उपलब्ध होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं हो सका है ।

जी हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम तेन्दुरा में कृषि व आवास भूमि के अवैध पट्टे करने वालों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

30–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम तेन्दुरा, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में कृषि व आवास भूमि के 123 पट्टे 22 अप्रैल, 1988 में किए गए थे ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 27-5-90 को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस जांच में भारी संख्या में पट्टे अवैध निकले थे ? यदि हां, तो उक्त अवैध पट्टे करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अवैध

पट्टे निरस्त करके पुनः आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत ग्राम में कृषि व आवास भूमि के 22 अप्रैल, 88 में 123 नहीं 111 पट्टे किंये गये थे । इस आवंटन कार्यवाही की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 27-5-90 को की गई, जिसमें 39 पट्टे अवैध निकले, अवैध पट्टे करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा अवैध पट्टों को निरस्त करने के लिये जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198 (4) के अन्तर्गत रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही हेतु भेजी गई है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम चखरा निवासी श्री शराफत पुत्र समशेर को कब्जा दिया जाना

31–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1587/91, श्री शराफत, नि० ग्रा० चखरा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री शराफत पुत्र समशेर निवासी मुंशीगढ़ मजरा चखरा को कब्जा दिया जा चुका है और वह मौके पर काबिज है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम भगवन्त नगर के निवासी श्री जग्गरनाथ पुत्र श्री डालचन्द्र को आवंटित पट्टे का कब्जे दिलाने की कार्यवाही

32–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1589/91, श्री जग्गरनाथ पुत्र श्री डालचन्द्र, नि० ग्रा० भगवन्त नगर को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गई । प्रार्थी को पट्टे की भूमि की नाप करके कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम सभा मकनपुर की जनजातियों की जमीन हड़पने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

33–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1841/91 ग्राम प्रधान श्री विश्व नाथ कपूर, ग्राम सभा मकनपुर, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा

जनजातियों की जमीन हड़पने विषयक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को दिनांक 30-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

34–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 12-3-92 को अता० प्र० सं० 150 द्वारा उत्तरित]

35–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 12-3-93 को अता० प्र० सं० 151 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर की विसवा कोटरा से सकरन तम्भौर को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की मांग

36–श्री राम सरन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की विसवा कोटरा से सकरन तम्भौर को जोड़ने वाली सड़क शासन द्वारा स्वीकृत हो गयी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद सीतापुर में विसवा कोटरा से सकरन तम्भौर को जोड़ने वाली सड़क की कुल लम्बाई 51.50 कि०मी० है जिसमें से 36 कि०मी० का भाग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है । इसकी स्थिति निम्नवत् है :–

(1) बिसवां से गुरैरा तक कि०मी० लेपित है ।

(2) सांडा–सकरन के 13 कि०मी० मार्ग में विभिन्न स्थानों पर कुल 1.383 कि०मी० में भूमि विवाद को छोड़कर शेष 11.61 कि०मी० भाग लेपन स्तर तक पूर्ण है ।

(3) बेहटा से तम्बौर तक 3.00 कि०मी० जो लहरपुर-तम्बौर मार्ग का भाग है, लेपन है ।

(4) सैदापुर से बेहटा 4 कि०मी० खड़ंजा व 4 कि०मी० मिट्टी स्तर तक स्वीकृत अनुसार निर्मित है ।

(5) सकरन से सुमरावां 4 कि०मी० तथा सुमरावां से सैदापुर 3 कि०मी० कंकड़ मार्ग है ।

शेष 15.50 कि०मी० लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है और न ही लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत है । लोक निर्माण विभाग के अधीन 36 कि०मी० भाग में जो भाग लेपन के लिये शेष है, उसको लेपित किया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति, स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में स्थित राजकीय पालीटेक्निक में इलेक्ट्रानिक भवन के निर्माण में प्रयुक्त हुई सामग्री में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

37–श्री राम सरन–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ के इलेक्ट्रानिक भवन के निर्माण हेतु ईंट, मौरंग, बालू, सुर्खी चूना आदि एवं टी० एन० पी० की खरीद वर्ष 90 में की गयी

थी ? यदि हां, तो उक्त सामग्री कब-कब कितनी-किनती मात्रा एवं लागत में खरीदी गयी ? भवन के निर्माण में कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में प्रयोग करके कुल कितना-कितना खर्च करके कितना भाग बन गया है ? क्या यह सत्य है कि अधीक्षण अभियन्ता ने 55 प्रतिशत शेडयूल आफ रेट से अधिक लागत पर टेन्डर स्वीकृत किये है ? यदि हां, तो कब और क्यों स्वीकृत धनराशि को कार्य अधीक्षक द्वारा स्वीकृत आगणन के प्रस्तावित आइटमों के अतिरिक्त पदों में खर्च किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या प्रस्तावित आइटमों एवं मदों में खर्च का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

<u>वांछित सूचना संलग्न है ।</u>

संलग्न विवरण के पद 7 से 11 तक की निर्माण सामग्री के उपयोग से भवन का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जी हां ।

निविदायें जनवरी, 1991 में स्वीकृत की गईं । खाड़ी युद्ध के कारण तथा नये मोटर वाहन अधिनियम से उत्पन्न ट्रकों की भार वाहन क्षमता के समितीकरण से निर्माण सामग्री तथा श्रमिक दरों में हुई वृद्धि एवं विश्व बैंक अनुबन्ध शर्तों के अनुसार कार्य कराये जाने की अनिवार्यता से 55.26 प्रतिशत वृद्धि हुई है । अतः प्रतियोगितात्मक निविदाओं की न्यूनतम दर 62% को घटाकर 55% अधिक दर पर निविदा स्वीकृत की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्च, 1992 तक निम्न व्यय प्रस्तावित है भवन निर्माण व्यय 25.68 लाख रु०

विद्युतीकरण .. <u>2.00 लाख रु०</u>

कुल योग .. <u>27.68 लाख रु०</u>

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 218 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में कोहडोरा-सोहना मार्ग पर क्षतिग्रत पुल को पुनः बनाने की मांग

38–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थ नगर जनपद के विधान सभा क्षेत्र इटवा में कोहडोरा-सोहना मार्ग के प्रथम किलोमीटर में विगत वर्ष में बना पुल कितनी लागत में बना था ? क्या वह पुल गत बाढ़ में बह गया ? यदि हां, तो उक्त पुल निर्माण में हुई अनियमितता एवं वित्तीय हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ? उक्त धनराशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही हो रही है, तो धनराशि कब तक वसूल होगी एवं किस प्रकार ? क्या उक्त स्थल पर ही पायल ब्रिज पुनः स्वीकृत हुआ है यदि हां, तो कब ? उक्त पायल ब्रिज कब तक बन सकेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत लघु सेतु पर कुल रुपया 5.73 लाख व्यय हुआ था ।

उक्त लघु सेतु वर्ष 1989 में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था ।

प्रथम दृष्टया कोई उत्तरदायी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अत्यधिक वर्षा के कारण राप्ती नदी पर नहर विभाग द्वारा निर्मित बन्धे के टूटने के फलस्वरूप पुल के कैचमेंट में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण क्षति हुई थी, जो एक दैवी आपदा थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

वर्ष 1989-90 में विशेष मरम्मत के मद से पाईल सेतु स्वीकृत किया गया ।

पाइल सेतु बन चुका है । पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण सोलिंग स्तर तक शीघ्र पूर्ण होना सम्भावित है ।

जनपद फिरोजाबाद में राजस्व विभाग में हुई नियुक्तियों का प्रकरण

39–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में उनके विभाग में लिपिक तथा आशुलिपिकों की माह नवम्बर 1991 में की गयी भर्ती की प्रक्रिया-लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में भारी अनियमितितायें करके व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उन व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया है जो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में भी उपस्थित नहीं थे ? क्या मंत्री जी न्याय के हित में उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक हित में कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में पुरवा मिर्रीकला-सहरांवां मऊ रोड पर क्षतिग्रस्त पुल को पुनः बनाने की मांग

40–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुरवा मिर्रीकला-सहरांवा बनी रोड (उन्नाव जनपद) का सद्धी खेड़ा चिरैयानाला स्थित पुल कब टूटा था ? पुल के नवनिर्माण का शासनादेश किस तारीख को क्रमांक पर हुआ था ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त पुल के टूट जाने के बाद पुरवा क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों का सम्पर्क थाना, अस्पताल, बस स्टेशन और राजधानी से कट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त पुल के निर्माण हेतु बाईपास भी बन गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण क्यों रोक दिया गया है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद उन्नाव में पुरवा मिर्रीकला सोहरा मऊ रोड के कि०मी०-20 में चिरैया नाला पर स्थित पुराना पुल माह अगस्त 1991 में टूट गया था।

पुल का पुनर्निर्माण शासनादेश दिनांक 7-11-1990 द्वारा राज्य योजना मद के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नकों के क्रमांक-12 पर स्वीकृत किया था। पुल के टूट जाने के बाद पुरवा क्षेत्र के गांवों का सम्पर्क टूटा नहीं है, बल्कि टूटे हुये पुल के अपस्ट्रीम की ओर निर्मित डायवर्जन रोड से यातायात उपलब्ध है।

उपरोक्त उल्लिखित डायवर्जन बना हुआ है।

राज्य योजना में संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण कार्य सम्प्रति अवरुद्ध है।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा मितव्ययता के निर्देशों का अनुपालन

41–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वित्त सचिव उ० प्र० शासन ने अपने पत्रांक संख्या 47/दस-से०वि०–3(1)/90, दिनांक 9 मार्च, 1990 के माध्यम से प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो इसका पूर्णतः अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? इनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त संदर्भ में मस्टररोल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के महामंत्री श्री एम० टी० द्विवेदी का एक पत्र माह अगस्त, 1990 में शासन को प्राप्त हुआ था। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां। शासनादेश में दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया गया जिसके उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं।

निर्देशों का अनुपालन किया गया, इसलिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मितव्ययिता के सम्बन्ध में श्री एस० डी० द्विवेदी का संदर्भगत पत्र प्राप्त होने की पुष्टि उपलब्ध अभिलेखों से नहीं हो पाई है।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा उप अभियन्ता (सिविल) के पदों हेतु लिखित साक्षात्कार परीक्षा को निरस्त किया जाना

42–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिसम्बर, 1991 में मस्टररोल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० महामंत्री का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उठाये गये मूल बिन्दु क्या-क्या हैं ? उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां !

इसमें मूल बिन्दु उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा उप अभियन्ता (सिविल) के पदों हेतु 1989 में सम्पन्न कराई गई लिखित/साक्षात्कार परीक्षा को निरस्त किया जाना है ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर के कतिपय ग्राम सभाओं के प्रधानों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

43–श्री बाला प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 91 से 31 दिसम्बर, 91 के बीच में जनपद गोण्डा के तहसील तुलसीपुर के पत्ता पचपेड़वा/गैंसडी में किस-किस ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध तथा लेखपाल के विरुद्ध किन-किन लोगों की शिकायतें परगना अधिकारी तुलसीपुर/मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा/तहसीलदार तुलसीपुर को अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध तथा अपात्र व्यक्तियों की कृषि योग्य भूमि का आवंटन करने तथा अपात्र-व्यक्तियों को साधारण आवास/हरिजन आवास आवंटन करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई और जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई की कोयल बाग कालोनी के आवास के आवंटन का प्रकरण

44–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई में कोयल बाग कालोनी में एक श्रेणी–II का आवास संख्या 17 पर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) ने एक पुलिस उप निरीक्षक श्री राणा को आवंटित कर दिया था और उसके स्थानान्तरण के बाद श्री रमेश सिंह राठौर थानाध्यक्ष हरियावां को आवंटित कर दिया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पूर्व में ऐसे आदेश प्रसारित किये गये हैं कि वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को यह आवास कदापि आवंटित नहीं होंगे ? यदि हां, तो ए० डी० एम० (एफ० आर०) द्वारा शासनादेशों की अवहेलना क्यों की गयी ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त आवास संख्या 17 रिक्त कराकर किसी पात्र कर्मचारी को आवंटित करने हेतु निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जी नहीं ।

शासनादेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है । इसलिये कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कलेक्ट्रेट, हरदोई में जिला अधिकारी के न्यायालय में कार्यरत श्री रामपाल लिपिक की तैनाती का प्रकरण

45–श्री रामपाल सिंह सैनी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कलक्ट्रेट, हरदोई में जिला अधिकारी के न्यायालय में श्री राम पाल पिछले लगभग 17–18 वर्ष से पेशकार के पद पर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त न्यायालय में जब पेशकार का पद नहीं था तो यह पेशकारी का कार्य करते रहे और पेशकार जिलाधिकारी के नाम से पद सृजित हुआ, तो इनकी नियुक्ति कर दी गयी ? यदि हां, तो इन्हें लम्बी अवधि तक किस नियम या शासनादेश के अन्तर्गत तैनात रखा गया ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या सरकार जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त कर्मचारी को तत्काल वहां से स्थानान्तरित करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

पेशकार का पद स्वीकृत होने के पूर्व जिलाधिकारी अपने न्यायिक कार्य हेतु कलेक्ट्रेट अधिष्ठान से एक लिपिक की सेवायें लिया करते थे । दोनों भाषाओं के टंकक और आशुलेखन का अच्छा ज्ञान होने के कारण श्री राम पाल, लिपिक की सेवायें भी ली जाती रही हैं । वर्ष 1987 में जब पेशकार, जिलाधिकारी न्यायालय, हरदोई का पद सृजित हुआ था तथा दिनांक 1 मई, 1987 को उक्त पद पर श्री राम पाल की नियुक्ति हुई थी । दिनांक 5 दिसम्बर, 1991 को श्री राम पाल की नियुक्ति स्थानीय निकाय लिपिक के पद पर हो चुकी है अतः वह सम्प्रति पेशकार के पद पर कार्यरत नहीं हैं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयुक्त मण्डल में लम्बी अवधि तक कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण का मामला

46–श्री रामपाल सिंह सैनी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने दिनांक 14-2-91 को निरीक्षण के समय निर्देश दिये थे कि लम्बी अवधि के सभी कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया जाये ? क्या इस सम्बन्ध में अनुपालन न होने पर यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्टरियल सर्विस एसोशियेशन शाखा हरदोई द्वारा 12-8-91 को एक शिकायती पत्र शासन व बोर्ड आफ रेवन्यू को भेजा है? यदि हां, तो आयुक्त के उक्त आदेशों तथा उक्त शिकायती पत्र शासन व बोर्ड आफ रेवन्यु को भेजा है यदि हां तो आयुक्त के उक्त आदेशों तथा उक्त शिकायती पत्र पर कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित कर उनके स्थानान्तरण जनपद के बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 12-8-91 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डलायुक्त के निरीक्षण के समय 36 कर्मचारियों को स्थानान्तरण हेतु पात्र पाया गया था जिनमें से कुछ कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । शेष कर्मचारियों के स्थानान्तरण भी विचाराधीन है।

जनपद खीरी के परगना–पलिया के ग्राम–इटैया के निवासी श्री ठाकुर प्रसाद के यहां हुए अग्निकाण्ड में आंशिक क्षति के कारण सहायता न दिया जाना

47–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1489/91 श्री ठाकुर प्रसाद नि० ग्रा० इटैया, परगना पलिया, जनपद खीरी के प्रार्थना पत्र सहित तहसीलदार निघासन को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

मामले में जांच की गई । दिनांक 8-8-91 को हुए अग्निकाण्ड में प्रार्थी श्री ठाकुर प्रसाद के एक छोटे से छप्पर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था । सहायता प्राप्ति की पात्रता परिधि में न आने के कारण सहायता नहीं दी जा सकी । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम–उधौनगर सिसौया की श्रीमती कमला देवी द्वारा मांगी गयी भूमि

48–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1491/91 ग्राम उधौनगर सिसौया, परगना निघासन, में बसे नैपाल के निष्कासित विस्थापितों को पट्टे की भूमि दिलाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को 11-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि ग्राम उधौनगर सिसौया, परगना निघासन की जिस भूमि की मांग श्रीमती कमला देवी ने की है, वह वन भूमि है । राजस्व विभाग द्वारा उसका आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम–मुन्ना लाल पुरवा के निवासी श्री मखूल के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

49–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1590/91 श्री मखूल नि० ग्रा० मुन्ना लाल पुरवा , तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम–मुन्ना लाल पुरवा के निवासी श्री जमील को पट्टे का कब्जा दिया जाना

50–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1591/91 श्री जमील नि० ग्रा० मुन्ना लाल पुरवा , तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री जमील के प्रार्थना पत्र की जांच की गयी । पट्टेदार को भूमि की पैमायश करके कब्जा दिया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम–मुन्ना लाल पुरवा के निवासी श्री रहमत अली के पुत्र के नाम वरासत तथा पट्टे का कब्जा दिया जाना

51–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1592/91 श्री रहमत अली नि० ग्रा० मुन्ना लाल पुरवा, को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषय में प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । श्री रहमत अली की मृत्यु हो चुकी है । श्री रहमत अली के पुत्र के नाम वरासत की जा चुकी है तथा पट्टे की भूमि की पैमाइश करके कब्जा दिया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील–पुरवा के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय का बहिष्कार तथा नायब तहसीलदार श्री रमाशंकर त्रिपाठी का स्थानान्तरण

52–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में वकीलों ने एक नायब तहसीलदार के न्यायालय का बहिष्कार माह नवम्बर, दिसम्बर 91 में किया था ? यदि हां, तो बहिष्कार के क्या कारण थे ? क्या वकीलों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उन्हीं नायब तहसीलदार के उन्नाव जिले के निवासी होने व

उन्नाव में ही नियुक्त होने के सम्बन्ध मे ग्राम गौरी की मतदाता सूची की फोटो प्रति सहित प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त लखनऊ मण्डल को मिलकर दिनांक 14-1-92 को दिये गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री रमा शंकर त्रिपाठी के न्यायालय में कार्य करने के सम्बन्ध में उक्त जनपद के अधिवक्तागण दो गुटों में बटे थे । एक गुट के अधिवक्तागण श्री रमाशंकर त्रिपाठी से असन्तुष्ट हो कर उनके न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमें नहीं करते थे, जब कि दूसरे गुट के अधिवक्तागण उनके न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य करते थे ।असन्तुष्ट गुट के अधिवक्ताओं द्वारा श्री रमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार के विरुद्ध अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, राजनैतिक दबाव में न्यायालय का कार्य करने एवं न्यायिक प्रक्रिया का पालन न करने आदि का आरोप लगाया गया था । आरोपों की जांच की गयी, जिसमें वे सही नहीं पाये गये ।

मामले में विचार कर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा श्री रमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण जनपद उन्नाव से जनपद हरदोई कर दिया गया है ।

53–श्री राम प्रसाद सिंह–

[दिनांक 20-2-92 को अता० प्र० सं० 147 द्वारा उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर की तहसील–लालगंज के ग्राम खजुरी में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु जिला स्तर पर भूमि का चयन

54–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में लालगंज तहसील भवन बनाये जाने बावत शिवमूर्ति नगर बस स्टेशन के समीप भूमि दान स्वरूप देने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के विचारार्थ लम्बित है । यदि हां, तो क्या प्रश्नगत भूमि का मौके पर जाकर परीक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि उक्त भूमि नेशनल हाइ-वे सात पर लालगंज पुलिस स्टेशन डाक बंगला एवं पावर स्टेशन वन विभाग के सन्निकट तीन किलोमीटर के परिधि में है ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित भूमि वन विभाग लालगंज से साढ़े पांच कि० मी० दूरी पर गैर राजस्व गांव में है ? यदि हां, तो गैर राजस्व गांव में भवन बनाये जाने की अपेक्षा प्रस्तावानुसार शिवमूर्ति नगर में भवन बनवाये जाने में सरकार को क्या असुविधा है ? क्या सरकार जनहित में प्रश्नगत भूमि में भवन बनाये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

नव सृजित तहसील लालगंज के भवनों के निर्माण हेतु श्री कृष्ण कान्त दुबे द्वारा 20 बीघा भूमि दान स्वरूप दिये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी, परगनाधिकारी लालगंज द्वारा जांच कराई गई । परगनाधिकारी द्वारा दान स्वरूप दिये जाने वाली भूमि लालगंज रोड पर सड़क के किनारे जंगल से सटा हुआ है और आबादी से दूर तथा एकान्त स्थान पर है जो विकास खण्ड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय इण्टर कालेज से साढ़े तीन कि० मी० तथा पुलिस स्टेशन डाक बंगला तथा लालगंज बाजार से ढाई कि० मी० की दूरी पर स्थित है अतः तहसील भवन हेतु उपयुक्त नहीं है ।

वर्तमान समय में तहसील लालगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम खजुरी में 22 बीघा 12 विस्वांसी भूमि का चयन जिला स्तर पर किया गया है जो जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त तथा बाजार से मात्र 1 कि० मी० की दूरी पर है तथा उक्त भूमि अकृषक भूमि एवं निःशुल्क है।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम विजय प्रताप नगर के निवासी श्री मुरली पुत्र जगदेव को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

55–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1637/91, मुराली पुत्र जगदेव, नि० ग्रा० विजय प्रताप नगर, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां।

जांच के यह तथ्य सामने आया कि चकबन्दी विभाग द्वारा सन्दर्भ तैयार किये जा रहे हैं। सन्दर्भ तैयार होने के बाद पट्टेदारों को कब्जा देने के उपरान्त अवशेष भूमि के आवंटन का कार्य किया जा सकेगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम–पचपेड़ी मजरा मूड़ा बुजुर्ग के निवासी श्री गोकरन पुत्र जोधा को भूमि का कब्जा दिया जाना

56–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1636/91 गोकरन पुत्र जोधा, नि० ग्रा० इखेरवा खालसा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां।

प्रार्थना–पत्र की जांच की गई। श्री गोकरन पुत्र जोधा, नि० पचपेड़ी मजरा मूड़ा बुजुर्ग के पट्टे की भूमि की पैमायश करके उसे कब्जा दिया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम–इखेरवा खालसा के निवासी श्री सुन्दर लाल के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

57–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1635/91 सुन्दर लाल, नि० ग्रा० ढखेरवा खालसा तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन को 13-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम–नौरंगाबाद के निवासी श्री बिन्द्रा प्रसाद के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

58–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1593/91 बिन्द्रा प्रसाद नि० ग्रा० नौरंगाबाद, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के कलेक्ट्रेट में चयन समिति द्वारा तृतीय श्रेणी के कतिपय पदों पर चयन के उपरान्त हटाये जाने का कारण

59–श्री छोटे लाल यादव तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1990 में कलेक्ट्रेट बाराबंकी के रिक्त तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्ति हेतु कोई चयन समिति गठित की गयी थी और गठित चयन समिति द्वारा तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर सर्वश्री ललित कुमार, श्याम सुन्दर विनोद कुमार आदि को चयनित कर नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या थे लोग अब भी कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो उनके हटाये जाने का कारण क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

वर्ष 1990 में जिलाधिकारी कार्यालय बाराबंकी हेतु चयन समिति का गठन तत्कालीन जिलाधिकारी, बाराबंकी के आदेश दिनांक 13-9-90 द्वारा किया गया ।

चयनित सूची के आधार पर क्रमानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा की गयी, उसमें से श्री विनोद कुमार, पिछड़ा वर्ग सूची के क्रमांक-4 नियमित रूप से दिनांक 10-12-90 से कार्यरत है तथा श्री ललित कुमार, पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक–9 तथा श्री श्याम सुन्दर पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक–10 ने दिनांक 5 जुलाई, 91 के आदेश द्वारा सामयिक संग्रह सहायक वासिल बाकी नवीस के पद पर दिनांक 30-9-91 तक कार्य किया ।

आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा पुनः पदों की स्वीकृति के अभाव में इन दोनों व्यक्तियों को कार्यमुक्त कर दिया गया था ।

जनपद लखनऊ के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में व्यवस्थापन वर्गों में कर्मचारियों की तैनाती

60–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० विभाग, लखनऊ में ऐसे कितने तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं जो अपनी नियुक्ति से लेकर अधिकतर मात्र व्यवस्थापन वर्गों (महत्वपूर्ण वर्गों) में ही कार्यरत हैं ? कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें व्यवस्थापन वर्गों में कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया ? कब तक इस व्यवस्था में सुधार कर लिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

ऐसे केवल 2 कर्मचारी हैं । 44 कर्मचारियों को व्यवस्थापन वर्गों में तैनात किया गया है ।

व्यवस्थापन वर्गों में कर्मचारियों की तैनाती उनकी उपयुक्तता के आधार पर कार्यहित में की जाती है ।

जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम -सिवान कला में हुई चकबन्दी के अभिलेख तहसील को भेजा जाना

61–श्री मारकण्डेय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बांसडीह तहसील अन्तर्गत ग्राम सिवान कला की चकबन्दी के उपरान्त धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है ? यदि हां, तो 23-7-88 को धारा 52 का प्रकाशन होने के बावजूद भी कागजात आज तक तहसील को न भेजने का क्या कारण है ? ग्राम सिवान कला के कागजात कब तक तहसील में भेज दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

कुछ विवादित संदर्भ अभी न्यायिक प्रक्रिया में हैं । उनके निस्तारण होकर यथावश्यक अभिलेख ठीक कराकर ही भेजा जाना सम्भव है ।

जनपद आगरा की तहसील ऐतमादपुर के लेखपाल को परेशान करने हेतु श्री राम खिलाड़ी द्वारा शिकायती पत्र दिया जाना

62–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम खिलाड़ी पुत्र श्री लेखराज, निवासी, ग्राम-सिहोरगढ़, तहसील ऐतमादपुर, जिला आगरा ने एक शिकायती पत्र, मय शपथ पत्र के दिनांक 18-9-91 को हल्का लेखपाल श्री भीषम पाल सिंह के विरुद्ध आयुक्त आगरा मंडल, आगरा को दिया था ? क्या इससे पूर्व दिये गये शिकायती पत्र पर भी कोई जांच उपरोक्त लेखपाल के विरुद्ध आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा के यहां चल रही है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी प्रशासन के हित में उपरोक्त शिकायती पत्रों की शीघ्र निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां, श्री राम खिलाड़ी पुत्र श्री लेखराज के पूर्ववर्ती शिकायती पत्र दिनांक 23-7-1991 तथा बाद वाले पत्र दिनांक 18-9-1991 पर जिलाधिकारी, आगरा द्वारा जांच करायी जा चुकी है । जांच में लेखपाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । श्री राम खिलाड़ी लेखपाल को परेशान करने की नींयत से शिकायती पत्र दिया करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के बांदा -इलाहाबाद राजकीय मार्ग पर अतर्रा तिराहे पर बने गैंगहट के पक्के कमरों से यातायात प्रभावित न होना

63–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा इलाहाबाद राजकीय मार्ग में रोड के अन्दर अतर्रा शहर बिराह भरतकूप तिराह के पास सड़क से लगे दक्षिणी अस एवं बदौसा में वागेन पुल के पश्चिम आबादी से लगे गैंग हट के पक्के कमरे बने हैं ? यदि हां, तो यह निर्माण राजकीय मार्ग के मध्य केन्द्र से कितने फुट के अन्दर है ? क्या ऐसे स्थानों के लिए स्थान की संकीर्णता से पास होने से दुर्घटनाओं की सम्भावनायें रहती हैं ? यदि हां, तो ऐसे निर्माण का क्या औचित्य है ? क्या इनके हटाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रश्नगत गैंग हट अतर्रा तिराहे पर सड़क के मध्य से 6.5 मी०, भरतकूप तिराहे पर सड़क के मध्य से 7.0 मी० तथा बागेन पुल के पश्चिम में सड़क के मध्य से 3.9 मी० की दूरी पर है ।

कोई ऐसी समस्या संज्ञान में नहीं आई ।

सड़क के रख-रखाव और राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ये निर्माण किये गये हैं ।

यदि भविष्य में यातायात के सुगम संचरण में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह–

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त लखनऊ के श्री आर०आर० चौधरी के कार्यकाल में लखनऊ-हरदोई मार्ग निर्माण में प्रयुक्त मैटीरियल का प्रकरण

65–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लखनऊ, श्री आर० आर० चौधरी के कार्यकाल में लखनऊ हरदोई मार्ग में बी० यू० एस० जी० मैटीरियल 20–40 एम० एम० की दर रु० 279 प्रति घन मीटर तथा शारदा कैनाल पटरी के कि० मी० 1 से 3 में 264/- प्रति घन मीटर की दर से सामग्री एकत्रित करने के टेण्डर स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो कितने टेण्डर स्वीकृत किये गये तथा कितनी लागत के कितने अनुबन्ध बनाकर विभिन्न प्रकार की ग्रिट की आपूर्ति की गयी ? इन टेण्डरों की स्वीकृत दरों में भिन्नता होने के कारण कितने लाख रुपये की क्षति शासन को हुई ? क्या सरकार इस क्रय के मामले में हुई हानि की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों से

वसूली की कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकार की कार्य पद्धति से उपरोक्त अधीक्षण अभियन्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत अवधि में लखनऊ-हरदोई मार्ग पर बी० यू० एस० जी० मैटीरियल 20–40 एम० एम० की कोई आपूर्ति नहीं ली गयी । शारदा कैनाल पटरी मार्ग के कि०मी० –3 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने स्तर पर रुपया 264 प्रति घनमीटर की दर से बी० यू० एस० जी० मैटीरियल के 4 अनुबन्ध बनाये गये ।

उपरोक्त स्थिति में भिन्नता का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिकों को द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने की मांग

66–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं० 80 के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्रांक 81/सा० नि०/89, दिनांक 4-4-89 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में अंकित किन-किन बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर लिये गये निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

उक्त पत्र के बिन्दु संख्या–1 व 2 में संदर्भित शासनादेश संख्या–जी-1-1620/दस-211/81, दिनांक 1-7-82 के प्राविधानों के अनुसार द्विभाषी आशुलिपिकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है ।

बिन्दु-3 में उल्लिखित सूची में से 13 आशुलिपिकों को द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है । शेष आशुलिपिक उक्त शासनादेश में की गयी अपेक्षानुसार द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता के लिये पूर्ण रूप से अर्ह एवं पात्र नहीं पाये गये हैं ।

बिन्दु-4 द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत करने का अधिकार शासनादेश सं०–मु० ओ० 57 एम० एस०/89-23-सा० नि०-7, दिनांक 20-4-1989 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रतिनिधानित कर दिया गया है ।

बिन्दु–5 :– अब तक 133 आशुलिपिकों को द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है ।

ऊपर स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

जनपद मथुरा से कानपुर रा० मा० 25 पर बिटुमिन टैंकर प्राप्त/निर्गत करने का विवरण

67–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा० मा० निर्माण खण्ड, कानपुर में वर्ष 89-90 एवं 90-91 तथा कितने पैक्ड इम खण्ड कार्यालय में प्राप्त किये गये । उक्त इमों को किन-किन किलोमीटरों में, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस मार्ग में सड़क निर्माण सामग्री के साथ, लेबर, मशीनों, डीजल आदि पर खर्च करके कितनी लम्बाई एवं चौड़ाई में बी० यू० एस० जी० एम० एम० एस०, बी० एम० एस० डी० सी० एवं पी० सी० का निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अन्तर्गत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस शासकीय हानि की वसूली सरकार तत्काल करेगी ? यदि हां, तो कब तक? क्या एफ० डी० आर०, ओ० आर०, पी० आर० एवं जांच संख्या 178 के कार्य स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अन्तर्गत कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पूरे प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत वर्षों में रा० मा० खण्ड, कानपुर में रा० मा०-25 पर मथुरा से जो बिटुमिन टैंकर प्राप्त/निर्गत किये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	टैंकरों की संख्या (लगभग में)
1989-90	8
1990-91	15
1991-92 (2/92 तक)	13

खण्ड कार्यालय में मथुरा से कोई इम प्राप्त नहीं हुए अपितु बम्बई/बड़ौदा से प्राप्त हुए तथा रा० मा०-25 पर निर्गत किये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	इमों की संख्या
1989-90	720
1990-91	1655
1991-92 (1/92 तक)	1200

यह सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि संबंधित अधिकांश अभिलेख एक जांच हेतु सतर्कता अधिष्ठान को भेज दिये गये हैं ।

शिवपुरी भोगनीपुर रा० मा०–25 पर बिटुमिन के प्रयोग में अनियमितता की जांच दो अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा की जा चुकी है तथा जांच आख्या शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

यह सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि संबंधित अधिकांश अभिलेख एक जांच हेतु सतर्कता अधिष्ठान को भेज दिये गये हैं ।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्राप्त जांच आख्या के समुचित परीक्षण के उपरान्त ही कोई कार्यवाही सम्भव है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्य को डिप्टी कलेक्टर द्वारा देखे जाने का आदेश

68–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो कितने समय से ? क्या उक्त रिक्त पद को शीघ्र भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जनपद बांदा में भूमि अध्याप्ति अधिकारी का पद दिनांक 1-3-91 से रिक्त है । डिप्टी कलेक्टरों की कमी के कारण दिनांक 12-9-91 के आदेशानुसार एक स्थानीय डिप्टी कलेक्टर को उनके कार्यों के अतिरिक्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी का कार्य भी आवंटित किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

69–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत चकबन्दी विभाग में चकबन्दी अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त रिक्त पद की पूर्ति शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर में क्रय केन्द्रों द्वारा धान का क्रय न किया जाना

70–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के अकबरपुर विकास खण्ड में चालू वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं ? यदि हां, तो अकबरपुर विकास खण्ड में कुल कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं ? उन क्रय केन्द्रों पर माह नवम्बर 1991 तक कुल कितना धान क्रय किया गया ? किसानों द्वारा बेंचे गये धान व क्या कुल मूल्य भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये धान का अब तक खरीद कर भुगतान किया गया है ? क्या यह सत्य है कि अभी तक धान मूल्य का कुल भुगतान किसानों को नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां । अकबरपुर विकास खण्ड में राज्य सरकार द्वारा कुल 5 केन्द्र खोले गये ।

धान का बाजार भाव अधिक होने के कारण इन केन्द्रों में धान की खरीद नहीं हुई ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

71–श्री राम सरन–

[दिनांक 13-2-92 को अता० प्र० सं० 95 द्वारा उत्तरित]

72–श्री राम सरन–

[दि० 12-2-92 को अर्ता प्र० सं० 148 द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन के उरई निर्माण खण्ड में मैक्सफाल्ट ड्रमों का भौतिक सत्यापन

73–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन, स्थान उरई के निर्माण खण्ड को माह सितम्बर 1990 तक माह मार्च 1991 तक कुल 4294 मैक्स फाल्ट ड्रम प्राप्त कराने हेतु शासन से चेक द्वारा 29,33,204.00 रु० उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि में विभागीय निर्माण इकाई, उरई को मात्र 4190 मैक्स फाल्ट ड्रम उपलब्ध कराये गये थे, जबकि निर्माण खण्ड, उरई के अवर अभियन्ता ने स्टाक पेपर्स में पूरे 4294 मैक्स फाल्ट ड्रम निर्गत करना प्रदर्शित किया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण खण्ड उरई के सहायक अभियन्ता (स्टोर) तथा अवर अभियन्ता ने आपस में मिलकर 104 मैक्स फाल्ट ड्रम का घपला किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि का स्टाक रजिस्टर का भौतिक सत्यापन कराकर, स्टाक रजिस्टर बन्द किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 104 नग मैक्स फाल्ट ड्रम की कमी का मामला प्रकाश में लाया गया था ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद जालौन, स्थान उरई के निर्माण खण्ड, उरई को सितम्बर, 1990 से मार्च, 1991 तक मैक्स फाल्ट ड्रम प्राप्त कराने हेतु शासन द्वारा कोई चेक नहीं उपलब्ध कराया गया। कार्य अधीक्षक, विभागीय निर्माण इकाई, उरई से रु० 29,33,204.04 का एक चेक 4294 मैक्स फाल्ट ड्रमों के खण्डीय लेन देन के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु मई, 1990 में निर्माण खण्ड, उरई को प्राप्त हुआ था। निर्माण खण्ड, उरई के अवर अभियन्ता द्वारा 4294 ड्रम निर्गत किये गये परन्तु विभागीय निर्माण इकाई, उरई के अवर अभियन्ता द्वारा 4190 ड्रम ही उठाये गये। शेष 104 ड्रम निर्माण खण्ड, उरई के स्टोर में पड़े रहे।

जी नहीं। विभागीय निर्माण इकाई, उरई द्वारा शेष 104 मैक्सफाल्ट ड्रमों की धनराशि वापस करने हेतु अनुरोध करने पर उक्त 104 ड्रम निर्माण खण्ड, उरई द्वारा स्टाक खाते में वापिस ले लिए गये एवं उसकी धनराशि रु० 71,015.04 पैसे विभागीय निर्माण इकाई, उरई को वापिस कर दी गई। इस प्रकार ड्रमों के लेन-देन में किसी प्रकार का घपला नहीं हुआ।

स्टाक रजिस्टर का भौतिक सत्यापन माह जून, 1991 में किया गया जिसके अनुसार मैक्स फाल्ट ड्रम ठीक पाये गये। भौतिक सत्यापन में स्टोर में रखे विभागीय निर्माण इकाई, उरई के 104 ड्रमों को सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के उतरौला तुलसीपुर मार्ग में पिपरा घाट पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृत धन व्यपगत

74–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा में उतरौला तुलसीपुर मार्ग में पिपरा घाट पर राप्ती नदी पर विभाग द्वारा कोई पक्का पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उसके लिए कोई धन भी आवंटित हुआ है ? यदि हां, तो कब ? क्या उस पुल पर कोई कार्य प्रारम्भ हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत पुल के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 2289 ई/23-सा०नि०अनु०-11-309 ई/85, दिनांक 17-4-86 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर कार्य प्रारम्भ न होने के कारण वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -6 के प्रस्तर-380 के अनुसार स्वीकृति स्वतः समाप्त हो गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में कोड़री घाट पर राप्ती नदी पर पुल के निर्माण का शिलान्यास

75–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कोड़री घाट पर राप्ती नदी पर मुख्य मंत्री ने किसी पुल के निर्माण का शिलान्यास किया है ? यदि हां, तो क्या पुल पर निर्माण हेतु कोई धन आवंटित हुआ है ? यदि हां, तो यह आवंटन कब हुआ है और कितने धन का आवंटन हुआ है ? उक्त पुल के शिलान्यास की तिथि क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

माह, फरवरी, 1992 में रु० 10.00 लाख का आवंटन राज्य सेक्टर के अन्तर्गत हुआ है । उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत रु० 50.00 लाख दिनांक 7-1-92 को आवंटन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है ।

शिलान्यास की तिथि 11 नवम्बर, 1991 है ।

जनपद गोण्डा में नचौरा-मेड़हवा के क्षतिग्रत मार्ग को लेपन स्तर तक बनाने की मांग

76–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा में तुलसीपुर-इटवा मार्ग से विलोहा-नचौरा मार्ग सी० सी० ट्रैक है और उसके आगे लेपित सड़क जहदरिया तक गयी है ? यदि हां, तो क्या विभाग में केवल यही सी० सी० ट्रैक लेपन हेतु बाकी है ? यदि हां, तो टूटी एवं क्षतिग्रस्त इस सड़क के लेपन की कोई योजना इस वित्तीय वर्ष में अथवा अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

तुलसीपुर इटवा मार्ग से विलोहा नचौरा मार्ग नाम से लोक निर्माण के अधीन कोई मार्ग नहीं है लेकिन नचौरा मेड़हवा सी० सी० ट्रैक नाम से मार्ग लोक निर्माण विभाग के नियंत्राधीन है ।

जी नहीं ।

कार्य जिला योजना की परिधि का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर के ग्राम सभा औरहवां में पात्र व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि तथा आवास आवंटित करने की मांग

77– श्री बाला प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर के ग्राम सभा औरहवां में साधारण आवास/हरिजन आवास/कृषि योग्य भूमि का आवंटन प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सत्यापन कराकर आवंटन रद्द करके पात्र व्यक्तियों को उक्त प्रयोजन की भूमि आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर की गांव सभा औरहवां में साधारण आवास/अनुसूचित जाति आवास/कृषि योग्य भूमि का आवंटन प्रधान द्वारा प्रस्तावित 124 व्यक्तियों में से 122 पात्र व्यक्तियों को स्वीकृत किया गया था तथा 2 अपात्र व्यक्तियों के प्रस्ताव को निरस्त किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के जिलापूर्ति कार्यालय में वस्त्र योजना के अन्तर्गत कार्यरत लिपिक का समायोजन

78–श्री केशव सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वस्त्र योजना फरवरी 1991 में बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना बन्द होने के फलस्वरूप जनपद फैजाबाद के जिला पूर्ति कार्यालय में उक्त योजना में कार्यरत कितने लिपिकीय कर्मचारी प्रभावित (बेकार) हुये हैं ? जिन्हें अभी तक अन्य स्थानों पर समायोजित नहीं किया जा सका है ? क्या सभी प्रभावित कर्मचारियों को मार्च 1991 से 31-12-91 तक का वेतन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? वेतन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां । योजना बन्द होने से जनपद फैजाबाद का केवल एक कर्मचारी प्रभावित (बेकार) हुआ था। उक्त कर्मचारी को उपभोक्ता सरंक्षण जिला फोरम, फैजाबाद में लिपिक के पद पर दिनांक 27-1-92 से नियुक्त कर लिया गया है ।

जी नहीं ।

उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रश्नगत योजना 28 फरवरी, 1991 से समाप्त हो जाने के कारण प्रभावित लिपिक को 1-3-91 के बाद वेतन नहीं दिया गया । श्री तिवारी को दिनांक 27-1-92 से उपभोक्ता संरक्षण जिला फोरम, फैजाबाद में लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और वह उस पद का वेतन पा रहे हैं ।

79–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 12-3-92 को अता० प्र० सं० 127 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम नाऊपुर में स्थापित आयल फैक्ट्री के मालिकान द्वारा चारागाह पर कब्जा सम्बन्धी मामला न्यायालयाधीन

80–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ग्राम नाऊपुर तहसील केराकत के अन्तर्गत झुनझुन वाला रिफाइनरी मैनुफैक्चरर्स एण्ड रिफाइनर्स एडिवुल आयल फैक्ट्री के प्रोप्राइटर ने आ० नं० 1776 जो किशुन पुत्र सुखनंदन मुसहर का है तथा आ० नं० 177/20 जो चारागाह है को अपने फैक्ट्री के बाउन्ड्री के अन्तर्गत करा लिया है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त आराजी को कब्जा करने हेतु फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

आ० नं० 1776, रकबा 0–70 डि० भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198 ए के तहत परगनाधिकारी, केराकत के न्यायालय में किशुन मुसहर बनाम दीनानाथ झुनझुन वाला से सम्बन्धित वाद संख्या–4/5 विचाराधीन है तथा आ० नं० 1779 रकबा 0-20 डि० भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 115 सी के तहत बेदखली का वाद ग्राम सभा बनाम दीनानाथ प्रो० मु० नं 261 तहसीलदार केराकत के न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद शाहजहांपुर के क्षतिग्रस्त जलालाबाद से खण्डहर रोड की मरम्मत का प्रस्ताव

81–श्री राममूर्ति सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद से खण्डहर रोड पर काफी गड्ढे हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त रोड को जनहित में ठीक कराने की कोई व्यवस्था करायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

मार्ग के क्षतिग्रस्त अंशों की मरम्मत वार्षिक अनुरक्षण मद से प्रस्तावित है ।

82–श्री राममूर्ति सिंह–

[दिनांक 12-3-92 को अता० प्र० सं० 98 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में नीलामी में करती गई अनियमितता के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा जाना

83–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की तहसील पुरवा में ग्राम–बेवल मंसा खेड़ा में दिनांक 13-8-91 को हुई भूमि नीलामी में उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार रूल्स के 284, 285 व 285–ए का उल्लंघन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच करवाने हेतु श्री शान्ती स्वरूप यादव ने जिलाधिकारी, उन्नाव को 20 नवम्बर, 1991 को कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो

क्या इसी नीलामी के प्रकरण पर श्री जागेश्वर प्रसाद ने दिनांक 6-9-91 व 27-9-91 को भी जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रार्थना-पत्र दिये थे, यदि हां, तो क्या श्री जागेश्वर प्रसाद का राज्य मंत्री, नागरिक आपूर्ति, उ० प्र० की टिप्पणी सहित जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रेषित पत्र माह अक्टूबर, नवम्बर में मिला था ? यदि हां, तो नीलामी में बरती गयी अनियमितताओं के लिए दोषी व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में नीलामी आदेश दिनांक 26 फरवरी, 1992 द्वारा निरस्त कर दी गयी है ।

श्री शान्ती स्वरूप यादव का ज्ञापन दिनांक 20-11-91 प्राप्त नहीं है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद के जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 6-9-91 व 24-9-91 प्राप्त हुए हैं ।

माननीय राज्य मंत्री नागरिक आपूर्ति, उत्तर प्रदेश की टिप्पणी सहित जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रेषित पत्र माह अक्टूबर, नवम्बर में प्राप्त नहीं हुए हैं ।

दोषी नायब तहसीलदार से नीलामी में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के नायब तहसीलदार श्री रमा शंकर त्रिपाठी का स्थानान्तरण

84–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसी जनपद का मूल निवासी उसी जनपद में लेखपाल, कानूनगो रहकर उसी जनपद में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर सकता है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी कृपया ऐसे ही एक प्रकरण पर उन्नाव जिले के निवासी एक व्यक्ति के उन्नाव जनपद में ही नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के आयुक्त, मण्डल लखनऊ को दिये गये पत्र दिनांक 4-1-91 पर की गयी कार्यवाही का निष्कर्ष क्या है ? क्या इसी प्रकरण पर प्रश्नकर्ता के अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को प्रेषित पत्र दि० 17-10-91, आयुक्त, लखनऊ मण्डल को प्रेषित पत्र 26-11-91 व अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को प्रेषित पत्र 11-12-91 पर की गयी कार्यवाही के निष्कर्ष बतायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार नायब तहसीलदार अपने गृह जनपद के गृह तहसील में तैनात नहीं किया जा सकता है ।

जनपद उन्नाव के तहसील पुरवा के तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री रमा शंकर त्रिपाठी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 4-1-92 एवं 26-10-91 मण्डलायुक्त, लखनऊ को एवं पत्र दि० 19-10-91 एवं 3-1-1992 अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को प्राप्त हुए थे । उन पर जांच करायी गयी । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री रमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार का गृह जनपद रायबरेली एवं गृह तहसील निलोई है । फिर भी आयुक्त, लखनऊ द्वारा श्री त्रिपाठी को जनपद उन्नाव से जनपद हरदोई स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी के विकास खण्ड जसपुरा में सोलिंग स्तर तक कार्य कराये जाने की मांग

85–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी, बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के अन्तर्गत कोड संख्या 45 ग्राम बरेहटा को ब्लोक निर्माण विभाग, बांदा द्वारा सोलिंग स्तर तक कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत ? क्या इसे वर्ष 1992-93 में शामिल कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

कार्य जिला योजना की परिधि के अन्तर्गत आता है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में जिलापूर्ति कार्यालय में कार्यरत श्री राम दत्त तिवारी का उपभोक्ता संरक्षण जिला फोरम में समायोजन

86–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिलापूर्ति अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत पूर्ति लिपिक श्री राम दत्त तिवारी जो विकलांग भी हैं को गत मार्च, 91 के बाद से अब तक वेतन नहीं दिया गया है । जबकि वेतन दिलाये जाने की ही मांग को लेकर उक्त विकलांग कर्मचारी की पत्नी भूख हड़ताल तक कर चुकी है ? यदि हां, तो वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा वेतन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

श्री रामदत्त तिवारी, उद्योग विभाग द्वारा संचालित वस्त्रोद्योग योजना के अन्तर्गत कार्यरत थे । उद्योग विभाग ने उक्त योजना को दिनांक 28-2-1991 से समाप्त कर दिया अतः 28 फरवरी, 1991 के पश्चात् श्री राम दत्त तिवारी को वेतन नहीं दिया गया है । उक्त कर्मचारी की पत्नी ने भूख हड़ताल नहीं की ।

उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रश्नगत योजना के समाप्त हो जाने के कारण श्री तिवारी को वेतन नहीं दिया गया है । श्री तिवारी को 27-1-92 से उपभोक्ता संरक्षण जिला फोरम में लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और वह उस पद पर वेतन पा रहे हैं ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम प्रतापपुर चमुखी के प्रधान श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध जांच आख्या

87–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम प्रतापपुर चमुखी के प्रधान श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के बारे में तहसीलदार,

अकबरपुर द्वारा अपनी जांच आख्या पत्र संख्या मेमो 20 का/वि० का० प्रधान/90-91 दि० 1-11-91 द्वारा परगनाधिकारी अकबरपुर को कार्यवाही हेतु प्रेषित करायी गयी है ? यदि हां, तो तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गयी जांच आख्या का बिन्दुवार विवरण क्या है तथा आख्यानुसार प्रधान के विरुद्ध कौन-कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही किन-किन अधिकारियों द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

88–श्री हरिवंश सहाय–

[5वें सोमवार में अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

89–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अधीक्षण अभियन्ता, सोलहवां वृत, कानपुर द्वारा निलम्बित किये गये आशुलिपिकों के विरुद्ध कार्यवाही

90–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे शुक्रवार के तारा० प्रश्न सं० 153 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-12-87 पर अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत कानपुर ने उक्त पत्र पर अपनी आख्या मुख्य अभियन्ता, रा० मा० को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या उक्त विचाराधीन आख्या पर अब तक लिये गये निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता, 16वां वृत्त, कानपुर के आदेश दिनांक 31-5-90 द्वारा सम्बन्धित आशुलिपिक को निलम्बन अवधि के भत्ते के अतिरिक्त अवशेष वेतन/भत्ते के भुगतान एवं निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनों हेतु मानने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । उक्त निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद वाराणसी के राजकीय महिला पालीटेक्निक हेतु चयनित भूमि के मृदा परीक्षण के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही

91–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला पालीटेक्निक, वाराणसी हेतु चौकाघाट, ककरमत्ता तथा अन्य स्थानों पर स्वायल टेस्टिंग के नाम पर लगभग दो लाख 60 हजार रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो कितने धन का भुगतान किन-किन कार्यों पर किया गया ? वास्तव में कितना कार्य कराया गया ? क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

राजकीय महिला पालीटेक्निक, वाराणसी हेतु चयनित भूमि के मृदा परीक्षण पर केवल रु० 1,25,580 का भुगतान किया गया ।

मृदा परीक्षण हेतु भुगतान की गई दरें समान कार्य हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम हैं इसलिए जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के 25वां वृत्त (भवन) में कार्यरत श्री रघुराज राम चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता का स्थानान्तरण

92–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रघुराज राम चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लखनऊ, शासकीय स्थानान्तरण नीति दिनांक 17-4-90 के प्रस्तर 1(9) के अन्तर्गत पात्र होने पर भी पिछले 10 वर्षों से केवल मार्ग वृत्तों में कार्यरत रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें चतुर्थ वृत्त, लखनऊ से अन्यत्र अकार्यकारी वृत्त में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं, श्री रघुराज राम दिनांक 29-7-88 से 19-5-89 तक 25वां वृत्त (भवन), लखनऊ में भी कार्यरत रहे हैं ।

श्री रघुराज राम, अधीक्षण अभियन्ता को शासनादेश दिनांक 30-7-91 द्वारा चतुर्थ वृत्त, लखनऊ से अकार्यकारी वृत्त 10वां वृत्त, लखनऊ में स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

जनपद गोरखपुर स्थित हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा किये गये कार्यों का लोक निर्माण विभाग से सत्यापन

93–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ब्रिज कारपोरेशन (रोड विंग) द्वारा गोरखपुर स्थित हाट मिक्स प्लान्ट का वर्ष 90-91, 91-92 में कितने कि० मी० बी० एम० व एस० डी० सी० का कार्य, किन-किन मार्गों पर कराया गया है ? कितने मैट्रिक टन बी० एम० मिक्स व एस० डी० सी० मिक्स एवं मैक्सफाल्ट का खर्च अभिलेखों में दिखाया गया है ? क्या अभिलेखों में दिखाया गया खर्च बी० एम० व एस० डी० सी० मिक्स की मात्रा मौके पर बिछायी गयी सतह की मोटाई (क्रस्ट) के अनुसार, प्लान्ट से दिखायी गयी मात्रा का, कार्य के पश्चात् सत्यापन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या प्लान्ट से दिखायी गयी मिक्स की मात्रा प्लान्ट द्वारा अधिक दिखाकर मौके पर मोटाई कम बिछा कर दसों लाख रुपये का तारकोल एवं ग्रिट बेच दिया गया है ? क्या मंत्री जी सड़क की मोटाई की जांच करायेंगे ? क्या यह भी बतायेंगे कि कितने लाख रुपये की हानि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ने की है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

ब्रिज कारपोरेशन (रोड विंग) द्वारा गोरखपुर स्थित हाट मिक्स प्लान्ट का वर्ष 90-91 में कोई कार्य नहीं किया गया है । वर्ष 91–92 में माह फरवरी, 1992 तक केवल सोनौली–गोरखपुर मार्ग के कि० मी०–61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94 तथा 95 में बी०एम० का कार्य कराया गया है । एस०डी०सी० का कोई कार्य नहीं कराया गया है । अभिलेखों के अनुसार माह फरवरी, 1992 तक

लगभग 10311 मैट्रिक टन बी० एम० मिक्स एवं 410.92 मैट्रिक टन मैक्सफाल्ट खर्च हुआ है । एस० डी० सी० का उत्पादन नहीं किया गया है ।

माह फरवरी, 1992 तक 10311 मैट्रिक टन बी० एम० मिक्स का उत्पादन प्लान्ट से हुआ है एवं जिसकी माप अभिलेखों के अनुसार 5080.26 घन मीटर अंकित की गयी है जिसमें से 2258.57 घन मीटर बी० एम० कार्य का सत्यापन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है तथा शेष कार्य का सत्यापन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चूंकि प्लान्ट से जितनी मिक्स की मात्रा निकली है उतनी ही अभिलेखों में अंकित की गयी है एवं सड़क पर लो० नि० विभाग द्वारा निर्धारित मोटाई में ही बिछायी गयी है जिसका सत्यापन कुछ लम्बाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है तथा शेष में किया जाना है अतः मोटाई की जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जितनें कार्य का सत्यापन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है उसके अनुसार उसमें कोई हानि नहीं हुई है ।

उ० प्र० के समस्त कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की समस्याओं को दूर करने की मांग

94–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के समस्त कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को जाड़े में आधी बांह की सूती वर्दी, बन्दियों को नाम मात्र का पारिश्रमिक रु० 4:50 कमीज की सिलाई आदि के लिये बन्दियों को मतदान करने के अधिकार से वंचित करके एक अलग समाज स्थापित किया गया है, जबकि बन्दियों द्वारा मानवता हेतु समय-समय पर सरकार के मार्ग-दर्शन में सहयोग, जैसे समाज में आयी विपदाओं, भूकम्प, बाढ़ सूखा आदि राहत में आर्थिक एवं पारिश्रमिक सहयोग किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी नहीं, बन्दियों का कोई अलग समाज स्थापित नहीं किया गया है । बन्दियों को जाड़े में कम्बल, कोट (ऊनी वर्दी) अन्य सूती कपड़ों के अलावा दिये जाते हैं ।

बन्दियों द्वारा परिश्रम करने पर उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पारिश्रमिक निर्धारित दर पर दिया जाता है ।

विचाराधीन बन्दियों को मतदान का अधिकार है । नियमानुसार सिद्धदोष बन्दियों को मतदान का अधिकार सजा की अवधि तक स्थगित रहता है ।

बन्दियों को पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाता है ताकि रिहाई के बाद वे सभ्य नागरिक बन सकें ।

यह सही है कि बन्दी भी समाज में आयी प्राकृतिक विपदाओं जैसे भूकम्प आदि में यथासमय सहायता करते रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० के समस्त कारागारों में निरुद्ध बन्दियों द्वारा किये गये उत्पादन का प्रकरण

95 श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० कारागार महानिरीक्षक द्वारा यह पुष्टि की गयी है कि बन्दियों की संख्या जेलों में कम है अतः इन्हें छोड़ा न जाये, नहीं तो इनके द्वारा कारागारों में किये जाने वाले उत्पादन में बुरा असर पड़ेगा ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के दस्यु-ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क तथा पुल बनवाने की मांग

96–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक पहाड़ी के प्रधान, गांव सभा देहसद्द माफी ने दि० 18-9-90 को जिला अधिकारी, बांदा को प्रश्नकर्ता के संस्तुति पत्र सहित तथा मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन को पृष्ठांकित पत्र आठगवां क्षेत्र में कन्धवनियां से बाल्मिकी आश्रम, लालापुर तक सड़क निर्माण हेतु दिया है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस आठ गांवों को जोड़ने के लिए सम्पर्क रोड का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या दस्यु प्रभावित क्षेत्र के लिए राज्य अंश धन का आवंटन करके उसमें इस प्रस्तावित सड़क को बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नगत पत्र लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

जिला योजना के इस कार्य का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

दस्यु-ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण की केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क का निर्माण सम्मिलित नहीं है ।

97–श्री लल्लू सिंह–

[दि० 12-3-92 को अता० प्र० सं० 97 द्वारा उत्तरित]

98–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में पट्टों का मामला न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन

99–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1495/91 परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 2-12-91 को पट्टे बनाने के विषय में प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । सोहन पुत्र मेहरवान आदि व्यक्तियों को 14-52 एकड़ सीलिंग भूमि के पट्टे किये गये थे परन्तु मूल खातेदार श्री मदन लाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिया जा सका । मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-निघासन के ग्राम मगैया चाट के निवासी श्री मैकू पुत्र सुकई को भूमि का कब्जा दिया जाना

100–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पुत्र सं० 1642/91 श्री मैकू पुत्र श्री सुकई नि० ग्रा० मगैया चाट, तहसील निघासन, जनपद-लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । श्री मैकू पुत्र सुकई नि० मगैया चाट के पट्टे की भूमि पर पैमाइश करके कब्जा दिया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम खमरिया निवासी श्री ढोड़े पुत्र श्री सिरदार को पट्टे की भूमि का कब्जा न दिया जाना

101–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1641/91 श्री ढोड़े पुत्र श्री सिरदार नि० ग्रा० खमरिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दि० 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । श्री ढोड़े पुत्र सिरदार निवासी खमरिया व मदनू पुत्र दरबारी नि० खमरिया के नाम ग्राम खैरटिया में कोई पट्टे की भूमि नहीं है । गौठी ग्राम समाज की भूमि पर नहीं बनी है । अतः प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम लालपुर, ढाका पलिया के निवासी श्री लल्लू पुत्र श्री भुलई के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

102–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1644/91 श्री लल्लू पुत्र श्री भुलई नि० ग्रा० लालपुर, ढाका पलिया, तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, लखीमपुर खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, बरेली, कानपुर तथा अल्मोड़ा के साथ तैनात आशुलिपिकों के पदों को पदोन्नति से भरा जाना

103–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता ने पत्र संख्या 31905 ई/एई/79 दिनांक 10-6-85 द्वारा आदेश निर्गत किये थे कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ आशुलिपिक का पद प्रोन्नाति द्वारा भरा जायेगा ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ किन-किन आशुलिपिकों की तैनाती पदोन्नति द्वारा की गयी है तथा किनके साथ वेतन/वृत्तीय/खंडीय कार्यालय से आशुलिपिक सम्बद्ध किये गये ? इसका क्या औचित्य है और अब तक पदोन्नति न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करके निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग –

जी हां ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, बरेली, कानपुर तथा अल्मोड़ा के साथ क्रमशः श्री नवाब अली खां, श्री संजीत कुमार तथा श्री हनुमान सरन भटनागर, आशुलिपिकों की तैनाती पदोन्नति द्वारा की गई ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा के साथ वृत्तीय आशुलिपिक को तदर्थ पदोन्नति देकर सम्बद्ध किया गया, क्योंकि श्री भटनागर, आशुलिपिक ने पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अतिरिक्त कार्य देखने के बजाय नयी व्यवस्था लागू करने की मांग

104–श्री राम सरन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लो० नि० वि० में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर 100 कि०मी० से अधिक दूरी वाले अतिरिक्त कार्यभार को आफिसियेटिंग करने हेतु शासन ने निर्देश जारी किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को शासन की नीति के विरुद्ध खण्डों/वृत्तों/विश्व बैंक परियोजना आदि में तैनात किया गया है ? क्या 100 कि०मी० से अधिक दूरी वाले दोहरे कार्यभार की सुचारु व्यवस्था हेतु स्थानीय प्रबन्ध न करने से शासन को वित्तीय हानि हो रही है ? यदि हां, तो इस हानि हेतु कौन जिम्मेदार है एवं क्या इस प्रणाली को समाप्त करके नयी व्यवस्था लागू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार 100 कि०मी० से अधिक दूर मुख्यालय पर तैनात किसी अधिकारी को नहीं सौंपा गया है, किन्तु विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं की कमी के कारण अधिशासी अभियन्ता के कतिपय रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार विशेष परिस्थितियों में कार्यहित में 100 कि० मी० से अधिक दूर मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। नीति के विरुद्ध किसी अधिकारी को तैनात नहीं किया गया है और न 100 कि०मी० से अधिक दूर मुख्यालय वाले अधिकारी को कार्यहित में अतिरिक्त कार्यभार न देने की कोई नीति है।

कार्यहित में प्रशासनिक दृष्टि से की गयी।

उचित व्यवस्था में वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में स्वीकृत आशुलिपिक के पदों के अतिरिक्त नियुक्त अन्य आशुलिपिकों के वेतन भत्ते की वसूली

105–श्री राम सरन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विभाग के मुख्यालय में तैनात मुख्य अभियन्ताओं के साथ आशुलिपिक के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अन्य आशुलिपिकों की तैनाती (दैनिक वेतन/ट्रेनीज/नियमित) की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन आशुलिपिकों को विभाग में रिक्त पदों पर तथा ट्रेनीज को खण्डीय स्तर पर तैनात करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन से स्वीकृत पदों के विरुद्ध तैनात आशुलिपिकों को दिये गये वेतन/भत्ते आदि की वसूली संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर निर्धारित करके शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो शासन को हुई क्षति की वसूली कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

दो शिशिक्षु आशुलिपिकों की तैनाती मासिक छात्रवृत्ति पर की गयी है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षार्थी की विभाग में नियुक्ति किये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लोक निर्माण विभाग में ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के उपरान्त वेतनमानों को लागू किया जाना

106–श्री राम सरन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, वित्त के अ० शा० पत्र सं० वे० आ०-1-2518/दस-101 (एम)/89, दि० 8-10-91 द्वारा निर्गत आदेश, सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र के प्रस्तर 1, 3 एवं 4 के सम्बन्ध में आदेश कब तक निर्गत कराये जायेंगे तथा क्या विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों की एक ही ज्येष्ठता सूची प्रसारित करके प्रस्तर-1 के अनुसार वेतनमानों को लागू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

लोक निर्माण विभाग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अर्दली/चपरासी भत्ता देने की जांच

107–श्री राम सरन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अर्दली/चपरासी तैनाती न होने की दशा में भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो अन्वेषणालय के अधीनस्थ खण्ड/क्वालिटी प्रमोशन सेल एवं लखनऊ के अन्य अकार्यकारी खण्डों में कार्यरत उच्च अधिकारियों के साथ कौन-कौन से चपरासी नियमित/दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? तथा किन-किन अधिकारियों को अर्दली/चपरासी भत्ता दिया जा रहा है ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के वेतन से उक्त शासकीय धन हानि की वसूली करते हुए उन्हें दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में पिछड़ों व अनुसूचित जातियों के मध्य वित्तीय वर्ष में कृषि भूमि आवंटित करने का लक्ष्य

108– श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज के कमजोर, पिछड़ों व अनुसूचित जातियों के मध्य भूमि आवंटन में उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 91 में कुल कितने एकड़ जमीन वितरित की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 92 का लक्ष्य क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1991 में कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 91-92 के लिये तहसील पुरवा में 150 एकड़ कृषि भूमि का लक्ष्य निर्धारित था । इस प्रकार माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 1991-92 का लक्ष्य 37.5 एकड़ था ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के नायब तहसीलदार द्वारा भूमि नीलामी में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण को मांगा जाना

109–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के भूमि नीलामी में गम्भीर अनियमितता किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को सम्बोधित पत्र दिनांक 9-1-92 व प्रति तिथि तद्दिनांक आयुक्त, लखनऊ मण्डल को मिली है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रकरण में उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार रूल्स 284, 285 व 285-ए का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण प्रकरण में पायी गयी अनियमितताओं के लिये दोषी व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में नीलामी आदेश दिनांक 26-2-92 द्वारा निरस्त कर दी गयी है ।

विधिक अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही के संदर्भ में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के जीवनी मंडी स्थित जोन्स प्रापर्टी के क्रेतागणों के मध्य बंटवारे का वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन

110–श्री किशन गोपाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि आगरा में जीवनी मंडी स्थित जोन्स बगला प्रापर्टी व जाटनी का बाग प्रापर्टी, जो कि जोन्स साहब के नाम थी, पर उनके मृत्योपरान्त कुछ लोग बिना उत्तराधिकार प्रमाण कब्जा करके करोड़ों का लाभ कमा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार यह करोड़ों की लावारिस जगह सरकार की होनी चाहिए थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन लोगों की तथाकथित भूमि के कागजात व बैनामों के कागजात देखकर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जोन्स साहब की मृत्यु 1943 में हुई । उनकी वसीयत के अनुसार इस सम्पत्ति के एडमिनिस्ट्रेटर ने 10-7-46 को श्री राय बहादुर, हीरा लाल पाटनी व सेठ मुन्नी लाल मेहरा को बैनामा कर दिया । यह सम्पत्ति लावारिस नहीं है ।

क्रेतागण व खेवट के अन्य सहखातेदारों के मध्य बंटवारे का वाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है । अतः अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं पर हुए व्यय का विवरण

111–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तथा फिरोजाबाद जनपदों में मौजूदा वित्तीय वर्ष में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत पुष्टाहार के वार्षिक क्रय में कितनी धनराशि खर्च हुई है? क्या यह सत्य है कि निर्धारित समय पर बच्चों को व धात्री महिलाओं को पुष्टाहार वितरित किये जाने में भारी अनियमिततायें की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गम्भीर अनियमितताओं की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

आगरा तथा फिरोजाबाद जनपद के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 91-92 में माह फरवरी, 92 तक क्रमशः रु० 10,56,964.10 तथा रु० 12,79,180.80 व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद व आगरा के विकास खण्डों में सरकारी सस्ते गल्ले की आवंटित दुकानों में भारी अनियमितताओं की जांच

112–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड खन्दौली व ऐत्मादपुर, जनपद आगरा तथा विकास खण्ड टुण्डला व नारखी व फिरोजाबाद, जनपद फिरोजाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की आवंटित दुकानों से जनता को गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल डीजल आदि के वितरण में भारी अनियमिततायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

चालू वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड खन्दौली एवं ऐत्मादपुर, जनपद आगरा में की गई जांचों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें पाये जाने पर 23 दुकानदारों की जमा प्रतिभूति जब्त की गयी, 9 दुकानों को निलम्बित किया गया एवं 19 दुकानें निरस्त की गयीं । इसके अतिरिक्त 8 दुकानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया । एक अवैध डीजल विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मामला भी दर्ज कराया गया है । विकास खण्ड टुण्डला, नारखी एवं फिरोजाबाद में 12 दुकानें निलम्बित की गई, 19 निरस्त की गई 30 दुकानदारों की जमानत की धनराशि जब्त की गई तथा 2 दुकानों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को पदोन्नति के उपरान्त उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाना

113–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों के उच्च पद पर तैनात होने पर उच्च पद पर दायित्वों के निर्वाहन एवं सम्बद्धता करने पर उच्च वेतनमान का लाभ विभाग द्वारा दिया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत तथा किस-किस पद के लिए यह

व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस लाभ से आशुलिपिकों को वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार उन्हें लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उच्चतर वेतनमान पदोन्नति पर दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता । इस प्रकार का कोई नियम नहीं है ।

आशुलिपिकों को भी उक्त प्रकार से सम्बद्ध करने पर उच्चतर वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं है, अपितु वह पदोन्नति पर ही देय है ।

जनपद मैनपुरी में कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर लेखपालों का निलम्बन

114–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में जून, 1991 के बाद कितने लेखपाल निलम्बित किये गये ? उनमें से कितने लेखपाल अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं ? क्या जिला प्रशासन को सरकार द्वारा उन लेखपालों को किसी दोष के कारण निलम्बित करने के निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो इस प्रकरण में जिला प्रशासन ने क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद मैनपुरी में जून, 1991 से जनवरी, 1992 तक कुल 37 (सैंतीस) लेखपाल निलम्बित किये गये हैं ।

उपर्युक्त 37 निलम्बित लेखपालों में से 4 (चार) लेखपाल अनुसूचित जाति तथा 23 (तेईस) लेखपाल पिछड़ी जाति के हैं ।

जी नहीं ।

लेखपालों के नियुक्ति अधिकारी परगनाधिकारी हैं । परगनाधिकारियों द्वारा लेखपालों के कार्यों में गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर उन्हें निलम्बित किया जाता है ।

जनपद मैनपुरी के लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों पर हुए व्यय का विवरण

115–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दाग मरम्मत पत्थर दिल्ली ग्रिट एवं तारकोल से किन-किन मार्गों पर कार्य किया गया और कितना धन खर्च हुआ ? पुरानी कुटी सड़कों पर वित्तीय वर्ष 91-92 में 6 माह में कितना धन व्यय हुआ ? क्या यह सत्य है कि पिछले पांच वर्षों में उक्त कार्य हेतु इतना रुपया खर्च नहीं हुआ है जितना कि इस वित्तीय वर्ष में व्यय हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि मैनपुरी जनपद में नई सड़कों की मोटाई कम होने पत्थर कम लेकर व अधिक भुगतान करके ठेकेदार से विभाग द्वारा रुपया लिये जाने तथा फर्जी मस्ट्रोल दिखाकर भुगतान लेने की विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या उसमें किसी दोषी विभागीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्गों एवं उनके सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण संलग्न है ।

पूरे वित्तीय वर्ष 91-92 में पुरानी कुटी हुई सड़कों पर कोई धन व्यय नहीं हुआ ।

जी नहीं ।

मामले की विभागीय जांच प्रचलित है ।

जी नहीं । जांच चल रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 219 पर)

लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिकों के लिए समान वेतन हेतु विचाराधीन प्रकरण

116–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी में है कि प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3814 ईएजी/दिनांक 30 जून, 1972 द्वारा स्वीकृत किये गये खण्डीय/तृत्तीय एवं मु० अ० के आशुलिपिकों का वेतनमान शासन से पद स्वीकृत के समय रु० 120-250 दिया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता (क्रय) से सम्बन्धित आशुलिपिक के पद एवं अन्य पदों के लिए विभिन्न वेतनमान देने का क्या औचित्य है, जबकि वर्ष 1965 की नियमावली के अन्तर्गत सम्पूर्ण योग्यतायें/दायित्व/कर्तव्य समान हैं ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए लो० नि० विभाग के आशुलिपिकों के लिए एक वेतनमान तथा एक ही वरिष्ठता सूची प्रसारित करने के लिए नीति निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता (क्रय) कार्यालय के आशुलिपिक का पद प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के आशुलिपिक के संवर्ग का है, जिसका वेतनमान अन्य संवर्ग के आशुलिपिक पद से भिन्न है ।

प्रमुख अभियन्ता संवर्ग के आशुलिपिकों के कर्तव्य/दायित्व भी तदनुसार भिन्न हैं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

बन्दियों की मुक्ति के निर्णय हेतु फार्म 'ए' पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अस्वीकृति

117–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दियों के फार्म–ए (प्रोवेशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुक्त किये जाने वाले आवेदन पत्र) की स्वीकृति हेतु क्या-क्या औपचारिकतायें पूरी करने के बाद भी (जिन पर जिलाधिकारी, प्रोवेशन अधिकारी तथा प्रोवेशन बोर्ड द्वारा रिहाई हेतु संस्तुति की जाती है बिना अवधि हमेशा के लिये) शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? यदि नहीं, तो कितने फार्म विगत 10 वर्षों में अस्वीकृत किये गये हैं ?

श्री उमानाथ सिंह–

यू० पी० प्रिजनर्स रिजीज आन प्रोवेशन ऐक्ट, 1938 की धारा–2 के अन्तर्गत लाइसेन्स पर बन्दी की मुक्ति का निर्णय फार्म "ए" पर बन्दी के प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित अधिकारियों सहित प्रोवेशन बोर्ड की संस्तुति के सन्दर्भ में उसके पूर्ववृत्त एवं जेल आचरण तथा मुक्त किये जाने की दशा में अपराध न करने एवं शान्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत करने की सम्भावना तथा बन्दी द्वारा नामित अभिभावक की उपयुक्तता के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा प्रत्येक मामले के गुण व दोष के आधार पर लिया जाता है । यद्यपि नियमानुसार वे बन्दी मुक्ति के पात्र नहीं होते जिनका आवेदन पहले शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, परन्तू शासन किसी भी मामले में पुनर्विचार के आदेश दे सकता है ।

जनपद जालौन को उरई के लोक निर्माण उरई डिवीजन के अन्तर्गत कालपी स्थित स्टोर के स्थानान्तरण का प्रकरण

118–श्री राम सरन–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण उरई डिवीजन के अन्तर्गत कालपी स्थित स्टोर का स्थानान्तरण रा० मा० निर्माण खण्ड, कानपुर में किया गया था ? यदि हां, तो कालपी स्थित स्टोर के अन्तर्गत रखी कितनी सामग्री रा० मा० निर्माण खण्ड, कानपुर के केन्द्रीय भण्डार में ली गयी ? कालपी का उक्त स्टोर कब और क्यों बन्द किया गया ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड में मथुरा रिफायनरी से निर्गत तारकोल के टैंकरों तथा खण्ड अभिलेखों में प्राप्ति की भिन्नता की जांच

119–श्री राम सरन–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी में है कि पी० सी० सिन्हा, धीरेन्द्र कुमार, आर० पी० शर्मा, पी० एल० गुप्ता एवं श्री ए० के० श्रीवास्तव, अवर अभियन्ताओं द्वारा रा० मा० निर्माण खण्ड, कानपुर में 127 तारकोल के टैंकरों को पिछली तारीखों में माप पुस्तिकाओं में अंकित करके खण्डीय कार्यालय में समायोजित करके घपला करने का प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो इन अभियन्ताओं को किस-किस नम्बर की माप पुस्तिकायें दी गयीं ? उनमें कब-कब, कितने टैंकर प्राप्त किये गये और उसे किस-किस मार्ग के किन-किन कि० मी० में निर्माण कार्य में खपत किये गये ? क्या सरकार द्वारा पिछली तारीखों में 50.00 लाख रुपये के तारकोल के टैंकरों का समायोजन कराने में सहयोग देने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करने की कार्यवाही करेगी ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, कानपुर में मथुरा रिफायनरी से निर्गत तारकोल के टैंकरों तथा खण्ड के अभिलेखों में इसकी प्राप्ति में जो भिन्नता पाई गयी उसकी जांच हेतु दो अधीक्षण

अभियन्ताओं की जांच समिति गठित की गयी थी । जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है जो शासन स्तर पर विचाराधीन है । आख्या के परीक्षणोपरान्त यथावश्यक दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

जनपद बांदा के ठेकेदार श्री शिव विजय सिंह द्वारा खपटिया खदान घाट में अवैध रूप से खनन से राजस्व की क्षति

120–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा परगनाधिकारी, बांदा को पत्र संख्या–घ–305765, दि० 29 जनवरी, 1992 श्री शिव विजय सिंह, खपटिया खदान घाट द्वारा अवैध रूप से सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सत्य है कि ठेकेदार द्वारा एम एम–11 की रसीदें न काटकर फर्जी दूसरे घाटों की रसीदें खपटिया खदान घाट पर प्रयोग की जा रही हैं जबकि यह घाट पट्टे पर है ? सरकार के अंकुश व नियंत्रण की क्या नीति है ? क्या दोषी पाये जाने पर यह पट्टा निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

परगनाधिकारी, बांदा को पत्र संख्या–घ–305765, दि० 29 जनवरी, 1992 नहीं बल्कि पत्र संख्या–घ–305795, दि० 29 जनवरी, 1992 दिया गया था ।

परगनाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज बांदा, क्षेत्रीय नायब तहसीलदार, भूलेख निरीक्षक के साथ दिनांक 5-3-1992 को ग्राम खपटिया कला स्थित प्रश्नगत खदान की जांच बालू खदान के पट्टेदार श्री शिव विजय सिंह एवं उनके सहयोगी की उपस्थिति में की गयी । उसी दिनांक को बालू से भरे तीन अवैध ट्रकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पैलानी में माइनर मिनिरल नियमावली के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी, खनिज/डिप्टी कलेक्टर, बांदा द्वारा दर्ज कराई गई ।

जांच में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया जिसके आधार पर दूसरे फर्जी एम० एम० 11 की रसीदों से श्री शिव विजय सिंह, ठेकेदार द्वारा खपटिया कला खदान में अवैध रूप से खनन कराकर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

121–श्री यदुनाथ सिंह–

[दि० 20-2-92 को ता० प्र० सं० 20 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के लोक निर्माण विभाग के खण्ड/वृत्तों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं के साथ संलग्न नियमों के अन्तर्गत आशुलिपिकों की नियुक्ति

122–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में कौन-कौन से खण्ड/वृत्त स्वीकृत हैं ? किन-किन मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों के साथ किस-किस वेतनमान के आशुलिपिक के पद स्वीकृत हैं ? किन-किन वेतनमानों के आशुलिपिकों की तैनाती किस-किस अभियन्ता के साथ है ? क्या तकनीकी सेल विश्व बैंक में आशुलिपिक के पद स्वीकृत हैं ? यदि

नहीं, तो इन स्थानों पर तैनात आशुलिपिकों को स्वीकृत पदों पर तैनात न करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार अधिकारियों के मनमाने तैनाती आदेशों को समाप्त करके नियमानुसार आशुलिपिकों की तैनाती करने की कार्यवाही करने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ये निर्देश लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सूची 'क' संलग्न है ।

सूची 'ख' संलग्न है ।

सूची 'ग' संलग्न है । †

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी आशुलिपिक की तैनाती नियमों के विरुद्ध नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त में ठेकेदारों के गोपनीय रजिस्टरों का रखा जाना

123–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लखनऊ के पत्रांक 468 एम/77 एम-4/88 दिनांक 31-1-89 द्वारा ठेकेदारों के कार्यों का गोपनीय रजिस्टर खोलने के आदेश अधीनस्थ खण्डों को दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक यह आदेश किन-किन खण्डों में लागू किये गये ? वहां कब से आदेश लागू किये गये ? कुछ खण्डों में उक्त आदेश लागू न करने क्या औचित्य है तथा सरकार कब तक वहां आदेश लागू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक उक्त आदेश न लागू करने हेतु दोषी अधिकारियों को सरकार दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधीन इस समय कुल छः खण्ड हैं । इनमें से पांच में वर्ष 1989–90 से तथा एक में 1990–91 से ठेकेदारों के कार्यों के गोपनीय रजिस्टर रखे जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

---

† छापी नहीं गई ।

जनपद सहारनपुर के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड में मार्गों के निर्माण में व्यय हुई धनराशि

125–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर में वर्ष 87–88 से 91–92 तक किन-किन मार्गों का चौड़ीकरण आगणन के अनुसार प्रत्येक कि० मी० में किया गया ? उसकी क्रस्ट थिकनेस का क्या प्राविधान था तथा वास्तविक रूप से उसकी मोटाई कितनी थी ? क्या इन मार्गों की निर्धारित/वास्तविक क्रस्ट में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या इस शासकीय धन की हानि की वसूली के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां । विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

शासकीय धन की हानि नहीं हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 220-221 पर)

जनपद सहारनपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली से जमनोत्री मार्ग के चौड़ीकरण में अनियमितता का न पाया जाना

126–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में दिल्ली–जमनोत्री मार्ग का पिछले 2 वर्षों में चौड़ीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन कि० मी० में चौड़ीकरण किया गया तथा आगणन के अनुसार पी० सी० में क्रस्ट की क्या मोटाई है ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्रस्ट की मोटाई कितनी रखने का प्राविधान था ? क्या इन कि० मी० में पैच बने हैं ? यदि हां, तो कितनी सामग्री, किस-किस साइज की, कितनी लागत की प्रयोग की गयी ? क्या इसकी जांच कराकर अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों का दायित्व निर्धारित कर शासकीय धन की हानि की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

कि० मी० 130 से 132, 133 का भाग, 145 का भाग, 146 से 154, 155 का भाग, 156 का भाग, 157 से 161 व 162 के भाग में चौड़ीकरण के कार्य कराये गये । आगणन के अनुसार पी० सी० की मोटाई 2.00 सेंटीमीटर है । कस्ट की मोटाई 34.5 से० मीटर रखने का प्राविधान था । क्रस्ट की गणना में पी० सी० की मोटाई नहीं जोड़ी जाती है ।

जी हां, इन किमी० में सामान्य पैच बने हैं। विवरण निम्नवत् है :–

सामग्री	मात्रा	लागत (रुपयों में)
स्टोन ब्लास्ट	3.58 घ० मी०	452
12 एम एम ग्रिट	22.08 घ० मी०	4344
10 एम एम ग्रिट	151.62 घ० मी०	34605
मैक्सफाल्ट (ड्रम)	142.48 ड्रम	100600
लकड़ी	196.75 क्विं०	13771

कोई अनियमितता नहीं हुई, अतएव जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड-2 द्वारा निर्माण सामग्री का हटाया जाना

127–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत निर्माण खण्ड-2, लो० नि० वि० के आजमगढ़-गाजीपुर मार्ग के कि० मी० 27 में चिरैय्या कोट बाजार के पास पटरी पर रखे गये ईंट के चट्टे व गिट्टी को हटाने हेतु दिनांक 17-8-91 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 ने सहायक अभियन्ता, तृतीय को आदेश दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 ने दिनांक 21-8-91 को आदेश दिया था।

प्रश्नगत स्थान से निर्माण सामग्री हटा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 द्वारा निजामाबाद-खादा–फूलपुर मार्ग के निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

128–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत लो० नि० खण्ड-1 के निजामाबाद-खादा–फूलपुर मार्ग पर शासन द्वारा वर्ष 1987-88, 88-89, 89-90 व 90-91 में कितना धन मरम्मत हेतु दिया गया है ? क्या आज भी मार्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद आजमगढ़ में फूलपुर-खादा मार्ग पर मरम्मत हेतु वर्षवार निम्नलिखित धनराशि दी गयी है :—

वर्ष	धनराशि
1987-88	रु० 2.53 लाख
1988-89	रु० 2.25 लाख
1989-90	रु० 1.63 लाख
1990-91	रु० 0.85 लाख

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में पेटी डीजल लाइसेन्सियों की नियुक्ति में आरक्षण के प्राविधान का न होना

129–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में डीजल के जो लाइसेन्स दिसम्बर, 1991 या जनवरी, 1992 के बीच में जारी किये गये हैं, उनमें शासन द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है ? क्या उसमें आरक्षित कोटा भी पूरा किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी सूची नाम व पते सहित सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

प्रश्नगत अवधि में जनपद आजमगढ़ में पेटी डीजल डीलर का कोई लाइसेन्स जारी नहीं किया गया।

अतः किसी नीति का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

पेटी डीजल लाइसेन्सियों की नियुक्ति हेतु कोई कोटा आरक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उचित दर की दुकानों में निर्धारित वितरण स्केल की सूची लगाने के आदेश

130–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राशन की दुकानों से आवश्यक वितरण की माहवार, वस्तुगत विवरण से युक्त आम जनता के लिये कोई सूची प्रकाशित होती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी नहीं ।

शासन द्वारा निर्धारित स्केल की सूची प्रत्येक उचित दर की दुकान पर लगाने के आदेश पहले से ही निर्गत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

131–श्री सुन्दर लाल-

[दि० 12-3-92 को ता० प्र० सं० 18 द्वारा उत्तरित]

अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति

132–श्री सुन्दर लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करके माह जून, 1981 में पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता व्यवस्थापन (क) वर्ग का पत्र संख्या 405

ई० ए०/72 दिनांक 18-2-91 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति मई, 1981 में तत्समय प्रभावी ज्येष्ठता के आधार पर की गयी थीं ।

जी हां ।

विचारोपरान्त उस पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

उ० प्र० में राजनैतिक पीड़ितों एवं उनकी विधवाओं को जांचोपरान्त स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का दिया जाना

133–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० में राजनैतिक पीड़ितों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राजनैतिक पेंशन बन्द होने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मैनपुरी जनपद में श्रीमती जसोदा देवी पत्नी श्री दिलावर सिंह, निवासिनी ग्राम व पोस्ट नगला सेमर तथा श्री शौकत अली पुत्र श्री सखावत अली, जी० टी० रोड, बेवर की राजनैतिक पेंशन रोकी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें पूर्व की भांति पेंशन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

श्रीमती जसोदा देवी के मामले में जांचोपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि वे मृतक राजनैतिक पेंशनर स्व० श्री दिलावर सिंह की पत्नी नहीं हैं, उनकी राज्य पारिवारिक पेंशन निलम्बित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये ।

श्री शौकत अली पुत्र श्री सखावत अली के विरुद्ध यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डकैती जैसे जघन्य अपराध में सजा पायी है, शासन द्वारा उनकी राजनैतिक पेंशन निलम्बित करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

उक्त दोनों मामलों में जांच पड़ताल पूरी होने के उपरान्त उन्हें स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन हेतु पात्र पाये जाने की दशा में ही पेंशन देय होगी ।

जनपद फैजाबाद में कारसेवा के दौरान अस्थायी जेलों का निर्माण तथा तिरिपाल बन्द बन्दियों पर व्यय की गई धनराशि

134–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में जनपद फैजाबाद में कारसेवा के दौरान अर्थात् माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1991 में जनपद भर में अस्थायी जेल बनाये जाने के लिए कुल 32 लाख रु० का भुगतान ट्रेजरी रूल 27 के अन्तर्गत जिला कोषागार, फैजाबाद से निकलवाया गया है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद में कितनी अस्थायी जेलें कहां-कहां बनायी गयी थीं ? इनमें कितने-कितने बन्दी कितने दिन बन्द रहे ? कितना-कितना रुपया प्रति अस्थायी जेल पर किसके द्वारा खर्च किया गया है ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी नहीं । ट्रेजरी रूल 27 के अन्तर्गत अस्थायी जेल बनाये जाने के लिए जिला कोषागार, फैजाबाद से कोई धनराशि नहीं निकलवायी गयी है ।

कारागार विभाग के स्वीकृत बजट के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में कुल 4 अस्थायी जेलें निम्नलिखित स्थानों पर संचालित की गयी थीं :–

1–अतिथि गृह, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

2–ढोढेराम महाविद्यालय, सेवरा, फैजाबाद ।

3–बाबा बरुवादास इण्टर एवं डिग्री कालेज, परूइया आश्रम, जलालपुर, फैजाबाद ।

4–एस० ए० इण्टर कालेज, तपड़ाडीह, बीकापुर, फैजाबाद ।

इनमें तिथिवार बन्द किये गये बन्दियों की संख्या एवं इनके संचालन में हुए व्यय का विवरण क्रमशः तालिका "क" तथा "ख" पर संलग्न है । व्यय अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद द्वारा किया गया था।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 222-224 पर)

जनपद इलाहाबाद में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कोरांव के सहायक अध्यापक, श्री अनिल कुमार की अर्जितनिक विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाना

135–श्री राम ललित चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री अनिल कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कोरांव, जनपद इलाहाबाद को दिनांक 15-7-89 से दिनांक 6-8-89 तक उक्त विद्यालय से उपार्जित अवकाश पर रहने के बावजूद अवकाश वेतन के स्थान पर ड्यूटी वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा आदेश संख्या 689/ह० स० क०/89–90 दिनांक 10-8-89 के माध्यम से उक्त श्री अनिल कुमार, सहायक अध्यापक को दिनांक 1-8-89 से दिनांक 6-8-89 तक की अवधि का प्रतिकर अवकाश भी स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारी को दण्डित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

दिनांक 27-7-89 से दिनांक 6-8-89 तक विशेष अवकाश बिना वेतन का स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के मायाराम, हरिश्चन्द्र पुत्रगण रामचरण को भूमि का कब्जा दिया जाना

136–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं० 1496/91 परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । गाटा सं०–612/0-58, 930/0-35 का कब्जा श्री मायाराम, हरिश्चन्द्र पुत्रगण रामचरण को दिया जा चुका है । गाटा सं०–1035/0-07 डि० पर आबादी है, इसलिये इसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के श्री त्रिमोहन का ग्राम आवंटन में वरीयता क्रम में रखा जाना

137–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1497/91 पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि त्रिमोहन के नाम भूमि नहीं है । आवंटन कार्यवाही करने पर प्रार्थी का नाम वरीयता क्रम के अनुसार अंकित करने हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम मसान खम्भ के निवासी श्री राम विशुन पुत्र मोतीराम के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

138–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–1499/91 राम विशुन पुत्र मोती राम नि० ग्रा० मसान खम्भ, परगना पलिया थारु क्षेत्र चन्दन चौकी तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगना अधिकारी, निघासन को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के परगना खैरीगढ़ के ग्राम चरखोला निवासी श्री हनीफ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

139–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं० 1500/91 हनीफ पुत्र नि० ग्रा० चरखोला तिकुनिया, परगना खैरीगढ़, तहसील निघासन, लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के ग्राम पुरैना के निवासी श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्र मगरे के पट्टे के दाखिल खारिज की प्रक्रिया न्यायालय के विचाराधीन

140–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1505/91 चन्द्रिका प्रसाद पुत्र मगरे नि० ग्रा० पुरैना, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्र मगरे नि० पुरैना मजरा लोधौरी के नाम 2-00 एकड़ का पट्टा किया गया है, जिसके दाखिल-खारिज का वाद न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

141–श्री राम लखन–

[दि० 13-2-92 को अता० प्र० सं० 187 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के ग्राम सभा मछली गांव की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रधान को नोटिस जारी किया जाना

142–श्री राम लखन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील जलालपुर, ग्राम सभा मछलीगांव गाटा संख्या 1008,1009, 532, 533, ग्राम सभा की बचत के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो इनका रकबा क्या है ? क्या यह सही है कि संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा उक्त भूमि पर पेड़ लगाकर, भट्ठा खोल कर जबरदस्ती कब्जा कर रखा गया है ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम मछलीगांव, परगना अकबरपुर, तहसील जलालपुर, जिला फैजाबाद के भूमि संख्या–1008 रकबा 9-2-0 में से 8-12-0 तथा 1009 के रकबे 12-14-5 में से 4-19-0 बंजर अंकित है तथा भूमि संख्या–1009 में 0-4-0 रकबा देवधान शिवाला भी अंकित है । भूमि संख्या–532 रकबा 0-3-5 तथा 533 रकबा 0-3-0 का सम्पूर्ण भाग बंजर है ।

भूमि संख्या 532/0-3-5 तथा 533/0-3-0 जो ग्राम प्रधान के भट्ठे के समीप है, पर ग्राम प्रधान द्वारा पेड़ लगाकर अवैध कब्जा किया गया परन्तु भूमि संख्या 1008 मि०/8-12-0 तथा 1009 मि०/ 5-4-0 पर ग्राम प्रधान का कब्जा नहीं है ।

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रधान को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय में अवैध कब्जे के सम्बन्ध में प्रधान के विरुद्ध 122-बी का वाद प्रस्तुत कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के ग्राम सभा गौरा कमाल गाटा सं० 342 पर ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा किये जाने का प्रकरण

143–श्री राम लखन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा–गौरा कमाल तहसील जलालपुर जनपद–फैजाबाद के गाटा सं० 342 रकबा बिस्वां 1 धुर पर वर्तमान समय में अवैध कब्जेदार काबिज है ? क्या यह सही है कि ग्राम सभा की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा किया गया है । यदि हां, तो क्यों ? सम्बन्धित ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

144–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद कानपुर देहात के राजपुर विधान सभा क्षेत्र में मुंगीशापुर से शाहजहांपुर तक के अवशेष मार्ग में लेपन स्तर तक कार्य कराने की मांग

145–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजपुर विधान सभा क्षेत्र जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत 1991–92 में कितने कि० मी० लम्बी सड़क लेपन कार्य तक पक्की बनाने की स्वीकृति मिली है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने 1991–92 में शाहजहांपुर से मुंगीशापुर मार्ग के शेष भाग को लेपन कार्य पूर्ण करने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क के कितने भाग में लेपन कार्य हो चुका है, कितने भाग में गिट्टी पड़ गयी है और कितने में गिट्टी डालकर लेपन कार्य करना बाकी है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

5.7 कि० मी० की स्वीकृति मिली थी ।

जी हां ।

मुंगीशापुर से शाहजहांपुर मार्ग पर प्रारम्भ के 2 किमी० लम्बाई में प्रथम सतह लेपन तक का कार्य पूर्ण है । प्रश्नगत मार्ग के शेष स्वीकृत 3.5 किमी० लम्बाई में गिट्टी के एकत्रीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है । मार्ग के इस भाग में अत्यधिक मोड़ होने के कारण इस भाग के वर्तमान संरक्षण में परिवर्तन करने हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही इस मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित किया जाना सम्भव है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के ग्राम धर्मापुर निवासी श्री राम लाल पुत्र श्री परसाद को कब्जा दिलाया जाना

146–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1530/91 श्री राम लाल पुत्र श्री परसाद नि० ग्रा० धर्मापुर, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित

परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दिनांक 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । प्रार्थीगण को स्थल पर कब्जा दिलाया जा चुका है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के ग्राम–नौवना के निवासी श्री बकरीदी बाज पुत्र श्री बच्चू शाज को आर्थिक सहायता देना

147–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1531/91 श्री बकरीदी बाज पुत्र श्री बच्चू शाज, नि० ग्राम नौवना, परगना खैरीगढ़, तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित तहसीलदार निघासन खीरी को 12-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जिलाधिकारी खीरी से प्राप्त सूचनानुसार श्री बकरीदी को मु० 200 रुपये अहेतुक सहायता दी गई और 1,300 रुपये हेतु कुटी बीमा फार्म भरकर समय से ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी, सीतापुर को भेजा जा चुका है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के ग्राम–बल्लीपुर निवासी श्री गोकई पुत्र श्री तिलक के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

148–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1553/91 श्री गोकई पुत्र श्री तिलक ग्रा० बल्लीपुर परगनाधिकारी निघासन खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के ग्राम–ढखेरवा नानकार निवासी श्रीमती चमेली पत्नी श्री रामदास पुत्री रामदीन के नाम अभिलेखों में दर्ज न होना

149–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1534/91 सुश्री चमेली पुत्री श्री रामदीन, नि० ग्रा० ढखेरवा नानकार निघासन खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन

खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

जांच की गयी । श्रीमती चमेली पत्नी रामलाल पुत्री रामदीन निवासी ढखेरवा नानकार के नाम अभिलेखों में कोई भूमि अंकित नहीं है । वह जगन्नाथ पुत्र सूर्यबली नि० पसियन पुरवा के खाते में हिस्सा चाहती है, जिसके लिये अपना वाद सक्षम न्यायालय में दायर कर सकती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के ग्राम पसियन के निवासी श्री अमीर अली पुत्र श्री करीब बक्श के गाटा की पैमाइश

150–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1535/91 श्री अमीर अली पुत्र श्री करीब बक्श, पसियन पुरल, परगना व तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

ग्राम मझरा पूरब परगना खैरीगढ़, तहसील निघासन जिला खीरी के गाटा सं०–1530, जिस पर अमीर अली पुत्र करीम बक्श नि० दखेरवा नानकार पसियन पुरवा का 1/3 भाग अंश है, दर्ज कागजात है । यह गाटा संख्या घाघरा नदी की कटान से नदी के अन्दर हो गया है, जिसके कारण उक्त गाटा की पैमाइश सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद तहसील-जलालपुर की ग्राम सभा-लाभापार की भूमि अवैधानिक बैनामा, अमल दरामद को खारिज करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

151–श्री राम लखन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा लाभापार, परगना सुरूहुरपुर, तहसील जलालपुर, फैजाबाद के भू० पू० प्रधान व ग्राम के कुछ प्रभावी व्यक्तियों तथा लेखपाल आदि की सांठ-गांठ से फर्जी मुकदमा चला कर लोगों को ऊसर, बंजर, तालाब एवं आबादी की भूमि को अवैधानिक ढंग से बैनामा करके खतौनी में अमल दरामद करवायी गयी है ? क्या यह सही है कि जो मुकदमें चलाये गये थे, वे फर्जी थे ? यदि हां, तो क्या तत्काल समस्त अमल खारिज करके सभी भूमि/तालाब को ग्राम सभा में दर्ज करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कराकर कार्यवाही कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत समाज कल्याण द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं वितरण प्रक्रिया का सरलीकरण

152–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्र-वृत्ति स्वीकृत एवं वितरण हेतु जनप्रतिनिधियों की समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र स्तर पर और कितनी ? क्या इन समितियों की वर्ष 1991 में बैठक बुलाई गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान शासन ने छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण प्रणाली का सरलीकरण व विकेन्द्रीकरण किया है ? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ? क्या इस पद्धति से कार्य संचालन शुरू कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या 3492/26-3-91-4(215)/90 दिनांक 4-10-91 द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया का सरलीकरण व विकेन्द्रीकरण किया गया है । छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं वितरण प्रक्रिया का उल्लेख उक्त शासनादेश में है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के समाज कल्याण विभाग को दाह संस्कार हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

153–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बांदा को वर्ष 1991-92 में अकिंचनों के दाह संस्कार हेतु अनुदान की धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या यह भी बतायेंगे कि दिसम्बर, 1991 तक इस स्वीकृत धनराशि में से ब्लाकवार कितना धन अनुदान में दिया जा चुका है ? अनुदान की अधिकतम कितनी धनाराशि दी गयी तथा किसके द्वारा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

मु० 32,000/- की धनराशि इस मद में जनपद बांदा को आवंटित की गयी है ।

दिसम्बर, 1991 तक ब्लाकवार व्यय की गयी धनराशि निम्नवत् है :–

ब्लाक का नाम	व्यय धनराशि
1–तिंदवारी	750
2–चित्रकूट	280
3–मानिकपुर	1,800
4–पहाड़ी	300

5–महुआ	380
6–बड़ोखर खुर्द	450
7–मऊ	1060
8–बबेरू	1200
9–नरैनी	400
योग–	6620

अनुदान की धनराशि अधिकतम 300/- रु० दी गयी ।

पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा ।

जनपद वाराणसी के अधूरी सड़कों को पूरा कराने हेतु शासन से अनुरोध

154–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 245–विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी की लोक निर्माण विभाग की अधूरी सड़कों के लिए पूर्वांचल विकास निधि से धन देने हेतु प्रश्नकर्ता ने परियोजना निदेशक, वाराणसी को पत्र संख्या-ग 472340,ग-472343 के द्वारा प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या उसको 91-92 की योजना में ले लिया जायेगा ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि परियोजना निदेशक वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 5642/ज०रा० पो०-17, दिनांक 1-1-92 के द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया है कि वर्ष 92-93 में इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार कुछ मार्गों के लिए इस वित्तीय वर्ष 91-92 में भी धन देने की अनुमति प्रदान करेगी ताकि उन पर अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

155–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 245–विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी में गंगवा से भीटी, भीटी से पापकपूर, तलुआ मार्ग, दादूपुर से सरांव, वराई से बरजी, चिलबिला से कनिपुर, रघुनाथपुर, बाबतपुर से बड़ागांव तथा खररियां खास, ब्लॉक बड़ागांव, जिला वाराणसी के मार्गों, जिनको लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी ने बनवाया है, पर एक कोट गिट्टी तथा लेपन का कार्य कब किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन मार्गों को शीघ्र धन देकर पूरा करायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत 245-विधान सभा क्षेत्र कोलअसला में प्रश्नगत मार्गों में से केवल बाबतपुर से बड़ागांव तथा खररिया खास मार्ग जिसका विभागीय नाम कुण्डी-कनियर-खररिया-खास है, पर 2.750 कि०मी० लम्बाई में टाप कोट गिट्टी की कुटाई सितम्बर 1991 में की गयी है तथा लेपन का कोई कार्य नहीं हुआ है । अन्य मार्गों पर स्वीकृति के अनुसार मिट्टी/खड़ंजा का कार्य किया गया है ।

उक्त 2.750 कि०मी० स्वीकृत लम्बाई में लेपन का कार्य पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । शेष मार्गों पर लेपन का कार्य स्वीकृत नहीं है । अतः उन्हें लेपित किया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति, स्वीकृति एवं संसाधनों पर निर्भर है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील-निघासन के ग्राम-नौगवां-मजरा बबौरा के निवासी श्री बच्चू पुत्र श्री रेवती को चक पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही

156–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1506/91 श्री बच्चू पुत्र श्री रेवती नि0 ग्रा० नौगवां, मजरा बबौरा, तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन को दि० 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी की मौके पर चक की पैमाइश की जा चुकी है परन्तु सरदार बलबीर सिंह ने अभी तक कब्जा नहीं छोड़ा है । पुलिस बल द्वारा कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील-निघासन के ग्राम-पुरैना के श्री गोकरन पुत्र श्री बावत की भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन

157–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1507/91, श्री गोकरन पुत्र बावत, नि० ग्रा० पुरैना, तहसील निघासन, खीरी की पट्टे की भूमि पर उन्हें कब्जा दिलाने के विषय में उनके प्रार्थना-पत्र सहित परगना अधिकारी निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी को दिनांक 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री गोकरन पुत्र बावत निवासी पुरैना के नाम कोई खाता अंकित नहीं है । चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में दाखिल-खारिज का वाद विचाराधीन है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्रा०-पुरैना के निवासी श्री नरायन पुत्र छेदूदू द्वारा भूमि की मेड़बन्दी करना

158–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1508/91, श्री नरायन, पुत्र श्री छेदूदू, नि० ग्रा० पुरैना, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित, परगनाधिकारी निघासन, खीरी को दिनांक 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । श्री नरायन पुत्र छेद्दू निवासी पुरैना के नाम चक सं०-953, गाटा सं०-2718/0-43, 2764/0-74 डि० बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । मौके पर उक्त गाटा संख्या झील में है जिस पर पानी भरा रहता है । प्रार्थी को नियमानुसार में मेड़बन्दी करानी चाहिये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सलीमपुर के तहसील-निघासन के ग्राम-पसियन पुरवा के निवासी श्री जराखन पुत्र परसाद द्वारा बेदखली का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना

159–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1529/91 श्री जराखन पुत्र श्री परसाद, नि० पसियन पुरवा, तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन, खीरी को दि० 2-12-91 को भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच की गयी । श्री जराखन पुत्र परसाद नि० पसियन पुरवा की भूमि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । पट्टे की भूमि नहीं है । प्रार्थी सक्षम न्यायालय में बेदखली का वाद प्रस्तुत करके न्याय प्राप्त कर सकता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के विरुद्ध अधिक धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में

160–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2939 लेखा रु० लखनऊ 28-6-88 द्वारा कोई सर्कुलर निकाला था ? यदि हां, तो क्या ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची बनायी गयी जिन्होंने वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये अधिकारों से अधिक खर्च किया ? क्या इन सभी लोगों का स्पष्टीकरण मांगा गया एवं कार्यवाही की गयी ? बिना सभी का स्पष्टीकरण मांगे इस पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने का क्या कारण है ? क्या प्रत्येक वर्ष ऐसे लोगों की सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उस सूची को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

161–162–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिए गये]

जनपद बाराबंकी के अस्थायी लोक निर्माण खण्ड में शासकीय वाहनों पर हुए व्यय का विवरण

163–श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में अस्थायी लोक निर्माण खण्ड में शासकीय वाहन उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कितने वाहन किस-किस किस्म के ? विगत दो वर्षों में उन पर अलग-अलग क्या व्यय हुआ ? प्रत्येक वाहन का प्रति किलोमीटर औसत क्या है ? अब तक कितने रुपये का तेल खर्च हुआ ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

इस खण्ड में एक ट्रक व दो जीपें कुल तीन वाहन हैं ।

व्यय के विवरण संलग्न हैं ।

ट्रक का औसत 4 कि०मी० प्रति लीटर तथा दोनों जीपों का औसत 8 कि०मी० प्रति लीटर है ।

विगत दो वर्षों में कुल रुपये 2,02,355.40 का तेल खर्च हुआ ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 225 पर)

जनपद उन्नाव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री महेश्वर दयाल त्रिपाठी की मृत्यु तथा राजकीय सम्मान हेतु नायब तहसीलदार की मृतक के आवास पर उपस्थिति

164–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेश्वर दयाल त्रिपाठी की मृत्यु कब हुई ? क्या यह सच है कि स्व० त्रिपाठी का दाह संस्कार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शव को दिए जाने वाले राजकीय सम्मान के साथ नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो दाह संस्कार के समय कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे ?

श्री उमानाथ सिंह–

जनपद उन्नाव के श्री महेश्वर दयाल त्रिपाठी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु दिनांक 9-1-1992 को हुई ।

जी नहीं ।

स्व० श्री त्रिपाठी की मृत्यु की सूचना दिनांक 10-1-92 को अपरान्ह 1.05 बजे प्राप्त होने पर जब राजकीय सम्मान हेतु नायब तहसीलदार उनके आवास पर पहुंचे तो मृतक के पुत्र श्री आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि वह मृतक का दाह-संस्कार कर चुके हैं । तथापि नायब तहसीलदार द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मृतक के पुत्र को शासन की ओर से देय धनराशि रु० 1,000 देकर मृतक को सम्मान दिया गया ।

जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज में विगत पांच वर्षों में वसूल की गई धनराशि का विवरण

165–श्री हरदेव सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद की नवाबगंज तहसील में विगत पांच वर्षों में कितनी धनराशि वसूल होती थी उसमें से कितनी धनराशि वसूल हुई व कितनी बकाया है ? माह मार्च, 1992 तक कितनी राजस्व की पूर्ति होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद बाराबंकी की नवाबगंज तहसील में विगत पांच वर्षों में रुपया 10,61,78,103 की धनराशि वसूल होनी थी, उसमें से 4,67,72,669 की धनराशि वसूल हुई व 5,94,05,434 की धनराशि वसूली हेतु शेष रही है । माह मार्च 1992 तक रुपया 1,75,00,000 की राजस्व की पूर्ति सम्भावित है ।

भूमि नीलामी के दौरान जमींदारी विनाश व भूमि सुधार नियमों के उल्लंघन की जांच

166–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि नीलामी के दौरान जमींदारी विनाश व भूमि सुधार नियमों का उल्लंघन करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-1-92,पत्रांक 23/92,अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को अनेक तथ्यों के संलग्नकों सहित प्रेषित पत्र जिसकी प्राप्ति उन्होंने अ०शा० पत्र सं–394/नि० सचिव, दिनांक 14-1-92 के माध्यम से स्वीकार की है, तथ्यों की जांच किसने की ? क्या जांच के दौरान अधिकारी ने प्रश्नकर्ता से भी बात की ? जांच निष्कर्ष क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । पत्र दिनांक 9-1-92 प्राप्त हुआ है । पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल को निदेशित कर दिया गया है ।

अभी जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर निष्कर्ष से अवगत करा दिया जायेगा ।

जनपद बांदा के ब्लाक चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम-परसौजा की विकलांग महिला सहदेइया को भरण-पोषण अनुदान की धनराशि का भुगतान

167–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम परसौजा की विकलांग महिला सहदेइया पत्नी मेखइया को वर्ष 1990 व 1991 की पेंशन/अनुदान धनराशि नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके पूर्व के वर्षों में चेक व्यवस्था से टी० जी० वी० कहेटा में भेजकर पेंशन/अनुदान दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो चेक व्यवस्था बदलने का क्या औचित्य है ? क्या इसको चेक द्वारा विगत वर्षों की पेंशन धनराशि दी जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्नगत महिला को वर्ष 1990 व 1991 के विकलांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

इसके पूर्व के वर्षों में रेखांकित चेक के माध्यम से भी भुगतान किया जाता रहा है । चेक लाभार्थियों के नाम से निर्गत की जाती थी जिसका भुगतान वह किसी भी बैंक/डाकघर में खाता खोलकर प्राप्त कर सकता था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति विधवा एवं विकलांग को दिये गये अनुदानों का विवरण

168–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बांदा द्वारा छात्रवृत्ति विधवा एवं विकलांगों को अनुदान वितरण के कार्य में अभियान के रूप में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद बांदा छात्रवृत्ति विधवा व विकलांगों को अनुदान दिए जाने सम्बन्धी वर्ष 1991 के वितरण हेतु अलग-अलग कितनी धनराशि दिसम्बर, 91 तक प्राप्त हुई है ? उसमें उक्त मदों में अलग-अलग कितना वितरण किया गया है ? क्या उक्त मदों में वर्ष 1990 में स्वीकृत/प्राप्त कर्त्ताओं की देय राशि शेष है ? यदि हां, तो मदवार अलग-अलग कितने ? क्या उन्हें प्राथमिकता में अदायगी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जनपद बांदा में माह दिसम्बर 1991 तक छात्रवृत्ति हेतु रु० 82.84 लाख विधवा भरण पोषण अनुदान हेतु रु० 42.235 लाख तथा निराश्रित विकलांग भरण पोषण हेतु रु० 10.256 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है ।

जनपद बांदा में माह दिसम्बर 1991 तक छात्रवृत्ति मद में रु० 53.541 लाख विधवा भरण पोषण अनुदान मद में रु० 28.36 लाख तथा विकलांग भरण पोषण अनुदान मद में रु० 6.594 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है ।

जी हां ।

विकलांग अनुदान (भरण पोषण) मद में रु० 2.66 लाख रुपये की धनराशि ।

जी हां ।

आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर भुगतान के आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 को पुनः जोड़कर शिक्षा संस्थाओं हेतु भूमि की व्यवस्था

169–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 प्रिपरेस में चैरिटेबुल संस्थाओं को निकाल दिया गया है ? जिसमें शिक्षा संस्थायें भी आती थीं जिन्हें गांव सभाओं की भूमि प्रबन्ध समिति मौलिक सम्पत्ति तथा इमारतों के लिये जमीन का प्रस्ताव करके भूमि को देती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धारा 198 को पुनः उक्त अधिनियम में जोड़ कर सिर्फ शिक्षा संस्थाओं के लिए भूमि की व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 की उपधारा (1) में 19 अगस्त, 1975 के पूर्व शिक्षा संस्थाओं को कृषि, बागवानी तथा पशुपालन से संबंधित शिक्षण तथा शोध कार्य के लिए भूमि देने का प्राविधान था, जिसे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30/1975 की धारा 24 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 198 में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया है । अब शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ धारा 198 में संशोधन का औचित्य नहीं है, क्योंकि भूमि सुधार नीति के अन्तर्गत गांव सभाओं में निहित कृषि योग्य भूमि की पात्रता में समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को ही रखा गया है और शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गांव सभा से भूमि अधिनियम की धारा 117 (6) के अन्तर्गत पुनर्ग्रहीत करके उपलब्ध कराई जा सकती है

जनपद मऊ में चकबन्दी संबंधी सर्वेक्षण के निर्देश

170–श्री लाल जी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री नवसृजित जनपद मऊ के विगत बाढ़ क्षेत्र घोषित ग्रामों सनेकपुर तथा रतनपुर मठिया, तहसील व जनपद मऊ में चकबन्दी कराने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या चकबन्दी न कराने से बाढ़ क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

चकबन्दी के संबंध में क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं ।

171-172_श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाये गये]

जनपद रामपुर के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा रिक्त प्लाटों के आवंटन का प्रकरण

173–श्री हरिवंश सहाय–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० ने अपने पत्रांक 30-74(7)/विकास/स०क०/91-92/ लखनऊ, दिनांक 13 नवम्बर, 1991 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर को अनुसूचित जाति के रामपाल व राजू पुत्र बल्देव 181, आवास विकास कालोनी, नूरमहल, रामपुर को फ्लोर इण्डस्ट्री एवं राइस इण्डस्ट्री स्थापित करने हेतु औद्योगिक आस्थान में रिक्त प्लाटों को आवंटित करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भेजा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त रिक्त प्लाट का आवंटन कर दिया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो उसे कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह भी सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर ने कुछ ऐसे लोगों के नाम वर्ष 1988, 1986, 1982 में रिक्त प्लाटों का आवंटन किया है , वे सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि वे लोग दूसरे जनपदों के रहने वाले हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के बाई-पास व स्टेडियम के निर्माण कार्य पर हुए व्यय का विवरण

174–श्री अनिल कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर में बाई पास व स्टेडियम बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ? उस पर कितना कार्य शेष है तथा कितना कार्य किया जा चुका है ? उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया जा चुका है तथा यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

सीतापुर बाईपास के द्वितीय चरण में 100 प्रतिशत पी० डी० की मिट्टी का कार्य, मेटलिंग का कार्य, सरायन नदी पर सेतु निर्माण तथा रेलवे लाइन पर उपरिगामी सेतु का कार्य शेष है । बाईपास पर प्रथम चरण में 95 प्रतिशत पी०डी० की मिट्टी का कार्य तथा पुलियों का कार्य किया जा चुका है ।

स्टेडियम के मुख्य भवन की दो तिहाई छतें डाली जा चुकी हैं एवं बाउन्ड्री वाल का निर्माण किया जा चुका है तथा मुख्य भवन का अधूरा कार्य ट्यूबवेल का निर्माण, पहुंच मार्ग का निर्माण व खेल मैदान का समतलीकरण इत्यादि कार्य शेष हैं ।

बाईपास के कार्य हेतु वर्ष 1991-92 में 10.00 लाख रु० का आवंटन किया जा चुका है । स्टेडियम के कार्य पर कुल 9.85 लाख रु० का आवंटन हुआ है जो पूर्णतः व्यय किया जा चुका है ।

बाईपास एवं स्टेडियम सम्बन्धी अवशेष कार्य पूरा किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा के ग्राम-साड़ी में सस्ते गल्ले व राशन की दुकान में अनियमितताओं की जांच तथा दुकान का अनुबन्ध निरस्त किया जाना

175–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी बांदा को ग्राम साड़ी के सस्ते गल्ले व राशन की दुकान में किशोरी लाल गुप्ता द्वारा भारी भ्रष्टाचार किये जाने एवं राशन की काला बजारी करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-घ 305772 दिनांक 3-1-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच करायी गयी और जांच में पायी गई अनियमितताओं के फलस्वरूप श्री किशोरी लाल गुप्ता, उचित दर के दुकानदार का अनुबन्ध पत्र निरस्त कर दिया गया है ।

176–श्री विजय सिंह राणा–

[दिनांक 27-2-92 को अता० प्र० सं० 4 द्वारा उत्तरित]

177–श्री अनिल कुमार–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स के नियमितीकरण की प्रक्रिया

178–श्री अनिल कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1991 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा मस्टर रोल, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के प्रतिनिधियों से निगम में दैनिक वेतन पर वर्षों से कार्यरत इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में कोई लिखित समझौता किया गया था ? यदि हां, तो समझौते के मुख्य बिन्दु क्या थे ? किन-किन बिन्दुओं का पालन प्रबन्धतंत्र द्वारा अब तक किया जा चुका है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त समझौता उप-श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा पंजीकृत भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसके अनुपालन में विलम्ब का मुख्य कारण क्या है ? इसके लिये निगम के कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

समझौते के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे :–

1–जिन मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स को 31-7-90 को दो वर्ष पूरे हो गये हैं, उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया विभागीय परीक्षा लेकर माह फरवरी, 91 में अपनाई जायेगी ।

2–जिन मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स को उक्त विभागीय परीक्षा में उपयुक्त पाया जायेगा, उन्हें मेरिट एवं उपलब्ध पदों के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा एवं शेष को अग्रिम परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति की जायेगी । परन्तु दो लगातार परीक्षाओं में अनुपयुक्त पाए गए मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स के विषय में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध तंत्र को होगा ।

3–जिन मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स को 31-7-91 को दो वर्ष पूरे होंगे उनके साथ भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

4–यह प्रकरण भविष्य की किसी श्रेणी (तकनीकी/गैर तकनीकी) के पदों की चयन प्रक्रिया के लिये पूर्वाधार अथवा मापदण्ड नहीं होगा ।

1–समझौते के बिन्दु–1 एवं 3 के अनुसार विभागीय परीक्षा कराई जानी थी । समझौते के बिन्दु–1 के अनुक्रम में जिन मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स को 31-7-90 को दो वर्ष पूरे हो गये थे, उनकी चयन समिति द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार लेकर सफल अभ्यर्थियों को माह मार्च 1991 में उपलब्ध सृजित पदों के विरुद्ध नियमित प्रतिष्ठान में ले आया गया।

2–इसके अतिरिक्त समझौते के बिन्दु–3 के अनुसार जिन मस्टर रोल इंजीनियर्स को 31-7-91 को दो वर्ष पूर्ण हो गये, के बारे में कार्यवाही प्रस्तावित थी, परन्तु मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने 24 अक्टूबर, 1991 के एक पत्र द्वारा अनुरोध किया कि जिन मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स ने 31-10-91 तक दो वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, उनको परीक्षा में सम्मिलित किया जाय । इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

जी हां ।

उक्त उप प्रस्तर–2 के परिपेक्ष्य में समझौते के अनुपालन में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु दिये गये ऋण का उपयोग

179–श्री अनिल कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा वर्ष 1987, 1988, 1989, 1990 एवं 31 दिसम्बर, 1991 तक भवन निर्माण हेतु निगम के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को कितनी-कितनी धनराशि भवन निर्माण हेतु ऋण के रूप में प्रदान की गयी है ? इनके द्वारा किस-किस जनपद में भवन निर्माण कार्य अब तक कराया गया है ? उक्त ऋण वसूली हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा वर्ष 1987, 1988, 1989, 1990 एवं 31 दिसम्बर, 1991 तक जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण/भवन क्रय/भूमि क्रय हेतु ऋण के रूप में धनराशि प्रदान की गई है, उनके विवरण संग्लन हैं । †

उक्त ऋण की वसूली सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से "बन्धक प्रपत्र" प्राप्त किया जाता है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भवन अग्रिम धनराशि के बराबर

---

† छापी नहीं गयी ।

कर्मचारी का बीमा कराया जाता है । भवन अग्रिम धनराशि की वसूली अधिकारी/कर्मचारी को प्रथम किस्त के भुगतान के अगले माह से उनके वेतन से प्रारम्भ कर दी जाती है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कार्मिक विभाग में कार्यरत सहायक प्रबन्धक श्री हुमायूं नदीम द्वारा पद का दुरुपयोग

180–श्री अनिल कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कार्मिक विभाग में कार्यरत सहायक प्रबन्धक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये पूर्व में की गयी अपनी ही जांच से सम्बन्धित एक अति गोपनीय पत्रावली संख्या–ई०/आर०/-11 ए०/आर०एन०एन०/85-86 गायब कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी कार्मिक विभाग की एक महत्वपूर्ण पत्रावली उक्त अधिकारी द्वारा गायब कर देने के कारण ही इन्हें इससे पूर्व भी निलम्बित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त आचरण के लिये दोषी अधिकारी को निगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्मिक विभाग में बनाये रखने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इन्हें यहां से तत्काल स्थानान्तरित करके पूर्ण जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्री हुमायूं नदीम, जो उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) का कार्य देख रहे है, द्वारा सहायक स्थानिक अभियन्ता, सिविल/विद्युत यांत्रिक के चयन सम्बन्धी मूल पत्रावली सं०–ई आर–11 ए/आरएनएन/85-86 खो दी गई थी जिसे पुनर्गठन कर लिया गया है । पुनर्गठित पत्रावली में श्री नदीम के विरुद्ध जांच की गई थी, जो कार्यालय में उपलब्ध है ।

चयन सम्बन्धी उपर्युक्त पत्रावली एवं चयन समिति के कार्यवृत्त की पंजिका खो देने के आरोप की जांच के दौरान श्री नदीम को निलम्बित किया गया था । इससे पूर्व उन्हें निलम्बित नहीं किया गया था ।

उपरोक्त अभिलेख खो जाने के पीछे श्री नदीम की कोई कदाशयता जांच में नहीं पाई गई । अतः उन्हें कार्मिक विभाग में बनाये रखा गया ।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच पहले ही की जा चुकी है । अतः इन्हें यहां से स्थानान्तरित करके इसी प्रकरण पर दुबारा जांच कराने का औचित्य नहीं है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सभा–पमोली में प्रधान व लेखपाल द्वारा किये गये पट्टों की जांच

181–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर की ग्राम सभा पमोली में ग्राम समाज की भूमि जिसका रकबा 11/(दस बिस्वा) है, का पट्टा कल्लू, राम लगन, रामफेर, काशी, हरिश्याम, राम चेत, राम किशोर, भागी व राम आसरे को वर्ष 1990 में ग्राम प्रधान चन्द्र पाल सिंह व सम्बन्धित लेखपाल श्री जय राम वर्मा व बद्री प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टा करने की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

182–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई की ग्राम सभा बावन के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित पट्टों की जांच

183–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की ग्राम सभा बावन के किन-किन भूमिहीन हरिजनों को नायब तहसीलदार बावन द्वारा वर्ष 1990 में सीलिंग भूमि पट्टे पर आवंटित कर कब्जा दिलाया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त ग्राम में कुछ भूमिधर हरिजनों को भूमि पट्टे किये हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

परगनाधिकारी हरदोई द्वारा दिनांक 12-9-90 को अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों सर्वश्री राजकुमार पुत्र श्री मक्का, राजकुमार पुत्र श्री नोखेलाल, शिवचरन पुत्र श्री चुन्नी उर्फ कट्टू, देवी सहाय पुत्र श्री कल्लू को ग्राम सभा बावन की सीलिंग भूमि पट्टे पर आवंटित कर नियमानुसार कब्जा दिलाया गया ।

हां, उपरोक्त चार भूमिहीन व्यक्तियों के अतिरिक्त दो अल्प भूमि वाले सर्वश्री नरायन तथा भोला जो अनुसूचित जाति के हैं को भी पट्टा किया गया ।

इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद बाराबंकी के तहसील–रामसनेही घाट के कतिपय व्यक्तियों को पेड०ए०आर० जी० बाण्ड उन्हें वापस किये जाने की मांग

184–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के तृतीय मंगलवार (12 मार्च, 1991) को निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–133 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुनर्वास अनुदान के 5,200 रुपये के बाण्ड इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट के अन्तर्गत अटैच होकर बैलेबुल में रखे हैं वे किन-किन कृषकों के हैं ? संदर्भित पुनर्वास अनुदान की धनराशि को वितरण करने में क्या अवरोध है ? सरकार उन अवरोधों को कब तक दूर करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्तमान में पुनर्वास अनुदान बाण्ड वितरण हेतु अवशेष नहीं है । विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 133 में सूचना दी गयी थी कि पुनर्वास अनुदान के 5,200 रु० के बाण्ड इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट के अन्तर्गत अटैच होकर बैलेबुल में रखे हैं, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बाराबंकी से वर्तमान में प्राप्त सूचनानुसार उक्त बाण्ड कुतबुद्दीन पुत्र श्री वजीरूद्दीन निवासी बड़ागांव के नाम बना था । मुकदमा नं० 382/1-4-75 द्वारा कुतुबुद्दीन पुत्र वजीरूद्दीन

निवासी बड़ागांव के वारिस के रूप में मोहसिना पुत्री कुतुबुद्दीन निवासी बड़ागांव का नाम विवरण कालम में दर्ज किया गया है जिसका भुगतान पुनर्वास अनुदान आकार पत्र 32 के क्रमांक 5244 पर दिनांक 10-12-75 को दिखाया गया है ।

पूर्व में दी गयी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कराने एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिनांक 28-3-92 को दे दिये गये हैं ।

जनपद फतेहपुर के बिन्दौर से इछावर के बीच यमुना नदी पर पुल बनाने की मांग

185–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में ग्राम बिन्दौर व इछावर के बीच यमुना नदी पर पीपे का पुल का निर्माण शासन के पत्र संख्या 873 ई/23 लो० नि०–11/135 ई/90, लखनऊ 1-4-91 पेज नं० 23 फतेहपुर क्रम संख्या 3 लागत 15 लाख रुपये का स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा कब तक बिन्दौर से इछावर के बीच यमुना नदी पर पुल का निर्माण शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं, प्रश्नगत स्वीकृति शासनादेश सं०–871 ई/23 लो० नि०–11/135 ई/90, लखनऊ 1-4-91 द्वारा रु० 15 लाख की लागत पर प्रदान की गई थी ।

प्रश्नगत पीपे के पुल के निर्माण की स्वीकृत लागत में पान्टूनों एवं कुछ अन्य सामग्रियों की लागत का प्राविधान नहीं था । तद्हेतु आवश्यक 90 पान्टून व कुछ अन्य सामग्रियों के उपबन्ध न होने के कारण प्रश्नगत पान्टून पुल का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका । सम्प्रति प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु आवश्यक पान्टूनों एवं अन्य सामग्रियों की लागत सहित कुल अनुमानित लागत रु० 231 लाख है ।

कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद महराजगंज की समस्त तहसीलों में चकबन्दी द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जांच

186–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के बढ़या एहतमाली, बढ़या मुस्तफिल, बनकेसिया ग्रामों में चकबन्दी के दौरान उक्त ग्रामों की कुछ भूमि पर ग्रामीणों के आकार पत्र–5–के आधार पर कब्जे को न मानते हुये फर्जी नामों पर फैसले आदि किये गये हैं जिनसे व्यापक अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया है ? क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग से करायेंगे ? क्या पूरी चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त कराकर पुनः उक्त ग्रामों में चकबन्दी के आदेश दिए जाएंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सीलिंग की जमीनों पर दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं ? क्या ऐसी जमीन अतिरिक्त घोषित होने पर नियमों के अन्तर्गत आवंटन की कार्यवाही से बांटे जाते हैं ? यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

ग्राम बढ़या मुस्तकिल का धारा 52 भी हो चुका है । मामले की जांच उप संचालक चकबंदी, गोरखपुर द्वारा करायी गयी और अनियमितताओं का निराकरण जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत संदर्भ के माध्यम से सम्भव पाया गया जिसके सम्बन्ध में निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं । पुनः चकबन्दी कराने का औचित्य नहीं पाया गया ।

ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है ।

जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं के ग्राम–लोरिका में अवैध कब्जों की जांच

187–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद की तहसील मड़ियाहूं के ग्राम–लोरिका की ग्राम सभा की आबादी चकरोड, चारागाह पर कुछ अवांछनीय तत्वों के अवैध कब्जा किये जाने विषयक अनेक ग्रामवासियों श्री राम आसरे मुरली, नन्द लाल आदि के दिनांक 30-11-91 पत्रांक–255/91 का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित उन्हें मिला है ? क्या सरकार अवगत है कि तत्कालीन राजस्व मंत्री को दिनांक 21-3-90 को दिये गये प्रश्नकर्ता के पत्र पर जिलाधिकारी, जौनपुर को निर्देश भी जारी किये थे ? यदि हां, तो शिकायती पत्र की जांच किस अधिकारी ने की और जांच निष्कर्ष के प्रमुख बिन्दु क्या थे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

तथाकथित पत्र दिनांक 27-3-90 का है, जिस पर तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा दिनांक 30-3-90 को जिलाधिकारी, जौनपुर को निर्देश अंकित किये गये थे ।

जांच नायब तहसीलदार कस्बा द्वारा की गई तथा जांच निष्कर्ष के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1–इस ग्राम का नक्शा सही नहीं है क्योंकि नक्शे के अनुसार भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं है ।

2– नक्शा दुरुस्तगी के सम्बन्ध में उप संचालक चकबन्दी द्वारा दिनांक 24-8-84 को आदेश पारित किया गया है जो चकबन्दी अधिकारी, मछलीशहर के स्तर पर विचाराधीन है ।

3–चकरोड अवरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में जांच से स्पष्ट हुआ कि ग्राम लोरिका में तीन चकरोड, संख्या 230, 496, 487 का सीमांकन किया गया है तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिट्टी डाली गई है ।

4–आवेदन कर्ताओं की आबादी गाटा संख्या–445 में काफी अरसे से है, उक्त गाटा दौरान चकबन्दी अभिलेख में श्रीनाथ तथा हीरालाल आदि की भूमिधरी दर्ज हो गई । उक्त गाटे के भूमिधर आवेदनकर्तागण को भूमि खाली करने के उद्देश्य से परेशान करते हैं ।

विधान सभा के बारा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण में व्यय हुई धनराशि का विवरण

188–श्री राम सेवक सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारा विधान सभा में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 89-90, 90-91 में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया ? उसमें कितनी धनराशि व्यय हुई और कितनी अवशेष है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

बारा विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 89-90, 90-91 में क्रमशः रु० दो लाख अस्सी हजार एवं रु० 33.68 लाख स्वीकृत किये गये।

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 226 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगंज को तहसील बनाने की मांग

189–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़ नामक नयी तहसील बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना को कार्य रूप देने का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? क्या यह सच है कि जिले की नौगढ़ तहसील में 6 विकास खण्ड आते हैं ? क्या यह भी सच है कि नौगढ़ तहसील की लम्बाई पूरब से पश्चिम 50 कि० मी० से भी ऊपर है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी हां।

चकबन्दी विभाग के निर्धारित अवधि में सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन, जी०पी०एफ० व सामूहिक बीमा की धनराशि के भुगतान के निर्देश

190–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में ऐसे कितने अधिकारी व कर्मचारी है जो जुलाई, 1984 में सेवा निवृत्ति हो गये हैं किन्तु उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली ? क्या सेवा निवृत्ति के उपरान्त मिलने वाली अन्य लाभों से भी उनको वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनको पेंशन तथा अन्य लाभों को दिलाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जनपद आजमगढ़ को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों में चकबन्दी विभाग के कुल 10 अधिकारी/कर्मचारी जुलाई, 1984 में सेवा निवृत्त हुए। सभी सेवा निवृत्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

तीन सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त देय लाभों जैसे जी० पी० एफ०, नकदीकरण तथा सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान करने हेतु आवश्यक निर्देश सम्बन्धित बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को दे दिये गये हैं।

जनपद रायबरेली से एहतमाली क्षेत्र के राजस्व अभिलेख जनपद फतेहपुर को हस्तातरित किया जाना

191–श्री अभिमन्यू सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फतेहपुर में स्थित ग्राम लंहगी से ग्राम कोटिया से ग्राम गताथा तक तटवर्ती गंगा नदी के डेल्लाई मैदान जो फतेहपुर जनपद में स्थित है, उसका राजस्व भूमि का लेखा जोखा जनपद रायबरेली में है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या निकट भविष्य में उक्त डेल्टाई राजस्व भूमि का लेखा जोखा जनपद फतेहपुर से ही किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत ग्राम लंहगी से कोटिया के बीच स्थित सभी ग्रामों के एहतमाली क्षेत्र पहले जनपद–फतेहपुर में ही थे किन्तु 1953 में गंगा नदी की धारा में परिवर्तन के कारण राजस्व अभिलेखों का हस्तान्तरण जनपद रायबरेली को कर दिया गया । इसी प्रकार ग्राम गलाथा से आगे के 14 ग्रामों के अभिलेख गंगा नदी की धारा के परिवर्तन के कारण जनपद उन्नाव को हस्तान्तरित कर दिये गये ।

जनपद रायबरेली को हस्तान्तरित एहतमाली ग्रामों में से ग्राम कोटिया के अतिरिक्त अन्य एहतमाली ग्रामों के अधिकतर क्षेत्र गंगा नदी की धारा में परिवर्तन के कारण पुनः जनपद फतेहपुर की ओर आ गए हैं । जनपद उन्नाव को हस्तान्तरित एहतमाली ग्रामों के अधिकतर क्षेत्र भी अब पुनः गंगा नदी की धारा में परिवर्तन के फलस्वरूप जनपद फतेहपुर में आ गए हैं जिनके राजस्व अभिलेख जनपद फतेहपुर को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिए गए हैं ।

192–श्री अकबर–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के कल्लू, बुझावन के पट्टे की भूमि से सम्बन्धित वाद बन्दोबस्त अधिकारी के चकबन्दी न्यायालय में लम्बित मामले

193–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1156/91 कल्लू, बुझावन इत्यादि को पट्टे की भूमि पर से बन विभाग द्वारा बेदखल करने के सम्बन्ध में दिनांक 8-9-91 को जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पट्टेदारों को पुनः भूमि में दखल दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

पत्र दिनांक 8-9-91 नहीं प्राप्त हुआ बल्कि पत्र संख्या–1156/91 जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र पर जांच करायी गयी ।

भूमि से सम्बन्धित वाद बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी लखीमपुर खीरी के न्यायालय में लम्बित है । न्यायिक निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता रा० मा० सर्वेक्षण खण्ड नं० 2 लखनऊ द्वारा सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण

194–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता रा० मा० सर्वेक्षण खण्ड नं०–2, लखनऊ ने रा० मा०–24 के कि० मी० 478 एच० एम० पी० पर एकत्रित सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण की थी ? यदि हां, तो परीक्षण परिणामों पर सहायक अभियन्ता ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किये ? कौन-कौन सामग्री कितने-कितने प्रतिशत ओवर एवं अंडर साइज पाई गई ? इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जिनके अन्तर्गत सहायक अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो । लेकिन सम्बन्धित अधिकारी से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

6 एम एम ग्रिट 32% से 34% तक, 12.5 एम एम ग्रिट 42% अण्डर साइज पाई गई तथा 20–40 एम एम स्टोन बैलास्ट (25 एम एम) मध्य सीद पर 4% से 15%तक ओवर साइज पाई गई । 10 एम एम ग्रिट 7% तथा 20 एम एम ग्रिट 4% अण्डर साइज पाई गई ।

सभी ग्रिटों को निर्धारित मानकों के अन्दर सही कराने के बाद ही भुगतान किया गया है । अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा के गांव भदहदू को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण की मांग

195–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या 1500 से अधिक आबादी के गांवों को लेपन स्तर तक मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो जनपद बांदा के तहसील कर्वी के अन्तर्गत राजस्व गांव भदहदू की आबादी जो वर्ष 1981 की जनगणना में दो हजार पांच सौ से ऊपर है, को सड़क से न जोड़ने का क्या कारण है ? क्या इसके जोड़ने की कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब और किस विभाग से ? क्या इसका भौतिक सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? क्या गांव सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

कार्य जिला योजना की परिधि के अन्तर्गत आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है । उक्त प्रस्ताव को लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1990–91 तथा 1991-92 में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा गया ।

जी हां । कार्य अधीक्षक विभागीय निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग कर्वी द्वारा इसका भौतिक सत्यापन किया गया है ।

कार्य जिला का होने के कारण इसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद शाहजहांपुर की ग्राम सभा सरजूपुर में वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा आवास बनाने हेतु आवंटित पट्टों की स्वीकृति परगनाधिकारी से न लेने के कारण प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

196–श्री समीउल्ला–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा सरजूपुर में वर्तमान प्रधान ने जब से प्रधान बने हैं आज तक कितने पट्टे भूमि के आवास बनाने हेतु आवंटित किए? क्या इन पट्टों की स्वीकृति परगनाधिकारी तिलहर से ली गयी ? यदि नहीं, तो प्रधान के विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा सरजूपुर में वर्तमान प्रधान द्वारा जब से प्रधान बने हैं , आज तक 25 व्यक्तियों को आवास बनाने हेतु भूमि आवंटित की गई है ।

जी नहीं ।

परगनाधिकारी तिलहर के आदेश दिनांक 28-1-91 के अन्तर्गत प्रधान के विरुद्ध धारा–95 छ (उ० प्र० पंचायत राज एक्ट) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील–हाथरस के स्व० श्री चुन्नीलाल (परिगणित जाति) की भूमि की नीलामी की जांच

197–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़ी तमना, तहसील हाथरस जिला–अलीगढ़ निवासी स्व० चुन्नी लाल (परिगणित जाति) के व्यक्ति की लगभग 3 लाख रुपये की भूमि को हाथरस तहसील के अधिकारियों ने नियम विरुद्ध कागजों में धोखाधड़ी व हेरफेर करके केवल रु० 8295.50 पैसे की विद्युत वसूली हेतु केवल 75000.00 रुपये में नीलाम कर दिया है ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या दिनांक 19-8-90/91 में तहसील के अधिकारियों को दोषी पाकर, उनके विरुद्ध धारा 420–465–467 एवं 471 तथा 120 के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत किए जाने की संस्तुति की गई थी ? क्या राजस्व सरकार द्वारा उक्त जांच में संस्तुत किए गए समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करा दिया गया है ? क्या उनमें से रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या समस्त विवरण सदन की मेज पर रखने की आज्ञा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं मैं नियम–301 ले रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

नोट–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जाएगा मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

अपरिहार्य परिस्थितियों में अति महत्वपूर्ण मामलों को नियम 110 के अन्तर्गत लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने निर्णय लिया था अपने कक्ष में लिया चाहे कार्यमंत्रणा में निर्णय लिया गया था कि 311 और नियम 56 इन नियमों के अन्तर्गत प्रश्न नहीं लिए जाएंगे इसमें सब लोगों ने इसको स्वीकार किया और उसके अनुरूप लिखकर नहीं दिया लेकिन इन नियमों में सूचना न देने के कारण अगर कोई कहीं वर्तमान में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको आपके संज्ञान में लाना आवश्यक हो गया हो तो इसके लिए नियमावली में नियम दिया गया है कि अगर कभी अध्यक्ष पीठ से इस बात की घोषणा हो जाए कि नियमों में प्रश्न नहीं लेंगे और कोई समस्या पैदा हो गई है जिसको सदन के संज्ञान में लाना जरूरी है तो इसमें नियम 110 में प्राविधान कर दिया गया है। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में पैदा हो जाए तो नियम 110 के अन्तर्गत अपनी बात सदन के संज्ञान में ला सकते हैं। मान्यवर, नियम 110 के अन्तर्गत मैं ऐसी ही एक समस्या को उठाना चाहता हूं जसवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के थाने में तीन हरिजनों की हत्यायें हुई हैं हमारा आपसे आग्रह है कि पहले नियम 110 में इसको ले लें उसके बाद नियम 301 ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन यह है कि मुश्किल से एक डेढ़ मिनट 301 की सूचनाओं को पढ़ने में लगेगा। जब 11बजे आपने प्रश्न उठाया था तो मैंने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद आपकी बात को सुन लूंगा तो पहले नियम 301 की सूचनायें लिए लेते हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्रास्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं।

पहली सूचना श्री भागवत पाल जी की है इनकी सूचना बांदा के ब्लाक बडोखर खुर्द के ग्राम मरौली तथा मजरा क्योटरा में पेयजल समस्या के निदान हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री रामगोविन्द चौधरी, श्री अकबर हुसैन की है यह जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी पाग बड़ा मार्ग में ली गई किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है। भोलाशंकर मौर्य जी उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनकी सूचना नहीं ली जा रही है। तीसरी सूचना भी भारत सिंह रावत जी की है इनकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ में कार्यरत विश्लेषकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री रामस्वरूप वर्मा जी की है इन्होंने सूचना विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री धनीराम वर्मा की है यह जनपद इटावा के ब्लाक सहार के ग्राम इमुरा

के कृषकों से फर्जी वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री बाबू खां की है यह हरदोई जिले के ग्राम परियल में कमजोर वर्गों के पट्टेदारों की फसल अराजक तत्वों द्वारा काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री रामकिशन ददाजू की है इन्होंने फिरोजाबाद के हनुमानगंज मोहल्ले में शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज सें उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द के ग्रामों में इण्डिया मार्क-2 के हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भागवन पाल–

[मान्यवर, जनपद बांदा में ब्लाक बड़ोखर खुर्द के ग्राम मरौली तथा मजरा क्योटरा में पीने के पानी की भीषण समस्या है लोग केन नदी का गन्दा पानी पीते हैं जिससे भीषण बीमारी के शिकार होते हैं। इसलिए सर्वे कराकर पांच इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगाना जरूरी हो गया है।

अस्तु आपसे अपेक्षा की जाती है कि पीने के पानी की भीषण समस्या से निपटने के लिए ग्राम मरौली मजरा क्योटरा (बांदा) में पांच इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगवाने की कृपा करें।]

जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी पाक बड़ा मार्ग में ली गयी किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के तहसील-बिलारी में कुन्दरकी पाक बड़ा मार्ग लगभग 22 कि०मी० लम्बी सड़क सन् 1978 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी है। यह सड़क बनकर पूर्ण हुए लगभग 15 साल हो गये किन्तु किसानों की जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे किसानों में शासन के प्रति आक्रोश, क्षोभ एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है तथा किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की भूमि का मुआवजा दिया जाय।]

स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ में कार्यरत विश्लेषकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ लोक महत्व के विभाग राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर ले जाना चाहता हूं यहां के कर्मचारियों का शासन के अनेकों शासनादेशों के पश्चात् भी स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि किसी कर्मचारी की सेवा 15 वर्ष से कम नहीं है। कुछ तो 20-20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। कर्मचारियों में व्यापक असंतोष फैला हुआ है। राजकीय जन विश्लेषक महोदय अपने निजी स्वार्थवश कमियों को छिपाने हेतु

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थायीकरण नहीं होने दे रहे हैं । पुनः आपसे निवेदन है कि विभाग के सम्पूर्ण पद स्थायी हैं । अतः समस्त कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि तुरन्त स्थायी समस्त खाली पड़े पदों पर विश्लेषकों को स्थायी कराने की कृपा करें ताकि विश्लेषको में असंतोष खत्म हो सके और कर्मचारी राहत की सांस ले सके ।]

सूचना विभाग में अनियमितताओं की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामस्वरूप वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सूचना विभाग में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के निम्नांकित तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :-

1–वर्ष 1987 से 1990 तक विभाग के अस्थाई, निसंवर्गीय अराजपत्रित नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लगभग तीस करोड़ रुपयों का आहरण वितरण कराकर घोर वित्तीय अनियमितता की गयी ।

2–अक्टूबर, 1986 से दिसम्बर, 1990 तक "उत्तर प्रदेश पाक्षिक" को बिना प्रकाशित किये लगभग एक करोड़ रुपये का बजट आहरित किया गया ।

3–पूर्व अग्रिमों का समाधान हुए बिना लगभग 80 लाख रुपयों के अग्रिम विभागीय कार्यों के लिये वर्ष 1984 से 1991 तक निकाले गये जिनका कई वर्षों तक समाधान न करके अधिकारियों ने उसे अपने पास रखा ।

4–वर्ष 1989 में एक समाचार एजेंन्सी की टेलीप्रिन्टर सेवाओं को लगभग डेढ लाख रुपये के प्रिआडिट बिल का दोहरा भुगतान किया गया ।

5–पी०एल०ए० में वर्ष, 1986-87 में रुपये 36,870.05, 1987-88 में 9,20,103.00, 1988-89 3,69,078.45, 1989-90 में, 4,77,653.00 एवं 1990-91 में 43,38,191.80 कुल लगभग रुपये 61,41,896.50 अक्टूबर, 1991 तक शेष था वर्षवार धन सरकार को वापस न करके रोके रखना अधिकारियों की बदनियती, भ्रष्टाचार और पी०एल०ए० के खाते का दुरुपयोग है । उक्त मामले में लगभग 3–4 करोड़ रुपयों का घपला करके व्यक्तिगत लाभ उठया गया ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में सर्तकता विभाग द्वारा जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग करता हूं ।]

जनपद इटावा के ब्लाक सहार के ग्राम-इमुरा के कृषकों से फर्जी वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनीराम वर्मा–

[मान्यवर, हमारे जनपद इटावा के ब्लाक सहार के ग्राम इमुरा में एक गूल की थोड़ी खुदाई नाले के स्वरूप में सरकार द्वारा कराई गई थी । जिसमें अधिकतम व्यय 5 हजार रुपया हुआ होगा । उस गूल को पक्का निर्माण कार्य दिखाकर 50 हजार से ऊपर उक्त ग्राम के किसानों से धन वसूला जा रहा है और कृषकों के फर्जी भुगतान न किये जाने पर उत्पीड़त किया जा रहा है । जिससे समूचे ग्राम के कृषक भयभीत हैं और शासन के प्रति फर्जी वसूली के लिए क्षोभ एवं क्रोध है ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं लोक महत्व के उक्त विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि फर्जी वसूली अविलम्ब रोकी जाय एवं फर्जी ढ़ंग से खुदाई टैक्स लगाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय और उसे निरस्त किया जाय ।]

जनपद हरदोई के ग्राम परियल में कमजोर वर्ग के पट्टेदारों की फसल अराजक तत्वों द्वारा काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू खां–

[मान्यवर, पूरे हरदोई जनपद में पिछड़ी व अनुसूचित जातियों की तैयार फसलें दबंग लोगों द्वारा काटी जा रही हैं, दबंगों को स्थानीय पुलिस व तहसील प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है इससे पूरे जनपद में दहशत है । ग्राम परियल तहसील शाहाबाद में पट्टेदार विश्राम, मिठ्ठू, नोखे, कंधई, गुरदयाल, रामरतन, मिश्रीलाल, अहिवरन व राम भजन की तैयार सरसों की फसल लगभग 30 एकड़ दबंगों द्वारा काट ली गयी इसकी सूचना शाहाबाद की पुलिस को लिखित रूप में दी गयी । परगनाधिकारी शाहाबाद व जिला अधिकारी को भी बताया गया आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।]

इससे आम जनमानस में दहशत व रोष है । विषय लोक महत्व का है । अतः इसे आदरणीय सदन की जानकारी में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता है ।]

फिरोजाबाद के हनुमानगंज मोहल्ले में शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशन ददाजू–

[मान्यवर, दिनांक 31-3-92 को जनता द्वारा फिरोजाबाद में हनुमानगंज के मोहल्लों द्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन धरना दिया जा रहा था । पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिससे महिलाएं गम्भीर रूप से घायल हुई हैं यह शर्मनाक तथा गम्भीर घटना है आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं सरकार का वक्तव्य कराया जाय । अति कृपा होगी ।]

जनपद इटावा के जसवन्त नगर क्षेत्र में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर विचार

* श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, प्रश्न काल शुरू होते ही मैंने इटावा जनपद इटावा में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की कल रात हत्या किये जाने का मामला उठाया था । श्रीमन्, हमारे प्रदेश में चुन-चुन कर जहां कहीं विपक्षी नेताओं के क्षेत्र हैं, विपक्षी विधायकों के क्षेत्र हैं वहां चुन-चुन कर कमजोर वर्ग के लोगों की हत्यायें हो रही हैं । मैं अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याओं का मामला उठा रहा हूं और सामने बैठे हुये लोग हंस रहे हैं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हरिजनों की हत्याओं के मामले में सरकार कितनी गम्भीर है । जिन लोगों को मारा गया है उनका कुसूर केवल इतना था कि गत उप चुनाव में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने माननीय मुलायम सिंह का समर्थन किया था उनके लिये वोट जुटाये थे और कांशीराम जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका प्रचार किया था, उनका झंडा गाड़ा था, उनके लिये काम किया था। सरकार ने बदले की भावना से यह कार्य किया है। जो लोग मारे गये हैं उनमें से श्री नानक चन्द्र आयु 45 वर्ष नि० थाना जसवन्त नगर, कोमल सिंह पुत्र नानक चन्द्र आयु 16 वर्ष, रामनाथ नि० थाना जसवन्त नगर, इनको मारा गया और फांसी पर भी लटकाया गया।

इन लोगों की जघन्य हत्यायें की गयीं हैं। चूंकि यह लोग मुलायम सिंह के समर्थक थे इसलिये समाजवादी जनता पार्टी से जुड़े हुये लोगों को चुन-चुन कर मरवा देना चाहते हैं। मान्यवर, इसके पहले राजाराम दोहरे को पुलिस ने मारा था। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने उनको अंगरक्षक दिया था, मा० नारायण दत्त तिवारी ने उनको अंगरक्षक दिया था और माननीय मुलायम सिंह ने उनको अंगरक्षक दिया था। उनका अंगरक्षक हटा दिया गया और पुलिस ने उनको मार दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मुलायम सिंह जी का नाम लेने वाले, उनका समर्थन करने वाले तथा कांशीराम का नाम लेने वालों का कोई अपराध नहीं है अपराध केवल इतना है कि जो इस देश की सड़ी गली वर्ण परम्परा पैदा हो गयी और वह एक खास परिवार में पैदा हो गये इसलिये उनको मारा जा रहा है। यह एक सोची समझी रणनीत के अन्तर्गत हो रहा है। इससे गम्भीर प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, राजेन्द्र सिंह यादव को भी इसके पहले मारा गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। माननीय मुलायम सिंह जी इस देश और प्रदेश के सम्मानित नेता हैं। उनके समर्थकों को अगर इस तरह से मारा जायगा तो यह प्रदेश और सदन नहीं चलेगा। इससे गम्भीर प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है। इसलिये इसको सुनने की कृपा करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

(मा० संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर।)

(शोर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमें सुनने की कृपा करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है इस पर हम लोगों को सुनने की कृपा करें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं। शान्ति बनायें रखें।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, इस सरकार के मंत्री इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या कराते रहे तो स्थिति बड़ी गम्भीर होगी। हरिजन विरोधी यह सरकार है। यह एक गम्भीर मामला है। आप सुन लें (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, ये शांत हो जायं और मेरी बात सुन लें फिर समाधान न हो तो बोल लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

(घोर व्यवधान के मध्य) .... यह सदन नहीं चलेगा ।

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप सब कृपया बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पहले सुन लीजिये । मेरी बात सुनने से समाधान न हो तो फिर बोल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सुनना ही नहीं चाहते ।

(माननीय सदस्य अपने आसनों पर खड़े खड़े [x x x] के नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य) कृपया शांत हो जायं । कुछ भी नहीं लिखा जायगा, न किसी माननीय सदस्य का नाम लिखा जायगा न उसकी कोई बात लिखी जायगी । मैं समाचार पत्रों को निर्देश दे रहा हूं कि इस सदन में ये जो घटनाएं उठी हैं, न उन घटनाओं का उल्लेख किया जायगा, न माननीय सदस्यों की उसके सम्बन्ध में कोई बात लिखी जायगी । आज ऊर्जा विभाग की मांगों पर मतदान के पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस घटना पर अपना वक्तव्य दे देंगे । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में यह बात ला रहा हूं । कृपया शांत हो जायं । मैंने व्यवस्था दे दी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे पास पूरी जानकारी है, अभी दे देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जानकारी है तो अभी दे दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पहले दो-दो मिनट सुन लें ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्य/ा के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

एक घटना को संज्ञान में ला दिया गया। मा० संसदीय कार्य मंत्री के पास जो जानकारी हो, दे दें। यह गलत है कि एक बात कहने के बाद उत्तर न सुनें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो सुन लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

(विपक्षी दल के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने पर बराबर व्यवधान बना रहा, जोकि स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा।)

जो आप लोग बोल रहे हैं, यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, इनका एक ही लक्ष्य है, शोर करें और सदन न चलने दें।

(घोर व्यवधान)

(श्री शिव कुमार बेरिया, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री अरविन्द प्रताप, श्री बरखू राम वर्मा, श्री मो० आजम खां, श्री राम औतार शाक्य आदि अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे–[x x x]

संस्कृत भाषा के प्रचार, विकास एवं संस्कृत भाषियों को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री आचार्य जगदीश मुनि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्कृत भाषा के प्रसार, विकास एवं संस्कृत भाषियों को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, निवासी, सी-24 (क), जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1 अप्रैल, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 2 अप्रैल, 1992 से 7 मई, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 3 अप्रैल, 1992 को सदन की बैठक न रखी जाय और उस दिन के लिए निर्धारित लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान रखा जाय।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

2–सदन का दिनांक 2 अप्रैल, 1992 से 7 मई, 1992 तक के तिथिवार अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

<u>अप्रैल, 1992</u>

2 गुरूवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
3 शुक्रवार 4 शनिवार 5 रविवार 6 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
7 मंगलवार	1–निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त) । 2–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
8 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
9 गुरूवार	1–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
10 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
11 शनिवार 12 रविवार 13 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
14 मंगलवार	बैठक (डा० अम्बेदकर का जन्म दिवस का अवकाश)
15 बुधवार	नहीं (महाबीर जयन्ती का अवकाश)
16 गुरूवार 17 शुक्रवार 18 शनिवार 19 रविवार	होगी । (गुड फ्राइडे का अवकाश)

20 सोमवार 21 मंगलवार 22 बुधवार 23 गुरूवार 24 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 शनिवार 26 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
27 सोमवार 28 मंगलवार 29 बुधवार 30 गुरूवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

<u>मई, 1992</u>

1 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
2 शनिवार 3 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
4 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
5 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान ।

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

6 बुधवार 7 गुरूवार	असरकारी दिवस ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता है कि "यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, 1 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट के लिए और बढ़ाया है। इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

जनपद इटावा के जसवन्त नगर क्षेत्र में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता। (क्रमागत)

(सदन की बैठक पुनः प्रारम्भ होने पर)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और यह पूरे प्रदेश का मामला है। सरकार का और हम सब का यह मुख्य कर्तव्य है कि समाज के निर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाय लेकिन ऐसे मामले में असफल है और लोगों को संदेह है कि सरकार के इशारे पर ही यह हो रहा है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इससे बढ़कर गम्भीर मामला और कुछ हो नहीं सकता है। वैसे तो पूरे प्रदेश में हरिजनों के नरसंहार का मामला प्रकाश में आ रहा है। मान्यवर, इटावा में एक घटना पिलखुआ में हुयी थी जिसमें 3 हरिजन मारे गये थे अब आज एक बजे रात को एक दूसरी घटना हो गयी सिधाव में इसमें तीन हरिजन निर्बल वर्ग के लोगों को जान से मार दिया गया है। श्रीमन् सरकार इसको आपसी रंजिश बताती है लेकिन हमारी निश्चित जानकारी है कि इटावा जनपद में विशेष रूप से सरकार अपने राजनैतिक उद्देश्यों की घृणित पूर्ति के लिए, राजनीतिक बदले की भावना से ऐसे काम करवा रही है। श्रीमन्, यह सभी हमारे दल के कार्यकर्ता थे उनको जान से मरवा दिया गया। इस तरह से अब तक 35 लोग इटावा में मारे जा चुके हैं। इसमें पुलिस ने शिथिलता बरती और कहीं न कहीं से हत्यारों को प्रोत्साहित किया है। यह बहुत ही गम्भीर घटना है। पूरे प्रदेश में हरिजनों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनको मारने की घटना को गम्भीरता से लेते हुए इस पर चर्चा कराई जाय और सरकार को स्पष्ट निर्देश दिये जायं कि जो इटावा में बदले की भावना से समाजवादी जनतापार्टी के कार्यकताओं का नरसंहार कराया जा रहा है,इसको रोकने का निर्णय लिया जाय।

* श्री रामगोविन्द चौधरी–

यह बहुत ही गंभीर मामला है मान्यवर। इसको मैं आग्रह करूंगा कि गंभीरता से सुनिये और इस पर गंभीरता से कार्यवाही करवाइये। मान्यवर, मैं जसवन्तनगर गया था। वहां पर चुनाव में हम लोगों ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो परिस्थितियां देखीं तो हम ने महसूस किया कि वहां इटावा में वर्तमान सरकार बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है । मुलायम सिंह यादव के समर्थकों के साथ इतना किसी भी सरकार ने, इतने भेदभाव तरीके से काम नहीं किया है । मान्यवर, वहां पर उस समय सारे पत्रकार भी गये थे उन्होंने वहां पर खुद देखा कि क्या परिस्थितियां थीं । चुनाव होने से कुछ दिन पहले पिलखुआ में 3 हरिजनों को निर्दयतापूर्वक मरवा दिया गया था उसमें एक आदमी को शैडो 3 मुख्य मंत्रियों की संस्तुति पर मिला हुआ था लेकिन इस वर्तमान सरकार ने शैडो हटवा लिया और पुलिस ने मार दिया । वहां चुनाव में जो हुआ, मान्यवर, आप भी उस कुर्सी पर हैं आपके भी कहीं न कहीं यह बात दिमाग में आती होगी..

[समय–1 बजकर 20 मिनट]

जो चुनाव में हुआ वह हुआ । उसके बाद जिन लोगों ने वोट देकर मुलायम सिंह जी को जिताया, साजिश से उनकी हत्यायें करायी जा रही हैं । वहां पर उनकी हत्या की गयी और फिर उनको फांसी पर लटका दिया गया, यह दिखाने के लिये कि देख लो मुलायम सिंह के साथ रहने का क्या नतीजा है । आपका संरक्षण भी चाहूंगा कि सरकार को कड़े निर्देश दें । बदले की भावना से सरकार कार्यवाही करेगी तो आप ही उस पर अंकुश लगायें । अगर मुलायम सिंह जी के समर्थक प्रदेश में नहीं रह पायेंगें तो हम भी मजबूर हो जायेंगे । इस प्रकार की हत्याओं पर रोक लगवाइये । अगले कार्य को वर्तमान परिस्थिति में स्थगित कर दें और इस पर चर्चा करा दें ।

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस सरकार के कृत्यों से हरिजन अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा है । प्रश्न में आपने देखा कि ये हरिजनों को भूमिहीन कर रहे हैं और उनकी [x x x]। सबसे ग़म्भीर बात यह है कि तीन-तीन मुख्यमन्त्रियों ने उसको सुरक्षा दी और जिला जज ने उस हरिजन राजाराम के लिये लिखा कि उसको सुरक्षा प्रदान की जायगी । इससे साबित हो गया कि सरकार ने उस हरिजन की हत्या करायी । पिछले सत्र में भी इस चीज को उठाया था कि तमाम मन्त्रियों ने अपने जिलों में सुनियोजित ढंग से हरिजनों की [x x x]। पिछले चुनाव में इटावा में वहां के लोगों ने इन लोगों का साथ नहीं दिया, इसीलिए हत्याएं हुई । आप इस पर चर्चा करा दें ताकि यह निश्चित चीज सामने आये कि सुरक्षा गार्ड क्यों वापस कर दिये गये ।

*बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इटावा में जसवन्तनगर थाना सिधावर ग्राम मे जहां घटना हुई है यहां अनुसूचित जाति के जाटव और धानुक जाति के लोग रहते हैं । काशीराम जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे । वहां के सारे अनुसूचित जाति के लोगों को महसूस हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ही उनकी रक्षा कर सकती है । इसलिये वहां के लोगो ने उनका साथ दिया । वहां के प्रधान ब्राह्मण हैं, वह चाहते थे कि सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जाने चाहिये । उस बूथ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना झण्डा गाड़ा और उनको वोट दिया और एम०एल०ए० के लिये मुलायम सिंह जी को वोट दिया । अनुसूचित जाति का आदमी क्या अपने मन से वोट नहीं डाल सकता ? उस समय भी उन लोगों को धमकी दी गयी थी कि अगर हमारे कहने पर वोट नहीं डालते हो तो खैरियत नहीं है । ये लोग सर को ऊंचा करके चलना

नोटः– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चाहते थे । क्या एक अनुसूचित जाति की मां की गोद से जन्म लेने वाला आदमी स्वाभिमान और सम्मान से नहीं जी सकता है ? बाहर के लोगों ने उनको गोली मारी, फांसी पर लटकाया और चले गये ।

मान्यवर, इस तरह से जो वहां नृशंस हत्या की गयी, यह स्पष्ट साजिश है सरकार के इशारे पर और उसको दूसरा रंग दिया जा रहा है , कहा जा रहा है कि धानुक और जाटव की लड़ाई थी । मान्यवर, ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी । वहां के सारे के सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एम०पी० के लिये माननीय कांशी राम जी को और एम०एल०ए० के लिये मुलायम सिंह जी को जिताने का काम किया था, इस नाते वहां इन लोगों की निर्मम हत्याएं की गयीं उनको गोली मारी गयी । वहां क्षेत्र में दहशत है । मान्यवर, इन सब बातों पर यदि सदन में गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो जिस तरह से पंजाब कश्मीर जल रहा है, उनके दिल भी धधक रहे हैं, जब उन गरीबों की आवाज विधान सभा में नहीं सुनी जायेगी जब उनकी सहन शक्ति जवाब दे देगी तो एक दिन वह होगा कि मजबूर होकर हिंसा का रास्ता वे अख्तियार करेंगे और इस देश, प्रदेश और इस विधान सभा के लिये वह काला दिन होगा । इसलिये समय रहते उन पर ध्यान दिया जाय । मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय सारे नियमों को निलम्बित कर ताकि सारे मामले स्पष्ट हो जायं ।

नेता विरोधी दल (श्री कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, इस सदन में जब इस तरह की बातें कहते हैं तो मान्यवर, यह सरकार उसको गम्भीरता से लेती नहीं । मान्यवर, जो जसवन्त नगर इटावा में हुआ है वह अपने में महत्वपूर्ण घटना है । यह सरकार किसान विरोधी तो है ही इन्होंने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया । छात्रों पर गोली चलवायी, यह छात्र विरोधी हैं । महिलाओं पर अत्याचार कर यह साबित कर दिया कि यह महिला विरोधी सरकार है । यह तो सर्वविदित है और इन्होंने अपने कृत्यों से साबित कर दिया है कि यह दलित विरोधी सरकार है और दलितों के प्रति इनके मन में नफरत की भावना है । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, खासतौर से दलित वर्ग जो अपने को असुरक्षित न महसूस कर रहा हो । अभी संसदीय कार्य मंत्री कह देंगे कि तीन हरिजनों की हत्या हरिजनों ने की है । सवाल इस बात का नहीं है, कह देंगे कि हत्या रंजिशवश हुई, अगर रंजिशवश हत्याएं न हों तो फिर दुनिया में हत्याएं हों ही न । कोई मारने वाला न हो, तीन आदमी मर गये दलित परिवार के लिए इससे दुखद बात और क्या हो सकती है बार-बार कहते हैं कि सरकार सख्ती से कार्यवाही करेगी लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है । कह देंगे कि सरकार कठोरता से निपटेगी, शासन में हमारा वर्चस्व है, आप भयमुक्त समाज की कल्पना करते हैं राम राज्य की परिकल्पना करते हैं लेकिन आज जो प्रदेश में दिखायी पड़ रहा है पूरा समाज भय से भरा है, कांप रहा है । आज इस सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा किसी व्यक्ति को नहीं रह गयी, पूरा विश्वास लोगों का इस सरकार से उठ गया है । मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर चर्चा कराने के लिये अलग से समय निश्चित करने की कृपा करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जिस घटना का उल्लेख किया सच में बहुत ही गम्भीर है और बहुत दुखद भी है । शासन के पास कोई सूचना नहीं थी नियमानुसार कोई नोटिस नहीं दी गयी लेकिन तत्काल बात कही कि इस समय जानकारी लेकर के हम स्वयं अवगत होना चाहेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

शासन को तो हाटलाइन से इस तरह की घटनाओं की सूचनायें मिलती रहती हैं रूटीन में, यह गुमराह कर रहे हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरा ज्ञान वर्धन किया इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मान्यवर, मैंने जानकारी प्राप्त की और इसीलिए कहा था क्यों कि मैंने तत्काल जानकारी देनी चाही। माम्यवर, यह सही है कि 1, 2 की रात को ग्राम सिरहौल थाना जसवन्तनगर में मानिक चन्द्र, उम्र 50 वर्ष, धमिल सिंह पुत्र मानिक चन्द्र, उम्र 18 वर्ष व राम नाथ पुत्र राम दयाल की हत्या कर दी गयी और एक अन्य व्यक्ति लाखन सिंह इस घटना में घायल हुआ। इस सम्बन्ध में जो प्रथम सूचना रपट दर्ज कराई गई उसमें तीन व्यक्तियों राम दास, माया राम व छोटे को नामजद किया गया है अन्य तीन व्यक्ति अज्ञात बताये जाते हैं। यह तीनों नामजद अभियुक्त धानुक जाति के हैं, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। घटना का कारण प्रारम्भिक जांच से प्रधानी के चुनाव में उत्पन्न हुई रंजिश प्रतीत होती है और नामजद अभियुक्त मारने वालों के पड़ोसी हैं। तो मान्यवर, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गये मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मान्यवर, एक बात माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण कही कि उस गांव में धानुक और जाटव जाति के लोग हैं लेकिन प्रथम सूचना रपट में यह नहीं कहा गया है कि इसमें जाटव जाति के अभियुक्त भी हैं, तो हमने आपकी जानकारी को भी अपने में जोड़ लिया। लेकिन यदि आप कहते हैं कि यह फर्जी है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने जो आरोप लगाये हैं कि हम हरिजन विरोधी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जिस एजेन्सी से चाहें इसकी जांच करवाने के लिए हमसे कह सकते हैं। हम अपनी ओर से कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए आश्वासन देते हैं। यह भी जानकारी मिली कि आपसी रंजिश थी, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है उसी आधार पर मैं कह रहा हूं। यह भी हो सकता है कि कोई पार्टी पुलिस के पास गयी हो और उनसे यह कहा हो कि हमारी जान को खतरा है तो अगर इस तरह की बात हुई और उसमें पुलिस की तरफ से कोई प्रिवेन्टिव कार्यवाही नहीं की गयी, उनकी तरफ से कोई ढिलाई बरती गयी तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और जो दोषी है उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मैं खुले मन से कह रहा हूं, यह हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव जी के निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, मैं उन्हें अपने से वरिष्ठ मानता हूं, वह जो जो भी जानकारी मुझे देंगे उसे आधार मान करके इस मामले की पूरी-पूरी इन्क्वायरी कस दी जायेगी क्योंकि सरकार की नियत साफ है, जो हमारे समाज के निर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और मैं यह सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, एक बात कांसप्रेसी की आयी कि कान्सप्रेसी हो रही है तो अगर यह बात सही पायी गयी तो मैं यह कहूंगा कि जो भी इस मामले मे दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ भी मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा और मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर से आप सब संतुष्ट हुए होंगे और जो आरोप लगाये गये हैं कि सरकार हरिजन विरोधी है, किसान विरोधी है उसको मैं निराधार मानता हूं और उसका खण्डन करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अगर यह इसी प्रकार से उत्तर दें तो इस सदन में व्यवधान न पैदा हो । एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर आपसी रंजिश नहीं थी बल्कि यह प्रधानी का मामला था, उसी को लेकर यह घटना हुई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने तत्काल जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की थी । एस० पी० महोदय उस समय नहीं थे, ए० एस० पी० मौके पर गये । अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही पूरी होगी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निर्वाचन क्षेत्र का मामला है । हम उनसे भी पूरी जानकारी ले लेंगे और पूरा समाधान कराने का प्रयास करेंगे ।

नकल विरोधी अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार छात्र, छात्राओं के तत्काल जमानत व्यवस्था कराने की मांग

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नकल अध्यादेश वाला मामला दिया था, इसमें हो रही ज्यादती के विरोध में 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है । पूरे प्रदेश में अल्पवयस्क हमारे छोटे भाई-बहनों को पुलिस परेशान कर रही है । मेरा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लाकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संज्ञान में ला दिया है ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, आज सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर नकल विरोधी अध्यादेश के तहत 13–13, 14–14 साल की हमारी छोटी बहनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है । इस तरह छोटे लड़के व लड़कियों को जेल भेजकर अपराधी बनाने की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी है । मैं इस आदरणीय सदन में आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि कम से कम नकल विरोधी अध्यादेश में नाबालिग लड़के–लड़कियों को यदि गिरफ्तार किया जाय तो तत्काल उनकी जमानत कराने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष–

संज्ञान में बात आ गयी है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, लड़कियों को जेल न भेजा जाय, आगे उनकी शादी-ब्याह आदि का बड़ा नाजुक मामला होता है । जेल न भेजकर उनके तुरन्त जमानत की व्यवस्था हो जाय । उन्हें जेल न भेजा जाय, इसके अलावा और जो उचित सजा हो, वह दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को अलग से कुछ सुझाव इस बारे में दिये हैं ।

मद संख्या–8 लिये जाने से पहले मैं एक जरूरी बात संज्ञान में लाना चाहता हूं । आज विधान सभा में वित्तीय वर्ष 1992–93 के लिये राजस्व और उर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान निर्धारित है । मुझे यह बतलाया गया है कि राजस्व विभाग के कार्य-कलाप 1991–92 की प्रतियां दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को सायंकाल तथा उर्जा विभाग से सम्बधित साहित्य आज प्रातःकाल प्राप्त हुये हैं। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है । इस प्रसंग में मैं अध्यक्ष पीठ से दिनांक 8 अप्रैल, 1975 को दिये गये निर्णय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके अनुसार ऐसा साहित्य कम से कम एक दिन पहले मिलना चाहिये क्योंकि सदस्यगण उसका उपयोग उसी दिन मिलने पर नहीं कर सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सजा देना शुरू कीजिये, तभी मानेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इस बात से मैं विशेष रूप से चिन्तित हूं । आज पहला दिन है, अभी कई दिन विभागों की बजट मांगों पर चर्चा होगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य मंत्रीगणों से मेरा निवेदन है कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित साहित्य समय से उपलब्ध हो जाय ।

वित्तीय वर्ष 1992–93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा आय व्ययक)

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,76,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध मे राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,77,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,63,12,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस सम्मानीय सदन से समक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात् राजस्व मंत्री के रूप में मुझे अपने इस विभाग के बहुआयामी एवं समर्पित वर्ष 1992–93 के आय-व्ययक के प्रस्ताव को रखने का सुअवसर मिला । राजस्व विभाग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में जो विशेष जानकारियां थीं, उन्हें एक पुस्तक के रूप मे छपाकर मैंने माननीय सदस्यों के उपयोग हेतु उपलब्ध करा दी है । फिर भी नई सरकार बनने के पश्चात् कुछ ऐसी नवीन योजनायें जो जनता के विकास हेतु अभी तक क्रियान्वित नहीं की जा सकीं और ऐसे कुछ कार्यक्रम जो जनता के

लिए अत्यन्त उपयोगी थे, हमारी सरकार ने उन्हें प्रारम्भ कर दिया है । मैं कुछ ऐसे ही बिन्दुओं पर इस सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूं ।

श्रीमन्, यह सब जानते हैं कि राजस्व विभाग राज्य और प्रशासन का मेरुदण्ड है । लगभग 75 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है । गांवों में रहने वाले लोगों का मुख्य स्त्रोत कृषि है इसलिए कृषि से जुड़ा हुआ यह राजस्व विभाग गांव-गांव व जन-जन तक पहुंचा हुआ है । उसके भू-लेखों के रख-रखाव, भूमि का विकास तथा उसके स्वामित्व के अधिकार को सुरक्षित रखने की भूमिका का निर्वाह यह विभाग करता है । कृषकों की भौमिक धरोहर की सुरक्षा राजस्व विभाग के अलावा शायद कोई और विभाग नहीं करता है । इस विभाग का निचले स्तर का कर्मचारी, जिसे हम लेखपाल कहते हैं वह उसके भौमिक अधिकार का संरक्षक है ।

राजस्व विभाग में भूमि सुधारों की दिशा में 1950 से प्रारम्भ किये । यह सब जानते हैं कि देश में उत्तर प्रदेश भूमि सुधारों की दिशा में अग्रणी रहा है । सबसे पहले हमने इस उत्तर प्रदेश में एक क्रान्तिकारी अधिनियम पारित किया था । मध्यस्थों और बिचौलियों को हटाया था-और जो भू का स्वामी है जो उसको जोतता है, उसे उसका अधिकार दिया था । 1950 में हमने जमींदारी विनाश अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था । तब से भूमि सुधार का चरण बढ़ता चला गया । इसके पश्चात् हमने जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 लागू किया । इसके अन्तर्गत हमने जो अलाभकारी व छितरी जोत थी, उसे एक जगह समाहित कर और उसे एकत्र कर लाभकारी जोत में परिवर्तित किया । इसके पश्चात् अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 लागू हुआ । इससे समाज का सर्वोन्मुखी, खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, विकास हुआ । राजस्व विभाग ने भूमि सुधारों के साथ-साथ भूमि का विकास तथा समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको जीविका उपलब्ध हो सके, उन्हें भूमि का आवंटन भी किया गया।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, इस दिशा में जब से हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमने और भी क्रांतिकारी कदम उठाये हैं । मैं इस माननीय सदन के कुछ चंद क्षण, बहुमूल्य समय में जो हमने योजनायें बनाई हैं उनकी ओर आकर्षित करता चाहूंगा । उस दिशा में प्रथम कड़ी के रूप में मुझे बताते हुये अपार हर्ष हो रहा है जिस तरह से किसी समय में इस माननीय सदन के नेता रह चुके माननीय चौधरी चरण सिंह और उस समय राजस्व मंत्री थे उन्होंने जमींदारी विनाश अधिनियम लागू कर क्रांतिकारी परिवर्तन किया था उसी प्रकार हमारी वर्तमान सरकार जो गांवों की आबादी का अभी तक सर्वेक्षण नहीं हो सका जिससे हदबन्दी नहीं हो सकी जिसके कारण जगह-जगह झगड़े हो रहे हैं, जिसके कारण केन्द्र की नयी ग्रामीण विकास योजना कार्यान्वित नहीं हो रही हैं उसके लिये वर्तमान सरकार ने मन बना लिया है कि गांव की आबादी जिसके ऊपर झगड़े होते हैं, कहीं नाले का झगड़ा है, कहीं झोपड़ी का झगड़ा है तो उन सब का निराकरण करने के लिये गांवों का सर्वेक्षण कराकर इसकी व्यवस्था करेंगे । इसके लिये कानून बने उस दिशा में विचार शुरू हो गया है और बैठकें भी हो चुकी हैं । हमने एक प्रारूप बनाया है उसका परीक्षण किया जा रहा है हम उसके प्रौस–एण्ड कौन्स देख रहे हैं ताकि कहीं कोई त्रुटि न रह जाय और गांव के गरीब आदमी की गाढ़ी कमाई जो कोर्टबाजी में उस पर खर्च कर बरबाद होती है उससे वह बच सके यह बात हमारे ध्यान में है ।

आज स्थिति यह है कि गांव की आबादी की जो भूमि है उस पर मालिकाना अधिकार सम्बन्धी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । मैंने राजस्व मंत्री के रूप में देखने का प्रयास किया लेकिन इस सम्बन्ध में

अभीतक कोई कानून नहीं बनाया गया है । केवल सन् 1948 में एक बहुत छोटा जिसमें 3 धारायें हैं कानून बनाया गया । मैं समझता हूं कि उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है । इसलिये आवश्यक समझा गया कि जिस प्रकार गांवों के विवादों को समाप्त करने के लिये जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ, चकबन्दी हुई, छोटे-छोटे विवाद समाप्त करके मुकदमें बाजी को कम किया गया उसी प्रकार आबादी की भूमि के सम्बन्ध में भी अधिनियम बनाया जाय, इस सम्बन्ध में शीघ्र ही व्यवस्था की जायेगी । यही नहीं भूमि सुधार की दिशा में जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत और भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं । हम जानते हैं कि उसकी धारा 171 जो है जिसके अन्तर्गत उत्तराधिकारी की श्रेणी दी हुई है उसमें बड़ी विडम्बना मालूम होती है कि खातेदार के मरने के बाद उसकी विधवा के लिये कोई प्राविधान नहीं है, विधवा को सम्पत्ति का अधिकार नहीं मिला है ।

भारत में जहां आदि काल से नारी को मान्यता मिली हुई है "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" उस भारत में कानून में इतनी बड़ी खामी है कि खातेदार की मृत्यु के बाद पत्नी को उसमें अधिकार नहीं है वह पुत्र की मोहताज बन कर रह जाती है । अगर औलाद लायक हुई तो मां को रोटी दे देगी और कहीं आज के भौतिकवादी समाज में औलाद लायक नहीं हुई तो बूढ़ी मां जिसने 9 महीने तक गर्भ में रखकर उसे जन्म दिया भूखों मरने के लिये बाध्य होगी और दर-दर ठोकर खायेगी । इसलिये हमने समाज में नारी को सम्मान देने के लिये, मां जिसने पुत्र को पैदा किया है उसको समान अधिकार दिला रहे हैं इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है जैसा कि कहावत है कि बुढ़ापे में लड़के और बहू से स्नेह कम हो जाता है और लड़की और दामाद से स्नेह बढ़ जाता है इसलिये कहीं ऐसा न हो कि वह मां उस भूमि का हस्तान्तरण किसी दूसरे व्यक्ति को कर दे । इसलिये इस पर भी विचार कर रहे हैं । मां को सम्पत्ति मिले । खातेदार की पत्नी को पुत्रों के साथ सम्पत्ति मिले लेकिन उसका लाइफ इन्टरेस्ट किस तरह से क्रियेट किया जाय इसके लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वह मां, खातेदार की पत्नी किसी दूसरे को न दे सके और अपने ही पुत्रों को दे । धारा 171 में एक और विसंगति है कि किसी खातेदार की मृत्यु पहले हो चुकी है तो ऐसे में भाई को सम्पत्ति मिल जाती है और भतीजे को नहीं मिलती है । भाई और भतीजे सोचते हैं यह हमारी पैतृक सम्पत्ति है हमें मिलनी चाहिए और इससे परिवार में झगड़े होने लगते हैं, लट्ठ चल जाते हैं और परिवार टूट जाते हैं । इसलिये हमने यह भी प्रस्ताव किया है कि हम उसमें संशोधन करके भाई और भतीजे को समान स्थान पर रखने जा रहे हैं । पूर्व से मृतक भाई के पुत्रों को भी अधिकार होगा ऐसा हम संशोधन करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, एक और विसंगति है, जिसकी तरफ सम्भवतः अभी तक ध्यान नहीं गया और हमने गम्भीरता से उस पर विचार किया है । पूर्व से मृत पुत्र के पुत्र को तो अधिकार दिया गया है लेकिन अगर पूर्व से मृत पुत्र की पुत्रबधू है तो उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है । वह बेचारी ब्याह कर किस घर से किस घर आई, बधू बनी । विधाता ही उससे रूठ गया जो वह विधवा हो गई । उसके पति के पूर्वजों की सम्पत्ति है । पति अगर जीवित है तो वह सम्पत्ति उसके पति की है परन्तु पति के मर जाने पर उसका उस सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होता । यह कैसी सजा वह भुगत रही है । भगवान उससे रूठ गया उसका क्या दोष है । उसे उस सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलता । हमारी सरकार ने इस पर भी विचार किया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी अधिकार देने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ जी आप कृपया बैठ जायं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

बजट भाषण के बीच में स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय स्वामी नाथ जी आप बाद में अपने बहुमूल्य सुझाव दे दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री जी कृपया आप बजट पर पीठ को सम्बोधित करते हुए बोलें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे सभी माननीय सदस्य अनुभव करते हैं कि मुकदमों के मामले में कितनी परेशानी होती है विशेष करके गरीब किसानों को मुकदमें बाजी में वर्षों परेशान होना पड़ता है । वर्षों मुकदमें लम्बित रहते हैं । अभी तक निगरानी की अवधि तीन साल की है। कितने समय से टलते चले जाते हैं । हम इस निगरानी दायर करने की जो 3 साल की अवधि है उसको 90 दिन की अवधि का प्राविधान करने जा रहे हैं । शहरी क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा के भग्नावशेष अभी भी मौजूद हैं, आकर्षक भूमि जहां है वहां जमींदारी अभी भी लागू है । लोग कहते थे कि जमींदारी की कुप्रथा थी लेकिन अभी भी उसके अवशेष बाकी हैं । इन चिन्हों को मिटाया जाना चाहिए । इस पर विचार करके हमारी सरकार ने आकर्षक भूमि पर जमींदारी की प्रथा के भग्नावशेषों को नष्ट करने के लिये एक विधेयक प्रारूपित किया है जिसको शीघ्र पुरःस्थापित करने जा रही है ।

उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक और विसंगति है जिसके बारे में सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों कई लोग मेरे पास आते हैं यह शिकायत करते हैं कि अभी तक यह व्यवस्था है कि खातेदार की मृत्यु हो गयी । कोई विवाद नहीं है उसकी सम्पत्ति के हस्तांतरण का फिर भी कई वर्ष लग जाते हैं लेखपाल के यहां चक्कर लगाते-लगाते और इस तरह से यह मामला लटका रह जाता है और निस्तारण नहीं हो पाता था ।

हमारी सरकार ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है जबसे हमने अभियान चलाया है तबसे 10 लाख 6 हजार जो निर्विवाद मामले थे उसका निस्तारण किया गया है । दाखिल खारिज के मुकदमें 1 लाख 65 हजार थे उनका निस्तारण किया गया है । राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दिए गए हैं कि उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों का निस्तारण भविष्य में एक माह में सुनिश्चित किया जाए । इसी प्रकार से हमने काश्तकारों को राहत देने की दिशा में प्रयास किए हैं । जो समाज में अमीरी गरीबी और सम्पन्नता और विपन्नता की खाई बढ़ रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है । यह विशेष रूप से कमजोर वर्ग के उन्नयन हेतु राजस्व विभाग द्वारा भूमि सुधारों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है । इसी तरह से गांव सभाओं में निहित 9,04,658 हेक्टेयर भूमि 26,11,587 पात्र परिवारों को आवंटित की जा चुकी है जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के 15,29,109 व्यक्ति सम्मिलित हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

अभी उत्तर भाषण भी इन्हें देना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जिसमें 15,29,109 व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्मिलित हैं । 9,03,590 हेक्टेयर भूमि पर 26,06,846 व्यक्तियों को कब्जा दिलाया जा चुका है शेष आवंटियों को कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है जबकि आवंटन का प्रतिशत 18 प्रतिशत है लेकिन हमने भूमि में जो आवंटन किया है वह 58 प्रतिशत किया है । इस तरह से हमने अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित किया है । जो गरीब, शोषित और दलित वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है ।

(व्यवधान)

सीलिंग भूमि के सम्बन्ध में स्वामी नाथ यादव जी जानना चाहेंगे । 5,34,002 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है । 5, 03,672 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कब्जा दिलाया जा चुका है 20 हजार 330 शेष रह गई है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्यें की चिन्ता है कि चालीस साल हो गये इतना लम्बा समय निकल गया लोग कुत्ते, बिल्ली और पेड़ पौधों के नाम पर जमीन लिए हुए हैं, लेकिन किसी सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया । हमने इसमें ऐसा किया है कि कुत्ते बिल्ली के नाम पर भूमि नहीं मिल पाएगी और जो भूमि इनके नाम है उसे भूमिहीनों में बाँट दिया जाएगा । इस तरह की भूमि जो कब्जे में ली गई है वह 2,48,157 एकड़ है इसमें 2,13,741 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई है । मान्यवर, यही नहीं आवास की भी एक बहुत बड़ी समस्या है ।

हमारी उत्कंठा है कि कैसे भूमिहीन जनता को भूस्वामी बनावें । जो पैदा हुआ है उसको एक छप्पर और मकान भी देंगे । इसलिए हमने आवास आवंटन में कीर्तिमान स्थापित किया है । हमने अब तक 24,85,811 परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटित की है, जिसमें से 17,58,205 परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं । आवास के लिये यह परसेंट 68 आता है । जनसंख्या के हिसाब से जो वर्ग 18 परसेंट, 21 परसेंट के बराबर कहलाता है, उसको 68 परसेंट आवंटन किया है और कब्जा दिलाया है । जिनको अभी कब्जा दिलाना है उनका प्रतिशत मात्र .4 प्रतिशत है । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र ही उन लोगों को कब्जा दिला देंगे । मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने केन्द्र सरकार द्वारा इस सीलिंग से बची हुई भूमि के आवास हेतु आवंटन के सम्बन्ध में कुछ लक्ष्य बताए गये । हमारी सरकार ने 50 हजार परिवारों को भूमि आवंटन का लक्ष्य रखा । मुझे हर्ष है कि 50 हजार के लक्ष्य के विपरीत हमारी सरकार ने 9 महीने में 1,20,481 परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटित की है यानी 241 परसेंट लक्ष्य प्राप्त किया है ।

मान्यवर, एक प्रकार से हमारे प्रदेश को अतिरिक्त भूमि हासिल हुई और भूदान यज्ञ चलाया गया । जब भूदान यज्ञ अधिनियम 1952 में बना था कुल 4,36,421 एकड़ जमीन मिली जिसमें से 4,21,179

एकड़ भूमि आवंटित कर दी गयी । यह जो भूमि प्राप्त हुई उसका 96 परसेंट आता है । लाभान्वित व्यक्ति निर्बल वर्ग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 42,789 है जो कुल लाभान्वित का 50 परसेंट है । इस दिशा में निर्बल वर्ग का विशेष ध्यान रखा है । मुझे हर्ष है कि पिछली 14 मार्च को सम्पूर्ण देश के राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री ने की थी । उन्होंने उद्घाटन और समापन किया था । मैं बताते हुए गौरव अनुभव कर रहा हूं कि राजस्व विभाग के कार्य-कलापों की माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं भूरि-भूरि प्रशंसा की । इस सदन में माननीय सदस्यों को जितनी उपयुक्त जानकारी दी है, कदाचित जैसी हमारे माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा प्रकट की भूमि कुत्ते बिल्ली के नाम पर थी, उस सम्बन्ध में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों की जिज्ञासाओं का जवाब उत्तर भाषण में दे दीजियेगा । इस समय इस पर बोल लें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, भूमि सुधार के सिलसिले में चकबन्दी एक क्रांतिकारी कदम है । इसलिए प्रदेश में मान्यवर, मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जबसे आयी, चकबन्दी के क्षेत्र में हमने कुछ क्रातिकारी कदम उठाए हैं । मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं । अभी तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जहां पर चकबन्दी लागू कराई है देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र को भी आच्छादित किया है । उत्तराधिकार के तमाम मामले भी चकबन्दी में चलते हैं । आश्चर्य है कि अभी तक ए०सी०ओ० को अधिकार नहीं था । एक अधिनियम बनाकर उसमें संशोधन करके अधिकार दिया है और अलाभकारी जोत को लाभकारी जोत के रूप में समाहित किया जाय और चक चौकोर बनाया जाय, ऐसा संशोधन किया है । इसके अनुसार सरकारी भूमि किसी खातेदार की भूमि के पास पड़ती है तो उस भूमि को लेकर चौकोर चक बनाया जा सकता है और उसकी वजह से सरकार को दूसरी जगह भूमि दिलाई जा सकती है, यह हमने संशोधन किया है । जोतों के बिखराव को रोकने के लिये तथा चकबन्दी के दौरान हो रहे हस्तानान्तरण को रोकने के लिये कार्यवाही की गयी है । चकबन्दी में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उससे बचाने के लिये, परमीशन के नाम पर जो भ्रष्टाचार पनपता था तो उस परमीशन की प्रक्रिया को हमने समाप्त किया है । जैसे ही धारा 52 का प्रकाशन होगा वैसे ही रोक लगा दी गयी है । चकबन्दी का प्रथम चरण जैसे प्रारम्भ होगा वैसे ही हमने रोक लगा दी है, अब हस्तानान्तरण नहीं होंगे । अब तक 198.894 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की चकबन्दी हो चुकी है और 52 लाख हेक्टेयर की चकबन्दी शेष रह गयी है ।

मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य कहेंगे कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है । मैं भी स्वीकार करता हूं कि चकबन्दी विभाग में जितना सुधार होना चाहिये वह नहीं हो पाया है । हम प्रयास कर रहे हैं कि 40-45 सालों से जो रोग पनप रहा है उसको समूल नष्ट किया जाय इसीलिये इसमें संशोधन कर रहे हैं जिससे भ्रष्टचार मिटेगा । गांवों का विकास तभी हो सकता है जब गावों में आने जाने के लिये जो चकरोड हैं उन पर कब्जा न हो सके और वह सुरक्षित रहें । चकरोड को अपनी भूमि में मिलाने पर अभी तक 50 रुपये का जुर्माना किया जाता था इसको हमने बढ़ाया है । इसी तरह से हदूद बनते थे, जो सीमांकन चिन्ह बनते थे उनको लोग उखाड़ देते थे । इसके लिये पहले 50 रुपये दंड देने का प्राविधान था जिसको हमने बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया है । यह जो कार्य किये गये हैं इससे चकरोड को नहीं जोत सकेंगे और सीमाकंन चिन्हों को समाप्त नहीं करेंगे । चकबन्दी में सुधार हो सके इसीलिये चकबन्दी अधिनियम

संशोधन किया है । मैं सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं । 27.48 गांव ऐसे हैं जिनमें सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं का कार्य प्रगति पर है ।

सोनभद्र जनपद में जहां पर गिरिजन एवं बनवासी लोग अधिक संख्या में हैं वहां 433 गांव ऐसे हैं जहां सर्वेक्षण नहीं हुआ है और हदबन्दी नहीं हुयी है । इसलिये 433 गांवों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया है । हमने इसके लिये 175 गांवों का लक्ष्य रखा था जिसकी जगह पर हमने 177 गांवों का कार्य पूरा कर लिया और शीघ्र ही शेष गांवों में भी यह कार्य पूरा कर दिया जायगा और जो वहां के गिरिजन, बनवासी, पिछड़े हुये लोग हैं, निर्बल वर्ग के लोग हैं उनको स्वामित्व का अधिकार देंगे । हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा था मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं ।

वर्तमान भा०ज०पा० की सरकार ने भूमि अभिलेखों के सम्बन्ध में सुधार लाने हेतु कदम उठाये हैं । अगर किसी क्षेत्र में खेत में नीम का पेड़ है तो नीम कुमार के नाम पर, शीशम का पेड़ है तो शीशम लाल के नाम पर, बबूल का पेड़ है तो बबूल सिंह के नाम पर, कुत्ते और बिल्ली के नाम पर भूमि दर्ज कराके लोगों ने सीलिंग ऐक्ट का दुरुपयोग किया है । हमने इस पर गम्भीरता से विचार किया है और इसको रोकने के लिये, भूराजस्व अभिलेखों के रख रखाव के लिये कम्प्यूटराइजेशन की योजना प्रारम्भ की है । कम्प्यूटराइजेशन के साथ साथ माइक्रो फिल्मिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं । ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति बेईमानी कर सके, गलत सूचना कम्प्यूटर में फीड कर दे इसको रोकने की व्यवस्था भी की है । माइक्रो फिल्मिंग के द्वारा क्रास चेकिंग की व्यवस्था की गयी है ताकि बेइमानी न की जा सके । इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी कहना चाहता हूं कि गांवों के लोगों को सुविधा देने के लिये जोत बही का प्राविधान करने जा रहे हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है । जोतबही में खातेदार का नाम, वल्दियत, जमीन उसको किस प्रकार से मिली, बैनामे से मिली या हिबानामे से मिली, मुकदमें से मिली या किस प्रकार जमीन मिली इन सब बातों को जोत बही में दर्ज किया जायगा ।

यही नहीं मान्यवर, आशंका को दूर करने के लिए खातेदारों का निशानी अंगूठा जोतबही पर अंकित होगा, तब फिर कहां से आयेगी बिल्ली और कहां से आयेगा कुत्ता ? जोत बही में खातेदार का फोटो भी लगा होगा । इसमें और भी हम सुधार करने जा रहे हैं, खातेदार के पास कितना कर्जा है, उसका भी उल्लेख होगा । 61(ख) में लघु कृषक और सीमान्त कृषक का भी उसमें उल्लेख होगा, जिससे अपना कोई फर्जी खाता ख-61 बना कर लाभ न प्राप्त कर पाये । इसको भी हम समावेश करने जा रहे हैं । उसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है । प्रारूप उसका बन गया है । बहुत शीघ्र उसको हम करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, एक और बात की तरफ में अपने माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग सभी विभागों से पुराना विभाग है, लेकिन विद्युत भवन बन गया, बिक्री कर भवन बन गया, लेकिन राजस्व भवन कोई नहीं था, हमने यह कहा कि राजस्व भवन प्रवेश में होना चाहिए । हमने यह भी योजना बनाई है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय भूमि प्रबन्ध संस्थान की स्थापना करेंगे और उसमें हम प्रशिक्षण देंगे । इस प्रकार से खातेदारों के स्वामित्व का संरक्षण और रख-रखाव भी किया जा सकता है । अन्य उपकरण के सम्बन्ध में भी हम सोच रहे हैं । आप जानते हैं कि पिछली सरकारों ने गन्ने का चाहे किसी का एक दाना भी नहीं पैदा होता हो, अगर सस्ता खरीद कर आ रहा है शुगर मिल में सप्लाई कर दिया, तो आगामी वर्ष के लिए सट्टा बन गया । हम अगले सट्टे का निर्धारण उसके कृषक भूमि चिन्हवार से करेंगे । इस उपकरण के द्वारा, इस वैज्ञानिक विधि के द्वारा कि कास्तकार के खाते में यह फसल थी और विगत वर्ष में कौन सी फसल थी, मान्यवर, इससे और लाभ होगा । मान्यवर, नदियां अपना कोर्स बदला करती हैं, जिससे बाढ़ की समस्या हो जाती थी । उसके सम्बन्ध में

इमें जानकारी हो जाया करेगी कि किस वर्ष में कितना कोर्स बदला है । इस प्रकार से बाढ़ की विभीषिका बचाने के लिए हम उस पर उपकरण का प्रयोग करने जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त एक बात की और जानकारी देना चाहता हूं । हमने कम्प्युटरीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । मुझे हर्ष होता है कि जहां देवरिया जनपद में केन्द्र द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हमने आगामी योजना का काम किया है, वहां प्रदेश सरकार ने उन्नाव, गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, हरदोई आदि जनपदों में भी कम्प्युटरीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । वह कार्य प्रारम्भ हो गया है और केवल प्रारम्भ ही नहीं हुआ है, हमारी राजस्व परिषद् द्वारा कम्प्युटरीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । आय का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हम कम्प्यूटरीकरण करने जा रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्र लेकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दी जाने वाली सुविधाओं को ले सके । मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसे जान कर माननीय सदस्यों को हर्ष होगा ।

कलेक्टरेट और तहसीलों के जो कर्मचारी हैं, उनकी ग्रेडेशन लिस्ट जो बनती थी, उसमें बड़ी गड़बड़ी होती थी और ऐसा होता था कि कर्मचारी सेवा निवृत होकर चले जाते थे, उनको पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं मिल पाती थी । मैं कहना चाहता हूं कि कोटि क्रम सूची, तैयार हो चुकी है और राजस्व परिषद के किसी भी कर्मचारी के सेवा निवृत होने पर उसे पेंशन और ग्रेच्युटी तथा अन्य तो अनुमन्य सुविधायें हैं, वह मिल जायेंगी । जैसे ही वह रिटायर होने वाला होगा, 48 घन्टे में उसका सारा रिकार्ड तैयार हो जायेगा और 24 घन्टे में उस रिटायर होने वाले कर्मचारी को सारी पेंशन और ग्रेच्युटी मिल जायेगी । तो इस प्रकार से राजस्व विभाग का सुदृढ़ीकरण किया गया है । मान्यवर, जोत बही के बारे में मैं अपनी बात कह चुका हूं ।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी तक निराश्रित लोगों के कल्याण के लिये केवल 50 रुपये का प्राविधान था, इस धनराशि से कुछ नहीं होता था । यह सोचा गया कि कम से कम उसको एक जोड़ी कपड़ा तो आ जाये, इस उद्देश्य से इस धनराशि को बढ़ा दिया गया है और उसे 50 रुपये से 100 रूपया कर दिया गया है । दुगना कर दिया गया है । यह क्रान्तिकारी कार्य हमारी सरकार ने किया है ।

राजस्व विभाग की ओर से दैवी आपदाओं से निबटने के लिये, सूखे से निबटने के लिये, अति वृष्टि से निबटने के लिए, अग्नि काण्ड से निबटने के लिये कार्य करना पड़ता है । मान्यवर, जब से सरकार आयी है, सूखा पड़ गया, विलम्ब से बारिश हुई, पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया, उस समय राजस्व परिषद ने काम किया । 10 करोड़ 6 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की प्यासी जनता के लिये इण्डिया मार्क-2 हैंड पाइप लगाने के लिये दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि पीने के पानी का अभाव न रहे । जहां पर पानी टैंकर से लाया जाता था, वहां पर हमने परिवहन की व्यवस्था की है और इसके लिये 20 लाख 6 हजार रुपये की व्यवस्था की है ।

मान्यवर, एक कानून बहुत पहले बना था, उसका हमने अध्ययन कराया । 1912 का फेमिन कोड है और उसमें इस बात का प्राविधान है कि जब दुर्भिक्ष जैसी स्थिति हो जाये और लोग गांव से शहर की ओर पलायन करने लगें, तो उसके अन्तर्गत उन लोगों को सहायता दी जा सकती है । यह अंग्रेजों के समय का कानून है, उसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं, संशोधन करना प्रारम्भ कर दिया है और अगर इस प्रकार का कहीं अभाव पैदा होता है, तो हम लोगों को समुचित सहायता दे सकेंगे, तो हम उस कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं ।

[समय–2 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, जैसे ही हम सूखे से निपटे, बाढ़ आ गयी । मुझे जानकारी देते हुए हर्ष होता है कि जनपदों में बाढ़ का, अतिवृष्टि का और भूस्खलन का प्रकोप रहा । इसमें प्रदेश में 29 जनपदों में 3,372 ग्राम प्रभावित हुए लेकिन हमने युद्धस्तर पर इसका भी मुकाबला किया और इसके लिए 312 बाढ़ चौकिंया और 231 राहत केन्द्र स्थापित किये, 1,350 देशी नावों को राहत कार्य में लगाया और 6 मोटरबोटों को लगाया और असुरक्षित स्थानों पर जो लोग थे जो घिर गये ऐसे 56,112 व्यक्तियों की जान बचाई और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया इसके अलावा 45,853 पशुओं की भी जान बचाई और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया ।

इसके बाद भूकम्प की विभीषिका का भी सामना करना पड़ा । अक्तूबर माह में उत्तरकाशी में और पर्वतीय जनपदों में जो भयंकर भूकम्प आया उसका युद्धस्तर पर सामना किया गया । मान्यवर, इस भूकम्प से 2,093 गांव प्रभावित हुए तथा 4 लाख से अधिक जनता इससे प्रभावित हुई । 768 व्यक्तियों और 3,095 पशुओं के जीवन की हानि हुई तथा 50,866 व्यक्ति घायल हुए । इस भूकम्प में 20,184 मकान पूर्ण रूप से तथा 79,211 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए । मान्यवर, प्रदेश सरकार ने युद्धस्तर पर राहत कार्यो का आयोजन किया और दृढ तापूर्वक इसका सामना किया गया । मान्यवर, केन्द्र सरकार से अपेक्षा थी कि सहयोग देगी लेकिन उन्होंने अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं दिया और सहायता ऊंट के मुंह में जीरा की तरह दिया । इतनी बड़ी विभीषिका के लिए मात्र सवा दो करोड़ रूपये की सहायता दी । मैं तो समझता था कि संवेदनशील सरकार है और कुछ अपेक्षा से अधिक सहयोग देगी लेकिन चलो कुछ ही सहायता दिया । लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो गयी है, लेकिन फिर भी मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं कि कुछ तो दिया, सवा दो करोड़ रुपये दिया । मान्यवर, प्रदेश सरकार ने जो भूकम्प के रूप में आया उससे पीड़ित लोगों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नीतियों में कानूनों में परिवर्तन किया और जहां सामान्य रूप से अहेतुक सहायता 750 रुपये प्रति परिवार देते थे उसकों बढ़ाकर 3 हजार रुपया हमने दिया है दैवी आपदा से किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें वैसे तो 10,000 रुपया देते हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में हमने प्रति व्यकित 30,000 रुपया दिया जबकि यह किसी परिवार में 10,000 रुपये तक निर्धारित था और एक परिवार में मृत्यु पर अधिकतम 90 हजार रुपया दिया गया है । इस प्रकार से दैवी आपदा का दृढ़तापूर्वक सामना किया गया । यही नहीं मान्यवर, जिनके मकान भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गये थे उनके प्रत्येक परिवार को 42 हजार रुपया दिया इतने में मकान बन जायेगा उसमें 10 हजार नकद और 10 हजार की सामग्री, 7 हजार मलवा और श्रम का दिया जाता है । अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई व्यक्ति है जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको 15 हजार रुपये का अनुदान दिया और जो सामान्य है उनको 15 हजार रुपये का ऋण दिया गया और यह निश्चित किया गया कि कोई भवनहीन नहीं रह जायेगा ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग ने जो कल्याणकारी कार्य किये हैं जो अपनी योजनाएं बनाई हैं उसमें निश्चित रूप से पैसे की आवश्यकता होगी उसके लिए हम जनता की हिमायत करना चाहते हैं, जो सुविधा देना चाहते हैं, किसानों की भूमि उसके पास सुरक्षित रहे कोई उसको हड़पने न पाये, कोई फर्जी वसीहत न कराने पाये इसलिए उस फर्जी वसीहत के मामले में उसे पकड़ लिया जायेगा क्योंकि जोतबही में फोटो होगी और इसे माइक्रोफिल्मिंग कराकर तहसील में, जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय में रखा जायेगा ।

जिला मुख्यालय पर भी होगा, प्रदेश मुख्यालय पर भी रिकार्ड होगा, मामला पकड़ा जायगा । हम हमेशा-हमेशा के लिये फर्जी वसीयतों को समाप्त करने जा रहे हैं । चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के हों, सभी किसानों के हित के हामी हैं, इससे किसानों के लिये कल्याणकारी योजनाओं की वृद्धि होगी । इसी के साथ हमने जो बजट प्रस्तुत किया है, चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष का ध्यान छोड़कर आप इस पर अपने सुझाव दें । आपके मूल्यवान सुझावों को स्वीकार करूंगा ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1/- रु० कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलेचना करना और सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1/- रु० कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1/- रु० कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1/- रु० कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

सबसे पहले तो अगर आजादी के बाद 42 वर्षों की उपलब्धियों का श्रेय माननीय राजस्व मंत्री जी कहना चाहते हैं तो मैं इनके प्रति एहसानमंद होऊंगा अन्यथा 42 वर्षों में इस पुराने विभाग ने जिससे प्रदेश के कोने-कोने के लोगों का दुख-सुख का सम्बन्ध है, जो सेवा की है और कदम उठाये हैं, मैं पूरा प्रदेश इसके लिये एहसानमंद है । माननीय मंत्री जी ध्यान दें मा० वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के पृष्ठ 3 में उल्लेख है कि 42 वर्षों की गलत नीतियों और कार्यक्रमों के वजह से प्रदेश की सारी परेशानियों और पीड़ायें हैं तो जितने आंकड़े माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हुए हैं और जितना भाषण हुआ है, इसके विरोध में हैं । जो कार्य 42 वर्षों के दौरान इस विभाग ने किया है, वह कम सराहनीय नहीं है । सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम ने जनादेश दिया था सबसे बड़े अभिशाप, पीड़ा को जो इस देश प्रदेश की जनता की है उसे हटाया गया । उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता को जमींदारी प्रथा से पीड़ा थी । ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इस व्यवस्था को कायम कर हमको अपमानित किया था ।

उसको हटाने का प्रश्न था । मान्यवर, कौन नहीं जानता है अवध के किसानों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों खासकर गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया के किसानों ने राष्ट्रीय संग्राम में जो अहम भूमिका निभायी थी उसके पीछे उनकी ललक थी, जमींदारी प्रथा को तोड़ने की, जमीन पाने की यह प्यास थी, यह जनादेश था । यह जनतंत्रीय निर्णय था राष्ट्रीय संग्राम का उसको देखते हुए राष्ट्रीय नेताओं ने पंडित जवाहर लाल नेहरू, माननीय चौधरी चरण सिंह जी, डा० राजेन्द्र प्रसाद जी और तमाम लोगों ने भूमि सुधार कार्यक्रम की योजनायें चलवायीं । मान्यवर, उसका उल्लेख माननीय राजस्व मंत्री ने किया, ठीक किया । सबसे पहले हमारे प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए जमींदारी विनास अधिनियम को लागू किया गया, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया और इसे समाप्त करके आजादी का प्रकाश

गांवों तक पहुंचाया । हमारे कृषि क्षेत्र में विद्यमान बाधाओं को तोड़कर विकास के अवसर को प्रशस्त करने का रास्ता खोला । यह निर्णय था जमीन जोतने वालों के लिये । इस निर्णय के पीछे राष्ट्रीय नेताओं की इच्छा शक्ति थी । इसके लिये कमेटियां बनायी गयीं बैठकें हुईं और यह तय हुआ । सन् 1947 में पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में आर्थिक कार्यक्रम तय करने के लिये, स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद जी तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एग्रेरियन रिफार्म कृषि सुधार की कमेटी बनी । डा० कूंअरपा जो गांधियन अर्थ शास्त्री थे । उनके देख रेख में कमेटियों ने तय किया कि जो लोग अपने परिश्रम से अपने परिवार के साथ खेतों में काम करते हैं वह खेत जोतने वाले हैं । यह निश्चय हुआ किसानों की प्यास व इच्छा तथा राष्ट्रीय संग्राम की जो मांग थी, उस जनादेश को देखते हुए हदबंदी कानून बना सन् 1960 में । इसके पहले नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था प्रस्ताव आया था हदबंदी कानून बनाने का, अधिकतम जोत सीमा कानून अधिनियम का प्रस्ताव हुआ था वहां भी यह बात कहने से कोई गुरेज नहीं है माननीय मंत्री जी के साथी उनके विचार के लोग वहां भी बैठे थे, विरोध किया तमाम विरोध और बाधाओं के बावजूद हदबंदी विकास के लिये अपनी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए उस कानून पर मोहर लगी । 1960 में पहले हदबन्दी अधिनियम पास हुआ उसमें भूमि की अधिकतम सीमा 40 एकड़ रखी गयी यह सीमा बहुत ज्यादा थी, उसमें चोर दरवाजे थे, आधे मन से लागू हूआ, लेकिन लागू हुआ अनुमान था कि 14 लाख एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित होकर निकलेगी लेकिन सब के उपरान्त जमीन मिली दो लाख एकड़ से कुछ जो आवंटित हुई । जमीन की ललक और प्यास किसानों की मिट न सकी तनाव बढ़ रहा था जनप्रिय आंदोलन हो रहे थे । साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग किसानों की मांगों को लेकर आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे उन आंदोलनों का दबाव था । नेतृत्व की इच्छा शक्ति थी, निश्चय हुआ और सन् 1972 में मूल अधिनियम फिर से संशोधित किया गया उस सीमा को 18 एकड़ किया गया ।

उसके बाद जो अतिरिक्त जमीन निकाली । वह जमीन पुनः दो लाख एकड़ थी और कुल मिलाकार चार लाख एकड़ जमीन गरीब भूमिहीनों, किसानों में वितरित की गयी ।

जो गांव सभाओं की सुरक्षित भूमि थी 20 लाख एकड़ सन् 1975-76 में आवंटित की गयी । इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में आवंटन हुआ इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें क्या कमियां थीं, देखना है । इसमें लोगों ने कुत्ते बिल्लियों के नाम पर भगवान राम के नाम पर और अल्लाह ताला के नाम पर भूमि की चोरी की गई यह सही है लेकिन इसके उपरान्त इस कानून के प्रभाव को अगर आप देखें तो वह प्रशंसनीय है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें । मान्यवर, इन नीतियों का प्रभाव कानून 480 के अन्तर्गत क्या था कि पब्लिक गेहूं अमेरिका से आता था और हमारे देश को मिलता था हमने इनका विरोध किया हमने कहा कि हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, हम एग्रेरियन सेक्टर कृषि क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं । प्रभाव हुआ हरित क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार हुई और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम दुनिया के उन महाबली देशों से जिनसे हम अनाज लिया करते थे और जहां अनाजो की कमी हो हम उनको अनाज दे रहे हैं आज उनके यहां कमी है लेकिन हमारे यहां कमी नहीं है और हम उनको अनाज दे सकते हैं ।

मान्यवर, औपनिवेशिक दरिद्रता को समाप्त करने के लिए यह एक कदम था और उसको समाप्त किया आज हमारे देश में बीस करोड़ से ऊपर मध्यम वर्ग के लोग पैदा हो गये हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, मोपेड है, साईकिल है, टी० वी० और वी० सी० आर० है तथा जो डब्बा बन्द उपभोक्ता सामग्री के ग्राहक हैं और मान्यवर, कितनी भी बात करें बेकारी की लेकिन हकीकत यह है

कि देहातों में 20 रुपये मजदूरी देने पर भी आज मजदूर नहीं मिलता है, वहां पर श्रम समस्या है क्योंकि रोजगार का निजीकरण हुआ है, स्वरोजगार बढ़ा है तो इस पर ध्यान देना होगा और जो कमियां हैं, खामियां हैं उनको दूर करना होगा । मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि, भाषण भी बहुत अच्छा भाषण भी उन्होंने किया लेकिन उन्होंने उन कमियों को दूर करने की घोषणा नहीं की आज भी भूमि पर अधिकारों की विषमता है यदि इसे दूर करने की घोषणा की होती तो मैंने अखबारों में पढ़ा होता । 16 तारीख को दिल्ली में राजस्व मंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव भी मौजूद थे उन्होंने चिन्ता व्यक्त की और इच्छा प्रकट की कि जमीन का आवंटन 31 मार्च तक पूरा होना चाहिये था, वह नहीं हुआ, तो क्यों ।

मान्यवर, वहां यह भी चर्चा हुयी कि बेनामी पट्टा वह रोग है, जिसमें पूरा देश व प्रदेश ग्रसित है, उसको तोड़ना चाहिये । हमने अखबार में देखने की कोशिश की कि इस पर राजस्व मंत्री जी क्या बोले, यह उम्मीद तो थी ही कि बोलेंगे जरूर । मान्यवर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप जरा ध्यान दें, सीलिंग के ऐसे मुकदमें हैं, आवंटियों के पट्टों के मुकदमें हैं, कब्जों के वाद हैं जो फर्जी हैं । आपने बड़े आंकड़े पेश किये हैं, ऐसी-ऐसी जमीनें जो वितरित कर दी गयी हैं, नाम चढ़ गया, खसरा, खतौनी में, उस पर भूमि सुधार के लिए हजार रुपया प्रति एकड़ की दर से दे दिया गया, फसल लग गयी, उनमें फर्जी मुकदमों के नाम पर स्टे करके फसल के साथ जमीन आवंटी किसानों से वापस किया गया, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिये और मंत्री जी को है भी । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जरा मंत्री जी ध्यान दें । मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है जैसी लेजार महादेवा गांव महराजगंज में है, वहां श्रीमती जोखना बेवा सुखनन्दन, लालजी पुत्र हरनाम, तेजबहादुर पुत्र राम रतन, द्वारिका पुत्र राम लगन, चन्द्रिका मृतक उत्तराधिकारी मोहनी, हरिचरन पुत्र नगेसर, विसुनदेई बेवा जमुना,परमा बेवा सुरेमन है । इसी तरह एक गांव है मनिकौरा, वहां संतबक्श पुत्र राम निरंजन । यहां एक आदमी ने अपने नाम से जमीन दूसरे के नाम कर दिया । अपने को मरा दिखलाकर वसीयत अपने भांजे के नाम कर दिया । तीसरा गांव है फरेन्दा सर्वजीत, वहां उदयभान पुत्र रामआसरे, गिरजा पत्नी राम आसरे, गयादीन पुत्र रघुनाथ, पटना देवी पत्नी सरजू, नेवास पुत्र सरजू का मामला है । सिंहपुर अयोध्या में हनुमंत पुत्र इन्द्रासन, झामट में प्रताप नरायन पुत्र ठाकुर, अशोक कुमार व अजय कुमार, पीपरा खल्ली में गयादीन पुत्र रघुनाथ, सत्यनरायन पुत्र नगेसर, परासखाड़ में चन्द्रिका उत्तराधिकारी मोहनी, डड़बार में कामराजी विधवा जगतनरायन, मधुकर पुर महदेवा में तिलका पत्नी हनुमन्त, सोन चिरइया में गोमती पुत्र महादेवा, धानी में विश्वनाथ पुत्र सर्वदेवमणि, ढोढ़घाट में, मनहा में हैं । इसके अलावा विकास खण्ड नौतनवा, जनपद महराजगंज की भी बहुत बड़ी लिस्ट है, यहां के ग्राम महरीघोड़वा, हरपुर पाठक, मानिकापुर, सेवतरी, जमुहानी मिश्र, सिंहामार, बरमदवाबाजार, गजरही, गजरहा, चड़वहा, खनुआ बरगदही, हरदीडाली, सिहोरवा, दुर्गापुर, महुअवार, बरबाकुर्द, मर्दकोट, बकैकिहा, कौसदिया, सोनी सोहट, सिंहपुर, घोतिहवा, कुजरी, बैरवा चन्दनपुर, केवलही, पकड़डीहा, बेलवा, अचलगढ़, मदरहना, समरधीरा, शीषगढ़, बसौली, बरही स्टेट आदि हैं । मान्यवर, और भी बहुत नाम हैं । बहुत बड़ी लिस्ट है । शत प्रतिशत नहीं दो सौ प्रतिशत कब्जा आपने दिला दिया, धन्यवाद आपको, लेकिन इनका क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी भी आप ग्रहण करें तो हम आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे । मान्यवर, एक और मामला है, एक आदमी ने बतलाया कि वह यहीं, संजय गांधी आर्युविज्ञान संस्थान के पास तेलीबाग में जमीन खरीदा था, नाम था इंदर, वहां एक असरदार आदमी सूबेदार सिंह ने जमीन महंगी होने के कारण कब्जा कर लिया, वह आज तक दर-दर की ठोकर खा रहा है । मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी आप लें ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इन बेनामी पट्टों व फर्जी स्टे, जिन पर गरीब लोग मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं, कोई आप ऐसा तरीका निकालें, जिससे समस्या का हल हो जाय । सर्वदलीय बैठक करके, एक विशेष अदालत तय करके और एक निश्चित अवधि के अन्दर इन सारे मुकदमों का निपटारा कर दिया जाय । सीलिंग कानून के अन्दर आपने एक निश्चित समय निर्धारित की है परन्तु इस तरह से चोरी हुई जमीन के लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिये । बड़े-बड़े लोग कब्जा किए हुए हैं । 198 पट्टों को खारिज करने के मुकदमें चल रहे हैं । 122 (बी) में यह प्राविधान है कि जो हरिजन हैं, उन पर जुर्माना नहीं लगना चाहिये, परन्तु आपने उन पर दण्ड लगाया और उनसे वसूली की । इस 122(बी) का लाभ बड़े लोगों को हो रहा है । जमीन पर कब्जा उनका बना रहता है । अब 115(एस) एक नई विपत्ति आई है । वह है पोखरों के सम्बन्ध में । मत्स्य पालन के लिए पोखरों को जो नीलाम करते हैं, उन्हें बड़े-बड़े आदमी 10 वर्ष के पट्टे पर ले लेते हैं । गांव वालों को तो मालूम ही नहीं होता है । ऐसे पट्टों को खारिज करने के मुकदमें भी वर्षों पड़े रहते हैं । इसलिए इसका भी आप कोई रास्ता निकालें । मान्यवर, इसके लिए आप एक अलग से निदेशालय बनवा दें । एक सेल बनवा दें । जैसे कोआपरेटिव सेल हैं और उसमें जन प्रतिनिधियों का भी विश्वास प्राप्त कर लें । इन समस्याओं का हल निकालें माननीय मंत्री जी ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी बड़े तेज व तत्पर हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने हुकुम दिया और आधी रात को अयोध्या वह पहुंच गये । रात के अंधेरे में महन्तों, मंदिर के पुजारियों को बुलाया । रात के अंधेरे में उनसे लिखवाया गया और 31 तारीख को मुख्य मंत्री जी पढ़ते हैं कि अमुक महन्त की स्वेच्छा से दरवाजा, खिड़की व मलवे को उठा रहे थे । मलवा कहां से आ गया, जिसे महन्त जी उठा रहे थे । मंदिरों को तोड़ा गया था, धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया था, उसका मलवा वह उठा रहे थे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मंदिर बनाने के लिए हमें जनादेश मिला है । ठीक है, आपको मिला है । आप मंदिर बनायें । परन्तु कमण्डल चार मत कीजिए । आप मंदिर बनाइये, कोई विरोध नहीं है । जब चुनाव होता है तो शिला पूजन हो जाता है, जब उप चुनाव होता है तो कोई एक पत्थर रख दिया जाता है । पांच वर्ष जब पूरा होने को आवेगा तो वहां पर एक ईंट और फेंक देंगे और कह देंगे कि हमें तो केन्द्र सरकार कुछ करने देना नहीं चाहती । उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको प्रदेश की गद्दी दी । हम चाहते हैं कि आप पांच वर्ष तक कुर्सी पर बैठे रहें परन्तु और लोग आपके कार्य को देखें आपने जो वायदे किए हैं, उन्हें तो आप पूरा करेंगे नहीं । आपकी नीतियां क्या हैं । अब आप कहते हैं कि हम हर बाधा को दूर करेंगे । मंदिर बनाने की आप उनकी बाधाओं को दूर करिये । परन्तु याद रखें कांग्रेस सत्ता त्याग देगी परन्तु इस देश और प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में जलने नहीं देगी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी राजस्व के बजट पर सुझाव दें ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं उसी पर बोल रहा हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी बड़े अच्छे आदमी हैं मैं निवेदन करता हूं कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में वह कोई 10 और 12 एकड़ की सीलिंग लागू करें तो हम उनका स्वागत करेंगे । इससे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा अक्षत हलवा लड्डू मंदिर पर चढ़ेगा । यह सरकार महात्मा हनुमान जो राम के सबसे बड़े भक्त थे उनकी [x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी मंदिर की बात छोड़ दें राजस्व विभाग पर विचार दें ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री श्याम नारायण–

मेरा एक निवेदन है माननीय राजस्व मंत्री जी को आप निर्देश दें यह अपनी जमानत करा लें क्योंकि यह 325 के मुजरिम हैं इन्होंने महात्मा हनुमान का [x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप संक्षेप करें ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, एक बात जिला प्रशासन के सम्बन्ध में कहनी है । एक महत्वपूर्ण दस्तावेज लाइब्रेरी में है जिला प्रशासन के बारे में जे० डी० शुक्ला का भी मत 3 वौल्यूम्स में है उसको देखने की कृपा करें । उसमें दिया है कि जिला प्रशासन किस तरह से सक्रिय किया जाय, वहां क्या कठिनाइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाय इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं उनको अगर मान लिया जाय तो बहुत काम होगा ।

20 वर्षों से कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार पदों पर कार्यरत हैं लेकिन वह आज तक विनियमित नहीं हुये हैं । इससे उनको कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है उनका मनोबल गिर रहा है । यह कार्य तुरन्त हो जाना चाहिये और उनको विनियमित कर दिया जाय ।

गांव के लोगों को पता नहीं है कि उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो । सुविधा के लिये अलग से कानूनगो और नायब तहसीलदार रख दिया जाय तो गांव वालों को इस कार्य में सहायता के लिए एक काउन्टर तहसीलों पर खोला जाय । हमारे गोरखपुर के जिलाधिकारी इस समय ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं । हफ्ते मे तीन दिन सारे अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण का कार्यक्रम चला रहे हैं । इस प्रकार अधिकारी भ्रमण कर वहां की तकलीफें सुनते हैं उससे समस्याओं का कुछ समाधान हो रहा है और लोगों को राहत मिल रही है । यह एक नया प्रयोग है और अच्छा प्रयोग इसी आधार पर और जगह भी कार्यवाही होनी चाहिये । महराजगंज के जिलाधीश ग्रामीणों की समस्या सक्रिय रूप से हल करने में लगे हुये हैं । अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का इस प्रकार समाधान ढूंढने के लिये कोई रास्ता निकालना चाहिए ।

मान्यवर, उत्तराधिकार के मामलों में, विरासत के मामलों में और दाखिल खारिज के मामले में किसानों से बिना पैसा दिये उनका काम नहीं होगा । दाखिल-खारिज में उनको 1,000 रुपये तक देना पड़ता है । इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करें कि यह स्वतः हो जाय । यह मेरा सुझाव है इसमें भी ध्यान दें । तीन-तीन वर्षों तक मामले लम्बित रहते हैं क्योंकि कभी पीठासीन अधिकारी नहीं आते, कभी वकील नहीं आते इसलिये वह परेशान हो जाता है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्व संहिता विधेयक के बारे में । लार्ड कार्नवालिस के जमाने की संहिता है । बड़ा सुनने में आ रहा था कि संहिता बनकर तैयार है । मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि संहिता बन गई कि नहीं, अगर नहीं बनी है तो उसे शीघ्र तैयार कराया जाय । उसमें एकरूपता हो वह एकीकृत बनें । मान्यवर, इसे तुरन्त बनाने की कोशिश करें । शीघ्र ही तैयार करके अगले सत्र में यह

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधेयक लाया जाय तो यह स्वीकार है । भूमि सम्बन्धी कानून इतने क्लिष्ट हैं उनमें संशोधनों का अम्बार है । अधिवक्ता लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाते और सही पैरवी नहीं कर पाते । आप उसकी क्लिष्टता को दूर करें उन्हें सरल बनाया जाय ताकि सबकी समझ में आ सके । इस तरह से आप एक विधेयक लायें । मान्यवर, दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा अभी जब मैं सत्र के लिये आ रहा था तो एक गांव है घानी । वह जल गया है । वहां एक आदमी मर गया, जानवर मर गये और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये । मान्यवर, अहेतुक सहायता के लिये 750 रुपये कहा गया है परन्तु अभी तक किसी प्रकार से सहायता नहीं दी गई है । मेरा निवेदन है कि 750 को 1,000 कर दिया जाय । जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये पैसा देने की बात कही गई है उसे भी बढ़ाया जाय । आंशिक कहते हैं उन मकानों के लिये जो पक्के हैं जिनके खिड़की दरवाजे, जंगले जल गये हैं बस ईट पड़ी रह गई होंगी । वह पूर्ण भले माने जाय । उनके बारे में कहते हैं कि आंशिक रूप से जले हैं क्योंकि वहां ईटें पड़ी हैं । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आंशिक 1,000 रुपये और पूर्ण रूप से जले हुए के लिये 1,500 रुपये निर्धारित करें । मान्यवर, बाढ़ आती है । हर साल बाढ़ आती है । हमारे प्रदेश में तो कहीं बाढ़ आई तो कहीं सूखा पड़ जायेगा । मान्यवर, इसके लिये भी एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए । एक बाढ़ कमीशन बनायें और सूखे से निपटने के लिये सिंचाई के साधनों को विकसित करें । विश्वबैंक द्वारा नलकूप लगाने की व्यवस्था करें । इन्डो डैम परियोजना चल रही है उसके अन्तर्गत नलकूप समूह में लगवायें । मान्यवर, आप पिछले 40 वर्षों में जो हुआ है उसी का गुण-गान करते रहते हैं और निन्दा भी यह कैसा विरोधाभास है । 40 वर्षों में बहुत कुछ हुआ तरक्की हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, बस दो मिनट में अपनी बात कहूंगा । सरजू नहर है । इसमें करोड़ो रुपये आज तक खर्च हो गये हैं अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है अधूरी ही पड़ी है । अगर इसे पूरा करवा दें तो बहराइच, गोण्डा, सिद्धार्थ नगर, महराजगंज, बस्ती तक का क्षेत्र इससे सिंचित हो जायेगा । करोड़ों रुपया आज तक खर्च हो चुका है । माननीय राजस्व मंत्री इस पर ध्यान दें सिंचाई मंत्री से बात करें । मा० कल्याण सिंह जी बैठे हैं उनसे बात कर लें तो मान्यवर, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, इसी तरह से पुनर्वास के नाम पर कई लाख खर्च हुआ लेकिन यह पैसा कहां गया, कैसे खर्च हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है । यह कितना सहायक है, मान्यवर, एक और निवेदन है कि कम से कम आप शहरी जमींदारी के जो अवशेष हैं उनको खत्म करने के लिये कोई ठोस कदम शीघ्र उठायें । आपकी इच्छा शक्ति है तो आप इस पर विचार करके शीघ्र कार्यवाही करेंगे हम लोग आपको धन्यवाद देंगे ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज श्याम नारायण तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो बोलें अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, अभी मैंने बड़ा ही सारगर्भित भाषण सुना सीलिंग के बारे में कहा गया, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जनपद देवरिया तहसील सलेमपुर ग्राम मंझौली में, यह इतना लम्बा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, लेकिन चालीस साल से यहां पर सीलिंग की भूमि एक इंच नहीं निकाल सके हैं। देवरिया में सलेमपुर तहसील में फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर मुकदमें चल रहे हैं जमीन उनके हाथ में है इतने समय तक न्यायालय में मामले पड़े रहें और सीलिंग की जमीन को दबाया जाए यह ठीक नहीं है। इसके लिए ठोस नियम बनाये जाने चाहिए ताकि न्यायालय से तत्काल मामलों का निपटारा हो सके। तभी सीलिंग की भूमि पर कब्जा मिल पाएगा। इसी तरह से मान्यवर जमींदारी विनाश उन्मूलन नियम है सलेमपुर तहसील में मंझौली गांव है आज भी, मालूम नहीं कौन सी धारा है, कौन सी दफा है खेवट की जो जमीन कहलाती है, वहां लोग कहते हैं कि आदमी खेवट की जमीन पर बसा है इसीलिए उजाड़ दिया गया। इसी तरह से एक मल्लाह और एक आदमी की झोपड़ी उजाड़ दी गई। खेवट की जमीन पर वह बसे थे। जमींदारी के समय खेवट की जमीन हुआ करती थी यह कौन सी जमीन होती है मैं इसको नहीं जानता हूं। किसी भी तरह की जमीन हो इसको आपको अपने संरक्षण में लेना चाहिए। निश्चित आधार पर नियम बनाने चाहिए। और जो कानून बनें उसका पालन होना चाहिए।

मान्यवर, समानता के अधिकार की बात कर रहे थे। उस समय मैं खड़ा भी हुआ था, तो कुछ लोगों ने आपत्ति की थी। मैं जानना चाहता था कि पुत्रों को देने जा रहे हैं, तो क्या पुत्रियों को भी देंगे? क्या पुत्रियों को भी समानता के अधिकार पर देने जा रहे हैं। यह एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। कई पिता जो हैं, माननीय मंत्री जी वकील हैं कुछ बाप जो हैं गम्भीर बात कहने जा रहा हूं ऐसा है कुछ पिता ऐसे होते हैं जिनके कई पुत्र होते हैं लेकिन वह अपने एक पुत्र को जमीन लिख देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में रंजिश होती है और झगड़े होते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई नियम बनाया जाय जिससे 50 वर्ष की आयु के जो पिता हैं वह अपने एक पुत्र को जमीन न लिख सकें, केवल एक ही पुत्र को जमीन का मालिक न बना सकें, सभी पुत्रों को बराबर-बराबर हक मिले ऐसा नियम आपको बनाना चाहिये ताकि समाज में इस प्रश्न को लेकर परिवारों में जो संघर्ष होता है उसको रोका जा सके।

चकबन्दी की बात आपने कही है। मैं कहना चाहता हूं कि चकबन्दी में समय सीमा को रखें। 20–20 वर्ष हो जाते हैं धारा 52 का प्रकाशन नहीं हो पाता है। इसलिये इसको समय सीमा से बाधित किया जाय। इसी तरह से दफा 28 के मामले भी वर्षों चलते हैं इसको भी समय सीमा से बाधित करने का कष्ट किया जाये। इस पर गंभीरता से सोचें और दफा 28 को समाप्त कराने की कृपा करें। इसी तरह से आपने दलितों को पट्टे देने की बात कही है। आपके प्रदेश के अन्दर कुछ जमीन ऊसर है, कुछ सीपेज वाली है और कुछ जमीन उबड़खाबड़ है। 60 लाख हेक्टेयर जमीन सीपेज की है, 50 लाख हेक्टेयर जमीन नदियों की उबड़ खाबड़ वाली है तथा 50 लाख हेक्टेयर जमीन ऊसर है। इन जमीनों का समतलीकरण करना चाहिए। जैसे आप अयोध्या में समतलीकरण कर रहे हैं वैसे ही इन जमीनों का समतलीकरण किया जाना चाहिये। अगर जमीन का समतलीकरण करके यह जमीन गरीब किसानों को

दी जाय तो उनका बड़ा भला हो सकता है । इस तरीके की कोई योजना आपके पास नहीं है । मेरा निवेदन है कि आप समतलीकरण की योजना बनायें ।

मान्यवर, बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार की योजना है कि गांव की नदी के कटान से हिफाजत नहीं कर सकते हैं लेकिन गांव को स्थानान्तरित कर देंगे । यह आपकी नीति है । लेकिन राजस्व विभाग के अन्दर कोई ऐसी तैयारी नहीं की गयी है । मैं बताना चाहता हूं कि देवरिया के मध्य बहने वाली छोटी गंडक में कई दर्जन गांव विलीन होने की स्थिति में पहुंच गये हैं लेकिन इन गांवों को स्थानान्तरित करने के लिये कोई तैयारी राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गयी है और न कोई नीति बनायी गयी है । आपके माध्यम से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट है । मेरा ख्याल है कि यह लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके बाद कोई और कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी है । इस रिपोर्ट में जो जनहित की चीजें हैं उनको लागू करें और उसके अनुसार कार्यवाही करें तो मैं समझता हूं कि भूमि सुधारों को लागू करने में काफी मदद मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री लल्लन प्रसाद त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । प्रस्तुत बजट कल्याणकारी बजट है । इस पर विस्तृत चर्चा करते हुये माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसको एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रस्तुत किया है । स्थिति यह है कि भूमिहीनों में जो भूमि का वितरण किया गया है उसमें पट्टे भारी संख्या में अनुसूचित जाति, जनेजाति के लोगों में वितरित किये गये हैं । इस सरकार के बनने के बाद भारी संख्या में आवंटियों को कब्जा दिया गया । विशेष रूप से सीलिंग भूमि पर विशेष रूप से चर्चा हुई है । सीलिंग भूमि विशेष रूप से अदालतों के विवाद के कारण ज्यादा उलझी हुई है । जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा है कि उसे विवाद के घेरे से बाहर किया जायगा । बेनामी नामों से जो पेड़ के नाम पर, कुत्ते के नाम पर, बिल्ली के नाम पर भूमि को चुराने का काम जिन लोगों ने किया है उनसे भी भूमि को निकालकर भूमिहीनों में वितरित की जायगी । साथ ही साथ बहुत ही विस्तृत स्वरूप रखते हुए कृषकों के हित की बात कही है ।

राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह मजदूर हो, चाहे भूमिहीन हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, कृषक हो, सबको उससे वास्ता है । कभी कोई आय प्रमाण-पत्र के लिये पहुंचता है, कोई आवासीय प्रमाण-पत्र के लिये पहुंचता है । कोई अछूता नहीं है । साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं पैमाइश, उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक समस्या सदैव बनी रही, भूखण्डों की पैमाइश जो लेखपाल के स्केल पर निर्भर करती है, कभी पांच कड़ी कोई भुजा किसी तरफ बढ़ा दी, कभी घटा दी । क्षेत्रफल पूरा करने के लिये 5 परसेंट एरर से भूखण्ड के रकबे को पूरा कर दिया जाता है । जिससे प्रभावशाली लोग अपने प्रभाव से कब्जा कर लेते हैं और अगल बगल के भूखण्ड की स्थिति परिवर्तित होते हैं । इसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि चकबन्दी चल रही है । उसके अनुसार फार्म में 23 पुराने खेत पर छोड़कर नये को दिया जाता है। भू मालियत के अनुसार उसकी व्यवस्था की जाती है पहले चक की सीमित खाका तैयार होता है । उसकी प्रत्येक भुजाओं का माप व क्षेत्रफल तय होता है । कब्जा परिवर्तन में प्रत्येक भुजा की माप दर्ज होती है, चकबन्दी फार्म 35-क में तथा क्षेत्रफल दर्ज होता है । कब्जा परिवर्तन के समय चकबन्दी फार्म 35-क का वितरण किया जाय । आपके आदेश हैं, नियम के अनुसार उसी प्रकार से ही बन्दोबस्ती नक्शा तैयार किया जाय जिसमें बन्दोबस्ती नक्शे में भी प्रत्येक भुजाओं की माप और क्षेत्रफल भूखण्डों का दर्ज हो

ताकि स्केल लेकर 5–10 कड़ी घुमाने का हक किसी को न हो । ऐसा रहने पर बन्दोबस्ती नक्शे को निकाल कर दो मिनट में पैमाइश बिना विवाद के हो जायगी और परेशानी का हल निकल सकेगा । गलत पैमाइश की दशा में ही कारणों से डकैती, चोरी, बलबा और दीवानी मुकदमें होते हैं । फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व के मुकदमें घटाने की ओर माननीय मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित कर दिया है । इसके साथ ही मैं उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इस प्रशंसनीय बजट से अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

* श्री भारत सिह रावत–

मान्यवर, तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, दकियानूसी सरकार के क्रांतिकारी मंत्री के भाषण क्रांतिकारी थे, भले ही इनका कार्य क्रांतिकारी न हो । उनके बजट से यह प्रतीत होता है कि पर्वतीय क्षेत्र की भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है । यदि है, तो उन्होंने यह मांग करके कि उन्होंने उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पास कर दिया है, इसलिये उनके वहां के विकास से कोई सरोकार ही नहीं है । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में आठों जनपदों की भूमि व्यवस्था अलग ढंग की थी । कुमायूं नया आवाद वेस्ट लैंड ऐक्ट था, जिसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के गांव के लोग गांवों के बाहर बेनाम भूमि पर सार्वजनिक इमारतें बना दिये थे, जैसे स्कूल, अस्पताल, पंचायत घर आदि और भूमिहीनों को जमीन देने का प्राविधान था, किन्तु सरकार ने 1972 के इस एक्ट को समाप्त कर दिया और गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत इन विकास कार्यों के लिए भूमि दी जाती थी, किन्तु अब उसे भी बन्द कर दिया गया है, जिससे वहां के किसानों के सामने विकास कार्यों के निर्माण की एक समस्या पैदा हो गयी है । इस पर पुनर्विचार किया जाय ।

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में पहले खाम स्टेट के अन्तर्गत खाम स्टेट की भूमि थी, जिसका हस्तांतरण स्टाम्पों के माध्यम से होता था यानी खरीद फरोख्त इन स्टाम्पों के माध्यम से होती थी । 1 जुलाई, 1969 में जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत वहां के कास्तकारों की भूमिधरी के अधिकार दिये गये थे, किन्तु स्टाम्प पर खरीदी गयी जमीन का हस्तांतरण खरीदने वाले लोगों के नाम से नहीं हुआ है, जिसके कारण वहां पर जन आन्दोलन हुआ । 1985 में श्री वैद्य, कमिश्नर, कुमायूं की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, जिसने शासन को संस्तुति की है कि 1 जुलाई, 1969 तक जो जमीनें स्टाम्प पर खरीदी गयीं हैं, वह खरीददारों के नाम की जायं और 10 अक्टूबर, 1985 तक जो स्टाम्प पर खरीदी गयी हैं, उनसे कुछ पैसा लेकर उनके नाम भूमिधरी अधिकार दिया जाय, किन्तु शासन ने 30 जून, 1990 तक पट्टे पर देने के लिए शासनादेश निकाला है, इसके खिलाफ किसानों ने आन्दोलन किया है और मांग की है कि पट्टेदारी पर हकदार न बनें, बल्कि भूमिधरी अधिकार दिये जायं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी पूर्व शासन के आदेश के अनुरूप स्टाम्प पर खरीदी गयी भूमि पर भूमिधरी अधिकार देने की कृपा करेंगे । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मालगुजार होता था , जो सरकारी काम-काज अवैतनिक रूप से करता था । सरकार ने उनको इस कार्य के लिये मालगुजारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खेत दिये थे, किन्तु अब मालगुजारी समाप्त हो गयी है और उन मालगुजारी खेतों का अभी तक उन लोगों को भूमिधरी अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिये उनको भूमिधरी अधिकार दिये जायं।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, आपने पहाड़ों पर चकबंदी लागू की है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसका ठीक ढंग से कार्य नहीं चल रहा है, इसको द्रुत गति से लागू किया जाये। मान्यवर, वहां पर जो चकबन्दी चल रही है, लेकिन वहां पर चकबन्दी कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी है, उसको पूरा किया जाये, जिससे चकबन्दी की प्रगति ठीक प्रकार से हो। मान्यवर, अब मैं नापखेत की बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, जिस तरह से मैदानी जनपदों में किसानों को गन्ना और दूसरी चीजें बोने का हक है और उनको काटने का हक है और बेचने का हक है, उसी तरह से नाप खेतों पर पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ होते हैं, तो उनको बेचने का हक नहीं, यह हक उनको दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री श्रीनिवास–

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये और तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि विधवा स्त्री का भी खाते में समावेश किया जायेगा, यह बहुत अच्छी बात है। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया है, जिसके लिये वह बधाई की पात्र हैं। स्त्री के अतिरिक्त अगर पति मर जाये तो उसकी भी स्त्री का खाते में समावेश किया जायेगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। अभी इस प्राविधान के न होने से लड़के अपनी मां को सूखी रोटी भी देने के लिये तैयार नहीं होते थे, लड़कियों के हिस्से का प्राविधान तो पहले से ही कर दिया गया है, लेकिन यह दो चीजें आज की गयी हैं; जिसके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि चकबन्दी में 4 डिसमिल की कटौती होती है, इसको कम किया जाना चाहिए। अगर इतनी कटौती करते रहेंगे और दो-चार बार चकबन्दी हो गयी तो किसानों की सारी जमीन कटौती में ही चली जायेगी। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो चकरोड हैं उन पर कब्जा कर लिया जाता है, इस ओर माननीय मंत्री जी को ठोस कदम उठाना चाहिए।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अभी राजस्व सुधारों की चर्चा की और उस समय उन्होंने गांवों की सीमांकन की बात कही, जो प्रशंसनीय है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ एक शंका व्यक्त की जा रही है कि जितनी भी सरकारें आयी हैं, सभी ग्रामीण अंचलों के भवनों का सीमांकन करने की बात कही है, लेकिन आज तक कोई इस काम में सफल नहीं हो पाया है। मां का हक लड़कों के साथ करने की घोषणा की है, इस प्रकार से मां को कानून की सीमा में बांध दिया गया है। भू-स्वामी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अधिकार जैसे पुत्रों के होने चाहिए वैसे ही मां के रहने चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए । राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर विचार करें कि अधिकारों की जो सीमा बांध ली गयी है, उसको ठीक करें।

सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है, जिस पर बहुत ज्यादा बल दिया है । बात अच्छी है लेकिन उसमें कसरत भी अच्छी की गयी है हाथ उठा-उठाकर कहा गया है लेकिन उसका आधार शून्य मालूम पड़ता है । इन्होंने कहा कि जो मृतक हैं उनके जो आश्रित हैं या उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके नाम सब भू-अभिलेखों में दर्ज करा दिए हैं, यह भ्रामक बात है । पिछले हफ्ते की बात है, मेरे गांव की खतौनी पढ़ी जा रही थी, जिसमें 5-5 वर्ष पहले मरे हुए लोगों के नाम दर्ज हैं । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें अगर आपका मन सही है तो एक समय सीमा बांध दें कि प्रदेश में जो फलां तारीख तक के मृतक हैं, उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हो जाने चाहिये । उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी हो और गलती होने पर जिम्मेदार अधिकारी सजा पायें । सदन में घोषणायें होती रही हैं कि मृतकों के उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर दर्ज करेगा लेकिन हो नहीं पाया । इस तरह की घोषणा करना तो आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत टेढ़ी खीर मालूम पड़ता है ।

जमींदारी विनाश ऐक्ट की जो बात कही है, इसको बने हुए 40 वर्ष हो गये, लेकिन करहल तहसील में आज तक जमींदारी बनी हुई है । पिछली बार जमींदारी समाप्त करायी थी लेकिन भू-अभिलेख जमींदारी के आज तक ठीक नहीं हुए हैं । इसमें इतने विवाद हो गये हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है । अदालत के कटघरे में प्रतिदिन कोई न कोई विवाद खड़ा होकर पहुंच जाता है । जमींदारी पिछले वर्ष तक वहां पर रही है । पिछले साल वहां समाप्त हुई है, राजस्व अभिलेख आज तक तैयार नहीं हुए हैं । किसानों को कठिनाई है, हरिजन पीड़ित हैं । बड़े लोगों की बात सब सुन लेते हैं लेकिन हरिजनों का जब नाम आता है, वे आज भी कब्जा नहीं ले पाये हैं । चकबन्दी की योजना जब बनायी गयी, चकबन्दी अधिनियम बना, उससे प्रदेश को लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ कि कई जगह की जोतें इकट्ठी हो गयीं । फर्जी इन्दराज रोकने की कमी रही । इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं लिखा, फर्जी इन्दराज को कड़ाई से रोकने के लिये जिम्मेदार अधिकारी बिठाये जायं कि जो भी फर्जी होगा उसका निराकरण होगा और जिस पर इसका दायित्व होगा उसको सजा दी जायगी । उदाहरण के तौर पर बांसक मौजे में हरिजनों ने जमीन ली थी, उनकी 1400 बीघा जमीन सवर्णों ने अपने नाम से इन्दराज करा ली । सारे के सारे अधिकारी आज तक चकबन्दी के चंगुल से छुड़ाकर उस जमीन को हरिजनों को नहीं दिला पाये । मेरा निवेदन है कि इस जमीन को छुड़ाकर उन गरीब हरिजनों को दिला दें और इस सदन को सूचित करें या चिट्ठी लिखें कि जमीन दिला दी । बांसक में 300 बीघा जमीन का प्रधान ने पट्टा कर दिया और फिर उन व्यक्तियों को दिखाकर 300 बीघा जमीन अपने परिवार करा ली । तखरऊ मौजे में भी हरिजन हैं, यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको देखें और कड़ी निगाह से देखें और ठीक करायें, चकबन्दी प्रक्रिया दोबारा चल रही है । इसमें सुझाव है कि जिन गांवों में चकबन्दी पहले हो चुकी है और चक कटे नहीं हैं ....

(व्यवधान)

अगर जमीन बढ़ गयी है तो उसी चक से एडजस्ट कर दिया जाय, इससे भ्रष्टाचार नहीं होगा और काश्तकार का शोषण नहीं होगा । मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो राजस्व की बात कही गयी है इसमें रजिस्ट्री के दाम इतना ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं कि जो जमीन खरीदना चाहता है उसको जमीन से ज्यादा रजिस्ट्री की कीमत देनी पड़ती है । मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से

कम सवा 6 एकड़ तक के किसानों को यह सुविधा दे दें कि उनकी रजिस्ट्री की कीमत कम कर दें ताकि उन्हें अपनी जमीन के स्थानान्तरण में कोई कठिनाई न हो ।

इसके अतिरिक्त दैवी आपदाओं की बात है । दैवी आपदाओं में 500 रुपया मिलता है एक हजार रुपया मिलता है तो क्या कोई झोपड़ी 500 या एक हजार रुपये में बन सकती है ? मैं मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस साल तो बजट पेश कर रहें हैं पता नहीं अगले साल बजट पेश कर पायें या न कर पायें, उनको मौका न मिले तो वे आज ही यह घोषणा कर दें कि जिनकी झोपड़ी जल जायेगी उसको 5 हजार रुपया दिया जायेगा ।

इसके साथ ही मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि भू-राजस्व अभिलेखों में बहुत हेराफेरी होती है सारे लोग इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों । तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक सेल बनाया जाना चाहिए । माननीय तिवारी जी ने और भारत सिंह जी ने जो बिन्दु उठाये हैं और इधर उधर के माननीय सदस्य उठायेंगे कि जो हेराफेरी करने वाले हैं उसके लिए एक जिला स्तर पर सेल बनाया जाय जो इनको [illegible] और उनके ऊपर मुकदमा चलायें और कार्यवाही करें । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि समय दिया अगर कुछ ज्यादा समय दे देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा । मान्यवर, महात्मा गांधी जी कहते थे, हमारे नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दल के नेता जो हैं उन्होंने जो सदन में बात रखी है तो उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । गरीबों के विषय में, जमीन के विषय में जो बात हो रही है कि हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं तो कैसे गरीबी को मिटाना चाहते हैं पहले तो गरीबी मिटाना चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े बीहड़ है, टीले हैं, जंगल हैं क्या वहां की जमीन नहीं दे सकते हों, कहते हैं कि जमीन नहीं है, अरे जमीन है गरीबी मिटाना नहीं चाहते हैं इनकी गरीबी मिटाने की नियत नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि सथुवा गांव में 3 हजार से अधिक कुर्मियों के मकान हैं उनके खिलाफ मामला चलाया गया है, उनकी आबादी नहीं दर्ज की गयी है, तो यह गरीबी को दूर कर रहे हैं ? जो झोपड़ी बनी है वह झोपड़ी में नहीं रह पाते हैं तो सरकार से मेरा निवेदन है कि गरीबों की ओर देखें तो दो बीघा जमीन के काश्तकार हैं उनको ऊसर बांगर दिया गया है, उनको किनारे बसा दिया गया है ।

(व्यवधान)

महात्मा गांधी कहते थे "अंहिसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर श्रम अस्वाद भर्य वृजनम सर्वधमो समानतम स्वदेशी शस्त्र भावना विनम्र व्रत इंस्तासु एकादश सेवा ।" संग्रह करना चोरी है । शरीर से श्रम करना चाहिये । मान्यवर, यह जो गरीबों को जमीनों के पट्टों किये गये उन पट्टों पर उन गरीबों को कब्जा नहीं मिल रहा है । उनकी जमीनों पर बड़े बड़े आदमी कब्जा कर लेते हैं । राजस्व मंत्री जी से निवेदन है एक पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण कराइये । अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो गरीबों के लिये आपको काम करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय जागेश्वर जी अब आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री जागेश्वर प्रसाद–

गीता में कहा गया–ईशा का आवास यह सारा जगत जीवन यहां जो व्याप्त है अतिओम करके त्याग उसके नाम से तू भोगता है जो तुझे प्राप्त है धन की किसी की भिन्न न कर तू वासना कर्म कर । आपने कर्म किया, भगवान की पूजा की इसलिये आपको हुकूमत मिल गयी । अगर आप गरीबों की गरीबी मिटाना चाहते हो तो गरीबों की सेवा करो उनकी सहायता करो । जो पहाड़ों पर बड़े बड़े पेड़ हैं उनका भी मालिकाना अधिकार गरीबों को दे दिया जाय तो यह गरीबी दूर हो सकती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

आप मन्दिर में उलझे हुए है, मन्दिर बनने से कोई गरीबी नहीं मिटेगी, न गरीबों का कल्याण होगा । असली मन्दिर तो वहां हैं जहां हजारों हजार बच्चों को शिक्षा मिलती है । असली मन्दिर तो अस्पताल है जहां हजारों गरीबों को दवायें मिलती हैं । अस्पताल और शिक्षा की ओर ध्यान दो मन्दिर में मत उलझो । मन्दिर तो हजारों हजार जगह बन जायेंगे लेकिन उस जगह पर मत उलझो ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं ।

एक सदस्य–

मान्यवर, माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं किसी की कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मन्दिर के विषय में हम तुम्हारे साथ में है लेकिन किसी की इमारत को मस्जिद को गिराकर नहीं । आज अयोध्यापुरी में तमाम जगह हैं जहां मन्दिर बन सकते हैं लेकिन विवादित भूमि पर मन्दिर मत बनाओ । अगर आप गरीबों के हमदर्द हो तो गरीबी को दूर करो उनको न्याय दो । अगर मन्दिर में उलझे रहोगे तो यह मन्दिर का झगड़ा खत्म नहीं होगा । महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव की ओर चलो । लेकिन वहां पर न तो सड़कें हैं, न नालियां हैं, न बिजली है तो इसकी व्यवस्था की जाये । वहां पर छोटे-छोटे कारखाने बनवाये जायें, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए और उसमें कच्चा माल तैयार हो और उसे बाहर के आदमी खरीदें तो उससे हमारे बच्चों की आमदनी होगी और महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा ।

मान्यवर, आज किसान को पानी नहीं मिल रहा है । हमारे ब्लाक धाता में बिजली के सम्बन्ध में एक पावर हाऊस बनाने के लिए जमीन एक्वायर की गयी थी मगर वह पावर हाऊस अभी तक नहीं बन पाया है तो उसे बनवाया जाये । उसके न बनने से किसानों को परेशानी हो रही है । मान्यवर, धाता के अन्दर सड़क की इतनी खराब व्यवस्था है कि कोई वहां पर जा नहीं सकता है तो निर्माण वहां पर कराया जाये । असोथर ब्लाक की भी यही दशा है वहां पर सड़क टूटी हुई है या है नहीं तो उसका भी निर्माण कराया जाये । कोट नदी के किनारे से कोई निकल नहीं सकता है तो वहां पर पुल का निर्माण कराया जाये । मान्यवर, इसी तरह से फतेहपुर शहर में रेलवे स्टेशन पर जो हजारों ठेला खड़े हो जाते हैं तो लोगों को काफी परेशानी होती है तो उसके लिए पुल बनाया जाये । सड़क बनवायी जाये । नहरों की सफाई करायी जाये और गरीब लोगों की परेशानी को दूर किया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

* श्री राम किशन "ददाजू"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और उसका स्वागत करता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है ऐसा बजट विगत 40 सालों में नहीं आया है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा फरवरी, 92 तक नौ लाख चार हजार 858 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी जिससे 26 लाख 11 हजार 587 लोगों को लाभ पहुंचा है। मान्यवर, माननीय भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, श्री बाबू राम यादव जी कह रहे थे कि नाम दर्ज नहीं किये गये लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले सितम्बर तक मेरे जनपद में 35 हजार लोगों के नाम दर्ज किये गये हैं और गांव-गांव जा करके लेखपाल ने नाम दर्ज किये हैं।

मान्यवर, यही नहीं ग्रामीण आवास स्थल आवंटन के अन्तर्गत जब 1971 में सर्वे कराया गया तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को मकान के लिए जगह नहीं थी उसके तहत हमारी सरकार 100 से 150 वर्ग गज के आवास स्थल और 80 हजार आवास स्थल की व्यवस्था की है। मान्यवर, चकबन्दी योजना के अन्तर्गत फरवरी, 92 के अन्त तक 198 लाख 894 हजार हैक्टेयर भूमि कृषकों को चक के रूप में उपलब्ध करायी है जिससे चारागाह, पंचायत घर, खलिहान, स्कूल, खेल के मैदान आदि बनाये जायेंगे। कितना बढ़िया बजट है ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया। मान्यवर, राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1989-90 में 6 नये जिले सृजित किये गये, 31 नई तहसीलें बनायी गयीं इनमें से 16 तहसीलों में कार्य शुरू हो रहा है और फिरोजाबाद जनपद का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, आधे ब्लाक बन चुके हैं इतना तेजी से कार्य हो रहा है कि वह पिछले 40 सालों में कभी नहीं हुआ है जो आरोप लगाये जा रहे हैं वह गलत हैं। मान्यवर, मेरे जनपद के लिए 5 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराये गये हैं मगर यह कहते हैं कि यह बजट ठीक नहीं है तो यह घड़ियाली आसूं बहा रहे हैं। पिछले 40 सालों में ऐसा बजट नहीं आया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भागवत पाल--

मान्यवर, आपने माननीय श्री तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट प्रस्तुत किया है, अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि बड़ा ही ऐतिहासिक बजट है और पता नहीं क्या-क्या नाम दे रहे हैं लेकिन इन्हें पता है कि इस सरकार की उत्पत्ति ही विवाद के जरिये हुयी है। यदि राजस्व का विवाद न होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में न होती। श्रीमन्, मुझे पता है कि इस प्रदेश में दलितों, कमजोरों, गरीबों के जो विवाद चल रहे हैं, उनको निपटाने में यह सरकार किसी तरह का विश्वास नहीं करती है। लेकिन फिर भी आप शासन में हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जिस ढंग का आज बजट यहां पेश किया गया है, उसमें चारों तरफ से खामियां ही खामियां हैं। आज के बजट को अच्छा कहना बिल्कुल बेइमानी होगा, इसे सम्पूर्ण भी नहीं कहा जा सकता। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिये कुछ होगा। सन् 60 में जो जमीन को अधिनियमित किया गया था, सीलिंग का, 40 एकड़ जोत सीमा रखी गयी थी, 12 साल बाद सन् 72 में उसे 18 एकड़ कर दिया गया था। आज देश की, प्रदेश की इतनी आबादी बढ़ गयी, भूमिहीनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इस सरकार से उम्मीद थी कि 20 साल बाद वह जोत सीमा कुछ कम करेगी, लेकिन 20 साल बाद भी 18 एकड़ की जो सीमा है, उस पर ही यह सरकार काम चलाने जा रही है, इससे साफ परिलक्षित होता है कि कुछ नया करने का इनका इरादा नहीं है, न कुछ नया करने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। तमाम ऐसे गांव हैं, जहां लोगों पर तमाम जमीन के फर्जी मुकदमें कर दिये गये और वहां का गरीब, मजदूर, किसान उन मुकदमों को झेल रहा है, क्योंकि मुकदमों को लड़ने की शक्ति उसमें है नहीं। कुछ बड़े लोग, असरदार लोग केवल इसलिये मुकदमा कर दिये हैं कि गरीब किसान किसी न किसी दिन मैदान छोड़कर तो भाग जायेगा ही और तब जमीन इनके हाथ में आ जायेगी।

मान्यवर, इस मुल्क में जमीनों का जो बंटवारा है, उसमें 90 प्रतिशत जमीन 15 प्रतिशत लोगों के हाथ में है 10 प्रतिशत जमीन में 85-90 प्रतिशत लोगों का कब्जा है, पूरा उल्टा समीकरण है, इसके लिये इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ करने जा रहे हैं, जिससे जो असंतुलन व्याप्त है, वह कुछ सीमा तक दूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

मान्यवर, मंत्री जी कहते हैं कि हम दलितों, पिछड़ों के लिये बहुत चीजें कर रहे हैं, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि इन्होंने यहां तक नहीं किया कि अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं, उसमें आने जाने का रास्ता नहीं है, वही उपलब्ध करा देते । जो कमजोर समाज के लोग हैं, जिनको जाने का रास्ता नहीं मिलता, सोचा गया था कि चकबन्दी प्रक्रिया के तहत उन लोगों को सरकार रास्ता दिलवायेगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं कि बेलवा, पहाड़ी ब्लाक में है, वहां चकबन्दी हुये काफी समय हो गया और वहां पर चारों तरफ से इस तरह पाबन्द कर दिया गया कि कोई रास्ता नहीं है । इसी तरह नागवार हरैया, राजगढ़ में है । वहां तमाम लोगों ने चकबन्दी आयुक्त को लिखकर दे दिया कि चकबन्दी निरस्त कर दी जाय ।

पिछली बार मैंने विधान सभा में प्रश्न भी किया था, उसके उत्तर में कहा गया था कि वहां पर लोगों को कब्जा दिलवा दिये गये । अभी वहां के किसान हमसे मिलने आये थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यह बिल्कुल गलत जवाब है, झूठा जवाब है, कोई भी चकबान्दी प्रक्रिया के तहत लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया । इसी तरह ग्राम नेवड़िया तहसील मड़िहान के किसान आये थे, वहां के 95 प्रतिशत किसानों ने दस्तखत करके दिया कि चकबन्दी प्रक्रिया गलत हुयी है, इस सम्बन्ध में मैंने शासन को भी अवगत कराया था कि 90-95 प्रतिशत किसान इस बात के लिये लड़ रहे हैं कि चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाय और नये सिरे से करा दिया जाय, लेकिन होता यह है कि 5 प्रातेशत लोगों के लिये चकबन्दी प्रक्रिया चलाई जाती है, बहुसंख्यकों के लिये नहीं चलाई जाती है । मान्यवर, तमाम समस्याओं से माननीय सदस्य अवगत करा चुके हैं । यदि नियम रहेगा, कानून रहेगा तो उत्तर प्रदेश के गरीब समाज के आदमियों को न्याय मिल पायेगा अन्यथा हजारों साल हो जायेंगे ,उनको न्याय नहीं मिल पायेगा । समाज के सुयोग्य लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं । गलती तो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं परन्तु भुगतना पड़ता है गरीब किसान को । एक समयबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया जाना चाहिये । जिस क्षेत्र में, जिस ब्लाक में, जिस तहसील में और जिस जनपद में जो आवंटन की जमीन है, अगर उसका 15 दिन व एक महीने के अन्दर निस्तारण नहीं हो जाता तो वहां के जिलाधिकारी, एस० डी० एम०, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । अगर लेखपाल भू-लेखों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । सरकार अगर आज इस तरह की घोषणा करती है तो जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वे भाग खड़े होंगे । आप कह दीजिए कि हम 75 से लेकर 100 साल तक की मालगुजारी आपसे वसूल करेंगे तो मेरा यह दावा है कि 15 दिन के अन्दर, ऐसे लोग जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, वे सब लोग जमीन छोड़ कर भाग जायेंगे । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हजारों साल तक जमीनों पर नाजायज कब्जा रहेगा और नाजायज तरीके से कब्जे होते रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसकी कटु निन्दा करता हूं ।

श्री बिन्दु लाल-

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, इसमें कुछ क्रान्तिकारी व्यवस्थायें की गई हैं । गांवों में छोटी-छोटी चीजों को लेकर लाखों विवाद होते हैं और जिन पर काफी पैसा खर्च होता है । गांव की चकबन्दी होने से गांवों वालों को काफी लाभ होगा । उत्तराधिकारी के बारे में भी माननीय माननीय मंत्री जी ने कुछ अच्छी घोषणायें की हैं । जोत बही की बात यहां पर आई । माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अंगूठा और हस्ताक्षर, जो उसका मालिक है,उसके प्रमाणित होंगे । इससे जो

वसीयत-नामें में फर्जी मुकदमे चलते हैं, उसमें काफी मदद मिलेगी । उस जोत बही में मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव और देता हूं कि उसमें किसान की खेती का नक्शा अवश्य बना दिया जाय । उसमें उसकी चाहर दीवारी लिख दी जाय पूर्व में किसका खेत है, पश्चिम में किसका खेत है, उत्तर में किसका खेत है और दक्षिण में किसका है ? इससे हदबरारी के जो मुकदमे चलते हैं, खत्म हो जायेंगे । साथ ही किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा । इसी प्रकार हमारा एक सुझाव यह भी है कि वरासत/दाखिल खारिज के जो मामले हैं, उनके लिए भी एक निश्चित सीमा तय कर लिया जाय और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, अगर वे वरासत नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये । ऐसे मामले लम्बे समय तक लटके रहते हैं । अगर आप इसके लिए ऐसा कर देंगे तो उसमें काफी सफलता मिलेगी । गांवों में आग लगती है और जो लेखपाल है, वह घारी लिख देता है और लिखा देता है इसमें उसका चौका नहीं है । इसलिए उसे जो अनुग्रह राशि मिलने वाली होती है, वह नहीं मिल पाती है किसानों को ब्लैकमेल करते हैं । मैं चाहूंगा चाहे घर हो चाहे घारी उसके जलने पर हर व्यक्ति को उसका पैसा मिलना चाहिये । किसानों को ब्लैकमेल से बचाने के लिये यही रास्ता है कि चाहे घर जले, चाहे घारी जले उसको पैसा मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल-

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और जो अनुदानों की मांगें उन्होंने रखी हैं उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री मिही लाल-

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने आज मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे हमीरपुर जिले के तहसील बरखारी में इस समय चकबंदी चल रही है । उसमें मैंने कई गांवों में जाकर देखा कि जो गरीबों की जमीन है वह बड़े पूंजीपतियों के यहां पहुंच रही है और गरीब त्राहि-त्राहि कर चिल्ला रहा है । मैंने अपने यहां के जिलाधिकारी से भी कहा लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसके लिये राजस्व मंत्री जी को कोई रास्ता निकालना चाहिये कि जो छोटी छोटी जमीन हैं और जो अच्छी नहीं हैं, जो उबड़खाबड़ जमीन हैं उनको गरीबों को दिया जा रहा है । तो इससे उनको बचाने के लिये मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक में जो ब्लाक प्रमुख होते हैं उनको इसके लिये कहा जाय और उनके सुझाव लिये जायं ।

दूसरा हमारे यहां जो सूखा पड़ा हुआ था उसमें हमीरपुर में वसूलियां स्थगित की गयी थी उनकी आज जबरदस्त वसूली हो रही है । तो जब तक फसल न आ जाय तब तक वसूलियां स्थगित कर दी जायं ।

इसके साथ ही जो गांवों में आग लग जाती है चाहे किसी भी आदमी के मकान में आग लगे उससे जानवर जल जाते हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुड़ार ग्राम में पिछले महीने आग लगी उसमें जानवर, गाय, भैंस, बैंल जल गये लेकिन आज तक शासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है । मेरी मांग है कि उनको तत्काल मुआवजा मिलना चाहिये । इसके साथ ही वाहनों की क्षति हो जाती है और गरीबों के कच्चे मकान होते हैं जल जाते हैं उसके लिये भी उनको पैसा मिलना चाहिये । आपने बजट में इसके

लिये पैसा रखा है तो उन गरीबों को भी जिनके मकान और झोपड़ियां जल जाती हैं उसको पैसा दिलवाइये ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो नसबंदी कराई जाती है उसके लिये राजस्व विभाग से आश्वासन दिया जाता है कि जमीन का पट्टा दिया जायेगा । लेकिन नसबंदी के बाद हजारों लोग ऐसे हैं जिनको पट्टा नहीं मिला है वह क्षेत्रीय विधायक और ब्लाक प्रमुख को घेरते हैं । मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने नसबंदी कराई है भले ही दो एकड़ का पट्टा हो, चाहे पहाड़ी का पट्टा हो, चाहे पेड़ लगाने का हो, चाहे नाले का पट्टा हो, चाहे फसल का हो उसको जमीन का पट्टा मिलना चाहिये । मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील भवन का निर्माण हो रहा है । उस तहसील भवन के निर्माण के लिये आपसे अनुरोध है बजट से पैसा और दिया जाय जिससे वह भवन इस वर्ष पूरा हो जाय ।

इसके साथ ही जो मंदिरों की जमीन है ऐसी जमीनों पर वहां के सामंत जबरन उस पर कब्जा कर लेते हैं और उस जमीन पर जो मंदिर है, उसका उतना लाभ नहीं हो पाता है । हमारा यह अनुरोध है कि आप एक ट्रस्ट की कमेटी बनायें जो अच्छी तरह से उस जमीन का रख रखाव कर सके । मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा रखे हुए बजट का विरोध करता हूं और तिवारी जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जय हिन्द ।

श्री प्रभा शंकर पाण्डेय-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग इससे अवगत हैं कि चाहे वसीयत का मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो इसमें बहुत समय लगता है । मान्यवर, उत्तराधिकार के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि अब तक इसमें यह व्यवस्था रही है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति उसके लड़कों को मिलती है, कोई पुत्र मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति उसकी बहू को नहीं मिलती है । किसी भाई के मरने पर उसके पहले से मृत भाई के बच्चों को जमीन नहीं मिलती है । हमारे राजस्व मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि पुत्र के साथ-साथ मां को भी अधिकार दिया है । कोई भाई मर जाता है तो उसके बच्चों को भी उस जमीन का हिस्सा दिया जायेगा । पुत्र के मरने पर पुत्रवधू को भी हिस्सा दिया जायेगा । इसका प्राविधान हमारी सरकार ने किया है । अभी हमारे सामने बैठे मित्रगण चकरोड जुताई के बारे में कुछ बोल रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि 45 साल से हमी सरकार चलाते आ रहे हैं । इन्हीं की सरकार रही होगी इतने सालों से । मान्यवर, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार को आये मात्र 8 महीने हुए हैं । इतने ही दिनों में हमने कानून बनाकर व्यवस्था में सुधार किया है । कितने निर्विवाद मामलों को निपटाया है । पहली अगस्त से अब तक 10 लाख से भी ज्यादा उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों को निपटाया है जो न्यायालयों में लम्बित थे । इस तरफ प्रगति के प्रयास किये जा रहे हैं । चकरोड जोतने के लियें नये कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है पहले जो जुर्माना 50/- रुपये का था उसे श्रीमन्, 1000/- से भी ज्यादा किया गया है । आबादी की जो जमीन थी उसकी अभिलेख के लिये नये नियम कानून बनाये हैं । शहर में एक निश्चित सीमा तक ही जमीन रखने का प्राविधान किया गया है । बेनामी जमीन किन लोगों के पास है और उन्होंने उसे किस तरह से अपने कब्जे में रखा है । इस दिशा में भी कारगर कदम उठाये हैं और इस पर प्रतिबन्ध लगाया है । इसी तरह से ग्राम समाज को जमीन का आवंटन हो या सीलिंग की जमीन का आवंटन हो उसमें भी कारगर कदम उठाये हैं, 1991-92 के लिये भारत सरकार की ओर से जो लक्ष्य दिया गया था ग्राम समाज की 10,388 हैक्टेयर जमीन का उससे भी सवा गुना अधिक 125 प्रतिशत से भी अधिक आवंटन किया है । जमीन दी गयी और कब्जा भी

दिलाया गया है । हो सकता है कहीं कुछ छोटी-मोटी कमी रह गई हो वह भी इसलिये कि कुछ कोर्ट में मुकदमें थे हमने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की अन्यथा सारे के सारे लोगों को कब्जा मिल जाता । इसी तरह से सीलिंग की जमीन के आवंटन में 1250 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया...

श्री उपाध्यक्ष–

पाण्डेय जी अब आप समाप्त करें ।

* श्री चन्द्र भान मौर्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव जो माननीय तिवारी जी ने रखा है, बोलने का मौका दिया । मान्यवर, राजस्व विभाग प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विभाग है । यदि सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर न हो तो ईमानदारी से गांवों और गांवों में रहने वाले इन्सानों के सुख और वैभव को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य करें क्योंकि गांव में किसान हैं जिनकी जिन्दगी खेती है और खेती ही गांव की जिन्दगी है ।

मान्यवर, आदरणीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका अध्ययन करने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन्होंने सरकारी अधिकारियों के फर्जी आंकड़ों के आधार पर यह बजट प्रस्तुत किया है । जहां तक प्रदेश के हरिजनों को कृषि योग्य भूमि आवंटित करने का सवाल है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश के किसी भी जनपद में इस सरकार के आगमन के समय से लेकर आज तक कहीं कब्जा नहीं मिला है । लेकिन इसके विपरीत की स्थिति यह है जो आवंटित भूमि है उस पर दुबारा बड़े-बड़े काश्तकारों के द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं । यही स्थिति आवासों और प्लाटों की है । गांव के पिछड़े लोगों को इन्दिरा आवास योजना और दूसरी योजनाओं में जो आवास आवंटित किए जाते हैं उसमें बहुत गांवों में बहुत से लोगों को कब्जे नहीं दिए गए हैं । चकरोड के बारे में कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि अभियान चलाकर चकरोड बनाने का कार्य किया गया है लेकिन मौके पर जाकर देखें कोई कार्य नहीं हुआ है । आज भी गांव में चकरोड नहीं है और इन गांवों की भूमि पर बड़े-बड़े काश्तकारों द्वारा कब्जे कर लिए गये हैं । मान्यवर, जहां तक 115 सी, 122 बी के मुकदमों का मामला है हमारे जनपद में हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों के पटटे् निरस्त करने का कार्य 122 बी में किया जा रहा है और 115 सी में गरीब और निर्दोष लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री चन्द्र भान मौर्य–

मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक लेखपाल हैं तीन-चार सौ किसानों पर 115 सी के फर्जी मुकदमें कायम कर दिए हैं । जिलाधिकारी एवं अन्य लोगों से कहा गया कोई कार्यवाही नहीं हुई है । गोण्डा में कोई तहसील नई नहीं है––

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री चन्द्रभान मौर्य–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पचौखरा गांव तहसील कार्यालय बनाया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री नन्दराम–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो बजट माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा लाया गया है यह ऐतिहासिक बजट है और 80 से ज्यादा नहीं, 90 से अब तक के जो बजट आए हैं उनमें सबसे अच्छा बजट आया है इतना बढ़िया बजट कभी नहीं आया । मान्यवर मैंने पूर्व सरकारों का भी बजट देखा है मुझे आपके साथ रहने का भी अवसर मिला है, यह बहुत ही सराहनीय बजट है इसके लिए मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं राजस्व मंत्री जी को । मेरा चुनाव क्षेत्र फरीदपुर है वहां एक गंगा नदी है जिसके किनारे-किनारे सैकड़ों गांव पड़ते हैं और लाखों बीघा जमीन ग्राम समाज की पड़ी है मान्यवर, जो माफिया गिरोह के लोग हैं वहां अपना कब्जा किए हुए हैं । एक-एक पट्टे पर दस-दस लोग जोत रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दस-दस लोग उसको कैसे जोत रहे हैं इसके रिकार्ड दिखवाए जाएं ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब इसे समाप्त करें ।

श्री नन्दराम–

इसमें हमने एस०डी०एम० से कहा शासन के अधिकारियों से कहा वह कहते हैं कि रिकार्ड नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री नन्दराम–

मुझे एक मिनट और दे दें । मान्यवर, बहगुल नदी मेरे क्षेत्र से गुजरती है । इसमें बाढ़ आती है तो बड़ा नुकसान होता है । मेरा निवेदन है कि वहां के बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1992-93 के बजट के सम्बन्ध में जो पुस्तिका मिली है उसको पढ़ने का काम किया है । उसमें जो कृषि भूमि सुधार ग्रामीण आवास स्थल आवंटन, सीलिंग भूमि का आवंटन के सम्बन्ध में जो बातें कही गयीं हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनको पढ़ा है । उनको देखने से ऐसा लगता है कि यदि वास्तविक धरातल पर देखा जाय तो यह बजट खरा नहीं उतरता है । आप पट्टे देने की बातें करते हैं । 122 बी (4–एफ) तथा 123 (ए–1) में यह प्राविधान दिया गया है कि जिस भूमि पर अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग एवं गांव के शिल्पकार, गरीब तबके के लोग सन् 1985 से पहले काबिज हैं उनको उसका मालिकाना हक दिया जायगा । लेकिन मैं चुनौती देना चाहता हूं कि महराजगंज के आंकड़े आप देखें । आज प्रदेश में जो फौजदारी के विवाद हैं उसमें 90 प्रतिशत विवाद रेवेन्यू के कारण उत्पन्न हुये विवाद हैं । गरीब आज गरीब से लड़ रहा है केवल राजस्व विभाग की कमी और धांधलियों के कारण । फौजदारी मुकदमों का अंबार लगता जा रहा है । मान्यवर, 122 बी–4–एफ तथा पर 123 ए–1 के अन्तर्गत मालिकाना हक न देकर इन वर्गों के लोगों पर 122–बी के मुकदमें चलाये जा रहे हैं । जबसे मैं एम०एल०ए० हुआ हूं तब से और उसके पूर्व से फरेंदा, नौतनवां, निचनौल–निचलौल तहसीलों में बहुत से लोगों के ऊपर जो 1985 से पूर्व से जो पुश्तों से काबिज चले आ रहे हैं उन पर मुकदमा चलाकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है । तहसीलदार उनके ऊपर मुकदमा चलाकर अपने अधिकारें का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

मै राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये उनसे अपेक्षा करता हूं कि राजस्व न्यायालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों पर जो 122 बी के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं और जो 1985 के पूर्व से चल रहे हैं उनके मालिकाना हक उन्हीं को दिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें । पूरे प्रदेश में परगना मैजिस्ट्रेट 229 (बी) के वादों में करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं । नौतनवां, निचलौल, फरेंदा तहसीलों का उदाहरण देना चाहूंगा । अकेले नौतनवां में विगत 9 महीनों में मेरा स्पष्ट आरोप है कि 20 लाख रुपये के राजस्व की क्षति 122 बी के अन्तर्गत मुकदमों में परगनाधिकारी ने पहुंचायी है । अनुसूचित जाति के जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं उनके पट्टों को अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा बिना खारिज किये 229 बी के अन्तर्गत परगनाधिकारी द्वारा दूसरों लोगों के लिये आदेश कर दिये हैं । आप वहां के रिकार्ड मंगाकर देख लें । मान्यवर, दैवी आपदा के अन्तर्गत 1500 रुपये घर जलने और क्षतिग्रस्त हो जाने पर दिये जाते हैं । मंहगाई बढ़ रही है । अगर किसी का घर जल जाता है तो आजकल कम से कम 10 हजार रुपये का नुकसान होता है सब चीजों को मिलाकर। मेरा अनुरोध है कि राजस्व मंत्री जी अपने विशाल हृदय का परिचय दें और इस धनराशि को 1500 से बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपये करने की कृपा करें । इसी तरह से जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनको कम से कम 1500 रुपये सहायता देने का प्राविधान करें । भूमि सुधारों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं ।

हमारे गोरखपुर जनपद में एक सरदार मजीठिया सरदार नगर में साहब हैं । उनके पास हजारों एकड़ जमीन है । इस सम्बन्ध में आन्दोलन और धरने हुये हैं और कई मौतें भी हुई हैं लेकिन एक लम्बी अवधि बीत गयी है वह जमीन गरीबों में वितरित नहीं हो पायी है । मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी दृढ़ संकल्प की बातें करते हैं । रात को 12 बजे अयोध्या में मंदिर हस्तानान्तरित करा लेते हैं तो सरदार मजीठिया की जमींन को वितरित कराने की कोशिश करें । मान्यवर, मैं केवल 2 मिनट और लेना चाहता हूं । माननीय दीक्षित हमारे नेता हैं, उन्नाव जनपद में इनके क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्य मंत्री की हैसियत से पट्टों का वितरण किया था । 125 लोगों को यह पट्टे वितरित किये गये थे । नियम यह है कि जिनको परगनाधिकारी पट्टा स्वीकार कर देते हैं उनका पट्टा जिलाधिकारी ही निरस्त कर सकता है । लेकिन वहां पर परगनाधिकारी ने अपने स्तर से पट्टे निरस्त कर दिये । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय । इसके अतिरिक्त जो सुझाव मैंने दिये हैं मैं आशा करता हूं कि माननीय

मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे । इसके साथ ही माननीय श्याम नारायण तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं और जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं ।

* श्री तीरथ राज–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट से अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, यह बजट प्रशंसनीय है, लेकिन हमारे विरोध पक्ष के बन्धुओं की ओर से लगता है कि इसका विरोध करना उनकी लाचारी है लेकिन यह है इनके लिये भी अनुकरणीय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षा करूंगा कि सोनभद्र जनपद जो प्रदेश का सम्भवतः सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जनपद है । उसका मुख्यालय अभी तक घोषित नहीं हो पाया है । विकास की योजनायें बाधित हैं । राबर्ट्सगंज में अस्थायी मुख्यालय चल रहा है राबर्ट्सगंज नाम जो इसका है, गुलामी का प्रतीक है, इसको बदल कर सोनभद्र कर देना चाहिये और सोनभद्र में स्थायी मुख्यालय की घोषणा करने की कृपा करें । मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान कैमुर सर्वे एजेंसी द्वारा की जा रही कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। नियमों के अनुसार विवादों का निस्तारण मौके पर किया जाता है । जहां विवाद नहीं है ; जंगल विभाग द्वारा विवाद खड़ा किया जा रहा है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर देखकर वादों का निस्तारण करने के लिये आदेशित करने की कृपा करें ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, हमारे जनपद में राबर्ट्सगंज तहसील के अन्दर कुछ ऐसे गांव हैं, जहां पर बिहार से आये हुए लोग हैं, उनको (पट्टेदारों) परेशान किया जा रहा है । मान्यवर, इसे दिखवाने की कृपा करें । रावर्ट्सगंज तहसील में ही गुरवल ग्राम की चकबन्दी हो गई है । पैमाइश कराने की कृपा करें । मान्यवर, हमारे जनपद में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है । वहां की पेयजल की समस्या पर ध्यान देने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा जो बजट रखा गया है, उसकी अच्छी घोषणाओं के लिए उन्हें बधाई देता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मानयवर, गांवों में जो भूमि आवंटन के लिये भूमि समितियां बनाई जाती हैं, उनकी उपेक्षा करके परगनाधिकारी भूमि आवंटित कर देते हैं, उस भूमि समितियों को आप प्रभावी बनावें और चकबन्दी में जो गलत इन्दराज द्वारा कुछ प्रभावशाली लोग चकबन्दी करा लेते हैं, जैसे हमारे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डेरवा, तहसील गोला में वहां के एक भूतपूर्व मंत्री पट्टेदार काश्तकारों की जमीन को अपने चक में कराकर उनकी अच्छी जमीन को नदी के दियारे में करा दिया । ग्राम सिधौर में हरिजन आबादी में चकबन्दी होने के बाद भी कोई जाने का रास्ता नहीं है । हम पूर्वांचल के जनपद गोरखपुर से चुनकर आये हैं । वहां प्रत्येक वर्ष राप्ती और घाघरा नदियों के कटान से हजारों हजार एकड़ जमीन एक दूसरे जनपद में चली जाती है, किसानों को लगान देता पड़ता है, लेकिन उनकी भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहता है । जैसे हमारे विधान सभा के ग्राम रंकहट, असवनपार, गरया कोल, सहुवाकोल, पुर, नवलपुर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आछी डीह, गोहन पौहरिया तथा विस्तौलिया की जमीन कट कर जनपद देवरिया में चली गयी है । अब भी लोग अपनी जमीनों का लगान देते हैं, लेकिन उनका जमीन पर कोई कब्जा नहीं है । कृपया राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि उनकी जमीनों की पैमाइश करा कर उन्हें कब्जा दिलायें तथा चकबन्दी में जो चकरोड निष्प्रभावी हो गये हैं, उन चकरोडों को राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करके सही करावें तथा चकबन्दी में एक सर्वमान्य मानक बनाकर एक गांव की चकरोड दूसरे गांव के चकरोड से लिंक हो इस तरह का प्राविधान हो तथा चकबन्दी में जो जमीन छूटती है, स्कूल, अस्पताल तथा खेल के मैदान के लिए वह गांव के समीप हो और हमारे विधान सभा क्षेत्र के बड़हलगंज कस्बे की जमीन जो कानूनगो के द्वारा अपने परिवार के नाम करा ली गयी है, उसकी जांच करा कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें और उक्त जमीन को गरीब लोगों में बंटवाने का काम करें । एक ही साथ पूर्वांचल के जिलों की घोषणा की गयी, लेकिन जहां अन्य नये जिलों में निर्माण का काम शुरू हो गया है, जनपद महराजगंज के लिए अभी तक न भूमि अधिग्रहीत की गयी है और न किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू हुआ है । विकेन्द्रीकरण की बात जहां तक है, गोला तहसील के मुख्यालय से सेमरा लगभग 50 किलोमीटर है, अतः आपसे अनुरोध है कि बड़हलगंज की नई तहसील का मुख्यालय बनायें। अन्त में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

* डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मानयवर, हमारे राजस्व मंत्री जी ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जो कि पहली बार हम जैसे नये विधायकों को देखने को मिला है । उनको लगा कि राजस्व जैसे सूखे विषय में रस पैदा करने का काम किया गया है और इसी कारण से विपक्ष के लोग अच्छे सुझाव दे रहे हैं । मैं इसके लिए माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं । आज पहली बार राजस्व मंत्री जी ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें राजस्व रिकार्डों के लिए माइक्रोफिल्मिंग और कम्प्युटराइजिंग की व्यवस्था किया है । मैं इस पर इनको बधाई देता हूं, क्योंकि यह राजस्व रिकार्ड के लिये एक ऐतिहासिक है, मैं इसके लिए भी बधाई दूंगा । मान्यवर, आबादी की जमीन का सर्वेक्षण और एक स्वामित्वीकरण का प्राविधान किया गया है, वरना आज बहुत सी जगहों पर गांव आबाद हैं, लेकिन कागज में बंजर दर्ज है । कागज में ताल, तलैया दर्ज है, मौके पर आबादी है । इस प्रकार रोज इसके लिए दंगे और झगड़े होते हैं, इस प्राविधान को दूर करने में सहायता मिलेगी ।

मान्यवर, भूमि सुधारों पर भी इन्होंने काफी अच्छा प्राविधान किया है । लेकिन यह विडम्बना है कि जिस उत्तर प्रदेश का नाम देश में जमींदारी उन्मूलन के लिए आदर से लिया जाता हैं, उसी उत्तर प्रदेश में अभी तमाम शहरी क्षेत्रों में जमींदारी कायम है । स्वयं मेरे क्षेत्र सैतपुर नगर में आज तक जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है । ऐसे तमाम और टाउन एरिया हैं, जहां 20–20, 30–30 वर्ष से यहां तक कि 50 वर्ष से लोग आबाद हैं, लेकिन कोई मुकदमेंबाज, तिकड़मी किसी पुराने जमानें के जमींदार का कागज प्रस्तुत कर देते हैं और गरीब बेघर हो जाते हैं । एक–एक जमीन को 4–4 बार बेंचा जाता है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र सैदपुर में विकास खण्ड चोलापुर में चकबन्दी हो रही है, लेकिन भदेवां, भिदूर, ढखवा, मोलनापुर राजबारी, चन्द्रावती आदि गांवों में चकबन्दी नहीं हो रही है, मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है कि वहां पर भी चकबन्दी कराने के आदेश देने की कृपा करें । मान्यवर, मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं । एक तो यह है कि राजस्व के जटिल कानूनों का सरलीकरण किया जाये और एक राजस्व संहिता बनायी जाये, तो राजस्व के नियमों की दृष्टि से एक उपयोगी दस्तावेज होगा । दूसरा सुझाव यह है कि जोत बही में किसान की भूमि के अतिरिक्त उसके द्वारा लिये गये ऋण, बकाया आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिये । उसमें इस बात का भी उल्लेख होना चाहिये कि जिस भूमि पर उसका नाम है और कब्जा नहीं है, उसका भी उल्लेख होना चाहिये । इन शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जनपद गाजीपुर में कासमाबाद को तहसील मुख्यालय बनाये जाने के बारे में हजारों लोगों ने धरना दिया था और इसका सर्वे भी कराया गया और आंकलन भी कराया गया, लेकिन बीच में राजनैतिक कारणों से यहां पर तहसील मुख्यालय नहीं बनाया गया । मेरा निवेदन है कि यहां पर प्राथमिकता के आधार पर तहसील मुख्यालय बनाया जाये । मान्यवर, इसी प्रकार से जखनियां में भी तहसील मुख्यालय खोले जाने की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था करें, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। मान्यवर, दैवी आपदाओं की बात कही गयी है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ आदि से पीड़ित लोगों को डेढ़ हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जो आज के समय में नगण्य है, इसको कम से कम 10 हजार रुपया किया जाना चाहिये । इसी प्रकार से पशुओं के लिये एक हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है, इसको बढ़ाकर ढाई हजार रुपये किया जाना चाहिये । इसी प्रकार से भेड़ बकरियों के लिये भी एक हजार की व्यवस्था की जाये । इससे किसानों को राहत मिल सकती है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 229–बी, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत तथा जो म्यूटेशन के मुकदमें चलते हैं वह राजस्व परिषद् तक चले जाते हैं और अगर उन गांवों में चकबन्दी शुरू हो जाती है, तो वह फिर वहीं पर वापस आ जाते हैं । इस प्रकार से लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मान्यवर, गाजीपुर जिले में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जनवरी,. 1992 से 4 व्यक्तियों को नियमित रूप से अमीन के पद पर नियुक्त कर लिया गया है और 20 व्यक्तियों को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया है । इन नियुक्तियों के लिये कोई विज्ञापन नहीं दिया गया, और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाये गये और नियम विरुद्ध तरीके से इनको रख लिया गया है । यही नहीं मान्यवर, ग्राम सभा औरावल, तहसील महोम्मदाबाद जिला गाजीपुर का एक मामला उच्च न्यायालय तक गया और माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि परगनाधिकारी उसको 3 महीने में निर्णीत कर दें, लेकिन इतने साल हो गये हैं, उसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है । मान्यवर, पचोतर परगना में चकबन्दी चल रही है, उससे वहां के लोगों को असंतोष है और लोगों ने अपने हस्ताक्षर से माननीय मंत्री जी को दरख्वास्त भी दी है । मेरा निवेदन है कि उस पर कार्यवाही करके जल्दी से जल्दी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जटा शंकर सिंह–

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तराधिकारी और वरासत सम्बन्धी प्राविधानों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जिसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, मैं इस अवसर का लाभ लेकर अपने क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं उनको माननीय राजस्व मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में वन विभाग ने राजस्व की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है और आज भी वह उस पर काबिज चला आ रहा है। उस पर न तो कृषि कार्य हो रहा है और न जंगल विभाग उस पर कोई कार्य करा रहा है वह जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आज यदि उस पर कृषि हो रही होती तो प्रदेश और देश को खाद्यान का उत्पादन बहुत अधिक मात्र में हो सकता था। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए चाहूंगा कि उस भूमि की पैमाइश करा करके राजस्व विभाग उसे अपने कब्जे में ले।

इसके साथ ही साथ दूसरी गम्भीर समस्या लगभग 6 गांवों की है हमारे विधान सभ क्षेत्र के मिही पुरवा विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले गांव वनों के पार्श्व में बसे होने के कारण वह वनगांव कहे जा रहे हैं ये गांव भवानीपुर, बिछिया, टेड़िया, ढ़किया, गोकुलपुर और महबूबनगर हैं यह गांव 100 वर्षों से अधिक समय से बसे हुए हैं परन्तु वहां के नागरिकों को किसी गांव सभा में सम्मिलित न होने के कारण उनको राजस्व ग्राम की सुविधा नहीं प्राप्त है और वे मिट्टी के तेल, शकर और खाद्यान्नों तक के लिए तरसते हैं। मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान बार-बार इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि विशेष प्राथमिकता देकर उन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कराने की प्रक्रिया प्रचालित करें इसके साथ ही मैं राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस क्रान्तिकारी बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और साथ ही आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने जो इस पर बोलने का मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह निराशावादी वातावरण में आशा की किरण जुटाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन वह निराशा का वातावरण इतना है कि आशा की जो भावना है वह बिल्कुल छिप गयी है। उन्होंने 171 धारा में कुछ प्राविधान करने की बात कही है उसी को आशा की किरण कहा और धारा 171 में मदर है उसको कुछ हक दिलाने की बात कही गयी है इसलिए हमने जानबूझकर बात कही है इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। बाकी सब बातें निराशाजनक हैं। इतना निराशाजनक, खराब बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं प्रस्तुत किया गया। आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि बराबर यह बात कही जा रही है कि भूमिहीनों को पट्टा दिया जाना चाहिए जिस तरह से अभी माननीय वित्त मंत्री या पी०डब्ल्यू० डी० मंत्री यह कहेंगे कि पुल नहीं बनवायेंगे, सड़कें नहीं बनवायेंगे क्योंकि संसाधन की कमी है। लेकिन राजस्व मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि भूमिहीनों को पट्टा क्यों नहीं दिलवायेंगे, भूमिहीनों को जो जमीन दी जाती है वह सीलिंग से प्राप्त हो या पट्टा खारिज होने से जमीन प्राप्त हो जो बड़े-बड़े काश्तकारों ने बड़ी-बड़ी जोतों को हथिया लिया है, ऐसा कानून बना दें कि अनधिकृत पट्टे खारिज हो जायं ताकि जमीन भूमिहीनों में बांटी जा सके।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

122-बी नि०वि०अ० के तहसील के निर्णय के विरुद्ध रिवीजन कमिश्नर के यहां होता है, दाखिल खरिज की अपील एस०डी०ओ० सुनता है । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध रिवीजन कमिश्नर के यहां होता है, जनता को अनावश्यक रूप से कमिश्नर के यहां जाना पड़ता हैं, ऐसा कानून कर दें कि 122-बी के निर्णय के विरुद्ध रिवीजन और अपील का अधिकार कलेक्टर को हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(श्री राम औतार शाक्य एवं कई अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शाक्य जी जो कुछ अब बोल रहे हैं लिखा नहीं जायगा ।

(घोर व्यवधान)

* श्री लाखीराम जोशी–

मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया । माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें जो प्रशंसनीय रूप से नयी व्यवस्थायें की गयी हैं उनका स्वागत करता हूं। इसी परिपेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी को अपने जनपद टिहरी गढ़वाल की कुछ समस्याओं को सुझाव के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं । टिहरी उत्तर प्रदेश में पहला जिला है जहां पर 200 उप तहसीलें चल रही हैं । अनुरोध करूंगा कि उप तहसील जखोली एवं उप तहसील धनौली को पूर्ण तहसील बनाया जाए । स्वीकृत उप कोषागार थत्यूड़ को शीघ्र कर्मचारी तहसील बनाया जाए । टिहरी में सारे सरकारी कार्यालय दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित हो रहे हैं । वहां पर प्रतापनगर तहसील का जो मुख्यालय है, उसको टिहरीनगर से प्रतापनगर में स्थानान्तरित कर दिया जाय । एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं पिछली सरकारों के शासनकाल में जो अव्यवस्था राजस्व विभाग में हुई हैं उसके परिणामस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व विभाग का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है । इसको सुधारने का प्रयास किया जाय । जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पटवारी मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं । गांव के किसानों को अपनी समस्याओं के लिये बहुत परेशान होना पड़ता है और अनावश्यक धन और समय का अपव्यय करना पड़ता है ।

मैं मान्यवर, अनुरोध करूंगा कि यह जो पूर्ववती सरकारों के कारण इसमें अव्यवस्था रही है उस अव्यवस्था के सुधार के लिये प्रयास किये जायं । मान्यवर, यह जो संग्रह अमीन और उनके चपरासी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हैं उनको नियमित करने की कृमा की जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं । माननीय राम प्रसाद सिंह जी ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्राम समाज की भूमि का आवंटन का तरीका है उसमें जो अधिकार है, मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे इस सम्बन्ध में अधिकार और कानून मैदानी क्षेत्रों में है उसी तरह की प्रक्रिया पर्वतीय क्षेत्र में भी अपनायी जाय । मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, किसी जमाने में कलेक्शन विभाग–राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता था, इस पर सरकारें चलती हैं आज यह जो सरकार है इसका राजस्व कम है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि कभी–कभी दैवीय आपदाओं के कारण राजस्व में असर पड़ता है । मान्यवर, जो जमीनों की नियुक्तियां होती हैं वह एक बजट में बोझ जैसा रहता है । आज की जो परिस्थितियां हैं, बांदा जिले में तमाम अमीन हैं उनको जो सुविधायें मिलती हैं उनका किसी गांव में रात में रुकना मुश्किल सा होता है कोई काश्तकार उन्हें रात में रोक नहीं पाता है उनकी सुरक्षा के लिये न लाइसेन्स हैं, बड़ी असुरक्षा में वह चल रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि करीब 22 हजार अमीन हैं, 22 हजार उनके चपरासी हैं, 7 करोड़ रु० खर्च होता है राजस्व का । सरकार के पास आर्थिक तंगी है । अमीनों के पास आबपाशी की वसूली है, बैंक देयों की वसूली है बिक्रीकर की वसूली है । आपने माना है कि तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है । चाहे आबपाशी की बात हो गलत आबपाशी लगती है, गलत कर्जे बटते हैं । मेरा तो कहना है कि जिन विभागों का कार्य हो उनके द्वारा सीधे वसूली हो । निश्चित रूप से किसान और वसूली करने वाले का एक सीधा रिश्ता हो । इससे भ्रष्टाचार कम होगा । अमीन और उनके साथ चपरासी लगे हुए हैं उनके द्वारा वसूली खत्म करके वसूली लेखपालों से करा लीजिये या ग्राम सभाओं के प्रधानों या सम्बन्धित विभागों से सीधे करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

122 बी०–4 के अन्तर्गत भूमिहीन हरिजनों को जो सवा तीन एकड़ के कब्जे हैं वह 10–15 साल से चल रहे हैं जो 115 बी होता है उसमें मालिकान अधिकार दे दिया लेकिन सरकार ने उसका प्रोसीजर नही बनाया कि कैसे मालिकाना अधिकार दिये जायेंगे प्रोसिंडिंग तो आप ड्राप कर दिये लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिलता है इसमें सुधार किया जाय । आपने माना कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है । आपने कहा कि असंक्रमणीय जमीनों में विरासती हो रहे हैं, असंक्रमणीय मामलों में भ्रष्टाचार है । इन भ्रष्टाचारों में न केवल लेखपाल कानूनगो तहसीलदार कलेक्टर कमिश्नर इन्वाल्व हैं बल्कि रेवन्यू बोर्ड

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के सदस्य भी इन्वाल्व हैं । मैं समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई न कोई प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये । जबकि आप प्रभावी कदम उठाकर दंडित नहीं करेंगे तबतक भ्रष्टाचार को रोका जाना संभव नहीं है, मान्यवर आप बैठने के लिये कह रहे हैं, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बृज राज त्रिपाठी–

मान्यवर, जनप्रिय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1866 के बाद जिसे सवा सौ साल से ऊपर हो गये, पहली बार हमारे राजस्व मंत्री जी ने यह प्रयत्न किया है कि आबादी का सर्वेक्षण हो और नक्शा बनाया जाये और खसरा खतौनी हो । यह एक बड़ा ही क्रान्तिकारी कदम है । मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री श्याम नारायण जी ने कहा कि नामांतरण के वादों पर बड़ा विवाद है, रिश्वतखोरी है, और कई साल तक मुकदमा चलता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहली बार समयबद्ध तरीके से दस लाख से ऊपर निर्विवादित और एक लाख पैंसठ हजार विवादित मुकदमों का फैसला कराया । यह एक बड़ा ही क्रान्तिकारी कदम हमारी सरकार का है जिसके लिए मैं राजस्व मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, हमारे जनपद में एक तहसील कैसरगंज है वह भौगोलिक दृष्टि से बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने महसी तहसील बनाने का निर्णय लिया । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब यह तहसील बने तो उसमें जनप्रतिनिधियों की राय ले ली जाये और एक काम्पेक्ट प्लान बनाया जाये । मान्यवर, एक बड़ा ही उपयोगी सुझाव देना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारी सरकार का बड़ा ही क्रान्तिकारी कदम होगा यदि राजस्व परिषद् को समाप्त कर दें राजस्व परिषद् एक सफेद हाथी है जिसे हमारे जनप्रिय राजस्व मंत्री जी समाप्त करके चार, पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत कर सकते हैं । जो दो मुख्य कार्य राजस्व परिषद् के माध्यम से कराया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री बृज राज त्रिपाठी–

तो उसमें से अपील ऊच्च न्यायालय से करायी जा सकती है और जो अधिष्ठाता का काम कराया जाता है जैसे एप्वाइन्टमेंट, प्रोन्नति आदि का तो वह सचिवालय के माध्यम से भी हो सकता है । इसलिए इसे समाप्त करके एक क्रान्तिकारी कदम उठाया जा सकता है । अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

* ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय श्याम नारायण तिवारी जी जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मुझे कुछ दो चार सुझाव देने हैं । मान्यवर, गांव के अन्दर जो गरीब लोगों को पट्टे का आवंटन दिया जाता है, यह मामला बहुत ही गम्भीर है और हम सब यह अनुभव करते हैं और यह कहते हैं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गरीब लोगों को थोड़ी-थोड़ी जमीन दे दी जाये लेकिन जो उनको जमीन मिलती है जितनी कीमत की जमीन होती है उससे ज्यादा कीमत का पैसा उस गरीब आदमी का कब्जा लेने में लग जाता है, उसको अपने नाम कराने में उसके बर्तन बिक जाते हैं। तो दो तीन सुझाव मैं देना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें पहला है कि आवंटन के साथ ही उसका कब्जा सुनिश्चित कराया जाये बिना कब्जे के आवंटन का कोई मायने नहीं हैं। दूसरा कब्जा होने पर सारा खर्चा चाहे वह न्यायालय का हो या और किसी का वह सब शासन वहन करे। तीसरा मान्यवर, मौके पर जो आवंटन होता है, तो डी० एम०, ए० डी० एम० या एस० डी० एम० स्वयं मौके पर रहें। एक जगह और माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शहरों के अन्दर जो जमीन खरीद फरोख्त होती है, उसमें सीलिंग कार्यालय से परमीशन ली जाती है, उसके अन्दर नियम यह है कि 3 महीने तक परमीशन के मामले पर अगर कार्यालय द्वारा टिप्पणी नहीं की जाती है तो परमीशन स्वतः मान ली जाती है। यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है इसमें लोग सब मिले होते हैं और सीलिंग कार्यालय के अधिकारी जानबूझकर ऐसे मामलों में 3 महीने तक कोई टिप्पणी नहीं करते और पैसा ले लेते हैं, जिससे स्वतः परमीशन मान ली जाती है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के ब्लाक देवबन्द व ब्लाक नानौता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां 5–5, 10–10 साल से चकबन्दी शुरू हो चुकी है, नक्शा–5 बंट गया, इनके अधिकारी वहां नहीं हैं, प्रक्रिया लम्बित पड़ी है। मै चाहूंगा कि वहां चकबन्दी तुरन्त पूरी कराने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं रखा है कि उसकी तारीफ की जाय, इसके लिये माफी चाहूंगा, तारीफ करने लायक इसमें कुछ नहीं है।

श्री किशोरी श्याम–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो दाखिल खारिज का काम किया है, वह ठीक है, लेकिन अब जो दुष्कर कार्य उन्होंने हाथ में लिया है और घोषणा की है कि गांव की आबादी का नक्शा बनवायेंगे। श्रीमन् जो जमीनें पड़ी हैं, उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जैसे मेरे गांव का मामला है, वहां 45 फीट का रास्ता था जब हमने वहां खड़न्जा डलवाया तो 14 फीट का रह गया। अब हम मन में विचार करते हैं कि वह 45 फीट रहेगा या 14 फीट। लोगों ने अपने मकान इतने बढ़ा दिये और 45 फीट का रास्ता 14 फीट रह गया। तो मान्यवर, इस तरह की समस्यायें पैदा होंगी, यह बहुत ही दुष्कर कार्य है, परन्तु मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको पूरा करेंगे। परन्तु एक कठिनाई सामने आ रही हैं, जब हमारे माननीय मंत्री जी इस काम को करेंगे, तो जो इधर बैठे हुये लोग हैं.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री किशोरी श्याम–

इनको कठिनाई होगी, भले ही मुझ पर आरोप लग जाय, लेकिन सही बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें। मैंने श्री राम सिंह का नाम पुकार लिया है।

श्री किशोरी श्याम–

माननीय, एक मिनट और कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। (हरेन्द्र सिंह द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप खत्म करें।

श्री किशोरी श्याम–

माननीय, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं पुरजोर समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारा जनपद बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि 1987 के उप चुनाव में मुख्य मंत्री जी ने सरिल को नया तहसील बनाने की घोषणा की थी, कृपया उसे शीघ्र से शीघ्र खोलने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे जलालपुर का जो क्षेत्र है और हमारे राठ क्षेत्र में जो वहां पर पट्टे दिये गये थे, उनकी जमीन पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। अतएव आपसे अनुरोध है कि आप डी० एम० को निर्देश दें कि उन गरीबों के जो पट्टे हैं जो खुदकाश्त हैं उन्हें दिलाये जायं। वन विभाग ने उन पर जो कब्जा कर रखा है, उसे हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

अब जो लोग रह गये हैं, उनसे माफी चाहता हूं।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि चकबन्दी के सम्बन्ध में जो नये जिले बने हुए हैं, वहां के जो जिला मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको डी० डी० सी० के अधिकार नहीं मिले हुए हैं। उनको यह अधिकार न मिलने से दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। अतएव आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उन्हें डी० डी० सी० का अधिकार दिलायें ताकि किसानों की परेशानी दूर हो जाय।

दूसरा, यह है कि हमारे जनपद में दुबारा चकबन्दी हो रही है। धारा–4 के प्रकाशन के बाद, बड़े लोग तो सड़कों के किनारे मकान बनाते चले जा रहे हैं, परन्तु जो छोटे किसान हैं, वह अपने खेत में भी मकान नहीं बना पाते। उन्हें रोका जाता है। उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। इसलिए कृपा करके आप इस पर भी ध्यान दें। भूमि अध्यासि के सम्बन्ध में बहुत से ऐसे मामले हैं, जो वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं और जो जमीन ली गई है, उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। जनपद महराजगंज के ग्राम जवनिहा, मोगलहा, भरहरी, वेदोह व चौका की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर ली गई, परन्तु आज तक उनको मुआवजा नही दिया गया। इस पर भी आप ध्यान दें। हमारे गोरखपुर जनपद में जंगल में टांगिया काश्तकार हैं। जिनको वोट का अधिकार है, उनके अपने मकान हैं, उनकी अपनी जमीन है, परन्तु आज तक उनके गांव को रेवेन्यू गांव नहीं माना जाता है। ये गांव हैं खुर्रमनगर, सूरपार, अचलगढ़ व तिकोनिया। इन गांवों को रेवेन्यू गांव माना जाय। यहां पर चकबन्दी कराई जाय। जब यहां पर

चकबन्दी अधिनियम संशोधन लाया गया था तो उस समय मैंने एक गांव का जिक्र किया था । उसका नाम है कोयला डाडा । वहां चकबन्दी का आदेश मा० मंत्री जी ने दिया था परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप संक्षेप करें ।

श्री श्याम नारायण–

मैंने आपको आवेदन किया था कि वहां के 80 प्रतिशत लोग चकबन्दी चाहते हैं पता नहीं चकबन्दी के आदेश क्यों नहीं हो रहे है ? इसको आप देख लें और चकबन्दी वहां सुनिश्चित करायें भूखण्डों के पैमाइश के बारे में बहुत से सुझाव आये हैं उन पर भी आप कार्यवाही करें । मैंने दो आवेदन आपको चकबन्दी के सम्बन्ध में दिये तो उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करायें । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

(माननीय राजस्व मंत्री को पुकारने पर) चूंकि समय कम है आप संक्षेप में उत्तर भाषण करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने आज इस चर्चा में भाग लिया । मानयवर, आज कुल 27 लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । चूंकि समय कम है इसलिए उनमें से कुछ प्रमुख बातों के बारे में मैं बताना चाहता हूं जैसे हमारे गढ़वाल जनपद के माननीय विधायक रावत जी ने चिन्ता प्रकट की थी कि वहां पर विनियमितीकरण कर दिया जाय । कोटद्वार और पौड़ी में हस्तान्तरण होते रहे हैं और कुछ स्टेंप ड्यूटी के विवाद हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो विवाद थे उसमें विनियमितीकरण हेतु मंत्रि परिषद् ने निर्णय ले लिया है और स्थानीय परेशानियों को देखते हुये जो उस क्षेत्र में 50 वर्षों से ट्रांसफर होते रहते थे और विवाद होते रहते थे तो उसमें कैबिनेट ने आपके पक्ष में निर्णय ले लिया है, काश्तकारों के हित में लिया है मामला न्याय विभाग में परामर्श के लिये गया हुआ है ।

एक बहुमूल्य सुझाव आया है कि सीलिंग की सीमा 18 एकड़ से कम कर 10 या 12 एकड़ कर दी जाय इस सम्बन्ध में माननीय स्वामीनाथ जी ने और तिवारी जी ने भी कहा इधर के अन्य सदस्यों ने भी कहा । 14 मार्च को दिल्ली में राजस्व मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें यह प्रश्न रखा गया था लेकिन व्यवहारिकता को देखते हुये सर्वसम्मत राय नहीं बनी । जहां एक तरफ अलाभकारी जोतों को समाहित करके बड़ी-बड़ी जोतों में बांट रहे हैं अब 10 और 12 एकड़ करना आजकल के वैज्ञानिक युग में जहां कृषि वैज्ञानिक ढंग से होने लगी है, नहर, ट्यूबवैल की नालियों के लिये जमीन का 15 से 20 प्रतिशत भाग निकल जाता है तो फिर 10 एकड़ करने पर कितना रह जायेगा ? अलाभकारी जोतों को लाभकारी बनाने के लिये भूमिसुधार और चकबन्दी की गयी तो वह कार्य इससे निष्प्रभावी हो जायेगा । इससे भी वहां पर सर्वसम्मति नहीं बनी । आपके सुझाव में भावना ठीक है लेकिन व्यवहारिकता में वह सम्भव नहीं होगा ।

एक सुझाव आया कि मुकदमें बहुत दिनों से लम्बित रहते हैं और कहा गया कि दाखिल खारिज के लिये समय सीमा निर्धारित की जाय । तो जो निर्विवाद दाखिल खारिज हैं उसमें समय सीमा निर्धारित हो

चुकी है 30 दिन की । मान्यवर, यह तीस दिन की सीमा निर्धारित की गयी है । अगर किसी ख़ातेदार की मृत्यु हो जाती है तो तीस दिनों के अन्दर ही उसके वारिस के नाम दाखिल करना अनिवार्य होगा । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो लेखपाल और सुपरवाइजरी जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । इसी तरह से जो विवादास्पद दाखिल खारिज के प्रकरण हैं, उनका शीघ्र निपटारा किया जायेगा । दूसरा जिनमें समरी ट्रायल आफ बोनाफाइड क्वैश्चन आफ टाइटिल इनवाल्व होता है । कोर्ट तक जाने के बाद पुनः प्रारम्भ होता है । 229–बी चलता है उसमें भी विचार हो रहा है । उसको हम गम्भीरता से दिखवा लेंगे एक ओर रिवीजन के प्राविधानों का कम कर देगें और जो बोनाफइड क्वैश्चन आफ टाइटिल की बात है वह आटोमेटिकली हो जायेगा । यह दोहरी प्रक्रिया समाप्त की जायेगी । एक और बात माननीय सदस्य ने कही है दैवी आपदाओं के बारे में ।

मान्यवर, उसके बारे मे जो मानक हैं उसमें और वृद्धि करने के लिये कहा गया है । मान्यवर, इस सदन की जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि पहले यह राहत बहुत कम थी । जो हमने अभी बताई है उससे भी कम थी । एक वर्ष पहले इसे पुनरीक्षित करके इतना बढ़ाया गया है । एक वर्ष के अन्दर दोबारा बढ़ाया जाना उपयोगी भी नहीं होगा और न ही संभव है । यह क्षतिपूर्ति नहीं है । दैवी आपदाओं से जो लोग बेघर हो जाते हैं, जिनके मकान गिर जाते हैं उन्हें जब तक आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक उन्हें सिर छुपाने के लिये कोई व्यवस्था कर सकें, दिया जाता है । मैं समझता हूं कि यह व्यवहारिक नहीं है और संभव नहीं है कि इसमें वृद्धि की जाय । एक और महत्वपूर्ण सुझाव आया है जिसमें लम्बी चौड़ी सूची आंकड़ों व उद्धरणों के साथ तिवारी जी ने दी है । मैं निश्चित रुप से इस मामले में कठोर कार्यवाही करवाकर महराजंगज के जिन क्षेत्रों के बारे में आपने बताई है । आपको उसकी सूचना दे दूंगा । चकबन्दी के संबंध में 20-20, 25-25 सालों से मामले लम्बित हैं । मैं सम्मानित सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हम ने अभी प्रथम चरण में यह निर्देश दिये हैं कि चकबन्दी से संबंधित कोई मामला 10 साल से अधिक लम्बित न रहे । यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह 10 वर्षो में पूरा हो जाय । इसको भी अब हम सात वर्ष करने जा रहे हैं । तीन वर्ष और कम करने जा रहे हैं ।

(विपक्ष से माननीय सदस्यों द्वारा इसे 5 वर्ष किये जाने की बात सम्मिलत रूप से कहीं गई)

जिस तरह से हमने 20-25 साल को 10 वर्ष किया और अब 10 वर्ष से 7 वर्ष करने जा रहे हैं उसी तरह से चरणों मे चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं । हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चक्कर होता है । हम आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उस पर विचार करेंगे । मंगलदेव विशारद की जो समिति बनी थी उसकी संस्तुतियों को लागू करने का सुझाव माननीय स्वामी नाथ यादव जी ने दिया है ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, एक सनवाल समिति है उसकी रिपोर्ट की भी जांच करवा लें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

समिति की पूरी आख्या मंगवाकर परीक्षण करवाया जा रहा है । जो संस्तुतियां हैं, उन्हें लागू करने पर विचार किया जायेगा । जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है । हमारे श्री लल्लन तिवारी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव पैमाइश के बारे में दिया है । इस संबंध में आज ही अधिकारियों को प्रातःकाल इस संबंध में निर्देश दे दिये हैं । चकबन्दियों के दौरान जो गड़बड़ी नक्शा न होने की वजह से होती है उसको दूर किया जाय । विलम्ब से कारणों की कड़ाई से जांच की जायेगी ।

इसी प्रकार से बाबूराम यादव ने आशंका व्यक्त की है वह आशंका की बात नहीं है । कठिनाईयां तो आती ही हैं उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं । किशोरी श्याम कह रहे थे इतनी चौड़ी गली थी कम रह गई तो इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जायेगी । एक सुझाव हरिशंकर तिवारी जी ने भी दिया था, इसमें भी विचार किया जायेगा मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं ।

(व्यवधान)

श्री भारत सिंह रावत –

गर्वन्मेन्ट ग्रान्ट एक्ट के तहत कोई सहायता नहीं दी जा रही है तो में कहना चाहता हूं कि जो प्राविधान पहले था उसी प्राविधान को करने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जो कठिनाइयां हैं आप बता देंगे तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जायगा । मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस पर अपने मूल्यवान सुझाव दिए ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो ग्राम सभा में भूमि प्रबन्ध समिति के लेखपाल सचिव के रुप में होते हैं उनको खसरा खतौनी की कोई जानकारी नहीं होती है ।

तो जमीनों के अवैध कब्जे की जानकारी होने पर लेखपाल को भी उत्तरदायी ठहरायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं अहेतुक सहायता जिसकी चर्चा बजट में की गई है, लोगों के गांव में खेत खलिहान जल जाते हैं उसे किसी प्रकार की अहेतुक सहायता नहीं दी जाती है, तो जिन व्यक्तियों के खलिहान जल गए हैं उनका तो सर्वस्व ही जल गया है । तो क्या जिनके खलिहान जल गए हैं उनको अहेतुक सहायता के अन्तर्गत सहायता देने की कृपा करेंगे दूसरी बात कहना चाहूंगा कि नदी के कटान से जमीन कट जाती है प्रत्येक साल । लेकिन जमीन का लगान किसान देते हैं वह जमीन दूसरे जनपद मे चली जाती है तो इसमें राजस्व विभाग को निदेशित करें कोई पैमाइश नहीं होती है किसान दंड के रूप में लगान देते रहते हैं तो इसमें सालों साल लग जाते हैं, तो इसमें समय निर्धारित होना चाहिए ।

श्री लीलाराम शर्मा–

माननीय राजस्व मंत्री जी आपने कह दिया पहाड़ के कानून के सिलसिले में कि हमने जिलाधिकारी को आदेश दे दिया है इससे पहाड़ का विकास होने वाला नहीं है । पहाड़ का कानून जटिल है । पहाड़ का विकास राजस्व विभाग और वन विभाग के कारण रुका हुआ है । केन्द्र सरकार पैसा दे रही है

लेकिन उसके अनुसार योजनायें बन नहीं पा रही हैं । आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं जिलाधिकारी को आदेश दे दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां के कानूनों को ठीक कराइये और उन पर चर्चा कराइये ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने जो बात कही थी वह विनियमितीकरण के संबंध में कही थी कि हमारी मंत्रि परिषद ने निर्णय ले लिया है । मैं भी आपसे सहमत हूं कि वहां विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं उसका कारण सेंट्रल का कन्जरवेशन आफ फ़ारेस्ट ऐक्ट । बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको हम राजस्व गांव डिक्लेयर करना चाहते हैं लेकिन उसमें वन विभाग आड़े आता है, वह कहता है कि यह भूमि हमारी है । यह विवाद हम निपटाने जा रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार की भूमि सीमा के विवाद पर विचार हो रहा है । बड़े मूल्यवान सुझाव आये हैं मैं इन पर विचार करूंगा ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । बहुत सी ग्राम सभायें ऐसी हैं जिनके अंदर कम से कम 30-40 गांव आते हैं । जैसे हमारे इलाहाबाद जनपद में तहसील चायल में एक गांव चरवा है उसमे 52 मजरे आते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की बड़ी ग्राम सभायें हैं उनको छोटा करके नयी ग्राम सभाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया चलायेंगें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जहां तक बड़ी ग्राम सभाओं का प्रश्न है यह राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है । यह पंचायती राज विभाग से संबंधित है । एक राजस्व गांव में एक ग्राम में एक ग्राम सभा हो सकती है और एक ग्राम सभा में कई राजस्व गांव हो सकते हैं । यह विषय पंचायत राज का है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं केवल एक जानकारी करना चाहता हूं । पूरे प्रदेश में, गांवों में जो भूमि प्रबंधक समिति होती है उसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है । शासन की ओर से उस समिति में लेखपाल को उस समिति का सचिव बनाया जाता है । मैं अनुरोध करूंगा कि जो अवैध कब्जे होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेखपाल और कानूनगो पर भी फिक्स करें ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि आपने कहा कि चकबन्दी की प्रक्रिया को 7 साल करने जा रहे हैं । हमारे यहां बनारस में तहसील ज्ञानपुर में 30 वर्ष हो गये हैं लेकिन चकबन्दी का कार्य पूरा नहीं हुआ है ।

[समय-5 बजकर 20 मिनट]

नम्बर-2 जो जमीनें सिंचाई विभाग या और दूसरे विभाग विकास के काम के लिये लेते हैं, लेकिन इनकी दफा–4 या दफा-6 की कार्यवाही न होने के कारण इक्वीजीशन नहीं हो पाता है और मुआवजा भी नहीं मिलता है । नंबर-3 बालिकाओं की शिक्षा पूरे प्रदेश में बहुत कम है और बहुत संस्थायें बालिकाओं के लिये हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज देहाती क्षेत्र में खोलवाना चाहते हैं, जमीन न

मिलने के कारण यह बाधा है। क्या सरकार भूमि प्रबन्धक समितियों को यह आदेश देगी कि गांव सभा की जमीन को प्रस्ताव पास कर बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के लिये उन संस्थाओं की जमीन का आवंटम कर दे।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय ऊदल जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मान्यवर, पहले जो जमीदारी विनाश अधिनियम बना था, उस समय जो वरीयता थी, उसमें विद्यालय को देने के विरुद्ध थे, 1976 में संभवतः उसे समाप्त कर दिया है। इसमें विद्यालयों के लिये बड़ी कठिनाई हो रही है। इस संबंध में आपका प्रश्न भी मिला है और भी माननीय सदस्य हैं, जिन्हें इस विषय पर जिज्ञासा है। मान्यवर, इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बिहार और उत्तर प्रदेश के बार्डर पर जो विवाद है, उस पर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी उस पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मान्यवर, बिहार सरकार से उनकी बातचीत चल रही है, उसका निदान कब तक कर देंगे ? मान्यवर जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद में नई तहसील खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, और कब तक खोल देंगे।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय सुरेन्द्र सिंह, मैं समझता हूं कि मैंने उसके बारे में अधिकारियों से भी कहा है। ये मुझसे कई बार इस संबंध में मिले भी थे। उसके जो मानक हैं, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, कटौती के प्रस्ताव पर आप क्या बल दे रहे हैं ?

श्री श्याम नारायण –

जी हां मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो खड़े हैं, वे कृपया बैठ जायं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,76,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,77,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,63,12,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–83 सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83 सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत के अतिक्ति 13,54,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष-1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग

(माननीय ऊर्जा मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बजट साहित्य अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रस्ताव रखने के पूर्व मिल जाना चाहिये, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

साहित्य बट चुका है। सुबह माननीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी व्यवस्था दे दी है और साहित्य भी बट चुका है।

*ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टंडन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–9-ऊर्जा विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,39,87,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, प्रदेश के चौमुखी विकास के लिये ये माननीय सदस्य, इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यगण स्वाभाविक रूप से उत्सुक और चिन्तित होंगे। मान्यवर, ऊर्जा के सही विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना करना एक भ्रांति है। सारे देश में जिस तरह से औद्योगीकरण हो रहा है पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश इसमें लगातार पिछड़ता चला जा रहा है इसलिये कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं है।

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन में कोई बडी अपनी प्रशंसा करने के लिये खड़ा नहीं हूं बल्कि इस अनुदान को प्रस्तुत करते समय मेरा यह दायित्व है कि सदन को यह अवगत कराऊं कि प्रदेश में ऊर्जा की स्थिति न केवल चिन्ताजनक है बल्कि भयावह है। पिछले अनेकों वर्षों से इस क्षेत्र की जितनी उपेक्षा की गयी उसके कारण यह स्थिति हो गयी कि जो हमारे उत्पादन के केन्द्र हैं यह बिल्कुल बीते हुए समय के होंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर सारी मशीनें खराब होंगी सारी पारेषण और वितरण की जो व्यवस्था है वह अस्त-व्यस्त है। जितनी बड़ी धनराशि की आज आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं हो सकती।

मैं मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्यों ने अपने सामान्य चर्चा के समय भी चिन्ता जाहिर की थी कि गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया यह सारी बातें मैं स्वीकार करता हूं इसलिये कि यहां पर कोई बात छिपाने की नहीं है। स्थिति यह है कि आज 40 साल में इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि सारे देश में जितने गांव ऊर्जीकृत होने बाकी थे उससे अधिक केवल उत्तर प्रदेश में बाकी हैं। आज आर० ई० सी० से पैसा लेकर विद्युतीकरण होता है उसकी परिभाषा के अनुसार 72 फीसदी गांव यहां पर ऊर्जीकृत हुए हैं। वह परिभाषा आज के समय में किसी के भी द्वारा पूरा नहीं हो सकता। किसी गांव के अन्दर खम्भा निकल गया तो उर्जीकृत हो गया, किसी ट्यूबवेल को ऊर्जा मिली तो गांव ऊर्जीकृत हो गया, एक जगह हो गया और सारा पुरवा अंधेरे में पड़ा हुआ है। जिन-जिन गांवों में 80 फीसदी तक जहां विद्युतीकरण हो गया है ऐसे गांवों की संख्या-50 फीसदी से ज्यादा नहीं है और कम ही होगी। तो मान्यवर, यह इतना बड़ा कार्य, आज यह जो अपेक्षाएं हैं, आज सारे विश्व में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊर्जा की खपत प्रति व्यक्ति जितनी हो रही है, उत्तर प्रदेश में आज यह स्थिति है कि आज गांवों में उन झोपड़ियों में जलाने के लिये बल्ब की सुविधा नहीं मिल पाई है । जिन गांवों की फसल सूख रही है, ऊर्जा नहीं है वहां ट्यूबवेल नहीं चल सकते । यह स्थिति अभी जो आंकड़े सामने हैं यह देखकर लगेगा कि यह आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद कोई सुधार की कल्पना के बजाय यह समस्या और विशाल आकार लेती चली जायेगी । आज अगर सारे गांवों के विद्युतीकरण का फैसला लिया जाय तो कम से कम 1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इतना ले लीजिए हम लोग पास करा देंगे ।

श्री लालजी टंडन–

यह आपकी शुभकामना है जिस दिन यह प्रदेश इतना धन परिव्यय करने के लिये तैयार हो जायेगा उस दिन यहां जिस रामराज्य के लिये हम काम कर रहे हैं वह आ ही जायेगा ।

अगर ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को ठीक करना है तो 3 हजार करोड़ रु० की जरूरत होगी । जो विरासत में राज्य विद्युत बोर्ड हमको मिला, उसमें 2300 करोड़ रु० की देनदारी और 900 करोड़ रु० का रिकार्ड घाटा, ऐसी स्थिति में क्या कल्पना की जा सकती है कि कोई विकास का कार्य होगा । सरकार के परिवर्तन के समय प्रदेश में भयंकर सूखा भी पड़ा है । चिन्ता थी कि गांवों में अवर्षण के कारण फसल नष्ट न हो । सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गांव में विद्युत गयी और गन्ने की रिकार्ड पैदावार इसका प्रमाण है । उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि खरीफ की फसल सूखी तो रबी की फसल को बचाने के लिये कदम उठाये जायं । 20 हजार ट्यूबवेलों को ऊर्जीकृत करने के लिये योजना बनायी गयी और संसाधन उपलब्ध कराये गये । हर्ष की बात है कि यह लक्ष्य 20 हजार से ज्यादा हो गया । यह एक रिकार्ड उपलब्धि है ।

जब विद्युत बोर्ड की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से चिन्ता होती है कि बोर्ड की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसका उत्पादन कम है, उसके वितरण में लाइन लासेस है । इसमें से बहुत सी कमियां प्रशासनिक दृढ़ता लाने के बाद दूर की जा सकती हैं । इसके लिये एक अभियान चलाया गया । ऐसे लोग जो अनधिकृत रूप से बिजली जला रहे हैं उनको अवसर दिया जाय कि कनेक्शन ले लें । इसमें 80 हजार लोगों ने इच्छा जाहिर की, 60 हजार को रेगुलराइज कर दिया गया । चोरी रोकने के लिये एक अभियान और चला, 6 करोड़ रु० से ज्यादा का रेवन्यू निश्चित किया गया । कुछ बड़े-बड़े कारखानेदार हैं जिनके ऊपर हाथ डाला गया, उनको कानून के शिकंजे में लाया गया । एक सूची है उन लोगों की जिनके कनेक्शन काट दिये गये । इस प्रदेश के सभी बड़े नेताओं और दलों को बधाई देता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् में अभी 24 दिन तक हड़ताल चली, सभी ने उसको गलत रूप में लिया और उनकी अनुचित मांगों के लिये सदन में ज्यादा दबाव नहीं पड़ा कि बाध्यता हो । आज अगर 100-200 करोड़ रु० की आमदनी बढ़े और 400 करोड़ रु० वेतन वृद्धि के नाम पर चला जाय तो प्रदेश बरबाद हो जायेगा । इस बार दृढ़ता के साथ फैसला किया गया कि बोर्ड कोई सरकारी विभाग नहीं है कि जो निश्चित हो मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है । जो कमाई करेंगे उसी में हिस्सा मिलेगा । पिछली बार इसलिये यह हुआ कि "नो वर्क नो पे" । ये कुछ लक्षण हैं जो सुधार की तरफ जा रहे हैं । वर्षो से अराजकता की स्थिति थी, आज कुछ सन्तोष है कि काफी कुछ वर्क करेक्टर डेवलप हो रहा है लेकिन फिर भी इन सब कामों के लिये जो संसाधन जुटाने होंगे, प्रयास यह हो रहा है कि आगामी वर्षो में क्या काम करें

जिससे सुधार हो । आज जो आर्थिक दुष्परिणाम हो रहे हैं और बिजली की कमी हो रही है उसमें एक बड़ा कारण पिछले दिनों में यह भी आया कि पैसा देने के बाद भी कोयले की आपूर्ति समय से न हो पाने के कारण 1400 करोड़ रुपये की बिजली बोर्ड को हानि हुई ।

अगर मोटे-मोटे तौर से देखा जाय तो यह एक हजार करोड़ से लेकर 12सौ-13 सौ करोड़ के बीच में इस राशि की हानि इसलिये हुई कि समय पर कोयला नहीं मिला । उसके कारण यह पी० एल० एफ० घटता चला जा रहा है । अगले साल के लिये यह निश्चित कर दिया है कि यह जो 46 प्रतिशत है इसे हम 52 प्रतिशत 53 प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं । जो लाइन लासेस की चोरी हो रही है उसके लिये कठोर कार्यवाही की जायेगी । सारा सिस्टम सुधारने के लिये हमें धन की आवश्यकता है ।

मान्यवर, यह जो पी० एफ० सी० और आर० एफ० सी० से ऋण प्राप्त होता है । पिछली बार आर० एफ० सी० से 20 करोड़ मिला वह भी केवल एक निश्चित क्षेत्र के लिये मिला उससे पूरे प्रदेश को लाभ नहीं मिल पाया । उसी तरह से पी० एफ० सी० से पैसा नहीं मिल पा रहा है स्थिति यह है कि स्रोत बंद हो गये अगर आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो ग्रामीण विद्युतीकरण प्रभावित होगा उससे निश्चित रूप से विकास के कार्यक्रम रुकेंगे । हमने बार-बार केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि जो पुराने बकाया हैं पिछली सरकारों के जमाने के उसकी रि–शिड्यूलिंग कर दें, वहां जिम्मेदारी है सरकार की हमें पिछले बकायों की जिम्मेदारी लेनी होती है वह सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है । केन्द्रीय सरकार को इस बड़े राज्य के विकास के लिये सहायता अवश्य देनी चाहिये और उसकी रि–शिड्यूलिंग हो जाय ताकि इन योजनाओं का पैसा मिलना शुरू हो जाय । ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन के ऊपर जो कम दिखाया जा रहा है जिसके कारण विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता है वह प्रभावित हो रही है जो उत्पादन है वह प्रभावित हो रहा है जो चोरी हो रही है वह लाइन लासेस के नाम पर मुश्किल हो रहा है फैसला करना कि टेक्नीकल लास के कारण है या इस पर कितनी चोरी हो रही है । इसे सुधारने की बड़ी आवश्यकता है हम प्रयास कर रहे हैं अभी ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है फिर प्रार्थना करेंगे आखिर केन्द्र सरकार का भी दायित्व है । आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो बात है माननीय प्रधान मंत्री का मत है कि ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक परिव्यय किया जाय । उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिये कुछ सहायता प्राप्त होगी । लेकिन मुझे अभी तक आश्वासन साकार होता दिखाई नहीं दिया । कोई चीज ऐसी प्राप्त नहीं हो पायी जिसे कहें । यहां कुछ अनिश्चितताओं के कारण केन्द्र सरकार निश्चित नहीं कर पायी । आनपारा के लिये जो जापान की सहायता से बन रहा है उसमें शत–प्रतिशत खर्च जापान सरकार का है । रुपया वहां से आता था लेकिन कुछ अनिश्चितताओं की वजह से उसमें एक साल का विलम्ब होगा जो कार्य 7वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाना चाहिए था वह 8वीं योजना में पूरा हो पायेगा कम से कम एक वर्ष का विलम्ब हो गया एक हजार मेगावाट का जनरेशन लास हो गया । यह पैसा कौन देगा, कब देंगे यह सारी आपत्तियां थीं उनके कारण समस्या उत्पन्न हुई । इस साल जो कई काम नहीं हो सकते उसका एक कारण रहा कि गत वर्ष के परिव्यय को देखा जाय तो मान्यवर, जो जो वायदे किये गये थे, केन्द्रीय वित्तीय संसाधन जो प्राप्त होने थे, यह कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । आनपारा योजना में जो मिलना चाहिये था वह भी प्राप्त नहीं हुआ सारा टारगेट पिछड़ गया । इसके बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाय । गत वर्ष 1400 करोड़ रु० की वसूलयाबी हुई थी मान्यवर, अगर यहां पर एक माह हड़ताल न हुई होती फरवरी मास में तो शायद यह 1800 करोड़ रु०

पहुंच गया होता लेकिन 1600 करोड़ तक पहुंचा । गत वर्ष की अपेक्षा 200 रु० से ज्यादा की वसूलयाबी की है ।

आगामी वर्ष के लिये मान्यवर, यह जो रेवन्यू रियलाइजेशन है इसको चौबीस सौ करोड़ की आमदनी का प्राविधान किया गया है । आज कुछ परिस्थितियोंवश विद्युत के मूल्य का पुनः निर्धारण करना पड़ा । मान्यवर, यह ठीक है कि जब-जब मूल्य में वृद्धि होती है तो बड़ा कष्ट होता है और यह व्यावहारिक भी नहीं है लेकिन मान्यवर, इसमें मजबूरी है कोयले का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, रेलवे का भाडा बढ़ गया और जितने भी हमारे उत्पाद थे वह बढ़ गये जिस कारण विद्युत मूल्य में वृद्धि हो गयी । अभी मान्यवर, इसके ऊपर साढ़े चौबीस सौ करोड़ रुपये की आमदनी सम्भावित है आगामी वर्ष के लिए आगामी वर्ष में हमारा प्रयास यह है कि जो हमारे वर्तमान पावर हाऊसेस हैं इनसे जो आज हम उत्पादन कर रहे हैं पच्चीस सौ मैगावाट जनरेशन बढ़ायेंगे हमें आशा है कि अगर कोयले की बाधा नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । मान्यवर, यह भी आशा है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कृषि की आवश्यकतानुसार पूरी बिजली हम दे सकेंगे और ऐसा नहीं होगा कि प्रदेश में कोई उद्योग लगाना चाहता है तो वह उद्योग न लगा पाये केवल बिजली के कारण तो इसके लिये हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया पांच सौ मैगावाट का तो वर्तमान क्षमता को अधिक बढ़ाना होगा और यदि निश्चित समय में आनपारा का कार्य पूरा हो गया तो पांच सौ मैगावाट से और कुछ केन्द्रीय उत्पादन गृह जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं सब मिलाकर लगभग दो हजार मैगावाट बिजली के आसपास ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे । इसके अलावा मान्यवर, हमने निजी क्षेत्रों से पूंजी आमंत्रित करने के लिये जनता से आवाह्न किया है । हमने उनसे कहा कि जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो उत्पादन की खाली कल्पना और बड़ी-बड़ी योजानाएं बना दी जायें और वह प्राइमरी स्टेज पर ही खड़ी रह जायें और जो पैसा लगा है तो वह भी डेड हो जाय तो इससे क्या फायदा होगा ।

आज हमने फैसला लिया है जगदीशपुर और शाहजहांपुर में एक पत्र भेजा गया कि अगर आप पावर हाऊस लगाना चाहते हैं तो अपना पूंजी निवेश करें । मान्यवर, मैं इस प्रदेश को जनता और सभी माननीय सदस्यों से जो इस सदन में बैठे हैं से आग्रह करूंगा कि वह राजनीति से ऊपर उठकर भारत सरकार पर यह दबाव डालें । कोयले से चलने वाले का जमाना बीत गया है, कोयला पहुंच नहीं पाता है समय से आज थर्मल पावर जनरेट करने के लिये अगर गैस उत्तर प्रदेश को दे दी जाये तो आठ जगहों पर हम ऐसे पावर हाऊस लगायेंगे कि उससे हमें दो हजार से अधिक मैगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा । यहां पर उद्योगों को लाने के लिये हमें सफल नहीं हुए हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिये यदि गैस प्राप्त हो जाये तो मैं कह सकता हूं कि कुछ उल्लेखनीय काम हो सकता है । मान्यवर, इसी तरह से कई योजनाएं हमारी खटाई में पड़ी हैं धीरे-धीरे उनको पूरा किया जा रहा है । इस साल खारा में 70 हजार मैगावाट बिजली तैयार हो जायेगी, इसी प्रकार से टांडा में कुछ काम बाकी है इस वर्ष । माननीय लालजी वर्मा मुस्करा रहे हैं क्योंकि यह उनके क्षेत्र का मामला है, वह कार्य भी पूरा हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

टण्डन जी ने मोर्चाबन्दी वालों को पहचान लिया है ।

श्री लालजी टण्डन–

वर्मा जी मेरे मित्र हैं काफी दिन साथ रहे हैं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आज एक संयोग है कि माननीय ऊर्जा मंत्री लालजी टण्डन बजट पेश कर रहे हैं और इधर से लालजी वर्मा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

हैं दोनों लाल ही ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह हम दोनों की लाली बहुत दिन साथ रही है । इस प्रकार मान्यवर, जो स्थिति है, उसे मैंने रखने का प्रयास किया और जो माननीय सदस्यों की चिन्तायें हैं, वह सही हैं । मान्यवर, कई कार्य अधूरे हैं, वह पूरे हों, इसके लिये इस वर्ष गम्भीर प्रयास होगा । हम केन्द्रीय वित्त संस्थान से भी प्रयास कर रहे हैं कि वित्त पोषण शुरू हो जाय । 600 करोड़ रुपये इस पंचवर्षीय योजना में पाने का भी हमारा प्रयास है, इस सबके बाद बोर्ड की जो स्थिति है, वह सुधरेगी और आमदनी बढ़ना शुरू हो जायेगी, लीकेज खत्म हो जायेगा और तब जिम्मेदारी निश्चित की जा सकती है । जिस दिन हमारा सिस्टम इस लायक हो सकेगा, तब चोरी के लिये जिम्मेदार कौन है, कितने बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बख्शा नहीं जावेगा, उसे सजा दी जायेगी । अभी भी जहां-जहां वित्तीय कठिनाइयों के कारण जनता को असुविधा है, वह एक मजबूरी है और जो भी किया जा सकता है, वह हम करेंगे, लेकिन अगर कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न कठिनाई है, तो उसे दूर करना पड़ेगा अन्यथा दंड तो देना होगा । मान्यवर, कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, कुछ का निलम्बन किया गया है, कुछ को प्रविष्टियां भी दी गयी हैं । मैं आंकड़े बताकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन 376 लोगों पर कार्यवाही की गयी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

क्लास वन का कोई अधिकारी है, निलम्बन में ।

श्री उपाध्यक्ष–

बीच में व्यवधान न करें, माननीय मंत्री जी को बोलने दें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इस बीच कुछ उपलब्धियां भी रही हैं, जैसे 3 लाख नये कनेक्शन इस वर्ष दिये गये हैं, 20 हजार नये ट्यूबवेलों को उर्जीकृत किया गया है, इसके पहले कभी इतनी संख्या में नहीं हुये । करीब 60 हजार अनियमित कनेक्शनों को नियमित किया गया । हम चाहते हैं कि गावों में जो लोग कनेक्शन न मिलने के कारण अवैधानिक रूप से बिजली जला रहे हैं, उनको नियमित कराया जाय, आशा है, बहुत ही जल्दी और गांवों का विद्युतीकरण तथा ट्यूबवेल्स के लिये ऊर्जा प्राप्त होगी । अगले वर्ष के लिये

14 हजार से अधिक ट्यूबवेलों को ऊर्जा देने का लक्ष्य रखा गया है । इस प्रकार हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह बड़ी संख्या में गांवों में विद्युतीकरण हो । इसके अलावा जो अनुसूचित जातियों के गांव हैं, जहां रोशनी के लिये एक बल्ब की जरूरत है, वह रोशनी वहां पहुंचे । इन शुभकामानाओं के साथ मैं यह आशा करता हूं कि आज जो परिव्यय चुकाने के लिये मैंने मांग प्रस्तुत की है, उसे विचार कर सदन में पास करेंगे और प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं, वह मुझे प्राप्त होंगे, व्यवस्थाओं को ठीक करने में ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय । कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं अभी बहुत ही ध्यानपूर्वक माननीय ऊर्जा मंत्री जी के भाषण को सुन रहा था । मैं यह समझता था और विश्वास भी था कि ऊर्जा मंत्री जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को प्रदेश के विकास के प्रति रुचि होगी । परन्तु उनके भाषणों से ऐसा लगा कि वह पुरानी सरकार ने जो कमियां की थीं, उनको उजागर करते रहे । अपने 9 महीने के शासनकाल में उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा । हम तो सोच रहे थे कि वह अपनी उपलब्धियों को बतायेंगे । मुझे दुख है कि उनकी उपलब्धियां शून्य हैं । 9 महीने का कार्यकाल कोई कम नहीं होता । हमारा यह मानना है कि बगैर ऊर्जा के आज के वैज्ञानिक युग में प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । हमारा यह मानना है कि जिस तरह से शरीर में प्राण होता है और उसके निकल जाने के बाद शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती, उसी तरह से देश और प्रदेश का विकास बिना विद्युत के होना, एक कोरी कल्पना है । उसमें कोई सार्थकता भी नहीं होगी । जब हम किसी देश व प्रदेश की उन्नति को देखते हैं तो वह हमें उसके प्रति व्यक्ति ऊर्जा के कंजम्पसन से पता चलता है । अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारा कंजम्पसन बहुत कम है । दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं, जहां प्रति व्यक्ति विद्युत का कंजम्पसन 10 हजार यूनिट है । परन्तु हमारे देश में प्रति व्यक्ति विद्युत का कंजम्पसन 236 यूनिट है । इसी तरह से अन्य प्रान्तों से हम तुलना कर लें । 3-4 प्रान्तों को छोड़कर, हमारा प्रदेश अन्य प्रान्तों की तुलना में सबसे नीचे है । पंजाब में प्रति व्यक्ति कंजम्पसन 669 यूनिट है, महाराष्ट्र में 405 यूनिट, हरियाणा में 353 यूनिट, गुजरात में 391 यूनिट, तमिलनाडु में 295 यूनिट, कर्नाटक में 273 यूनिट और उत्तर प्रदेश में 159 यूनिट है । हम समझते थे कि विद्युत उपभोग बढ़ाने के लिये और विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये माननीय मंत्री जी अपने बजट में कुछ अधिक परिव्यय रखेंगे । परन्तु मान्यवर, आप देखें कि इस बजट में परिव्यय घटा है । 1990-91 में 760.79 करोड़ था, 1991-92 में 1184.24 करोड़ और 1992-93 में 767.85 करोड़ परिव्यय रखा गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजट अनुदान और लेखानुदान सब को मिला कर । तो इससे स्पष्ट होता है कि निश्चितरूप से हमारे प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के बजाय कम हो रही है ।

माननीय विद्युत मंत्री जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना उन्होंने कहा कि हम अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं हमारी अधिष्ठापित क्षमता 1-4-91 को जल विद्युत की 1422.35 मेघावाट थी और तापीय विद्युत 3334.00 मेघावाट थी और जो अनुमानित क्षमता है वह 31-3-92 को जल विद्युत 1494.35 और तापीय का 3444.00 उस तरह से कुल मिला कर अधिष्ठापित क्षमता 1-4-91 को 4756.00 और अनुमानित दोनों को मिला कर 31-3-92 को 4939.35 है तो मैं चाहता हूं कि आपकी इस अधिष्ठापित क्षमता में अगर देखा जाय तो 1989–90 की तुलना में जो करीब 5 हजार मेघावाट थी उसमें गिरावट आई है उसके कारण हैं कि हमने जो ऊंचाहार का विद्युतगृह था जो 8वीं योजना की महत्वपूर्ण योजना थी उसको हमने बेच दिया । इसके कारण अधिष्ठापित क्षमता में कमी हुई है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करके अनुशासन को सुदृढ़ बनाकर विद्युत उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे । माननीय मंत्री जी ने घटिया कोयले की बात कही । कोयला निश्चितरूप से थरमल पावर के लिये महत्वपूर्ण होता है लेकिन जो कोयले की उपलब्धता है वह दूसरे प्रदेश में भी वही होती है तो वहां के प्लांट लोड फैक्टर की तुलना में हमारे यहां का प्लांट लोड फैक्टर बहुत पीछे जा रहा है । मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं और लम्बे समय का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी के कार्यकाल का उदाहरण देना चाहता हूं तो हमारा प्लांट लोड फैक्टर 49.00 प्रतिशत था वहीं भारत का औसत प्लांट लोड फैक्टर 56.4 प्रतिशत रहा । 1990-91 में हमारा 52.01 प्रतिशत था भारत को औसत 53.8 प्रतिशत था । 1991–92 में 45 प्रतिशत था लेकिन जब से आप आये हैं विद्युत परिषद् ने जो आंकड़े दिये हैं उससे लगता है आपके कार्यकाल में लगातार गिरावट हुई है उसका उदाहरण देना चाहता हूं यह 1-4-90 से 30-4-91 तक के आंकड़े हैं तो इसी के आसपास आपकी सरकार बनी तो इन 6 महीनों में प्लांट लोड फैक्टर 43.65 प्रतिशत रहा । तो देखा जाय तो आपके कार्यकाल में फ्लांट लोड फैक्टर घटा है ।

इसी तरह से लाइन लौसेज की बात कही गयी है । निश्चितरूप से हमारे यहां इससे विद्युत परिषद् को सबसे ज्यादा हानि हो रही है जिसके कारण आज विद्युत परिषद् सफेद हाथी कहलाता है ।

मान्यवर, उसमें सबसे बड़ा कारण है लाइन लौस का । यह लाइन लौस क्यों हो रहा है, इसका भी एक कारण है कि विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार की वजह से ही लाइन लौस हो रहा है । विद्युत उत्पादन की बात कही गई है । मान्यवर, जिस हिसाब से प्लान्ट लोट फैक्टर निकाला गया है आज उसमें और गिरावट आई है 1-4-91 से 30-4-91 तक का उत्पादन आप देख लें ओबरा से 326 मिलियन यूनिट और ओबरा विस्तार प्रथम से 484, ओबरा विस्तार द्वितीय से 2,575.00, पनकी प्राचीन से 30 मिलियन यूनिट, पनकी विस्तार से 169, हरदुआगंज से 105, हरदुआगंज–ब से 153, हरदुआगंज–स से 230, टान्डा से 169, परीछा से 228, आनपारा से 1814, आर० पी० एच० कानपुर से शून्य व अन्य छोटे उद्योगों से भी शून्य उत्पादन मिला है । इसी तरह से जलीय विद्युत का जो दिखाया गया है 3,265 मिलियन यूनिट । आज की स्थिति यह है कि इनके जो तमाम विद्युत केन्द्र हैं । टाण्डा है जिसका 169 मिलियन यूनिट इसमें दिखाया गया है पूरी तरह से ठप्प है ।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बताया है । माननीय टण्डन जी वरिष्ठ नेता हैं, इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, इनका मैं आदर करता हूं । इन्होंने टाण्डा का जिक्र किया है और

कहा है कि इस साल टाण्डा परियोजना को पूरी तरह से पूरी क्षमता में ले आयेंगे । मान्यवर, इसे उत्पादन क्षमता में आप कैसे लायेंगे । आज वहां पर उत्पादन शून्य है । चाहें तो आप पता कर लें शून्य उत्पादन का क्या कारण है ? इसका सबसे बड़ा कारण तो उसकी प्लैनिंग है और दूसरा वहां पर रिक्रूटमेंट होना चाहिए था । वहां पर जो नियुक्तियां होनी चाहिए थीं वह नहीं हुई हैं । जब हम वहां के जी० एम० से बात करते हैं कि आप यूनिट क्यों नहीं चला रहे हैं तो वह कहते थे कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है । बोर्ड नियुक्तियों के लिये अनुमति नहीं दे रहा है । इस कारण यूनिट नहीं चल पा रही है । मान्यवर, इस तरह से लगता है कि विद्युत परिषद् में तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण उत्पादन क्षमता बढ़ने की जगह नीचे गिरी है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश का विकास करने की बात कही गयी है मान्यवर, आज बिजली की समस्या बहुत खराब है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान लाइन लौस की तरफ ले जाना चाहता हूं । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अन्दर 31.09 लाइन लौस उत्तर प्रदेश में है लेकिन जो हमें साहित्य मिला है उस साहित्य के अन्दर आप देखें कि राष्ट्रीय औसत से हमारे प्रदेश का औसत लगातार बढ़ने की अपेक्षा कम हुआ है । 86–87 में उत्तर प्रदेश का 20.76 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 21.74 था । 1987–88 में उत्तर प्रदेश का 26.82 और राष्ट्रीय औसत 22.48, 1988–89 में उत्तर प्रदेश का 26.45 और राष्ट्रीय औसत 21.61, 1989–90 में उत्तर प्रदेश का 26.10 और राष्ट्रीय औसत 22.90 प्रतिशत था । 1990–91 में उत्तर प्रदेश का 26.80 था, 1991–92 का हमको नहीं मिला है । माननीय मंत्री जी अपने भाषण में उसका जिक्र करेंगे । यह लाइन लौस जो होता है अगर उसे एक प्रतिशत भी हम रोक सकें तो निश्चित रूप से प्रदेश को कई करोड़ का फायदा हो सकता है लेकिन हम उसको रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं । आज जब हम इसका कारण देखते हैं तो यही लगता है कि विद्युत परिषद् में बहुत भ्रष्टाचार है उसी के कारण यह लाइन लौस हो रहा है । मान्यवर, इसके सुधार के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, जनता दल की सरकार ने एक बसन्त कमेटी का गठन किया था उस कमेटी में तमाम अच्छे सुझाव दिए गये हैं । मान्यवर, जो विद्युत परिषद् में चोरी होती है उसमें हम यह देखते हैं कि मीटर रीडर कार से चलते हैं । मामूली तनख्वाह पाने वाले आदमी कार से चलते हैं । हमारे जैसे विधायकों को जीप भी मुहैया नहीं हो पाती हैं । इसका कारण विद्युत परिषद् की चोरी है । इस तरह से चोरी की जाती है । तो परिषद् की क्या स्थिति होगी यह आप समझ ही सकते हैं बसन्त कमेटी ने कई अच्छे सुझाव दिए । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां आलोचना करते हैं वहां हमारे सुझाव भी हैं उसके प्रति ध्यान देने की कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा । मानयवर बसन्त कमेटी ने कई अच्छे सुझाव दिये हैं आपको विद्युत चोरी रोकने के उपाय करने चाहिए । प्लांट लोड फैक्टर की बात करते हैं कहते हैं कोयला अच्छा नहीं मिलता है । मान्यवर, एन०टी०पी०सी० का 70.75 % है अन्य प्रान्तों का 60 से 75 प्रतिशत है और हमारा 43 फीसदी है जबकि उसी कोयले का उपयोग वह करते हैं उसी कोयले का उपयोग हम करते हैं । तो यह कारण नहीं है यह भ्रष्टाचार है । भ्रष्टाचार उत्पादन में हो रहा है । दूसरी तरफ मशीनों का रख-रखाव पर पैसा खर्चा नहीं होता है । मशीनों के रख-रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कैसे प्रदेश का विकास करेंगे, कैसे अधिक उत्पादन करेंगे । आपके कर्मचारियों की अक्षमता के कारण मार्च में दो बार ग्रिड फेल हुआ । 12 मार्च को सदन में आप थे ही और अभी दो तीन दिन पहले हुआ । अपनी अक्षमता के कारण पूरे प्रदेश की बिजली फेल कर देते हैं, इस पर हमारी बसन्त कमेटी ने सुझाव दिये थे । विद्युत के तीन अंग हैं एक तो उत्पादन, दूसरा ट्रांसमीशन और तीसरा वितरण । मान्यवर, तब तक यह विद्युत चोरी को नहीं

रोक सकते हैं जब तक यह कड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हैं तो ऐसा ही होगा । आप इस विद्युत परिषद् का बंटवारा करके उत्पादन को अलग कर दें और ट्रान्समीशन और वितरण को अलग कर दे । उत्पादन से जितनी बिजली पैदा होती है ट्रान्समीशन और विवरण किया जा रहा है उससे अलग-अलग पैसा मिलेगा । लाइन लौस जो होता है यह भ्रष्टाचार की वजह से ही होता है । लोग घाघ हैं । आप लोगों के चक्कर लगाते हैं कभी विपक्षी लोगों के यहां चक्कर लगाते हैं । मान्यवर, इस तरह से वह अपनी पैरवी करवाकर कोई कार्यवाही नहीं होने देते हैं तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि या तो विद्युत परिषद् का दुर्भाग्य है या आपका । विद्युत परिषद् का गठन ऐसे दिन हुआ । 1 अप्रैल, 1959 को विद्युत परिषद् का गठन हुआ एक अप्रैल को जिसका गठन होगा उस दिन वालों से आप क्या उम्मीद करेंगे, तो मै कह रहा था कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बसन्त कमेटी के सुझावों को मान लें । राजस्व के बारे में बात कही गई । पिछले वर्ष 1470 करोड़ की तुलना में 1600 करोड़ देने की बात इन्होंने कही है, दो सौ करोड़ बढ़ा दिया ।

लेकिन जो विद्युत का रेट बढ़ाया है और दूसरी तरफ जो महंगाई बढ़ रही है आप उसके आधार पर बतायें कि कितनी उपलब्धि हुयी है और कितना खर्च हुआ है और कितना आपने वसूल किया है इसको पिछले साल के मुकाबले देखें तो पता चलेगा, मेरा तो मानना है कि जो राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत है उसमें गिरावट आयी है । आज विद्युत परिषद् का 922 करोड़ रुपये का बकाया है दूसरी तरफ जितनी देनदारियां हैं वह करीब 2,346 करोड़ रुपये की हैं । जब तक इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगें तब तक इस तरह की स्थिति लगातार बनी रहेगी और विद्युत परिषद् लगातार घाटे में जायेगा और देनदारियों को हम पूरा नहीं कर पायेंगे । जो बकायेदार हैं जो अपना हिस्सा समय से अदा कर रहे हैं बिजली के रेट बढ़ने से उनके ऊपर भार पड़ता है । आपने विद्युत दरों को बढ़ाया और आप कहते हैं कि किसान को छूट दी है । राजकीय नलकूपों पर आपने रेट बढ़ा दिये तो वह दर कहां से वसूल की जायगी । यह कांग्रेस के जमाने से होता चला आ रहा है कि बजट के समय छूट देते हैं और बजट के बाद रेट बढ़ा दिये जाते हैं । जब आपने सिंचाई विभाग के रेट बढ़ा दिये हैं, राजकीय नलकूपों, विश्व बैंक के नलकूपों के रेट बढ़ा दिये हैं तो सिंचाई विभाग किसानों के ऊपर सिंचाई की दर बढ़ा देगा । इसी प्रकार से कुटीर उद्योंगो की बात है, कुटीर उद्योंगो का प्रदेश की प्रगति में बड़ा योगदान है । मैं समझता था कि जैसे किसानों पर रहम किया है उसी प्रकार से छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर कृपा करेंगे । इन उद्योगों से सम्बन्धित लोग आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । उनकी दरों को बढ़ा दिया गया जो किसी प्रकार से उचित नहीं है ।

मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि 460 करोड़ रुपया सरकारी विभागों पर बकाया है । 922 करोड़ में से 460 करोड़ रुपया सरकारी विभागों पर जो बकाया है अगर इसको वसूल कर लेते तो निश्चित रूप से विद्युत की दरों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । अभी टण्डन जी ने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के जो लक्ष्य थे वह पूरे नहीं कर पाये हैं । पिछले साल जो लक्ष्य रखे गये थे वह पूरे नहीं हो पाये हैं । 1550 गांवों का लक्ष्य रखा गया था उसमें से जो सूचना ऊर्जा विभाग से मिली है उसमें बताया गया है कि 339 गांवों का केवल विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन उसमें से 2207 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है । 1990–91 में 2550 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था । अबकी मंत्री जी ने 1550 गांवों का लक्ष्य रखा था जो केवल 379 गांवों का ही विद्युतीकरण हो पाया है । इसी तरह से निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया था । जो पूरा नहीं हुआ । हम लोगों ने ऊर्जा सलाहकार

समितियों के द्वारा गांवों का चयन किया था और एक-एक विकास खण्ड में एक-एक गांव का लक्ष्य रखा गया था लेकिन आपने केवल 379 गांवों का विद्युतीकरण किया । फैजाबाद की बहुत बात की जाती है । मैं फैजाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि फैजाबाद जो सांप्रदायिक एकता का केन्द्र था उसको सांप्रदायिक आग में झोंकने का आप काम कर रहे हैं । रोज वहां दर्शन करने जाते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां 20 गांवों को चयनित किया था लेकिन आज तक एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया है । इस तरह की मेहरबानी आप कर रहे हैं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये आर० ई० सी० से पैसा नहीं मिला । माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे कि 13 करोड़ रुपया 33 के०वी० स्टेशनों के लिये आया था लेकिन आपने उसको तन्ख्वाह पर खर्च कर दिया है । आज 33 के०वी० पावर स्टेशन नहीं बन पा रहे हैं । इसी कारण से कनेक्शन देने पर रोक लगा दी गयी है । मैं अपने यहां अकबरपुर विद्युत वितरण खण्ड का उदाहरण देना चाहता हूं । हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन 132 के० वी० का पावर स्टेशन वहां नहीं खोला गया है । केवल एक 132 के० वी० ए० का पावर स्टेशन वहां पर है । वहां पर एक 132 के० बी० ए० पावर स्टेशन की आवश्यकता है । हम मांग करते हैं तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है लेकिन दूसरी तरफ जो पैसा आया उसको तनख्वाह बांटने पर खर्च कर दिया है । इसी तरह से निगम से जो 1200 करोड़ रुपया मिला था उसको भी आपने तनख्वाह बांटने पर खर्च कर दिया है । आर० ई० सी० और आर० एफ० सी० इनको पैसा नहीं दे रही है । वह केवल गारंटी मांगते हैं जो नहीं दे पा रहे हैं । कल माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे, हर प्रांत ने लिखकर दे दिया, अपनी गारंटी का प्रस्ताव भेजा है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश से आज तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है और कहते हैं कि आर० एफ० सी० आर० ई० सी० से पैसा नहीं मिल पा रहा है । जब आप पैसा नहीं पाते हैं तो पूरे प्रदेश को सजा देते हैं और रेट बढ़ा देते हैं । जो पिछड़े हुये जिले हैं वहां पर उद्योग लगाने पर 5 साल तक छूट देते हैं । मैंने लिस्ट पढ़ी है उसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिले हैं जिनमें फैजाबाद का नाम नहीं है ।

[समय–6 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए]

मान्यवर, अभी जो विद्युत दर बढ़ाई गयी हैं, इसमें पूर्वांचल के 10 जिलों को छूट दी गयी है । मैं यह समझता था कि फैजाबाद जो सौहार्द्र का केन्द्र था, जिसमें ये लोग सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं और रोज दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उसको भी इस पूर्वांचल के जिलों में शामिल करते । मान्यवर, नये उद्योगों को 50 प्रतिशत की इन पूर्वांचल के जनपदों और बुन्देलखण्ड को छूट दी, उसमें न्यूनतम भार नहीं लिया जाता था । अब वहां पर भी 400 रु० प्रति के० बी० ए० न्यूनतम भार लिया जा रहा है । पूरे प्रदेश की भांति ये रियायत वाले जनपदों में भी 400 रु० प्रति के० बी० ए० न्यूनतम भार देना पड़ेगा। मान्यवर, एन० टी० पी० सी० से हमको बिजली का आयात करना पड़ता है, जो हम आयात कर रहे हैं 1990-91 में 536-61 करोड़ रु० है और 1991–92 में 629–063 करोड़ रुपया है । इस तरह से मान्यवर, आज 500 करोड़ रुपये का विद्युत परिषद् का घाटा हो रहा है । इस तरह से मान्यवर, हम विद्युत परिषद् का कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्युत से प्रदेश और देश का चौमुखी विकास होगा, लेकिन मान्यवर, जब तक हम विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करायेंगे, तब तक चौमुखी विकास क्या एक मुखी विकास भी नहीं होगा । हमें अपने विद्युत उत्पादन बढ़ाने होंगे । जल विद्युत पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जल विद्युत का लागत खर्च केवल 50 पैसे प्रति यूनिट है । हमारी जल विद्युत की क्षमता केवल 1422 मेगावाट है । इसको 20,000 तक बढ़ाया जा सकता है । माननीय मंत्री जी मैं

समझता था कि विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, 9 माह का समय इसके लिए कम नहीं है, परन्तु 9 माह में हमारी उपलब्धता शून्य रही । थर्मल प्रोजेक्ट से जो विद्युत उत्पादन होता है, उसमें करीब एक रुपया का खर्च प्रति यूनिट आता है । भ्रष्टाचार विद्युत परिषद् का सबसे बड़ा कलंक है । किसानों का जब ट्रांसफारमर खराब होता है और बिना पैसे के वह ट्रान्सफारमर नहीं बदला जाता है हम लोग जब अधिकारियों से कहते हैं, तो कहते हैं कि ट्रांसफारमर उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होने पर व्यवस्था कर दी जायगी, परन्तु यदि पैसा पा जाते हैं, तो तत्काल ट्रांसफारमर बदल दिया जाता है । हम लोगों के प्रयास करने पर भी ट्रांसफारमर नहीं पिल पाता है और जब अधिकारियों से सम्पर्क किया जाता है, तो कहा जाता कि उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब काश्तकार व्यक्तिगत रूप से जाता है और एक हजार रुपये की घूस दे आता है, तो दूसरे दिन ट्रांसफारमर लग जाता है ।

मान्यवर, फैजाबाद में टांडा है, वहां पर बुनकर हैं और अगर वहां पर बिजली चली जाती है, तो बड़ा नुकसान होता है । लेकिन जब वह घूस में पैसा खर्च कर देते हैं, तो ट्रांसफारमर मिल जाता है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नलकूपों के बारे में कहा, उन्होंने कहा है कि 20 हजार निजी नलकूपों का विद्युतीकरण किया जायेगा । मान्यवर, जहां तक विद्युत कनेक्शन देने का सवाल है, किसानों को विद्युत अधिभार देने के अतिरिक्त पैसा जमा करना पड़ता है, तभी उसको विद्युत कनेक्शन मिल पाता है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर अंकुश लगायें, जिससे किसानों का उत्पीड़न समाप्त हो सके । पहले एक हजार की रिश्वत ली जाती थी, वह अब बढ़कर दो हजार रुपया हो गयी है । मान्यवर, विद्युतीकरण के लिये 20 गांव जो चयनित किये गये थे लेकिन एक भी गांव में बिजली नहीं लग पायी है । जब तक जे० ई० को पैसा नहीं दिया जाता है, स्टोर से उसको सामान नहीं मिलता है . यह मेरी निश्चित जानकारी है, और माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लें । मान्यवर, लाइन लासेज की बात कही गयी, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है । विद्युत परिषद् जो है, वह सफेद हाथी के रूप में है, इसमें सुधार करने का प्रयास करें । सुधार विद्युत परिषद् में तभी हो सकता है, जब इसका बटवारा किया जाये । आप आन्दोलन की परवाह न करके, विद्युत परिषद् का बटवारा करें, तभी इसमें सुधार हो सकते हैं, अन्यथा कोई सुधार नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, माननीय टंडन जी साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाने की बात करते हैं और वह अयोध्या के मसलों पर ही अधिक व्यस्त रहते हैं, उनको अपने विभाग का कार्य देखने के लिये समय ही नहीं मिल पाता है । वह भ्रष्टाचार के जाल में फंस गये हैं, वह उससे निकल नहीं पा रहे हैं । विद्युत परिषद् के भ्रष्टाचार से निकल नहीं पा रहे हैं । मैंने जिक्र किया है । मान्यवर, जैसा कि माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा कि इनका रामराज्य का सपना कैसा होगा, किस तरह की समानता होगी, उसका जिक्र किया। ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, उसके जाल में जकड़ गये हैं, इसलिये अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है । आज टांडा थर्मल प्रोजेक्ट के बारे में कह कर समाप्त करूंगा, माननीय सदस्यों को बोलना है, समय नहीं लूंगा ।

टांडा थर्मल प्रोजेक्ट की जो शुरूआत हुई थी 1978 में, उस समय लागत अपेक्षित थी 169 करोड़ रुपये । आज 445 करोड़ लागत हो गयी है । इसी तरह से अन्य थर्मल प्रोजेक्टों का हाल है । चार गुना, पांच गुना लागत खर्च बढ़ गया और समय पर पूरी नहीं की जा सकीं, जिसके कारण बजट में जो प्राविधान कर दिया है, समय से पूरा करने की ओर अग्रसर हों तो परिव्यय की सीमा में सही रास्ते में रुपया लगाया जा सकता है । इसी तरह से टांडा थर्मल प्रोजेक्ट की हालत यह है कि उत्पादन बन्द है । काश्तकारों की जो जमीन ली गयी, माननीय टण्डन जी से निवेदन करना चाहूंगा 1300 काश्तकारों की

जमीन ली गयी, उनसे कहा गया कि जब आन्दोलन कर रहे थे, वहां उस समय कोई मंत्री जा नहीं पाता था, माननीय नेता विरोधी दल मंत्री बाद में बने, उन्होंने वादा किया था कि आप जमीन दीजिये, हम रोजगार देंगे । कुल 1300 परिवार आज रोजगार के पीछे भाग रहे हैं । उसमें से 262 को रोजगार मिल पाया और 325 की जमीन जो 50 परसेंट से ऊपर है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है । वर्ष 1978 में जमीन अधिगृहीत की गयी थी और 92 में भी रोजगार नहीं दे पाए । जब उसकी बात करते हैं तो विद्युत बोर्ड प्रतिबन्ध लगाता है । वहां आदमियों की जरूरत है । वहां रोजगार की आवश्यकता है । ठेके पर काम हो रहा है । लेकिन रोजगार की बात कहें तो नहीं होगा । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि समय से सभी योजनाएं पूरी करने पर ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूप से परियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे । आज हम सबको विचार करना होगा कि प्रदेश की जो विद्युत क्षमता है, वह कैसे बढ़े । इस पर विचार करना होगा । इन शब्दों के साथ पुनः आग्रह करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर विद्युत परिषद् को वास्तव में सुधारना चाहते हैं, वास्तव में इस प्रदेश को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, उन्होंने रामराज की कल्पना की, चहुंमुखी विकास की बात कही, चहुंमुखी विकास नहीं कर पा रहे हैं । विकास एकमुखी और एकतरफा होता जा रहा है । इस पर गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है । इसके लिये 9 महीने कम नहीं होते । इस 9 महीने की क्षमता के बाद सरकार कह रही है कि क्या होगा, ईश्वर जाने । ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मेरी शुभ कामना है कि सुधार हो । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, अभी माननीय लालजी टण्डन और लालजी वर्मा दोनों लोगों का विस्तृत विवरण बड़े ध्यान से सुना । सबसे पहले मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी की बातों का, उनके बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, बहुत सी बातें माननीय वर्मा जी ने अच्छी कहीं । हमने दोनों को सुना है । दोनों की चिंता है कि भविष्य में बिजली आपूर्ति कैसे अच्छी हो, परियोजना कैसे चले, वितरण कैसे अच्छा हो, अच्छे सुझाव आये हैं । मैं साफ-साफ देखता हूं कि एक अप्रैल को जिसकी स्थापना हुई थी, शायद इस विभाग को कभी गम्भीरता से नहीं लिया गया । आज तक का इतिहास है, विद्युत परिषद् के बारे में हममें, जनता में विचार बना है कि यह एक सफेद हाथी है । कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार में भी विद्युत परिषद् को सफेद हाथी कहा जाता रहा है । इसका वितरण और उत्पादन सही नहीं है और तो और भ्रष्टाचार से भरा पूरा है । जहां पर कर्मचारी काम कम करते थे, हड़ताल ज्यादा करते थे उसके बारे में यह हुआ कि कर्जे के आधार पर, क्योंकि मै ऐसी संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं कि जब इनको तनख्वाह की जरूरत होती तो बाम्बे भागते थे जीवन बीमा निगम में भागते थे । आज मैं बताऊं जो हम लोग सोचते थे उस पर इतना कर्जा हो गया जितनी विद्युत परिषद् की पूरी सम्पत्ति होगी इतना कर्जा हो गया है । लेकिन बड़ी चिन्ता का विषय है इसलिये कि हमारी सरकार को जो विद्युत परिषद् मिला वह बिल्कुल खोखला मिला यह सफेद हाथी की तरह था इसमें लाइबिलिटी ज्यादा थी असेट्स कम थे । ऐसी स्थिति मैं माननीय टंडन जी जब मंत्री बनाये गये उसके बाद से ही पहली बार इस पर सीरियसली चिन्ता शुरू हुई कि कैसे इसको सुधारा जाय, कैसे जनता पर यह बोझ न बने , कैसे इसकी वितरण प्रणाली को ठीक किया जाय, ट्रान्समीशन ठीक किया जाय, भ्रष्टाचार दूर किया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं लखनऊ नगर का हूं, पहले भी देखा था। इतनें दिनों में जितनी बिजली की लाइनें थी, जो जर्जर हो चुकी थी, हाई टेंशन लाइनें रोज टूटती थीं उससे जानवर मरते थे, खेत जल जाते थे और जनधन की हानि होती थी। लखनऊ में माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया कि कमजोर लाइनों को बदला जाय, पूरे प्रदेश में यह आदेश हुआ, कमजोर ट्रांसफारमर के कारण बार-बार बिजली जाती थी लोड कम होता था और बिजली की सप्लाई ज्यादा होती थी जिसके कारण प्रदेश में और लखनऊ में या तो ट्रांसफारमर बदले गये या उनकी क्षमता बढ़ाई गयी जिससे विद्युत सुचारु रूप से लोगों को मिली। इस प्रकार से हजारों की संख्या मे ट्रांसफारमर लगाये गये। मान्यवर, जब हमारी सरकार ने काम सम्भाला तो बहुत सी कमियां थीं उनको दूर किया गया और विद्युत लाइनें बढ़ाई गयीं नये सब-स्टेशन बनाये गये। हमारे लखनऊ में ऐसा था कि बहुत जगह विद्युत की सप्लाई ज्यादा थी लेकिन ट्रांसफार्मर के कारण विद्युत की सप्लाई नहीं हो पा रही थी हमारे क्षेत्र में लखनऊ में सब-स्टेशन की स्थापना की गयी इससे वहां के रहने वाले लोगों को अधिक बिजली मिलने लगी और उद्योग धन्धे लगने लगे उनको कनेक्शन ज्यादा दिये गये। इस प्रकार से जो लालजी वर्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है वह सत्यता से बहुत दूर है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं तो भ्रष्टाचार इतना था कि कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था, मीटर रीडर कैसे-कैसे पैसा लेते थे, कनेक्शन करने वाले पैसा लेते थे इस सब पर इस सरकार ने ध्यान दिया कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। इसकी वजह से तमाम अधिकारियों पर ऐक्शन लिये गये, कर्मचारियों के साथ सख्ती की गयी तो भ्रष्टाचार कम हुआ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने देखा होगा बकाये की वसूली बढ़ी है। जहां जहां लोगों पर बड़े-बड़े बकाया थे उनके साथ मुरौवत नहीं की गयी और उनका कनेक्शन काटा गया। पहले यह होता था कि अगर किसी के ऊपर 60 हजार रुपया बकाया है तो उसकी बिजली नहीं काटी जाती थी और गरीब आदमी का अगर एक माह का भी बकाया हो जाता था तो उसकी बिजली काट दी जाती थी, अगर 100-200 का भी बकाया हो गया तो बिजली वाले चाहे दिवाली का दिन भले हो उसकी बिजली काट देते थे। लेकिन अब हमारी सरकार ने बड़े-बड़े लोगों की बिजली काटी है, राजनैतिक लोगों की बिजली काटी गयी है।

श्री नरेश अग्रवाल—

यह बता दें कि लखनऊ में कितने बड़े लोगों की बिजली काटी गयी है ?

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, हमने लखनऊ में देखा कि लोग कटिया लगाते थे कोई अंकुश नहीं रहता था लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि हम तुरन्त कनेक्शन देंगे लेकिन कटिया लगना बन्द हो और उसका परिणाम यह हुआ कि 60 हजार नये कनेक्शन दिये गये। कटिया लगाने वालों में कमी आयी है। शहर के अलावा देहात में भी ट्यूबवेल बनाते तो थे लेकिन पड़े रहते थे बिजली की सप्लाई नहीं होती थी, उसका भी ऊर्जीकरण किया गया। चाहे बुन्देलखण्ड हो या पूर्वांचल हो, समग्र रूप से सबके लिये काम किया गया है।

(माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने पर)

श्री अध्यक्ष—

जिस क्रम से माननीय नेताओं ने नाम दिये हैं, उसी क्रम से सबको बुलाऊंगा।

श्री ऊदल—

जिन लोगों ने लिखकर नहीं दिया है, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

खड़े हो गये तो मौका दूंगा ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, आभार प्रकट करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया । इस समय वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी भी सदन से गायब हो गये । आपसे एक अर्ज पहले कर दूं कि आज से विभागीय बजट शुरू हो रहा है तो जितने मंत्री लोग हैं, आगे बैठेंगे और बजट पेश करेंगे । इनको एक थाली दे दें ताकि ये पहले ही तैयार होकर बैठ जायं । क्या कमियां हैं बजट में उस ओर किसी का दिमाग नहीं जा रहा है । ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे सारे विभाग सम्बन्धित हैं चाहे वह कृषि विभाग हो या उद्योग विभाग हो या कोई और विभाग हो, ऊर्जा विभाग से पूरी आम जनता का सम्बन्ध है । अभी ऊर्जा मंत्री ने जो बातें रखीं, हम बहुत दूर तक नहीं जाना चाहते हैं । इस समय जो विद्युत परिषद् के अध्यक्ष हैं उन्हीं के समय के आंकड़े रख रहा हूं । पी० एल० एफ० की जो-जो स्थिति रही, 4-4-91 को 57.92 प्रतिशत, थर्मल उत्पादन पूरे उत्तर प्रदेश का 44.2 लाख यूनिट रहा, बाहर से जो बिजली खरीदी गयी 21.77 लाख यूनिट खरीदी गयी । 16-5-91 को 46.95 प्रतिशत, उत्पादन 97.25 लाख यूनिट, 20.15 लाख यूनिट खरीदी । 6-7-91 को 41.50 प्रतिशत, उत्पादन 28.15 लाख यूनिट, खरीदी गयी 38.1 लाख यूनिट । 13-8-91 को 36.2 प्रतिशत, उत्पादन 26.5 लाख यूनिट, खरीदी गयी 31.5 लाख यूनिट । इन पूरे आंकड़ों को देखें तो पैदावार घटी और खरीदारी बढ़ी । इनका जो बजट पेश हुआ उसमें इतने बजट में कैसे बिजली पैदा करेंगे, कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वसूली करके अधिक सख्ती बरतकर आय को बढ़ायेंगे । वर्ष 91-92 का लक्ष्य 2057 करोड़ रु० की वसूली का था, यह तय हुआ था कि 170 करोड़ रु० मासिक वसूल करेंगे, 1 अप्रैल, 1991 को 133.21 करोड़ रु० वसूला गया, मई, 91 में 133.64 करोड़ रु० वसूला गया और जून, 1991 में 101.91 करोड़ रु० वसूला गया ।

श्रीमन्, जुलाई में 120.41 करोड़ रुपये वसूली की गयी आप घटते गये हैं वसूली में भी । यह कहते हैं कि वसूली करके हम अपने को मजबूत कर लेंगे । चोरी का सवाल उत्तर प्रदेश में भीषण रूप से व्याप्त है । अभी माननीय लालजी वर्मा जी ने बातें कहीं, जे० ई० का सवाल मीटर रीडर का सवाल उठाया । विद्युत विभाग का जो परिसर है शक्ति भवन में जो लोग बैठते हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जो विद्युत की चोरी हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है । 200 लाख मिलियन यूनिट बिजली, श्रीमन्, उन्होंने 90-91 में बढ़ाया , बढ़ने के बाद बिजली में चोरी भी इतनी बढ़ी उसकी वजह से श्रीमन्, उपभोक्ताओं को सही रूप में बिजली नहीं मिल पायी । और उनका वितरण गड़बड़ा रहा है जिससे हाहाकार भी मचा । ब्रेक डाउन तमाम बार हुए इस विधान सभा में भी हमने देखा 4-4 घंटे तक पूरे प्रदेश में बिजली गायब रही ।

विद्युत विभाग में जो इनकी राजस्व वसूली है उनकी सबसे बड़ी बात यह है बिजली जो कोयला से पैदा होती है महंगी पड़ती है गैस से आधारित बिजली, पानी से आधारित बिजली जो पैदा होती है वह सस्ती होती है ।

गांवों के विकास की बात कही गयी माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया था कि पूरे प्रदेश में गांवों पर 60 फीसदी पैसा खर्च होगा घोषणा के बाद भी विद्युत विभाग की गांवों में स्थिति बहुत खराब है । वर्तमान समय में विद्युत परिषद् के अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें झगड़ा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

समस्त अभियंता गण राज्य विद्युत परिषद् की तरफ से एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा गया, ऊर्जा मंत्री जी को लिखा गया 12 प्वाइंट उसमें दिये गये । एक आर० पी० माथुर हैं उनके

भ्रष्टाचार के बारे में तमाम शिकायतें मिली हैं वह कितने बड़े भ्रष्टाचार हैं विद्युत परिषद् में बैठकर वे परिषद् की कमर तोड़ रहे हैं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही मुख्य मंत्री जी ने नहीं की । मान्यवर, मऊ जनपद में अवधेश सिंह सतर्कता अधिष्ठान में इंस्पेक्टर है उनको 2000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों वहां के सी० ओ०/परगनाधिकारी ने पकड़ा । मैं ऊर्जा मंत्री जी से मिला आई० जी०, सतर्कता अधिष्ठान से मिला लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई यह कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे । अगर विद्युत परिषद् से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाय तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता का बहुत भला होगा इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये ऊर्जा मंत्री पहले कार्यवाही करें । हमारे मऊ जनपद में 15-15 वर्ष से एक-एक जे० ई० पड़े हुए हैं बाबू पड़े हुए हैं उनको वहां से हटाने की कोई बात नहीं होती है ।

अगर आप कार्यालय में चले जाइये तो किसी भी कन्ज्यूमर को अपने बिल का सुधार कराना है तो इसके लिये बाबू रुपया मांगता है तो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है । इसलिये चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए और यदि यह समाप्त किया जायेगा तो इससे निश्चित रूप से ऊर्जा विभाग को लाभ पहुंचेगा इन्हीं शब्दों के साथ जो लालजी वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि विपक्ष की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अधिक है इसलिये मैं दो विपक्ष के और एक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को बुलवाऊंगा । माननीय ऊदल जी आप कृपया बोलें ।

* श्री ऊदल–

मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा । मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि नलकूपों के लिये और दूसरे जो कार्य हुए हैं उनको तमाम बिजली दी गयी । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर इसलिये बोलने की इच्छा न होते हुए भी मुझे बोलना पड़ा । हमारे क्षेत्र में भदोही नगरपालिका है दो वर्ष से जल निगम की टंकी और ट्यूबवेल बनकर के तैयार है और रुपया भी जमा कर दिया गया है लेकिन आज तक उसे कनेक्शन नहीं दिया गया । इस तरह के दो-तीन उदाहरण और दे सकता हूं । हमारे यहां उवार और चिलबिला वाराणसी में ट्यूबवेल के लिये सिंचाई विभाग ने दो साल से पैसा जमा कर रखा है और तीसरे वर्ष, बड़ी मेहनत के बाद इस साल कनेक्शन मिला है । तीन वर्ष किसानों को पानी नहीं मिल पाया वह इसलिये कि ट्यूबवेल को कनेक्शन नहीं मिल पाया था इसलिये पूरे प्रदेश में एक बार सर्वेक्षण करा लें कि कितने नलकूप चाहे वह निजी हों या सरकारी जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है, ऊर्जाकृत नहीं हुए हैं । एक बात और कहना चाहता हूं हजारों निजी ट्यूबवेलों के लिये किसानों ने विद्युत परिषद् में पूरा पैसा जमा कर रखा है तो इसका सर्वेक्षण करा लें बनारस की विशेष रूप से कहूंगा, और यह देख लें कि कितनों को कनेक्शन नहीं मिल पाया है बावजूद पैसा जमा करने के । श्रीमन्, विद्युत परिषद् में सबसे ज्यादा कमी इस बात की है कि न तो इनके पास खंभा है, न तार हैं, न ट्रांसफार्मर हैं, न क्लेम्प हैं । यदि किसी बात को जाकर कहिये, जोनल चीफ से कहिये या अन्य किसी से कहिये तो यह कह देते हैं कि हमारे पैसा नहीं है, सामान नहीं है तो कम से कम इनकी व्यवस्था तो करवाइये, उसका एक सर्वेक्षण तो करायें और यह सुनिश्चित करायें कि जो कमी है उसकी व्यवस्था हो जाये । मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं मैं भी आपका उपभोक्ता हूं, वहां पर बिजली के बिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

का कोई हिसाब नहीं है, जितना मन होता है चला आता है और बाकी भी लगा देते हैं । तो इसको दिखवा लिया जाये । मान्यवर, एक शिकायत मुझे मिली कि जो बड़े-बड़े भट्ठे वाले हैं , लोहा बनाने वाले हैं, सरिया बनाने वाले हैं, उनको कम कर दिया लेकिन आलू भंडारण वालों का बढ़ा दिया, कोल्डस्टोरेज वालों का बढ़ा दिया, अगर आप इस तरह आलू भंडारण शीतगृहों का मीनियम चार्ज बढ़ा देंगे, तो उसका भार किसानों पर पड़ेगा । कुछ सोच समझकर दर इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिये, जिससे किसानों का भी अहित न हो और आपको पैसा भी मिल जाय ।

मान्यवर, लाइन लासेस बहुत हैं, मैं आपसे इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं, आप ही जाइये, देखने के लिये, मद्रास में और अपने साथ एक टीम भी ले जाइये, वहां लाइन लासेस बहुत कम है । इसी तरह तामिलनाडु उसके बगल कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी लाइन लासेस बहुत कम है, आप वहां अध्ययन करने के लिये अवश्य जायें । मैं समझता हूं कि अगर लाइन लासेस पर अंकुश लग जाय कोई रास्ता निकल आये तो मैं समझता हूं कि करोड़ों-करोड़ रुपया का फायदा विद्युत परिषद को एक साल में हो जायेगा । जो वर्तमान में व्यवस्था चालू है, उसमें सुधार कैसे हो सकता है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बहुत से पावर हाउस, चाहे थर्मल के हों, खराब हालत में हैं, चाहे पनकी हो, हरदुआगंज हो । पनकी की स्थिति बहुत खराब है । आप नये विद्युतगृह जो लगाने जा रहे हैं, अवश्य लगाइये, निजी क्षेत्र में जो लगाने जा रहे हैं, वह भी लगाइये, लेकिन जो मौजूदा हालत में आपके पावर हाउसेस हैं, चाहे वह थर्मल के हों, चाहे जल विद्युत के, उनकी जो उत्पादन क्षमता है, वह कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें क्या कमी है, क्या सुधार की जरूरत है, अगर उसके ऊपर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा, उसमें अरबों खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ करोड़ खर्च करके उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और जो बिजली की खराब हालत है, उसको हम सुधार सकते हैं, आज विद्युत परिषद् की हालत बहुत खराब है, इसकी गारन्टी 600 करोड़ रुपये थी, मुख्य मंत्री जी को मालूम होगा । माननीय श्री ब्रह्मदत्त जी ने एक हजार का पेश किया, अगर प्रदेश के धन को इस विद्युत परिषद् की साख बढ़ाने के लिये देते जायं तो यह मुनासिब नहीं है । मैं समझता हूं कि कैसे हम इसको लाभप्रद बना सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है । गांवों के विद्युतीकरण की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर एक कनेक्शन एक गांव में है, या एक निजी नलकूप है, तो उसको पूरे गांव का विद्युतीकरण मान लिया गया है, यह गलत है, इस प्रथा को आप खत्म करिये । जहां-जहां पूरे गांव का विद्युतीकरण हो, वही रिकार्ड में सरकार के होना चाहिये, इस गलत फहमी में डालने से जनता को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विद्युत परिषद् को सुधारने के लिये त्वरित गति से कदम उठायें और खासकर लाइन लासेस को रोकने, विद्युत गृहों को पूर्ण क्षमता से चलाने के लिये क्या जरूरत है, उसको करने की कृपा करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और अंत में यह चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का नहीं, केवल एक जिले वाराणसी का सर्वेक्षण करा लें तो इससे प्रदेश का आंकड़ा निकल आयेगा और आपको काम करने में सहूलियत होगी और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री उदय प्रताप–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । 2300 देनदारी और 900 करोड़ रुपये घाटे का यह बजट है, जिसका वर्णन माननीय मंत्री जी ने आपके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्मुख रखा है, इस व्यवस्था के सुधार में अच्छे-अच्छे कार्य किये गये हैं, इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं इस बजट में दो हजार ट्यूबवेलों को ऊर्जीकृत किया गया है। लाइन लौसेस को बचाने के लिए, जो लोग चोरी करने वाले हैं बिजली की, उनको दण्डित किया गया है। 60 हजार लोगों को कनेक्सन दिये हैं और साथ ही पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मान्यवर, मैं गाजीपुर जनपद से विधायक हूं। यह प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है। आज भी सबसे पहले गाजीपुर शहर की बिजली कटती है। उस नगर को अभी भी रूरल एरिया में माना जाता है। वहां पर वोल्टेज बहुत ही कम है। विगत दिनों देवकली पम्प केनाल को मऊ की लाइन से जोड़ने से कुछ सुधार वोल्टेज में हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी का इस ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सब स्टेशन पहले से प्रस्तावित हैं, जैसे जंगीपुर बहरिया बांध व परसी, यदि यहां पर सब स्टेशन बन जाते हैं तो विद्युत में कुछ सुधार हो सकता है। गाजीपुर में तारों की स्थिति बहुत ही जर-जर है। इन टूटे तारों की वजह से दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को 20 प्रतिशत की छूट दी गई है, इसमें गाजीपुर जनपद भी शामिल है। इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, आज प्रदेश में विद्युत परिषद् की जो हालत है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। वह एक वरिष्ठ नेता हैं और उनसे उम्मीद भी यही थी। और बोर्ड की उस स्थिति को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मान्यवर, जहां तक मुझे स्मरण है, माननीय नेता सदन के साथ मुझे 1987-88 में पी० यू० सी० कमेटी में कर्नाटक जाने का अवसर मिला था। वहां पर हमने देखा कि किसानों को बिजली सबसे कम दर पर दी जाती थी। एक किलोमीटर की लाइन बिना शुल्क के दी जाती थी। जबकि वह हमसे बहुत कम उत्पादन करते हैं। अपितु जो पड़ोसी प्रदेश हैं, उनसे वह बिजली लेते हैं। आज भी वह ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी कर्नाटक बिजली बोर्ड के बजट व अन्य विवरणों को मंगवाकर देख लें। वहां लाइन लौस भी कम था। उस समय माननीय सदस्यों ने यह सोचा कि जब तक बोर्ड से वितरण को अलग नहीं किया जायेगा तब तक लाइन लौस को कम कर पाना संभव नहीं है। मैं भी इसे मानता हूं। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कठोर निर्णय लें। जहां आपने उद्योगों के बारे में जो एप्लीकेसन्स यहां पड़ी थी, उन्हें आपने यहां से स्वीकृत कर दिया है, उसी प्रकार किसानों के ट्यूबवेलों के संबंध में जो प्रार्थना-पत्र यहां पड़े हुए हैं, उन्हें आप स्वीकृत कर दें। आपने उद्योंगो के संबंध में जो बहादुरी के साथ निर्णय लिया है, निश्चित ही उससे भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है। हमारे मुजफ्फरनगर में ही हजारों की संख्या में एप्लीकेसन्स लम्बित पड़े हुए हैं। इसलिये मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसानों को भी आप विद्युत कनेक्शन स्वीकृत करने की कृपा करें। तो इससे कुछ किसानों को फायदा होगा। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जिन पर आप गंभीरता से विचार कर लें। तीन कार्यो में हम बिजली का उपयोग ज्यादा करते हैं एक तो घरेलू कार्यों में, दूसरा खेती में और तीसरा उद्योगों में। इन तीनों के लिये बिजली का बहुत महत्व है क्योंकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज बिना बिजली के जीवनयापन कठिन है । गांवों में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं तो उनका क्या कसूर है कि उनको बिजली न मिले । अगर लोगों को बिजली नसीब नहीं होगी तो राम राज्य का रावण राज्य रह जायेगा । तो कम से कम एक साल में एक विकास खंड के एक गांव में विद्युतीकरण कर दीजिये । इस बार मेरे जिले में दो गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया तो वहां के सब एम० एल० ए० आपस में लड़ रहे हैं कि कौन से दो गांवों का विद्युतीकरण होगा । तो कम से कम एक गांव हर एक का कर दीजिये ।

दूसरा आप बिजली की चोरी को रोकें लेकिन उसके साथ ऐसा न हो कि जो आपके मोहकमें के लोगों से मिले हो वह दूसरों को परेशान करें । हमारे यहां गोपे का मामला है वहां बिजिलेंस का इंस्पेक्टर किसी का रिश्तेदार है तो उसके कारण वह अपने प्रतिद्वंदी को नोटिस भेज देता है कि आपने इतनी बिजली की चोरी की उसमें न तो एक्सीएनं कुछ कर सकते हैं और न एस० ई० कुछ कर सकते हैं क्योंकि उसमें विजिलेंस इस्पेक्टर का संरक्षण है । तो किसान दर-दर ठोंकरे खा रहा है । प्रदेश सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के अधीन चलती है चाहे मंत्री किसी विभाग का हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो उद्योगों की श्रेणी में नहीं आते हैं जैसे थ्रैसिंग उद्योग में नहीं आता है । इसी तरह से क्रैसिंग है, किसान का गन्ना जो खड़ा है उसको वह पेर लेता है उसे उद्योग की श्रेणी में न रखें । जो चारा काटते हैं और 10-15 दिन के लिये अपने खड़े गन्ने की क्रेसिंग कराता है तो उसको उद्योग की श्रेणी में लेने का कोई औचित्य नहीं है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप इस सदन में घोषणा करें कि ऐसे कार्यो को जो निजी लाभ के लिये काम करते हैं उसकी घरेलू बिजली की तरह लें । क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार यह उद्योग की परिभाषा में नही आते हैं ।

आज ट्रांसफार्मरों की बड़ी दिक्कत है हमारे मुजफ्फरनगर में किसानों की हालत बड़ी खराब है । वहां आपकी दो-दो वर्कशाप बंद्र पड़ी हैं यही हाल और जगहों का भी होगा । पता नहीं किन कारणों से पिछले दिनों वर्कशाप बंद कर दी गयीं । छोटी-छोटी खराबी भी होगी तो नया ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा । मैं निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अगर किसान ट्रांसफार्मर को सरकारी वर्कशाप में लेकर जाता है और अधिकारियों से अनुरोध करता है या जे० ई० से अनुरोध करता है तो वह ठीक हो जाता है । तो पूरे प्रदेश में वर्कशाप स्थापित हैं उनकों सुचारुरूप से चलाया जाय । दो-तीन ट्रांसफार्मरों को उधेड़ कर एक ठीक हो जाता है तो इससे निश्चितरूप से सरकार को भी और किसान को भी फायदा होगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आपको पूरे 5 मिनट हो गये ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

हमारे यहां कुछ बिजली घर स्वीकृत हैं लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी जानकारी माननीय नेता सदन को है उनका कार्य रोक दिया गया । मेरे यहां कुरावां, टांडा, पुराना टांडा जो सहकारिता मंत्री जी का इलाका है जिसको वह अपना इलाका नहीं मानते हैं निर्माणधीन हैं उनका निर्माण कराया जाय । पुरभानी, करोडी और भैसानी में पावर हाउस का निर्माण कराया जाय ।

मान्यवर, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बिजली का उपयोग । उद्योगों में बिजली की चोरी की जाती है । मान्यवर, चोरी रोकी जानी चाहिए । मैं समर्थन करता हूं कि चोरी रोकी जानी चाहिए । इसके साथ-साथ प्रदेश के विकास के लिये विद्युत दरें ऐसी होनी चाहिए जो पड़ोसी प्रदेश की विद्युत दरों से ज्यादा न हों । यदि ऐसा होगा तो उद्योग टूटेंगे और हमारा प्रदेश पड़ोस के प्रदेश से कम्पटीशन नहीं कर पायेगा । बाहर से कोई यहां उद्योग लगाने नहीं आयेगा । बुन्देलखण्ड और हिल डेवलेपमेंट में रिबेट चार्ज रखे

जाने की बात कही थी यह रिबेट पांच साल के लिये दिये जाने की बात है । मान्यवर, मिनिमम चार्जेज लागू करने चाहिए । मेरा निवेदन है कि मिनिमम चार्जेज में भी रिबेट रखना चाहिए ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस तरह से समान रूप से रिबेट का रेट रखा जाय । कड़ाई से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री लालजी वर्मा द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण दिया तो श्रीमन्, हम लोगों ने यह सोचा था कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में कोई संकल्प प्रस्तुत करेंगे । विधायक वह चाहें इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो एक ही बात कही जाती है कि बिजली लाओ । मान्यवर, हो यह गया है कि पहले प्रति ब्लाक एक गांव से कम विद्युतीकरण के लिये नहीं मिलता था । पूरे विधान सभा क्षेत्र में 5-6 गांव मिला करते थे । जबसे यह सरकार आई है मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां से चुनकर आता हूं । कुछ उधर के माननीय विधायकगण बोलने के लिये होंगे जहां से चुनकर आये होंगे बता देंगे ।

(व्यवधान)

जो वित्तीय लक्ष्य रखा गया था इस वित्तीय वर्ष के लिये जो परसों समाप्त हुआ है । मुझे पूरी जानकारी है कि उसका 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है । इन परिस्थितियों में अगर हम बजट पर कोई चर्चा सार्थक कर सकेंगे तो श्रीमन्, बेकार होगा । हमारे कुछ सदस्य अभी बोल रहे थे कि विद्युत की दशा में सुधार हुआ है । मान्यवर, लखनऊ शहर की ही बात ले लें, जहां हम लोग बैठते हैं इससे पहले कभी इस तरह का विद्युत संकट नहीं हुआ है । उन्नाव, बाराबंकी जनपद, जिनकी जानकारी मुझे है और आपको भी होगी । होली के त्योहार में भी वहां पर बिजली नहीं थी । रमजान के महीने में भी यही हाल है । वह तो आपकी बात है । इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर संसदीय कार्य मंत्री न बैठे होते तो हम इस तरह की कोई बात नहीं करते । मुझे विश्वास है कि वह सुनेंगे तो जरूर कुछ उपाय करेंगे । ऊर्जा मंत्री जी की बात भी मैं नहीं कह रहा हूं कि वह हमारे मन में जो अपेक्षा है जो करेंगे या उस पक्ष के लोगों की बातों का गौर करेंगे । माननीय ऊर्जा मंत्री जी के दफ्तर में जूनियर इन्जीनियर ही घुसे रहते हैं । मेरा विनम्र अनुरोध है कि वहां पर जूनियर इन्जीनियर्स का जमावड़ा रहता हो वहां कोई माननीय सदस्य के जाने की क्या बात है । वहां पहुंचना कल्पना की बात है । मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने बजट भाषण में कटौती की बात स्वीकार की है । लेकिन मान्यवर, यह नहीं बताया घाटे का क्या कारण है ? लाइन लौस की बात बताई । पहले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य अभियन्ता एक ही होता था । अब बढ़ा दिए गये हैं । 1971 से किसी कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई है । अगर किसी कर्मचारी की सर्विस पीरिएड में मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह उसकी विधवा आ जाती है । विधवा खम्भे पर चढ़ने का काम कर नही सकती है । अफ्सरों का काम फील्ड वाले करने लगे । जिससे बिजली में गिरावट आती गई । जब हड़ताल हुई इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात उसके संबंध में कही कि "नो वर्क नो पे" मैं नाम नहीं लूंगा ।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी जानते हैं पिछले दिनों जब आन्दोलन हो रहा था उन्नाव जेल में एक शराबी कर्मचारी, दफ्तर में जाकर मैं नाम बता दूंगा, एक बिजली कर्मचारी दारू के नशे में पकड़ा गया और जेल गया पूरे आन्दोलन में जेल में रहा, इन्होंने कहा था कि "नो वर्क नो पे" लेकिन उसे तनख्वाह मिली । मैंने विधान सभा में भी कहा चिट्ठी भी लिखी । खम्भों के पुरःस्थापन के लिये हम छोटे-छोटे सवाल करते हैं उनके जवाब में कह दिया जाता है कि साधनों की कमी है । तमाम जगह हैं बिजली के खम्भे चोरी हो गये, तमाम माननीय सदस्य सवाल उठाते हैं, उनके इलाकों में भी चोरी हो जाते हैं, दस-दस महीने ट्रांसफार्मर जले पड़े रहते हैं लेकिन कोई बदला नहीं जाता है । मान्यवर, अगर किसान चला जाता है बिजली विभाग के दफ्तर में और वह रुपया दे देता है तो वह अपने ट्रैक्टर में या अपने साधन में, अपना ट्रांसफार्मर लाद कर चला जाता है । मान्यवर, मैंने जुरावागंज का सवाल किया, उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि चार साल पहले ही पुरःस्थापित कर दिया । उसको फिर से पुरःस्थापित करने के लिये कहा, तो पैसा नहीं है, कहा खम्भा लगा दें पता नहीं है, यह हर चीज के लिये कह देते है कि पैसा नहीं है । ग्रामों में विद्युतीकरण के लक्ष्यों को बढ़ाया जाना चाहिए । गांव में बिजली देने की बात आप करते हैं हम आपके साथ नहीं की जगह हां बोलने को तैयार हैं लेकिन गांवों में बिजली नहीं दी जा रही है । ग्रामों में विद्युतीकरण कराएं । श्रीमन्, उन्नाव जनपद के बारे में कहना चाहता हूं मेरे जिले में, बाराबंकी में और जो आस-पास के जनपद हैं वहां जितना लक्ष्य था उसका आधा हो गया है । उन्नाव में आधा हो गया है । कोई कार्य नहीं हो रहा है । रामगोविन्द चौधरी जी ने कहा, रामऔतार शाक्य जी भी कह रहे हैं कि मेरे जिले में भी कोई विद्युतीकरण का काम नहीं हुआ है । केवल भाषण में साहित्यक शब्द जोड़ देने से कोई काम नहीं हो जाता है । आपके यहां जूनियर इंजीनियर बैठते हैं । बड़े-बड़े कारखानों में, हमारे यहां जैसे सोना स्टील में स्टील का उत्पादन होता है वहां जितने यूनिट बिजली लगेगी उसी हिसाब से स्टील का उत्पादन बढ़ेगा । लेकिन बिजली का तो खर्च कम है और स्टील का उत्पादन बढ़ रहा है । शक्ति भवन वालों के बारे में क्या कहूं वहां जाकर कहो तो कहते हैं कि फला मंत्री का दबाव है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

स्टील का उत्पादन बढ़ रहा है । बिजली की खपत कम हो रही है । ग्रामीण विद्युतीकरण लक्ष्य नहीं पूरा कर पाये है मैंने उन्नाव जनपद के लिये मंत्री जी से अनुरोध किया था अपने लक्ष्यों का बढ़ायें ।

[समय–7 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, जनपद बलिया जहां से राम गोविन्द चौधरी जी आते हैं, उस जिले ने देश को एक प्रधान मंत्री दिया है और कई बड़े नेता दिये हैं वहां पर जो लक्ष्य है उनको बढ़ायें । शक्ति भवन के तामझाम

और व्यर्थ के खर्चों को कम करें उसमें मितव्ययता लायें जिससे कि खर्च घटे तो मैं समझता हूं कि सुधार होगा । इन शब्दों के साथ माननीय लालजी वर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, विद्युत परिषद के बारे में जो प्रस्ताव हमारे उर्जा मंत्री जी ने रखा है उसके लिये में उन्हें बधाई देना चाहता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र–

मल्ल जी यह भी बता दीजियेगा कि कितने गांवों का आपके यहां विद्युतीकरण हुआ है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मैं सही बात कहूंगा, मैं आप लोगों की तरह पूर्वाग्रही नहीं हूं जो हर बात में अयोध्या और श्री राम जी की बात कहते हैं । मान्यवर, जैसी पहले अव्यवस्था इस विभाग में थी आज नहीं है । पिछले 44 सालों से जो अव्यवस्था चली आ रही थी उसको समाप्त करने का संकल्प उर्जा मंत्री जी ने उठाया है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । मान्यवर, विद्युतीकरण के लिये 1362 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है । 34 प्रतिशत बिजली विभाग पर खर्च किया जा रहा है यह बहुत ही खुशी की बात है । मान्यवर, यह सही बात है कि काफी समय से विद्युत परिषद की स्थिति खराब चल रही थी जिनको ऊर्जा मंत्री जी ने ठीक करने की बात कही है । पहले जो ग्रामीण विद्युतीकरण के तमाम आंकड़े दर्शाये गये हैं वह सब फर्जी हैं, मेरे ख्याल से पहले जो आंकड़े दिखाये गये हैं उनमें 50 फीसदी ही सच होंगे । पहले अगर एक भी खंभा कहीं लगाया गया है तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया गया है लेकिन अब वैसा नहीं होगा । इस बजट का अधिकांश हिस्सा गांवों के विकास पर दिया जायगा । जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं वह तभी विकसित होंगे जब ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल दिया जायेगा । आज ट्रांसफार्मर की कमी है । पहले उनमें कोई फ्यूज लगा होता था जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता था और सुरक्षित रहता था । आज सारे ठेके पर निर्माण कराये जाते हैं जब देखिये जल जाते हैं । नलकूप चालू नहीं हुआ पता चलता है कि ट्रांसफार्मर जल गया । हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं । पहले ज्यादा खराब होते थे अब कुछ कमी आयी है यह उर्जा मंत्री के प्रयासों से संभव हुआ है । मेरा आग्रह है कि ट्रांसफार्मर अच्छे किस्म के लगाये जायं और यदि कोई जल जाता है तो उसको तुरन्त बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ताकि काश्तकारों को दौड़ना न पड़े । गरीब आदमी को बार-बार दौड़ना पड़ता है । मैं बधाई देना चाहूंगा, पहले सुनवायी नहीं होती थी, हमारे यहां एक सहायक अभियंता सामान नहीं देता था जब इस ओर ध्यान दिलाया गया तो मंत्री जी ने बंदोबस्त किया और तीन दिन में उसका तबादला हो गया ।

जहां तक कटिया डालने वालों की बात है, कटिया डालने वालों की अब खटिया खड़ी हो गयी है, जहां गांवों में कटिया लगायी जाती थी वह बंद हो गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में लोगों को कनेक्शन मिलने में परेशानी होती है इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे एक ही जगह उनको कनेक्शन देने के संबंध में सारी कार्यवाही कर दी जाय । कभी इस्टीमेट वाले को खोजिये और कभी जे० ई० को । यह सही है कि एक-एक अभियन्ता 15–20 साल से एक जगह से जाने का नाम ही नहीं लेता। होता यह है कि किसी का चाचा ड्राइवर है शक्ति भवन में किसी इंजीनियर का, वह अपनी जगह पड़ा है । एक लाइन खराब होने के बारे में प्रश्न किया तो लिखा जाता है, अधिकारी लिख कर देते हैं कि लाइन जल रही है । ये तमाम खामियां समाप्त की जायं । ट्रान्सफार्मर बदले जायं । हमारे देवरिया में बघौचघाट में एक योजना 12 साल से प्रस्तावित है, बन गयी है, 4–5 लाख के खर्च के कारण रुकी है । वहां से 25 किलोमीटर पर तरकुलवा से हमारे क्षेत्र और शाही जी के क्षेत्र को संयुक्त रूप से बिजली

जाती है । उस पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है । लाइन खराब पड़ी रहती है । वहां गांव वालों ने घेराव किया था । इसी प्रकार बरियारपुर में हमारे क्षेत्र में एक योजना प्रस्तावित है । मैं कहना चाहता हूं कि कल ऊर्जा के 16 प्रश्न लगे थे । तीन प्रश्नों मे कहा गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है । उसमें मैंने यह भी प्रश्न किया था कि बरियारपुर सब स्टेशन में क्या कार्यवाही की जा रही है । मंत्री जी ने आदेश दिया था, लिखा था और विद्युत परिषद् ने जवाब दिया कि वह पत्र ही नहीं प्राप्त हुआ ।

मैं चाहूंगा कि राज्य विद्युत परिषद् पर नियंत्रण रखें और बढ़ते घाटे को रोकें । बिल के बारे में, जो सामान्य उपभोक्ता है, बिल आने पर सारा पैसा जमा करने के बावजूद जब भी देखें, शायद लखनऊ में ऐसा न होता हो देवरिया और गोरखपुर में बिल मिलने पर पैसा जमा किया जाता है लेकिन लिख कर मिलता है कि बाकी है । उपभोक्ता रुपया देता है, लेजर मेन्टेन नहीं होता और बराबर बिल बाकी होने की सूचना दी जाती है । मान्यवर, मेरे यहां 400 के० वी० ए० का एक स्टेशन प्रस्तावित है । मेरे यहां केन्द्र सरकार के सहयोग से 6 करोड़ रुपये शायद स्वीकृत भी हो गये हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से देवरिया में लग नहीं पा रहा है । मेरा ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि चाहे जो भी बाधाएं हों, वह सब-स्टेशन देवरिया में हर हालत में स्थापित किया जाय, जिससे कि बिजली की कठिनाई दूर हो सके । जहां तक चोरी की बात है, उस पर कड़ा नियंत्रण रख कर ही पार पाया जा सकता है ।

इस पर एक-एक बिल क्लर्क काम नहीं चलने देता है । कुल 72 यूनियनें है जो कार्य नहीं करने देती हैं । घेराव करने लगती हैं । उपभोक्ता के पैसा जमा करने पर वे लोग कहते हैं कि पैसा मत जमा करो 500 रुपये दे दो । वहां एक-एक लाइन मैन को हटाना चाहिये । एक 60 साल का बूढ़ा लाइन मैन प्लास नहीं उठाता है; मुर्दाबाद पहले कहता है । प्लास पकड़ तक नहीं पाता है । मेरा आग्रह है कि क्लर्क को भी वहां से हटाया जाना चाहिये । माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट रखा है , मैं उसका समर्थन करता हूं और जिन बिन्दुओं पर ध्यान दिलाया है उन पर ध्यान देकर सुधार करावें ।

श्री अध्यक्ष–

अब कुछ लिखा नहीं जायगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

चोरी की बात कही गयी , विपक्ष के नेताओ से आग्रह है कि वे इसको बढ़ावा न दें ।

* श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया । बहुत सारी बातें इनसे कहनी हैं, मैं दो तीन बातें कहूंगा । एक तो मान्यवर आज के जमाने में मैं समझता हूं, तमाम हमारे माननीय सदस्यों ने भी इसकी उपयोगिता के बारे में बताया कि बिजली एक ऐसी चीज है, ऊर्जा एक ऐसी चीज हो गयी है । जिससे कि पूरी की पूरी जिन्दगी बंध गयी है । चाहे उद्योग का मामला हो, कृषि का मामला हो, चाहे घर में रोशनी का मामला हो, सारी चीजें अब ऊर्जा से जुड़ गयी हैं । इसलिए इससे उत्पादन का मामला एक अहम सवाल हो गया है और हमारे सूबे में इसकी बेहद कमी है । वैसे मैं समझता हूं कि हमारी बात को सरकारी पक्ष के लोग इसे ठीक ही समझेंगे । माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसके बारे में उनकी क्या योजना है, समझ मे नहीं आता है कि सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में कौन सा उपाय कर रही है या कोई भी उपाय नहीं कर रही है । एक बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि निजी क्षेत्र में इसको प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित किया जायगा । लेकिन सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया जायेगा, ऊर्जा की कितनी महत्ता है, इसके बारे में सरकार की कोई योजना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं है । दूसरी बात मुझे निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अपने कार्यकाल में हमने ऐसा काम कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया ।

हमने जो बनारस में नहीं देखा, बहुत सारी दरखास्तें यहां पर दिया है । 6-6 महीने से ट्रांसफारमर जले हुए है । सरकार घोषणा कर देती है कि 15 दिन मे लग जायेंगे । मैं तो कभी-कभी डर के मारे क्षेत्र में भी नहीं जाता हूं । इंजीनियर लोग 6-6 महीनें तक लटका देते हैं । मैं कम से कम 20 नलकूपों को गिना दूंगा, अगर ट्रांसफारमर दिया जाता है, तो वह दो दिन में भस्ट हो जाता है । हमारे ब्लाक में, पुरौना गांव है, वह हमारे क्षेत्र में पड़ता है, 8 महीने से नलकूप तैयार है, लेकिन ट्रांसफारमर के कारण सिंचाई नहीं हो रही है, ऊर्जा मंत्री की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, कह तो देते हैं कि ट्रांसफारमर मिल जायगा, लेकिन वह कहते हैं कि ट्रैक्टर ले आओ, ट्रांसफारमर हम दे देंगे, नहीं तो एक हजार रुपये दो तब हम पहुंचायेंगे, नलकूप के पास । मान्यवर, मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा शिकायत नहीं कर रहा हूं, मान्यवर, अभी 19, 20 तारीख की घटना है, परीक्षा भी छात्रों की हो रही है, बहुत सारे गांवों में बिजली दे रखा है, लेकिन वहां पर 6 बजे से 11 बजे तक बिजली रोज चली जाती है अगर टी० वी० लगाया है, तो देखने की दिक्कत है रोहनियां फीडर पर किसान लोग धरना दे रहे थे । पुलिस को बुला लिया और किसानों को मारकर बन्द कर दिया । जमानत पर उनको छोड़ा गया । मैने ए० ई० से जाकर शिकायत किया, उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों से मारमीट किया है । मान्यवर, रोहनियां, हरौनी, राजा तलाव, मिर्जामुराद और कोटवा फीडर हैं, लेकिन कोई भी 6 बजे से 11 बजे रात तक बिजली नहीं दे रहे हैं, जबकि इस समय छात्रों की परीक्षा हो रही है । वहां पर हिदायत करें कि रात में कनेक्शन न काटा जाय, जिससे छात्रों को पढ़ाई-लिखाई में बाधा न हो और जिन लोगों ने कनेक्शन ले रखा है, उससे फायदा उठा सकें, घरेलू उपयोग के लिए जिन लोगों ने बिजली ले रखी है, उनको आप दिन में 2-4 घंटे बिजली देते हैं । इन्हीं चन्द सुझावों के साथ मैं माननीय लाल जी वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, मै आपका आभारी हूं कि आपने ऊर्जा के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय विद्युत मंत्री जी ने अपनी कृतियों को स्वीकारा है । प्रदेश की जो स्थिति है, विभाग की जो स्थिति है, उसको मानने में जरा भी संकोच नहीं किया है और ऐसा लगता है कि विद्युतीकरण मे संतोषजनक प्रगति के आसार नहीं हैं । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उलाहना देने की बात नहीं है, लेकिन यह राम राज लाना चाहते हैं और राम राज में विद्युतीकरण था ही नहीं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण की सबसे समस्या है, लाइन लासेज की । हमारे पास साधन कम हैं, बिजली का उत्पादन कम है, लेकिन जितना उत्पादन होता है, उसको यह ठीक से वितरित नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत नुकसान होता है । लाइन लास की समस्या का निदान तब तक नहीं हो सकता है, जब तक राज्य विद्युत परिषद् को प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बांटा जायेगा । जब तक शामिल खाते में रखा, जायेगा, तब तक किसी की जिम्मेदारी नियत नहीं की जा सकेगी और जब जिम्मेदारी नियत नहीं हो पायेगी, तो अधिकारी मनमानी करेंगे । अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिये राज्य विद्युत परिषद् का विभाजन करना अनिवार्य है ।

(इस समय 7 बजकर 37 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, एक बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अगर किसी गांव से बिजली की लाइन निकल जाती है, तो उसे भी विद्युतीकरण कि संख्या में मान लिया जाता है, अगर एक बल्ब जल गया तो उसे भी विद्युतीकरण में मान लिया जाता है । मान्यवर, प्रदेश में तमाम ऐसे गांव हैं, जहां पर एक बिजली का खम्भा खड़ा हुआ है, तो आप इसका एक सर्वे करावें कि किस गांव में कितना प्रतिशत विद्युतीकरण

हुआ है । जिससे इस तरह की सारी चीजें सामने आ जायें और आगे नियोजन करने में असानी होगी और असलियत का भी पता चल जायेगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं, कि एक मानक बनाकर सारे उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं । मै आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे विकास खण्ड हैं जिनमें विद्युतीकरण 80 प्रतिशत से 98 प्रतिशत प्रतिशत तक पहुंच गया है और कुछ विकास खण्डों में तो 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है, लेकिन मैं मिर्जापुर की स्थिति बताना चाहता हूं कि वहां पर 5 से 10 प्रतिशत से अधिक का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । इस बात को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी जानते हैं । मिर्जापुर से जब चलेंगे, तो 30–40 किलोमीटर के बाद कहीं पर विद्युतीकरण का नामोनिशान नहीं मिलेगा । विकास खण्ड मड़िहान, शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विकास खण्ड हो जहां 40–40, 45–45 गांव एक साथ ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण का एक काम भी नहीं हुआ है तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस विकास खण्ड में 50 फीसदी 60 फीसदी विद्युतीकरण हो चुका है वहां एक गांव को ले सकते हैं एक गांव, दो गांव कर दीजिए तो जहां पूरा विकास खण्ड खाली पड़ा है उसके लिए कोई विशेष नीति बनानी चाहिए । मैं आशा करता हूं कि इस नीति की बात को विद्युत मंत्री जी स्वीकार करेंगे । मान्यवर, हमारे मिर्जापुर जनपद में जिस ब्लाक की मैं बात कर रहा हूं ब्लाक पडरी में तीन साल से सबस्टेशन बना हुआ है । मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि केवल एक किलोमीटर की लाइन उसको नहीं मिल पा रही है क्योंकि तार नहीं है नहीं तो वह सबस्टेशन चालू हो जाता तो उस विकास खण्ड का कुछ काम आगे बढ़ता । मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय लाल जी वर्मा द्वारा कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय उर्जा मंत्री जी ने प्रदेश में उर्जा की भयावह स्थिति को बताया लेकिन दुख हैं कि उन्होंने वही राग अलापा जो जब वह चुनकर आये थे तो जो राग अलापा था आखिर कितने समय तक वह राग अलापते रहेंगे उन्होने केवल पिछली सरकार को दोषारोपित करने का राग अलापा है अगर वह घाटे को समाप्त करने के लिये कोई योजना विस्तृत रूप से बताते तो मुझे खुशी होती । मान्यवर, पिछली जब जनता दल की सरकार थी तो गांवों में 14 घंटे आती थी और अब इस सरकर में मात्र 4-5 घंटे ही बिजली आ रही है । मैंने वेस्टर्न जोन की मीटिंग में कहा था कि मात्र 4–5 घंटे बिजली आ रही है ।

मान्यवर, बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है और उसको कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, कोल इंडिया नकद दाम पर उसे कोयला दे रहा है । इसका कारण यह है कि इस बिजली बोर्ड की और इस सरकार दोनों की विश्वसनीयता खत्म हो गयी है पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश का ही बिजली बोर्ड डिफाल्टर है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और निवेदन भी करता हूं कि यह बता दें कि पिछली 3 वर्षों में बिजली बोर्ड पर क्या खर्चा हुआ, क्या इसकी आमदनी हुई है और क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं, इसका ब्यौरा बता दें । यदि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है तो संकोच क्यों है? सबने इसे सफेद हाथी बताया है । लालजी वर्मा जी ने तो इसके बटवारे की बात कही थी मैं तो इसे भंग करने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, इसके घाटे को कम करने के लिए दो बाते हैं एक तो कम पैसे में ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाय और दूसरा विद्युत की चोरी को रोकना । मैने वेस्टर्न जोन की मीटिंग में कहा था जो

जल विद्युतगृह बन्द पड़े हैं इनमें जनपद मेरठ में सलवा, भोला, और चितौड़ा हैं इनकी मशीने बन्द पड़ी हैं। इन जल विद्युतगृहों से कम पैसे में ज्यादा यूनिट बिजली तैयार हो सकती है। सलावा जल विद्युतगृह पिछले कई माह से बन्द पड़ा है और उससे वहां की किसानों की फसल बरबाद हो गयी है और किसान तबाही की कगार पर आ गया है। लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, मेरठ जनपद में एवं आसपास के अन्य जनपदों में एक-एक उद्योगपति लाखों रुपये की रोज बिजली चोरी करता है जबकि उतनी चोरी पूरे जनपद का किसान नहीं करता है। लेकिन फिर भी उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है क्योंकि वे उनके संगठन के पोषक हैं और विश्व हिन्दू परिषद को वह लाखों रुपये का चन्दा देते हैं इसलिए वह सरकार और अधिकारियों से साठगांठ करके चोरी कर रहे हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भमौरी और भलसौना गांव में कई साल से बिजली के खम्भे गड़े हैं लेकिन तार नहीं खिचे हैं और न बिजली आ रही है लेकिन बिल भेजे जा रहे हैं। मैंने मंत्री जी के संज्ञान में यह बात पहले भी लाई थी और आज फिर ला रहा हूं, इस पर कोई कार्यवाही करने की कृपा करें, माननीय लालजी वर्मा ने कहा कि उनके जनपद में हर विकास खण्ड में एक गांव विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है लेकिन पूरे मेरठ जनपद में एक ही गांव चयनित किया गया है तो यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ? यह भी भेद भाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला मेरठ मे केवल एक गांव का लक्ष्य विद्युतीकरण के लिये है और उसका भी नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में तीन बिजली घर बनाने प्रस्तावित थे। मुजफ्फरनगर में एक कच्ची गढ़ी में बिजली घर बना खड़ा हैं लेकिन चालू नहीं हुआ। मेरे यहां भी भामौरी या अकालापुर तथा दफतुक प्रस्तावित था, आज तक काम नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

ऊर्जा सलाहकार स्थायी समिति में प्रस्ताव जो पारित किये जाते हैं उन पर अमल नहीं होते। मान्यवर, ऊर्जा सिंचाई सलाहकार समिति के पारित प्रस्तावों पर अमल कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा इन्हें भंग कर दें। यदि इनके प्रस्तावों पर अमल न हो तो इनके बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। 25-11-91 को समिति ने सलावा गंगा नहर पुल पर रैलिंग लगाने का प्रस्ताव किया था। 2–3 दिन में कार्य करने का आश्वासन देने के बाद भी अब तक काम शूरू नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

बस कर रहा हूं, मान्यवर। अपने बजट भाषण में इन्होंने कहा है कि जिलों में जिला स्तरीय समिति बना दी गयी हैं, जो 100 हार्सपावर तक विद्युत कनेक्शन स्वीकार करने के लिये अधिकृत हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस जिले में कमेटी बनी है, कौन सदस्य हैं। कहां उन्होंने कनेक्शन स्वीकृत किये हैं। कटिया वाले मामले में इन्होंने जरूर कुछ प्रगति की है लेकिन जो कनेक्शन रेगुलराइज किये हैं, वह उन्हीं के किये हैं जिन्होंने पैसा दिया है, बाकी को नहीं किया है इस योजना को मा० मंत्री जी आगे और बढ़ाने की कृपा करें।

श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा जो ऊर्जा का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । बधाई देना चाहता हूं कि विशेष रूप से उत्तरांचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये जो विशेष छूटें प्रदान की हैं और आने वाले 5 वर्षो तक कनेक्शन लेने पर जो छूट दी है और जो दृढ़ निर्णय लिये हैं, चाहे हड़ताल के सम्बन्ध में था या विषय परिस्थिति में ऊर्जा विभाग को चलाने के सम्बन्ध में था, वह प्रयास सराहनीय है । उत्तरांचल के मामले में परिस्थितियां और कठिनाइयों की ओर सुझाव के रूप में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्र में जैसे मैदानी क्षेत्र में सजरे होते हैं वहां पर उनको लोक कहा जाता है । पिछले वर्षो में वहां पर जो भी विद्युतीकरण की प्रक्रिया चली, जो मानक अपनाये गये, वह 1981 की जनगणना के आधार पर उस गांव के जितने मकान थे या परिवार निवास करते थे, उनकी आधी संख्या के बराबर बिजली के खम्भे दिये गये । मुख्य लाइनें इतनी दूर थीं कि मुख्य गांव तक विद्युत पहुंचने में पूरे खम्भे हो गये । अनेक हैमलेट्स विद्युतीकरण से छूट गये, कागजात में लिखा गया कि ग्राम में विद्युतीकरण हो गया है । सर्वप्रथम नये गांवों को लिये जाने के पूर्व छूटे हुए लोगों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है । जब तक कोई ग्राम पूरी तरह से ऊर्जीकृत नहीं होता है उसे ऊर्जीकृत न माना जाय । विशेष रूप से दूसरी समस्या जो है लो वोल्टेज की है । इसकी वजह से मैदानी क्षेत्र में जहां उद्योग धन्धे रुकने की बात आती है, पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाता है । पेयजल की अधिकांश योजनायें पम्पिंग से चल रही हैं, मशीन से पानी पहुंचाया जाता है । जब उत्तरांचल प्रवासी तथा पर्यटक गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचते हैं तो लो वोल्टेज के कारण पम्प काम करना बन्द कर देते हैं और पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो जाता है । इस बात को देखें कि वहां पर कम वोल्टेज न रहने पाये । इसी के साथ मैं ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उर्जा मंत्री ने जो यहां बजट रखा है उसमें हमें बड़ी आशायें थीं कि विद्युत विभाग की जो जर्ज़र अवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करेंगे इस बजट के द्वारा लेकिन इनके बजट में हमें घोर निराशा हुई । इस जर्जर व्यवस्था को किस तरह से सुधारेंगे किस तरह से ऊजीकृत करेंगे किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ायेंगे, कोई स्पष्ट नीति इसमें परिलक्षित नहीं होती है । आज उन्होंने स्वयं अपने भाषण में कहा कि 2 हजार मेगावाट ज्यादा बिजली पैदा करेंगे जगदीशपुर और शाहजहांपुर इसकी कोशिश करेंगे लेकिन इसका कहीं भी इस बजट की पूरी पुस्तिका में देखने को मिला नहीं । कहा गया कि 1400 मिलीयन यूनिट की हानि हुई है कोयले की अनुपलब्धता की वजह से । अपनी गल्ती को केन्द्र सरकार पर थोपने का काम माननीय मंत्री जी और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है । माननीय मंत्री जी हिम्मत करके इस विद्युत परिषद् को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में बाट दें आपके प्रति प्रदेश बहुत आभार प्रकट करेगा । आज विद्युत परिषद् को अवश्य प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में बाट दें बिजली की चोरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन को दो भागों में नहीं बांटेंगे जब तक इसकी जर्जर व्यवस्था को दूर नहीं करेंगे इसके भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं । 1990–91 में जो जिन विद्युत उप केन्द्रों का चयन हुआ था, आपका यह बजट ग्रामोन्मुखी है, माननीय वित्त मंत्री जी भी जब बजट को ग्रामोन्मुखी बता रहे थे तो काफी माननीय सदस्य मेंजें थपथपा रहे थे मेरा निवेदन कि उन विद्युत उप केन्द्रों को वरीयता के आधार पर बनाने का काम करें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एल० टी० ई० को रोका गया है उसके एक्सटेंशन को निवेदन है कि उस पर से रोक हटायें जो ट्रांसफारमर टी० एन० डी०, ई० एन० पी० पर रोक लगी हुई है उसको हटायें मान्यवर, जो विद्युत की पुरानी लाइन हैं उन पर लोड बढ़ गया है जब तक पुरानी लाइनों को हटाकर नयी लाइनें नहीं डालेंगे तब तक जो ब्रेक डाउन दिखायी देंगे अभी हमने इस सम्म्नित सदन में देखा था काफी समय तक बिजली गायब रही थी इस व्यवस्था को ठीक करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, करेन्ट आदि लगने से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनकी क्षतिपूर्ति के लिये बजट में प्राविधान करें । भ्रष्टाचार इसमें बहुत है उसको ठीक करायें । मान्यवर, प्रमुख अभियन्ताओ का चयन 2 साल पहले हुआ था लेकिन आपके लोगों ने मिलकर एक काकस बनाकर जिनकी चरित्र पंजिका अच्छी थी उनकी प्रोन्नति नहीं की गयी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे जांच चल रही थी उनको प्रोन्नत किया गया इस पर आप पुनर्विचार करेंगे । हमारे विकास खण्ड गगहा में एक गांव सिंगला उसमें एक लाइनमैन रामजीत ने बिजली के चार खम्भों को उखाड़ कर उसकी जगह सीमेंट के पोल लगा दिये है और वह पोल अपने घर पर लगा दिये हैं ।

कृपया आप जांच करवा लें.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी कृपया समाप्त करें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

और जो अभियन्ता 15–15 साल से एक ही क्षेत्र में जमें हुए हैं और जिनके खिलाफ शिकायत है उन्हें एक मानक बनाकर, उन शिकायतों के आधार पर, उनकी नियुक्ति के आधार पर तैयार करें । और इस चरमराती व्यवस्था को एक नयी दिशा दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन में माननीय ऊर्जा मंत्री, श्री लालजी टण्डन ने जो बजट रखा है और जो माननीय लालजी वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं , मैं, सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि बजट भाषण में मुझे ऐसा लगा कि माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचार है तो इसी विद्युत विभाग में है । मान्यवर, यह भी चर्चा हुई कि विद्युत की चोरी होती है तो वह कैसे होती है, उसको कैसे पकड़ा जाये । मैं कहना चाहता हूं कि लाइट कनेक्शन में जो छोटे-छोटे कर्मचारी होते हैं और जो मीटर रीडर होते हैं वह यदि कुछ गड़बड़ी करते हैं तो पकड़े जाते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं और जो विद्युत की चोरी करते हैं, पैसा कम देते हैं तो उनको पकड़ा नहीं जाता है । आपने छोटे लोगों को तो सस्पेन्ड कर दिया लेकिन इसमें जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जो इनसे पैसा लेते हैं उसको क्यों नहीं आप सस्पेन्ड करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बकायेदार वहीं हैं जो कारखानेदार हैं । आप मीटर रीडर और छोटे कर्मचारियों को तो सस्पेन्ड कर देते हैं लेकिन जो इनजीनियर्स इसमें शामिल हैं आपने उनको सस्पेंड किया ? तो यह बड़े ही खेद की बात है । आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटायेंगे लेकिन अगर यही रहा तो यह भ्रष्टाचार कैसे मिट पायेगा । दूसरा मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं ? हमारे यहां बिजली घर है वह काफी समय से बन्द हैं और उसमें से हजारों मैगावाट बिजली पैदा हो सकती है । मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि उसमें, कोयला से चलने वाले बिजली घर हैं , अगर उसमें कोयला मिल जाये,

और वह चालू हो जाये तो इसमें जो बेरोजगार हैं, जो पहले नौकरी पाये थे, उनका समायोजन हो जायेगा और मैनपुरी में और उसके आसपास के जनपदों में जो बिजली की समस्या है वह भी समाप्त हो जायेगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात कही गयी। परसों इसी विधान सभा में हमारे सात सवाल इसी विषय पर आये मगर किसी का भी उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ और सब पर यही कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। उनका उत्तर क्यों नहीं आया क्योंकि इसमें आपके इंजीनियर्स आ रहे थे। तो यदि भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो उन इन्जीनियर्स का जवाब तलब करिये तभी यह समाप्त होगा इन शब्दों के साथ जो माननीय लालजी वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो माननीय लालजी टण्डन ने भाषण दिया है उसका विरोध करता हूं।

* श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने ऊर्जा बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया और अभी माननीय लालजी वर्मा ने ऊर्जा से सम्बन्धित विचार रखे मैं उनका आभार प्रकट करती हूं। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं जो उन्होंने सुझाव रखे वह ऐसे स्थान से दिये गये हैं जहां पर बैठकर आदमी अपना विवेक खो देता है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहती हूं कि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है लेकिन उस स्थिति में भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इतना सराहनीय कार्य किया है।

मान्यवर, जैसे टिहरी बांध है, पिछली सरकार ने उसके लिये 50 करोड़ की व्यवस्था की थी, लेकिन इतनी खराब स्थिति में भी हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी तरह लालजी वर्मा बताना भूल गये कि राजघाट परियोजना के लिये पिछली सरकार ने केवल 5 करोड़ की व्यवस्था की थी, हमारी सरकार ने 1700 करोड़ की व्यवस्था की है, इसी तरह टांडा ताप विद्युतगृह के लिये पिछली सरकार ने 26 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, हमारी सरकार ने इतने आर्थिक संकट के बावजूद भी 50 करोड़ की व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय किशोरी श्याम जी, कृपया पैर नीचे करके बैठें।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय उर्जा मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद मुरादाबाद की तहसील चंदौसी की ओर ले जाना चाहती हूं, जहां पिछले 44 वर्षों में कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि वहां पर कई वर्षों से एक पावर हाउस खराब पड़ा हुआ है, वहां सैकड़ों मजदूर काम करते थे, ऐसी स्थिति में वहां के अधिकारी/कर्मचारी लाखों रुपये की चोरी कर चुके हैं, मैंने माननीय मंत्री से भी मौखिक रूप से कहा था कि या तो उसको पुनः चालू करवा दें अन्यथा उसको नीलाम करा दें, ताकि चोरी बचाई जा सके। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जनपद मुरादाबाद में कुन्तलों तार रोज चोरी होता है, रिकार्ड उठाकर दिखवा लीजिये, चोरी होने के बाद भी किसी अधिकारी/कर्मचारी का नाम कभी नहीं आता, यदि इसी तरह कोई कार्यवाही न की जाय, तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(लाल बत्ती जलने पर)

माननीय, आपने लाल बत्ती जला दी, हम भूल जाते हैं, क्या कहना था और क्या नहीं कहना है। माननीय, बत्ती बुझा दें ताकि समस्याओं के बारे में हम कह सकें, समाधान जितना होगा, उतना तो होगा ही। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि 20–20 साल से वहां कर्मचारी, अधिकारी यूनियनबाजी कर रहे हैं और हर तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस ओर भी आप ध्यान दीजिये। मेरा अन्तिम सुझाव है कि बिजली जैसे आ रही है, वह सबको मालूम है, लेकिन आप बिजली की व्यवस्था ऐसी निश्चित कर दीजिए कि भले ही 7 घन्टे बिजली आये, लेकिन यह मालूम हो कि किस समय आनी है और किस समय जानी है। शाम 6 बजे से बिजली चली जाती है और रात 1 बजे आती है, फिर सुबह 5 बजे चली जाती है इससे आप समझ सकते हैं कि छात्र-छात्राओं की पढ़ाई कैसे होगी, घर का काम कैसे हो सकता है। अन्त में मैं इस कल्याणकारी बजट का, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने पेश किया है, का समर्थन करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद।

* श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने बजट मद संख्या–9 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं। आंकड़ों की बात माननीय सदस्यों ने काफी रख दी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे ऊर्जा मंत्री ने अपने भाषणा मे कहा कि पूरा प्रदेश संसाधनों की कमी के कारण ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, उसका भाव यही था। मान्यवर, जो बजट आया हुआ है और जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया था, उसमें जो ऊर्जा से सम्बन्धित विषय थे, दोनों पर अगर गौर किया जाय तो मैं समझता हूं कि ऊर्जा संकट दूर करने के लिये कौन सा ठोस कदम यह उठाने जा रहे है इसका अभाव दिखाई पड़ता है। मैं सोच रहा था कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस कमी को दूर करते हुये कोई ठोस कार्यक्रम हमारे सामने पेश करेंगे, जिससे प्रदेश की जनता के सामने जो ऊर्जा का संकट उत्पन्न हुआ है वह समाप्त हो, लेकिन इसका अभाव रहा है।

यह प्रदेश हिन्दुस्तान में क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के हिसाब से पहले नम्बर पर है। आज परम्परागत स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, अगर उनका अध्ययन किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वर्षों के बाद ये ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जायेंगे। मै बताना चाहता हूं कि अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्री के० एम० पाठीकर ने शोध के आधार पर यह बात कही है कि पूरे विश्व में ऊर्जा की जो खपत है वह लगभग 34 लाख मेगावाट है और सूर्य के द्वारा इस धरती को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह करीब 70 लाख मेगावाट है, जो कि 36 लाख मेगावाट अधिक है।

इसलिए मैं इस दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा का उत्पादन का विकास हो। मैं भ्रष्टाचार के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे इलाहाबाद जनपद में कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। उन क्षेत्रों में एक चायल क्षेत्र भी है। वहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 1990-91 और 1991-92 में यहां पर जो इन्डेन्ट आया था, मुख्य अभियन्ता, मैटीरियल और मैनेजमेंट के पास उस इन्डेन्ट के अनुसार विद्युतीकरण की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मैंने इस सम्बन्ध मे माननीय ऊर्जा मंत्री जी व मुख्य अभियन्ता, मैटीरियल एण्ड मैनेजमेंट के यहां भी लिखकर दिया, परन्तु वह पत्र आज भी रद्दी की टोकरी मे पड़ा हुआ है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज इलाहाबाद में उतना ही रहने दें। बहुत ही कम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के हिसाब से जिस जिले को जितना लक्ष्य पूर्व की सरकारों ने निर्धारित किया था, कम से कम उसके बराबर तो रहने दिया जाय। यदि आप ज्यादा भी न कर सकें तो जो भी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, उसके अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण कराया जाय। हमारे चायल विधान सभा क्षेत्र में चरवां एवं चायल फीडर पड़ता है। फरवरी, 1991 से वहां का ब्रेकर, जिसे ओ० सी० वी० कहते हैं, खराब पड़ा हुआ है। उसे आज तक ठीक नहीं कराया गया है। जिसके कारण गांवों की तरफ जो विद्युत आपूर्ति होती थी, वह बाधित हो रही है। इसकी शिकायत भी की गई, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सरकार ने 14 घण्टे बिजली देने की घोषणा की है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 15 से लेकर 18 घण्टे तक बिजली नहीं आती है और गांवों की बिजली काट कर शहरों को दी जाती है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए माननीय श्री लाल जी वर्मा द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये में आपका आभारी हूं। मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस जोन के लिये 15 प्रतिशत विद्युतीकरण की एक योजना लागू थी। परन्तु जब से यह सरकार आई है, उसने इस योजना को खत्म कर दिया है। इस योजना का मतलब था, विद्युतीकरण का विस्तारीकरण। अगर तीन उपभोक्ता कनेक्शन लेने वाले होते थे, तो एक पोल फ्री मिल जाता था। परन्तु इस सरकार ने उस योजना को बन्द कर दिया। जिससे विद्युतीकण के विस्तारीकरण की जो योजना थी वह स्वतः बन्द हो गई, इसे चालू किया जाये। दूसरा, यह कि इस बजट में सरकार चाहे जितना खर्च करे, अगर एक वर्ष में एक ब्लाक में 3-4 गांवों का यह सरकार विद्युतीकरण नहीं कर पाई तो पब्लिक उसे जीरो का जीरो ही समझेगी। इसलिये लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिये। लक्ष्य का किसी को कुछ पता नहीं रहता है। एक साल में एक ब्लाक में कितने गांवों का विद्युतीकरण होगा यह मालूम होना चाहिए। यह सरकार कर क्या रही है कि जिन गांवों में विद्युत नहीं है अगर उसमें किसी ने प्राइवेट ट्यूबवेल लगा लिया और उसमें एक खम्भा लग गया तो उस गांव को विद्युतीकरण की सूची में ले लिया गया। जब विद्युतीकरण होता है तो 10 घरों पर एक पोल फ्री दिया जाता है उसको इस सरकार ने गोल कर दिया है। अगर किसी ने एक खंभा प्राइवेट ले लिया तो उसे विद्युतीकरण मानकर तमाम जनता का नुकसान किया है। वास्तविक विद्युतीकरण का हक मारा। इसलिये उन्हें बिजली देने के लिये पोल और तार की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ माननीय लालजी वर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और बल देता हूं।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

माननीय उपाध्यक्ष जी माननीय ऊर्जा मंत्री बधाई के पात्र हैं उन्होंने सूखे की स्थिति के बावजूद बिजली दी जिससे गन्ने की पैदावार पर्याप्त मात्रा में हुई। इसी तरह से ट्यूबवेलों के उर्जीकरण का जो लक्ष्य था उसको चार महीने में पूरा कर लिया यह उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो आनपरा प्रोजेक्ट है वह केन्द्रीय सरकार के रवैये के कारण नहीं बन पा रहा है।

अगर यह बन जाता तो प्रदेश की जनता को बहुत सहूलियत होती केन्द्रीय सरकार से सहयोग न मिलने के कारण यह अधूरा पड़ा हुआ है ।

हमारी सरकार ने जो बिजली के दाम बढ़ा गये हैं वह मजबूरी में बढ़ाये क्योंकि कोयले के रेट बढ़ गये, तेल के दाम बढ़ गये अन्यथा जैसे पूर्व सरकारों ने बिजली के दाम बढ़ाये उस तरह से नहीं बढ़ाये ।

मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देता हूं बिजली विभाग में शक्ति भवन जो एक सफेद हाथी था वहां के लोगों ने जो 24 दिन की हड़ताल की उसका सख्ती से मुकाबला किया और कर्मचारियों के सामने नहीं झुके । हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है उनकी बात नहीं सुनी जाती थी लेकिन इन कर्मचारियों के आगे सरकारें झुक जाती थी उसी तरह से दूसरी कर्मचारियों के संगठन अपनी बात मना लेते थे सरकार ने उनको झुका दिया इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय द्विवेदी जी अब आप समाप्त करिये ।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जो तमाम लाइनमैन हैं वह अपने को बड़े से बड़े अधिकारी से बड़ा समझते हैं । जो जे० ई० हैं वह 10यों सालों से एक ही जगह पर पड़े हुये हैं इसी तरह से लाइनमैन भी अपने घर से एक कि० मी० पर जो पावर स्टेशन है वहां पर जमे हुये हैं । मैं चाहूंगा कि इस बात पर भी सरकार विचार करे । और जो 10-10 और 15-15 साल से एक ही स्थान पर अपने ही गांव में पड़े हैं उनको हटाये ।

बुन्देलखण्ड और उत्तरांचल के लिये जो 5 वर्षों के लिये छूट दी है उसी तरह की छूट दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के लिये भी दी जाय । हमारे यहां बांदा में भी सबसे ज्यादा दस्यु प्रभावित क्षेत्र है । इसी तरह से जनपद इलाहाबाद की मंझनपुर तहसील में पश्चिम शरीरा स्थान पर पावर स्टेशन बनाया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

हमारे यहां नरेनी विधान सभा क्षेत्र (बांदा) में, कालिंजर में करतल में सब-स्टेशन बहुत जरूरी है । इन जगहों पर सब-स्टेशन खोले जायं । इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, सौभाग्य है इस सदन का कि आज पहली बार रमजान के महीने में हमारे ऊर्जा मंत्री ने ईद के चांद की तरह इस सदन को दर्शन दिये । मुझे दुख इस बात का है कि उनके बजट के सुझाव के समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था । सत्ता पक्ष के नेता और सरकार अगर जनता और विपक्ष को दबाने की कोशिश करेगी तो हम उसका प्रतिवाद उसी शक्ति के साथ देंगे । जिस तरह से माननीय लालजी टंडन के प्रस्ताव का विरोध माननीय लालजी वर्मा जी ने किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक सत्ता का लाल है तो दूसरा विपक्ष का लाल है । दोनों लाल ही हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, वह शक्ति के साथ आये हैं लेकिन हमारे विपक्ष की शक्ति कोई कमजोर नहीं है जो उनके वाणों को न रोक सके । माननीय ऊर्जा मंत्री जी गांवों के बारे में बहुत लोगों ने बोला और मैं तो यह कहूंगा कि सत्ता पक्ष का तो ग्रामीण अंचल से जनाधार नहीं है । यहां हमारे ऊर्जा मंत्री जी, राज्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जो तीनों व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं । गांवों की ओर बहुत लोगों ने इसका ध्यान आकर्षित किया लेकिन इनको यह गलतफहमी है कि व्यापारी लोग आज भी इनके साथ हैं । मान्यवर, इनके विद्युत विभाग ने जो नीति व्यापारियों के साथ अपनाई है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा । मान्यवर, शहरों में विद्युत की खपत की तीन श्रेणियां मानी गई हैं–पहली है डोमेस्टिक विद्युत, दूसरी है अन डोमेस्टिक विद्युत और तीसरी है इण्डस्ट्रियल विद्युत । आज विद्युत विभाग ने यह दावा किया है कि हमने प्रदेश में 38 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है । मैं सही कह रहा हू यह मंत्री जी का स्टेटमेंट है । लेकिन श्रीमन्, आज शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से व्यापारियों के साथ विश्वासघात इस सरकार ने किया है, जिस प्रकार से झूठे बयान देकर विद्युत बोर्ड ने जो नया आदेश निकाला है । मैं तीनों श्रेणियों की ओर माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । श्रीमन्, विद्युत दर बढ़ाने से पहले डोमेस्टिक विद्युत की दर एक रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट थी जिसको अब विद्युत बोर्ड ने प्रथम 200 यूनिट कन्जम्शन करने वालों के लिये एक रुपये तेईस पैसा कर दिया है । 200 से 400 यूनिट कन्जम्पशन करने वालों के लिये एक रुपये इक्तालिस पैसे प्रति यूनिट कर दिया है और 400 से लेकर उससे ऊपर जो कन्जम्पशन करने वाले हैं उनसे एक रुपये साठ पैसे प्रति यूनिट की दर से लिया जायेगा ।

(अध्यक्ष पीठ की तरफ से लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आपकी बत्ती जल गयी अभी से ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने निश्चित समय से एक मिनट ज्यादा ले लिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, अगर आप विद्युत दरों को देखें श्रीमन्, 42 प्रतिशत डोमेस्टिक हैं उसके ऊपर श्रीमन्, इन्होंने प्रति के० वी० विद्युत का लोड दिया है उस पर 40 रुपये प्रति के० वी० मिनिमम लोड चार्ज रख दिया । एक के० वी० पर बीस रुपये, दूसरे पर चालीस रुपये उसके बाद प्रत्येक पर 20-20 रुपये बढ़ाये हैं जो ऐडीशनल चार्ज होगा । इसके साथ-साथ माननीय उर्जा मंत्री जी की श्रेणी वाले जो होंगे । जो अपने घरों में ए० सी० लगवा लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो पहली बात है । आप कहते हैं तो ठीक है मैं इसके आगे नहीं बोलता ।

(व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री लालजी वर्मा का नाम पुकारे जाने पर कई माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, अभी हम लोग बैठे हैं, बोलने के लिये ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो विद्युत दरों के बारे में बात कर रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं आपने पूरा समय ले लिया है । मेरे अनुरोध को स्वीकार करें और बैठ जायं ।

[समय-8 बजकर 20 मिनट]

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

ऐसा है मान्यवर, यह विद्युत का बजट है पहले इसमें एक दिन पूरा बहस होती थी । आज आधा दिन रखा गया है मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से मिलाकर कुल 10-15 सदस्य बोलना चाहते हैं । मैं आग्रह करूंगा कि सबको बोल लेने दें, थोड़े वक्त और बैठ लेंगे । इसमें चर्चा हो जानी चाहिए । उसके बाद लालजी वर्मा और ऊर्जा मंत्री जी को बुलाएं ।

(व्यवधान)

* श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे 1992-93 के ऊर्जा बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । माननीय लालजी वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । तापीय विद्युतग्रहों की क्या स्थिति है आप जानते ही हैं वह अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं । हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी सज्जन और शरीफ व्यक्ति हैं वरिष्ठ नेता भी हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं आप कहते हैं कि कोयले की अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, आपको अच्छी क्वालिटी के कोयले की व्यवस्था करनी चाहिये आपको अच्छी क्वालिटी के कोयले के लिये भारत सरकार से बात करनी चाहिए जो विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं उसकी कासट 100 पैसे से ज्यादा आ रही है यह एन० टी० पी० सी० से और अन्य विद्युत स्रोतों से खरीदते हैं और बिजली का लगभग 150 पैसे से ज्यादा दाम लेना पड़ता है तो इससे जनता पर अधिक भार पड़ेगा । मान्यवर, इसके लिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पन विद्युत को बढ़ायें । जो 450 मेगावाट है इसको दो हजार मेगावाट तक ले जायं । इसमें 40 से 50 पैसे यूनिट खर्चा आता है । इससे जो उत्पादन बिजली का होगा उससे प्रदेश की जनता को फायदा मिलेगा । इस वित्तीय वर्ष में दो हजार मेगावाट पन विद्युत उत्पादन बढ़ाएं जिससे लोगों को लाभ मिल सके । मान्यवर, इसी तरह से श्रीनगर की योजना है यह 330 मेगावाट की है 1986 में यह योजना स्वीकृत हुई और आज तक इसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है । विश्व बैंक पैसा नहीं दे रहा है इसलिये जो बात आप कह रहे हैं वह भ्रामक कह रहे हैं । आनपरा में उत्पादन की क्या स्थिति है उसको आप जानते है ट्रांसमीशन की लाइन नहीं बिछी है 960 करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी है उसका प्रस्ताव यह नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांसमीशन की लाइन की व्यवस्था कैसे करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

जब 20-25 वर्ष से वहां लाइन नहीं बिछी हैं तार गल गए हैं उन गले हुए तारों को बदलने की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। 33 के० वी० के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं जो कि सेंक्शन है, 132 नहीं कर पा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद जगह है यहां 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एन० टी० पी० सी० का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग भारत सरकार को भेजा गया है यह लगभग 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है आज तक उसकी स्वीकृति नहीं आई है इसके न बनने के कारण कृषकों, बुनकरों में निराशा हो रही है। मान्यवर, 33 के० वी० के विद्युत केन्द्र की स्थापना बहादुरगंज में होना अति आवश्यक है इसकी स्थापना न होने का क्या कारण है इसकी वजह से खरीफ और रबी की फसल खराब हो रही है किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है जहां तक विद्युतीकरण का सवाल है एक गांव में यह विद्युतीकरण नहीं कर पाए हैं। जो चयनित गांव हैं वहां विद्युतीकरण नहीं कर पाए हैं। इसी तरह से और जगह विद्युत केन्द्र बनाने की बात है भोजापुर 33 के० वी० का विद्युत केन्द्र, वरेशर में 33 के० वी० का विद्युत केन्द्र बनाना है वह नहीं बना पा रहे हैं जिसको कि बनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

इनकी प्रबन्ध व्यवस्था बहुत लचर हो गई है। मेम्बर जो राज्य विद्युत परिषद् के हैं उनका एक्सटेंशन एक महीने के लिये कर दिया है। यह एक्सटेंशन 1-4-92 तक के लिये कर दिया गया है तो इससे क्या होना है कोई विद्युतीकरण कार्य नहीं होना है। 1988 के बाद अधीक्षण अभियन्ताओं का प्रमोशन नहीं किया गया है। लम्बित पड़ा है। चीफ इंजीनियरों को प्रमोशन नहीं दिया गया है आज विद्युत परिषद् में भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको दूर करने के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं। यह आंकड़ों के जाल में जो फंसाते हैं उससे जनता का भला होने वाला नहीं है इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि जनता के लिए जो उपयोगी हो ऐसे कार्य करें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया–

"लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल,
लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल।

आज हमारे मा० लालजी टंडन ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा। आज विद्युत की प्रदेश को बहुउद्देश्य योजनाओं के लिये बहुत आवश्यकता है यह वरदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है पिछली सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज विपक्षी

चिल्ला रहे हैं हाउस में, लेकिन उनकी पार्टी के शासन काल में जिस किसी गांव की सीमा में कोई लाइन निकल गई उसी गांव को ऊर्जीकृत मान लिया जो बहुत ही आकड़े बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं, है । इस प्रकार से नहीं होना चाहिए । मान्यवर, अभी मा० वर्मा जी कह रहे थे कि मीटर रीडर कार इस्तेमाल करता है । मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कार के साथ-साथ उसके पास कोठी बंगला भी है । इसका कारण यह है कि जो 44 सालों से जो सरकार रही है उसके समय में उसने लूट खसोट से यह कार और बंगला खरीदा है । यह कार हमने खरीद कर नहीं दी है न हमारे काल की है । मान्यवर, बातें तो बहुत कहनी हैं लेकिन समय बहुत कम है । आज हम इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं । मैं अपने क्षेत्र में जो मैंने देखा है उसको बता रहा हूं, आंखो देखी बात बता रहा हूं । मेरे यहां हरोड़ा में इनके शासन काल में एक बिजली घर 19 महीनों से कागज पर चालू था । जब चुनाव हुये और उसकी जांच करायी गयी तो पता चलता है कि वहां केवल एक तार जोड़ना शेष था । जिसको तुरन्त चालू कराया गया । इसी तरह से हमारे यहां तीन बिजलीघरों में जे० ई० की नियुक्तियां होतीं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जे० ई० नहीं जाते थे । जब तक उनके सस्पेंशन आर्डर नहीं किये गये हमारे शासन काल में तब तक वह नहीं गये । ऊर्जा मंत्री जी ने जो कठोर कदम उठाये हैं उनका अच्छा असर पड़ रहा है । मुझे आशा है कि भविष्य में मंत्री जी इसी तरह से अपने विभाग पर कंट्रोल करेंगे । निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की जो योजना है वह बहुत व्यवहारिक है । मा० मंत्री ग्रामीण क्षेत्र में जो खराब ट्रांसफार्मर हैं उन्हें भी समयबद्ध एवं शीघ्र ठीक कराने की व्यवस्था करें तथा निश्चित समय पर विद्युत दिलाने की व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, मुझे थोड़ा सा मौका और दे दें । मेरी ऊर्जा मंत्री जी से एक प्रार्थना है कि जिन गांवों में बिजली चोरी से जलाई जा रही है जिन मोहल्लों में बिजली नहीं है लेकिन बिजली जल रही है उन गांवों का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जाय । इसी तरह से जिन किसानों ने अपने-अपने स्टीमेट जमा कर दिये हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाय । इसी के साथ माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे अपने को संबद्ध करते हुये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने ऊर्जा मंत्री द्वारा रखे गये बजट एवं माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति प्रदान की है । मान्यवर, यदि आज राज्य विद्युत परिषद् पर नजर डालें तो पता चलेगा कि इसकी स्थिति बहुत खराब है । मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बहुत लंबी-चौड़ी बातें कही हैं । अभी परसों की ही बात है पूरा लखनऊ शहर अंधेरे में डूबा था । शाम को जब हम लोग यहां से निकले तो गैलरी में दिखायी नहीं पड़ रहा था । आज विद्युत परिषद् में यूनियन बाजी व्याप्त है । आज वहां पर कलह व्याप्त है और भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लूट-खसोट का साम्राज्य कायम है, वह जब तक रहेगा, मेरी निश्चित मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिजली नहीं मिल सकती । आप कहीं पर नजर डालें । इस साल भयंकर सूखे से उत्तर प्रदेश गुजरा है, लेकिन किसानों को विद्युत आपूर्ति भी न होने के कारण किसान पर सूखे की मार पर्याप्त पड़ी है । गांव के विद्युतीकरण की जो योजना है, ट्यूबवेल के लिये विद्युत लगाते हैं तो गांव को ऊर्जीकृत मान लेते हैं । लेकिन हकीकत यह है कि गांव

में बिजली की लाइन है ही नहीं । मेरा निवेदन है कि कृपया जो कागज में विद्युतीकरण मान लेते हैं, उससे ऊपर उठ कर यथार्थ के धरातल पर आयें और गांव की वास्तविक स्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार करावें । दूसरे आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं प्रति वर्ष जिलों के इतने गांवों को ऊर्जीकृत करना है । हम लोग प्रस्ताव करते हैं बीच में आधा लक्ष्य हो जाता है । मार्च आते-आते 25 परसेंट लक्ष्य रह जाता है । मेरा निवेदन है कि सब्ज बाग न दिखावें उत्तर प्रदेश की जनता को यथार्थ के धरातल पर रहें । स्पष्ट रूप से अप्रैल में जो लक्ष्य निर्धारित करना हो निर्धारित करें । इसके साथ-साथ जो लालजी वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय लालजी वर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय टंडन जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, इस बजट को क्रांतिकारी बजट कहा गया, लेकिन आप देख लें पिछले 5-10 वर्षों में जो बजट पेश हुए हैं ऊर्जा के, जो कमियां कहीं गयी थीं, विद्युत परिषद् में अब भी हैं । विद्युत परिषद् घाटे में है । यह कोई नयी बात नहीं कही गयी । लाइब्रेरी देख लें, पिछली कार्यवाहियां देख लें, घाटे की बात हर बजट में है । आपने जो बजट पेश किया है उसमें भी कमियां हैं । पूरे देश में विद्युत के मामले में हमारे प्रदेश का 15वां स्थान है । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आपका प्रदेश सबसे महंगी बिजली दे रहा है । आप विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में जायेंगे, लेकिन यह नहीं कह सकते कि विद्युत के मामले में किसी स्थान पर पहुंच गये हैं । आपका कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है । आप शक्ति भवन में बैठी चांडाल चौकड़ी तोड़ नहीं पा रहे हैं । आपकी स्थिति नहीं है कि विद्युत परिषद् के भ्रष्टाचार को रोक सकें । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शक्ति भवन में जो काकस बना है, उसको तोड़ दीजिए और तीन हिस्सों में बांट दीजिए । उत्पादन, वितरण और पारेषण । ऐसा करेंगे तो विपक्ष आपके साथ कदम मिलाकर चलेगा । जो ताकतें विद्युत परिषद् पर हावी हो गयी हैं, तोड़ी जा सकती हैं । भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो यह करना होगा । आज उत्तर प्रदेश में सारे निगम घाटे में चल रहे हैं, लेकिन विद्युत परिषद् सबसे ज्यादा घाटे में जा रहा है और लगातार घाटे में जा रहा है । माननीय पाण्डेय जी ने काकस की बात कही, आप चांडाल चौकड़ी से बाज नहीं आये तो विद्युत परिषद् की समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

यह बहुत अहम सवाल है । विद्युत सभी के जीवन से जुड़ी है । चाहे देहात के हों या शहर के रहने वाले हों । दूसरे मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने उत्पादन के एक्सपर्ट को ट्रांसमिशन में लगा रखा है ट्रांसमिशन के एक्सपर्ट को उत्पादन में लगा रखा है । जिनको पता नहीं कि कोई मशीन कैसे चलती है ।

मान्यवर, मैं टण्डन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक आप विद्युत परिषद् में चांडाल चौकड़ी को तोड़ नहीं देते हैं, मैं सदन के माध्यम से आपको चुनौती देता हूं कि विद्युत की कमी से आप प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते । इसको तीन खण्डों में विभाजित कर दिया जाय, उत्पादन, वितरण और पारेषण । उत्पादन से जो वितरण होगा, उसका सारा पैसा आपको मिल जायेगा, जिससे विद्युत परिषद् घाटे में नहीं रहेगी । इसके साथ मैं अपने जनपद की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं । आपके अधिकारी बैठकर जिस गांव के लोग अधिक पैसा देते हैं, उसी को चयन कर विद्युतीकरण में ले लेते हैं । आज तक कोई बैठक नहीं की गयी है और न कोई प्रोपोज़ल हम लोगों से मांगा गया है । मान्यवर, जैसा विपक्ष ने सुझाव दिया कि इस बजट का अधिक से अधिक भाग विद्युतीकरण पर खर्च

करके आप सम्पूर्ण गांव का विद्युतीकरण करने की घोषणा करें और ग्रामीण विद्युतीकरण को सफल बनायें इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री शिव लाल मित्तल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे पहली बार बोलने के लिये अवसर दिया। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आंकड़ा तो ऊर्जा मंत्री जी ने खुद ही दिया है और हमारे माननीय सदस्यों ने भी दिया है, मैं आंकड़ों पर न जाकर हमारे विपक्षी बन्धुओं ने जो 45 वर्षों तक इस देश का शासन चलाये हैं, जिन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, घूसखोरी को जन्म दिया, कहावत है कि पुत्र हुआ सयाना और दरिद्र हुआ पुराना, ये कांग्रेसी 45 सालों का शासन भोगने वाला पुत्र ऐसा निकला, जिसने इस प्रदेश को पीछे किया है। मेरे क्षेत्र में सोहरतगढ़ सब-स्टेशन की जमीन एक्वायर जनता राज्य में मैंने कराई थी और उस स्टेशन को चालू भी भारतीय जनता पार्टी राज्य में मैंने कराया है। बांसी, सोहरतगढ़ और बांसी नोगढ़ दो लाइनें जनता राज्य से आ रही हैं। बांसी-सोहरतगढ़ लाइन का तार कट गया, खंभे खड़े हैं, 12-13 वर्षों में वह लाइन चालू नहीं हो पाई। मैं मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उसे चालू करावें और मान्यवर, जब तक माननीय ब्रह्मदत्त जी ऊर्जा मंत्री थे, तो बोहली सब-स्टेशन बनवाकर तैयार किया, खंभे खड़े हैं, वह आज तक चालू नहीं हुआ।

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि उसे भी चालू करायें। मान्यवर, तीसरा सब-स्टेशन बढ़नी ब्लाक के शिवभारी गांव में लगना स्वीकृत है, 12 वर्षों तक उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। मैं मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उसे भी बनवा कर चालू करावें। मेरे क्षेत्र में 10-10 वर्षों से गांवों में खंभे खड़े हैं, खंभा है, तो तार नहीं, तार है, तो बल्ब नहीं और बल्ब भी लाया गया तो ट्रांसफार्मर नहीं और ट्रांसफार्मर लग गया, तो लाइन नहीं जोड़ी गयी, जब कि जनता राज्य में स्व० रवीन्द्र किशोर शाही ने नौगढ़ व बढ़नी ब्लाक को विद्युतीकरण में लिया था, आज तक विद्युतीकरण उन ब्लाकों का पूरा नहीं हुआ और जोगिया ब्लाक को विद्युतीकरण करने के लिये कांग्रेस शासन ने आदेश दिया था, उसमें भी विद्युतीकरण नहीं के बराबर है। मान्यवर, मैं ऊर्जा मंत्री जी से मांग कर रहा हूं मेरा इलाका पिछड़ा है, विद्युतीकरण गांवों में कराने का कष्ट करें। जिन गांवों मे अधूरा विद्युतीकरण है, उसे पूरा करें। सोहरतगढ़ टाउन एरिया में खंभे सब गिरने वाले हैं, उससे एक्सीडेंट हो जायगा, खंभे बदलवाने की कृपा करें। मैं मान्यवर, आभारी हूं कि आपने मौका दिया और इस बजट का में समर्थन करता हूं।

श्री मिही लाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी को ध्यान चरखारी एवं पनवाड़ी ब्लाक की ओर आकृष्ट करना चाहता हं। मेरा क्षेत्र हरिजन बाहुल्य है। उस क्षेत्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, उनके हर खेत में बिजली लगी है और हमारे प्रदेश के गांवों में अंधेरा रहता है। मान्यवर, वर्ष 1987-88, 1989-90 और 1991-92 के चयनित गांवों में भी अभी तक बिजली नहीं लगी है। विद्युतीकरण के लिये गुढ़ा, गोरहारी, लुहारी, अन्धोरा, कुढ़ार, मुहारी, बमारा, भरवारा और चुरारी स्वीकृत हैं, लेकिन आज तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है। कुल पहाड़ तहसील में 33 के० वी० का विद्युत घर बनाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसे शीघ्र कराने का कष्ट करें। घरों में कनेक्शन लगाने के लिये 800 रुपया और एक हजार रुपया लिये जाते हैं क्योंकि स्थानीय कर्मचारी

दलाली करते हैं । बिजली की चोरी रोकने में मेरा सुझाव है कि स्थानीय कर्मचारी जी हैं, उनको दूर रखा जाना चाहिये, उनका स्थानान्तरण किया जाना चाहिये । मान्यवर, हमीरपुर जनपद में 11 ब्लाक हैं, 9 ब्लाकों में 80, 90, 100 गांव में विद्युतीकरण है । मेरे क्षेत्र के दो ब्लाक चरखारी और पनवाड़ी में कम से कम 50-50 गांवों में विद्युतीकरण कराने की कृपा करें । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में लगने वाले नये उद्योगों पर पहले 5 साल के लिये विद्युत दरों में 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी और मिनिमम चार्ज से मुक्त थे, लेकिन पूरे प्रदेश की तरह बुन्देलखण्ड में भी 400 रुमया प्रति के० वी० चार्ज लगाया जा रहा है, जो नहीं लगना चाहिये था, इससे बुन्देलखण्ड का विकास रुक जायेगा । मान्यवर, ग्राम टोला में खम्भा की लकड़ी सड़ गयी है और उससे तार लटकने लगे हैं, लेकिन उसको बदला नहीं जा रहा है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों में इस बहस में भाग लिया उनका मैं आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, जो विपक्ष के सदस्य रहे हों और चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य रहे हों, सभी ने मेरे कटौती के प्रस्तावों का समर्थन किया है । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जब वह अपना उत्तर देंगे तो इनका भी उत्तर अवश्य देंगे । माननीय मंत्री जी ने अभी जिक्र किया था कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 1500 करोड़ रुपया चाहिये ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो परिव्यय पिछले वर्ष का 1100 करोड़ रुपये का था अगर उसमें इतना काम किया है वह 417 करोड़ का अगर उसमें लेते तो निश्चित रूप से एक तिहाई गांव का विद्युतीकरण हो सकता था । मान्यवर, जब लोग देखते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ तो सी० ए० की परिभाषा है उसके अनुसार हमारे प्रदेश में 65 फीसदी है जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडू, पंजाब, हरियाणा और केरल यह ऐसे प्रदेश हैं जहां 92 से लेकर 100 फीसदी तक है इसमें से अंतिम 4 प्रान्तों में 100 फीसदी विद्युतीकरण हो चुका है । तो हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

एक बात और माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि आर० ई० सी० और पी० एफ० सी० से हमें पैसा नही मिल पा रहा है । मान्यवर, मुझे जहां तक जानकारी है, मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालने का काम करें । आर० ई० सी० और पी० एफ० सी० दोनों को यह कहना है कि राज्य सरकार गारण्टी दे और विद्युत परिषद् प्रस्ताव रखे तो निश्चित रूप से हम धन उपलब्ध करा देंगे । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे मेरी इस जिज्ञासा को शान्त करने का कष्ट करे कि यह जो पैसे को रोक दिया गया इसको फिर से पुनर्जीवत करावे, रिशिड्यूल कराने का कष्ट करें ।

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन और करना चाहता हूं कि आज बड़े पैमाने पर जो पुराने तार बिजली के लगे हुए हैं वह इतने पुराने है कि तार टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर अक्सर जल जाते हैं । विद्युत के ट्रांसमीशन में जो लास होता है उसके लिये आवश्यक है कि पुराने तार हैं उसको बदला जाय और ट्रांसफार्मर जो पुराने हैं उसको बदलने का काम करें ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं यह देखता हूं कि ऊर्जा विभाग में और पुलिस विभाग में तालमेल नहीं है । क्योंकि हम देखते हैं हमारे गांवो में जो दूर दराज की लाइने हैं उसका तार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चोर काट ले जाते हैं खंभे तोड़ देते हैं और उस तार और खम्भे की चोरी हो जाने के बाद रिपोर्ट लिखाये जाने के बावजूद भी पुलिस 6-6 माह तक वर्षानुवर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं करती है और विद्युत परिषद् भी उसमें तार बदलने की जहमत नहीं उठाता अधिकारीगण काई कार्यवाही नहीं करते । इसके लिये मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में उतरेथू एक ग्राम सभा है उसमे 10-15 मजरे हैं मान्यवर, मुझे जानकारी है कि जब मैं चुना गया था तो उसके दो एक माह बाद ही तार कट गये और खंभा तोड़ा गया लेकिन आज तक वहां न तो तार बदला गया और न खम्भा लगा और वहां 10-15 गांव के काश्तकारों को बिजली के बिल दिये जा रहे हैं लेकिन वह बिजली का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं । ट्रांसफार्मर जो जलते हैं उसका कारण फ्लक्चुएशन का अधिक होना है इसी के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं ।

मान्यवर, जब तक कैपिसिटर लगाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक निश्चित रूप से यही व्यवस्था बनी रहेगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि फ्लक्चुएशन को रोकने के लिये कैपिसिटर लगाने की व्यवस्था करें । इसके साथ ही साथ विद्युत की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो । विशेष रूप से गर्मी के सीजन में, अब मड़ाई का समय आ गया है, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को सुना उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस मड़ाई के सीजन में कितने घंटे बिजली देंगे । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जनता दल की सरकार में 14 घंटे बिजली गांवों में आती थी । मैं चाहता हूं कि इसका जिक्र आप करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घंटे आप बिजली देंगे । दूसरे जो सब-स्टेशन निर्माणाधीन थे जब सब-स्टेशन नहीं बनेगें तो स्थिति दूसरी होगी ।

उसका कारण है कि लोड अचानक बढ़ जाता है, मशीनें चलने लगती है, निजी नलकूप और उद्योग चलने लगते हैं, लाइन कट जाती है, वहां पर सब-स्टेशन का निर्माण आवश्यक है । मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने निजी क्षेत्रों में पावर स्टेशन थर्मल प्रोजेक्ट लगाने के लिये आफर किया है उद्योगपतियों से और विभिन्न लोगों से । यह जिक्र नहीं किया गया है कि पावर स्टेशन से वितरण कैसे होगा । यह भी जानना चाहता हूं कि किसी उद्योगपंति ने पावर स्टेशन लगाने के लिये क्या आफर दिया है और अगर दिया है तो क्या विचार हो रहा है ? इसी के साथ-साथ जो बजट भाषण है, उसमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख नहीं है । चाहे थर्मल प्रोजेक्ट हो या गैस पर आधारित हो, उसके रिसोर्सेज सीमित हैं । जब तक वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ ध्यान नहीं देंगे निश्चित रूप से ऊर्जा की समस्या का समाधान नहीं कर पायेगे । जल विद्युत की तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

हिमालय की नदियों पर 50 योजनायें प्रस्तावित हुई थीं । अगर उनको पूरा कर लें, जहां गर्मी में अधिक पानी आता है, तो 20 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं । इस पर ध्यान देना होगा । जब तक विद्युत परिषद् का बंटवारा नहीं होगा तब तक चाहे जितने उपाय कर लें निश्चित रूप से उसका कोई समाधान होने वाला नहीं है । वर्ग-3 और वर्ग–4 के जो कर्मचारी हैं, वे वर्षों से एक ही स्थान पर पड़े हैं । विद्युत चोरी को रोकने के लिये इनके स्थानान्तरण की नीति बनानी होगी । एक निवेदन और करना चाहता हूं कि प्रदेश का बुनकर बहुत गरीब है । इस प्रदेश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान इसका है, जैसे और योजनाओं के लिये आपने छूट दे रखी है, मैं चाहता हूं कि बुनकरों के लिये पावरलूम के लिये विद्युत बढ़ोत्तरी से छूट देने का काम करें नहीं तो हजारों पावर लूम बन्द हो जायेंगे और बुनकर मजदूरी करने के लिये बाध्य होंगे । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह भी संसदीय परम्पराओं में अनोखा उदाहरण है कि जो विभागीय मंत्री ने कहा, उन्हीं बिन्दुओं पर सारे विपक्षी सदस्य भी बोलें । शायद इसीलिये कि मैंने ईमानदारी से सारी स्थिति आपके सामने रखी । इन भाषणों से मेरे ज्ञान में कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई जैसी कि मैं माननीय लालजी वर्मा जैसे सदस्य से आशा करता था ।

श्री उपाध्यक्ष–

("लालजी वर्मा" और "लालजी टण्डन" के नामों में समानता की ओर इशारा करते हुए)

एक "लालजी" की बात को दूसरे "लालजी" कैसे काट सकते थे ।

(हंसी)

श्री लालजी टण्डन–

यह मैंने स्वीकार किया कि स्थिति भयावह है । इतनी गहराई से विपक्षी सदस्य भी नहीं कह रहे हैं । आप देखें कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में एक भी ऊर्जा का नया प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है ।

अगर बात करते हैं तो लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि हम जैसे आरोपित कर रहे हैं किसी दल को किसी सरकार को ऐसी मंशा नहीं है । केन्द्र सरकार से हमारा अधिकार है जब तमाम योजना दी जा रही है तो प्रदेश का क्या दोष है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र की ओर से कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया गया । अब कोई रास्ता दूसरा नहीं है कि निजी क्षेत्र की पूंजी को आमंत्रित न करें नये पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिये । हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहूंगा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत देर में तैयार होंगे कई साल लगते हैं उससे तुरन्त निदान प्रदेश की समस्याओं का नहीं होगा लेकिन फिर भी हम उसमें भी कर रहे हैं । श्रीनगर प्रोजेक्ट विश्व बैंक से सहायतित था वह रोक दिया गया क्या कारण थे राज्य विद्युत परिषद् उन मापदण्डों को पूरा नहीं कर सका जो उनको वांछित थे आज के दिन तक एन० टी० पी० सी० का जितना बकाया था अदा हो गया कोयला खरीद रहे हैं उसका नगद पैसा दे रहे हैं यह आर्थिक स्थिति सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं क्या 3-4 सदस्य दो भू० पू० मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी, मुलायम सिंह यादव जी, माननीय नेता विरोधी दल इस कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं आज जहां मैं खड़ा हूं माननीय प्रमोद जी राज्य मंत्री रहे हैं । क्षमा करेंगे कुंवर साहब, कोई तुलना का आशय नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं जितनी इस समय बिजली पैदा हुई है पिछले किसी समय में नहीं हुई है यह आंकड़े आप कहें तो मैं प्रस्तुत कर दूं ।

कुंवर रेवतीरमण सिंह–

78-79 के आंकड़े देख लें ग्रामीण अंचलों में उस समय 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की गयी है आज कितनी दी गयी है उस समय जितनी वसूली हुई थी उतनी कभी नहीं हुई किसी समय नहीं हुई है इसलिये मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल जी टण्डन–

कुंवर साहब ने जो बात कही, उसके आंकड़े तो इस समय उपलब्ध नहीं है 87-88 में यहां पर कुल ऊर्जा की जो सप्लाई हुई वह 21 हजार 429 मिलियन यूनिट थी, 88-89 में 23 हजार 697 मिलियन यूनिट, 89-90 में 26 हजार 578 मिलियन यूनिट थी. 90-91 में 28 हजार 577 मि० यू०, 91-92 में 30 हजार 321 मिलियन यूनिट छिपाने की कोई बात नहीं है इन विषम परिस्थितियों में उत्पादन की सारी मशीने खराब हो रही हैं तीन साल से मैंटिनेंस नहीं हुआ पावर हाउसेस हैं जिनकी मशीन रूस की सहायता से लगायी गयी थीं एग्रीमेंट के अनुसार अब वह बदली जानी चाहिये थीं उनको रिप्लेस कर देना चाहिये लेकिन साधन न होने के कारण व अन्य कारणों से बदली नहीं गयीं मशीनें जब खराब होती हैं तो उनके पुर्जे ढूंढे नहीं मिलते हैं वी० एच० ई० एल० में विलम्ब लगता है जिस कारण विद्युत उत्पादन गिर रहा है । कोयले की क्वालिटी की बात नहीं कही जितना कोटा हमारा निर्धारित है उसका मूल्य चुकाने के बाद भी कोयला समय से नहीं पहुंचा हमारे पावर हाउसेस में इससे 14 सौ मिलियन यूनिट प्रभावित हुई । कहा गया कि आयात बहुत हो रहा है योजना आयोग ने जो हमें निश्चित किया है इसमें 11 हजार 78 मिलियन यूनिट हम इम्पोर्ट कर सकते हैं यह हमारा कोटा है आज 14 सौ मिलियन यूनिट कम पैदा होने के बावजूद 12 हजार मिलियन यूनिट इम्पोर्ट किया गया थोड़ा अधिक लेना पड़ा जितना हमारा निर्धारित कोटा है । प्रदेश में नहीं पैदा होगा तो आपूर्ति के लिये कहीं न कहीं से लेना पड़ेगा वह मजबूरी है ग्रिड फैल्योर की बात कही गयी जो महाराष्ट्र में चला गया गुजरात में चला गया यह उत्तर प्रदेश कहां चला गया ।

सिंगरौली में जो एन० टी० पी० सी० का पावर हाउस है वहां पर वेस्टर्न ग्रिड फैल्योर हुआ तो पश्चिमी भारत अंधेरे में डूब गया इसी तरह से यदि उत्तर भारत का फैल्योर हो जाता तो उससे उत्तरी भारत अंधेरे में हो जाता । इससे पहले जो ग्रिड फेल हुआ था हो सकता है कि इसमें हमारे यहां की कुछ गड़बड़ी हो वैसे तो यह ज्वाइन्ट सिस्टम है । अभी परसों की घटना के बारे में ले लीजिये वहां पर आंधी तूफान आया जिस कारण वह फेल हो गया और यहां पर अंधेरा हो गया ।

मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आप देखें बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चे ने बिहार से कोयला बाहर न निकले इसके लिये उन्होंने आन्दोलन किया और उस कोयले को कोलरीज से बाहर नहीं आने दिया । तो यदि कोयला हमें प्राप्त नहीं होगा तो इससे हमारे पी० एल० एफ० पर असर पड़ेगा और यदि हमारे पास पचास प्रतिशत पी० एल० एफ० होता तो हम आगामी वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित कर देते । मान्यवर, पिछले साल यानी 90-91 में 1400 करोड़ रुपये का रेवेन्यू वसूल हुआ, 91-92 में 16 करोड़ का वसूल हुआ और 92-93 में 2450 करोड़ का लक्ष्य हमने रखा है तो मैं समझता हूं कि आज से पूर्व किसी भी बजट में इतनी वसूली में बढ़ोत्तरी कभी नहीं हुई होगी । मान्यवर, ट्रांसफार्मर की बात आयी तो मैं बताना चाहता हूं कि 90-91 में 11 हजार ट्रांसफार्मर ज्यादा बदले गये 2 लाख 25 हजार ट्रांसफार्मर इस वर्ष में बदले गये जो पिछले साल के मुकाबले में 11 हजार अधिक हैं । मान्यवर, यह हमारा सौभाग्य है, आज सारे ट्रांसफार्मर ओवर लोडेड हो गये हैं, यह आप सब को, राम नाम से जो एलर्जी हो गयी है आज उन्हीं की कृपा है कि जो आप लोगों को बिजली मिल पा रही है वरना जिस हालत में हमें यह बिजली बोर्ड मिला था उससे तो अंधेरा ही अंधेरा होता । तो मान्यवर, मैंने कहा था कि पांच सौ मैगावाट बिजली जो हमारे वर्तमान पावर हाउस है, इसमें आगे बढ़ाने का लक्ष्य है । मैंने यह कहा था कि यदि कोयले की बाधा नहीं हुई तो हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और यदि कोयले को प्राप्त करने में बाधा हुई तो जो भयावह स्थिति होगी उसे हम सबको झेलना होगा । मान्यवर,

आनपारा (बी) को बनने में विलम्ब हुआ ! हम यह मानते हैं कि इसको बनने में एक वर्ष का विलम्ब हुआ है । यह वर्ष 1993 के अंत तक बनकर तैयार हो जाता यदि यह ठीक समय पर चालू हो जाता, यदि हमें वित्तीय संसाधन मिल जाते ।

इसी के अभाव में यह अपने समय से पूरा नहीं हो पाया है । थर्मल पावर जनरेशन की बात आयी, तो वह बहुत महंगी पड़ती है और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के लिये यह बहुत लाभप्रद नहीं है फिर भी बिजली के लिये आनपारा (सी०) की योजना की शुरूआत प्रस्तावित है आशा है कि इसमें हमें जो जापान से आर्थिक सहायता मिलनी है वह मिल जायेगी और हम एक हजार मेगावाट का पावर स्टेशन तैयार कर पायेंगे ।

श्रीनगर परियोजना है, उसके संबंध में विश्व बैंक ने कुछ शर्तें रखी थीं, हम कोयला नकद खरीद रहे हैं, एन० टी० पी० सी० का भी बकाया नहीं है, विद्युत बोर्ड की आमदनी और उनका जो खर्चा है, विकास कार्यों को छोड़कर, वह भी लगभग बराबर आ गया है, यह व्यवस्था यदि मेन्टेन रहती है तो वर्ल्ड बैंक की शर्तें 2-3 साल में पूरी हो जायेंगी और जो योजना की राशि थी, वह रिलीज हो जायेगी । इसी प्रकार विष्णु प्रयाग की जल विद्युत परियोजना है, उसको हम निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रहे हैं, अगर ऐसा संभव हो सका, तो यह जल्दी शुरू हो जायेगी । वर्मा जी ने जगदीशपुर और शाहजहांपुर के बारे में पूछा था । जगदीशपुर को हिण्डाल्को वाले लेना चाहते थे, इसके लिये राज्य सरकार ने अनुमति दी थी, इसी तरह शाहजहांपुर में ओसवाल ग्रुप को अनुमति दी गयी है । प्रदेश में ऐसी जितनी जगहों पर आफर प्राप्त होंगे, हम उन पर विचार करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर सरकार के पास ऊर्जा जनरेट करने के लिये जब पैसा नहीं है, केन्द्रीय सरकार दे नहीं रही है, तो और कोई रास्ता नहीं है कि निजी क्षेत्रों की पूंजी को लगाया जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जगदीशपुर और शाहजहांपुर में यह कैपटिव प्लांट लगायेंगे और यह कितने सौ मेगावाट के होंगे तथा वितरण की व्यवस्था कहां से होगी, विदयुत परिषद् करेगा या हिन्डाल्को, या ओसवाल ग्रुप करेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, दो-तीन तरह की अनुमति दी गयी है, जो अपने उद्योगों के लिये बिजली पैदा करना चाहते हैं, कैपटिव पावर प्लान्ट लगाने की अनुमति चाहते हैं । जगदीशपुर में 600 मेगावाट का बड़ा पावर स्टेशन है, जो लगाने की योजना है इसी प्रकार शाहजहांपुर में 210 मेगावाट का है, वह कैपटिव पावर प्लान्ट नहीं है, दोनों बड़े आकार की परियोजनायें हैं । इसी तरह से हम एक एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, सारे भारत में इस तरह का एक्सपेरीमेंट नहीं हुआ है, वह यह है कि हमने नोयेडा में एक प्राइवेट कम्पनी बना दी है, उसको अधिकृत कर दिया है कि वह डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन तीनों काम एक साथ करेगी, यह अपनी तरह का पहला एक्सपेरीमेंट है । देखना यह है कि इसका क्या परिणाम होता है, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे । जो भी लोग प्रदेश में पावर हाउस लगायेंगे, उनकी सारी बिजली बोर्ड खरीद लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भले ही कोई करे, यह अभी कोई अंतिम वाक्य नहीं है, अगर इसके बारे में कोई और भी प्रस्ताव होंगे तो उसका अध्ययन कराया जायेगा, जो चिन्ता आपकी है, हमारी भी है, हम चाहते हैं कि विद्युत बोर्ड की मौनोपोली खत्म होनी चाहिये । अगर छोटी-छोटी जगहों पर कोई लाभ मिल सकता है तो ऐसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन जब तक कोई

ठोस विकल्प न हो, इतने बड़े संगठन में अस्थिरता पैदा करना प्रदेश के हित में नहीं है । वर्मा जी ने जानना चाहा था, आर० ई० सी० और पी० एफ० सी० के बारे में ।

मान्यवर, इसमें फंड इसलिये रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका जो पहले ऋण था, उसकी अदायगी ही नहीं हुयी, इसमें शर्त थी कि 20 करोड़ रुपये की किश्त आज अगर बोर्ड को प्राप्त होगी तो 50 करोड़ उनको देना पड़ेगा, इस तरह 20 करोड़ में तो हम खुद काम करा सकते हैं । हम बार-बार मांग कर रहे हैं कि इसकी री शेड्यूलिंग हो जानी चाहिये । मैंने शुरू में भी कहा था कि पिछली सरकारों ने जो ऋण छोड़ा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारी सरकार इस समय है । यदि केन्द्रीय सरकार का प्रदेश के प्रति इतना भी रवैया उदारतापूर्ण नहीं होगा तो हम विवश हैं । हम केन्द्र और राज्य में कोई टकराव की स्थिति नहीं पैदा करना चाहते, न देश में कोई इसके लिये आन्दोलन खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम इतना आग्रह बार-बार करेंगे और उनको भी सोचना चाहिये कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य अगर ऊर्जा के क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा, तो इसका विकास कभी नहीं होगा और जब इसका विकास नहीं होगा, तो भारत का विकास भी नहीं हो सकता । हम आशा करते हैं कि इन बिन्दुओं पर जो संबंधित सरकार है, वह ध्यान देगी । श्री मलिक साहब ने कहा था कि गांवों में जो थ्रेसर लगे हैं, उनको औद्योगिक इकाई न माना जाय । ऐसा नहीं है । जो किसान निजी उपयोग के लिये बिजली लेते हैं, ट्यूबवेल के लिये जो दर निर्धारित है, उसी हिसाब से लिया जाता है । अगर कहीं इसका उल्लंघन हो रहा हो, तो वह हमें बतायें ।

श्रीमन्, एक महत्वपूर्ण बात कही गई ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में । मैंने पहले ही स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में संभावना जीरो थी । 80 करोड़ रुपये आर० ई० सी० से मिलना था, परन्तु मिला 10 करोड़ और कभी 20 करोड़ । जो पैसा मिला भी वह एक विशेष क्षेत्र में खर्च हो गया । अब जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा । इसके बावजूद भी हमने गतवर्ष लक्ष्य का 45 प्रतिशत पूरा किया । आगामी वर्ष के लिये हमने एक योजना बनाई है । 1,650 ग्रामों का हम विद्युतीकरण करेंगे, 2,665 अनुसूचित जातियों के बस्तियों को हम ऊर्जीकृत करेंगे । 14,2000 निजी नलकूपों को बिजली देने का हमारा प्रयास है । हमने 20 हजार ट्यूबवेलों को ऊर्जीकृत किया । हम भी चिन्तित हैं । जितना हमने स्वीकार किया है, इससे ज्यादा कौन स्वीकार करेगा । हमें आप सब का सहयोग अपेक्षित है । ऊर्जा एक ऐसा विषय है, जो राजनीति से ऊपर है । आज हम यहां पर हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है, परन्तु इसके बावजूद भी प्रदेश को ऊर्जा चाहिये । इसमें संकीर्ण व राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये । आपने जो अमूल्य सुझाव दिये, इसके प्रति मैं आभारी हूं । पश्चिमांचल की एक बैठक मेरठ में हुई थी, जिसमें श्री मलिक साहब भी थे । बड़ा पाजेटिव काम हुआ था । अब मध्यांचल, पूर्वांचल व उत्तरांचल के विधायकों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे । जो संभव हो सकेगा, उस पर विचार किया जायेगा । अब मैं माननीय श्री वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस ले लें । हम आपके आभारी हैं । कि आपने अच्छे सुझाव दिये । आपकी जो भावना है, उसे हम स्वीकार करते हैं ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, गांवों के ऊपर से जो हाइ टेन्सन व लो टेन्सन की लाइनें जाती हैं और उनके टूटने से जो कैजुएलिटी होती है, लोगों कैं घर जल जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, उनको आप मुआवजा देने पर विचार करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

श्रीमन्, यह तो व्यवस्था है ही । अगर कहीं इसका पालन नहीं हो रहा हो तो आप मुझे बतायें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है केवल एक पोल लग जाने से या किसी के प्राइवेट ट्यूबवेल में बिजली लग जाने से गांव विद्युतीकरण की लिस्ट में दिखा दिया जाता है तो क्या इन गांवों को अतिरिक्त पोल देने की व्यवस्था करेंगे । नियमानुसार 10 घरों के पीछे एक पोल फ्री दिया जाता है केवल एक पोल लग जाने से फर्जी तौर पर विद्युतीकरण की लिस्ट में गांव आ जाता है तो क्या वहां लोगों को बिजली देंगे ।

श्री लालजी टण्डन–

मैंने पहले ही कहा आर० इ० एस० की परिभाषा में एक पोल लगने से विद्युतीकरण में आ जाता है जो यथार्थता है उसमें 45 से 50 की संख्या में होता है । तो जैसे-जैसे संसाधन होंगे हम करेंगे लेकिन प्राथमिकता उन गांवों की होगी जहां बिलकुल विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

(इस समय 9 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

माननीय लालजी वर्मा जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम ललित चौधरी–

मैं दूसरा स्पष्टीकरण चाहता हूं जिसका सम्बन्ध केवल विपक्ष से ही नहीं है सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं बुन्देलखण्ड में उद्योगों को शासन द्वारा छूट दी जा रही है ?

श्री लालजी टण्डन–

जो छूट जहां पर मिल रही है वह अभी मिलेगी मिनिमम चार्जेज के बारे में परीक्षण हो रहा है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से कभी प्रश्न कर लीजिये । अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

माननीय वर्मा जी आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

नहीं, मैं बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,39,87,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2 अप्रैल, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से पहली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की है जिसको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। दूसरी सूचना श्री हरिशंकर तिवारी जी की है जिसको मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। तीसरी सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की है उसको मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। चौथी सूचना श्री बृजराज त्रिपाठी की है जिस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। पांचवीं सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की है जिस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

शेष सूचनायें अस्वीकार करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं एवं औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

आज इस सदन के सामने मैं घोषणा करने जा रहा हूं कि निम्नलिखित लम्बित मामलों के सम्बन्ध में मैंने निर्णय ले लिया है :–

(1) श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा परगनाधिकारी निचलौल जनपद महाराजगंज के विरूद्ध दिनांक 4 दिसम्बर, 1991 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना,

(2) श्री श्याम नारायण तिवारी द्वारा ग्राम विकास अधिकरण द्वारा विकास कार्य हेतु धन आवंटन में कथित परिवर्तन के सम्बन्ध में दिनांक 26 फरवरी, 1992 को अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना, तथा

(3) श्री भोला शंकर मौर्य, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी द्वारा जनपद बदायूं में दिनांक 26 जनवरी, 1992 को श्री भोला शंकर मौर्य पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में दिनांक 14 फरवरी, 1992 को अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन को आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

(संलग्न निर्णय कार्यवाही के अंश तथा पढ़े हुए मान लिये गये)

श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा परगनाधिकारी निचलौल जनपद महराजगंज के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

[श्री शिवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा ने श्री कमला लाल श्रीवास्तव परगनाधिकार, निचलौल, महराजगंज के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 4 दिसम्बर, 1991 को दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 25-11-91 को स्वामी विवेकानन्द शिशु मंदिर, ठूंठीबारी का शिलान्यास करने हेतु उन्हें आमंत्रित किया गया था। मौके पर पहुंचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस भूमि पर विद्यालय भवन प्रस्तावित है, उसके सम्बन्ध में कुछ विवाद है और परगनाधिकारी श्री कमला लाल शिलान्यास की तैयारी हेतु बने निर्माण कार्य को अवैध घोषित करते हुये उनके नाम अंकित शिलापट्ट को तोड़वा चुके हैं और अन्य अस्थायी निर्माण को भी क्षतिग्रस्त कराकर गिरवा चुके हैं। इस सम्बन्ध में जब उन्हें पूरी स्थिति समझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया और उनके विधायक होने के नाते उनके और विधान सभा के प्रति अनर्गल व अशोभनीय बातें कहीं मा० सदस्य ने यह भी कहा है कि उन्होंने उक्त अधिकारी के विषय में माननीय मुख्य मंत्री से लिखित शिकायत की थी जिसके कारण सम्भवतः पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर परगनाधिकारी ने अनावश्यक रूप से उन्हें और माननीय सदन को अपमानित किया। सूचना के साथ माननीय सदस्य ने कतिपय पत्रादि भी संलग्न किये हैं।

प्रश्नगत मामले में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर शासन के नियुक्ति अनुभाग-3 ने अपने पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1992 में कहा है कि जिला अधिकारी महराजगंज की जांच आख्या से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि गांव सभा ठूंठीबारी में गांव सभा की भूमि संख्या 933 में 0.50 (डिसमिल) भूमि खलिहान के रूप में दर्ज है। इस भूमि को लेकर दो राजनैतिक गुटों में विवाद था। ग्राम सभा की उक्त जमीन को स्वामी विवेकानन्द शिशु मंदिर विद्यालय के नाम से आरक्षित किये जाने सम्बन्धी आदेश पत्रावली में हुए थे परन्तु आवंटन नहीं हुआ था। दिनांक 25-11-91 को माननीय विधायक जब शिशु मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे तो मौके पर शिलान्यास के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच गम्भीर तनाव को देखते हुए खून खराबे की स्थिति से बचने के लिए परगनाधिकारी द्वारा शिलान्यास कार्य रोका गया। प्रश्नगत भूमि जो शिशु मंदिर के नाम आरक्षित की गयी थी, के आदेश भी परगनाधिकारी द्वारा रिकाल (वापस) कर लिया गया। शासन ने यह भी कहा है कि जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार जांच में ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया कि परगनाधिकारी द्वारा माननीय विधायक के विरूद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति का तथ्यात्मक विवेचन करने का ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य जिस भूमि पर शिशु मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे उसके सम्बन्ध में गम्भीर विवाद था और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए परगनाधिकारी द्वारा शिलान्यास कार्य रोका गया। शासन की आख्या से इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई कि परगनाधिकारी द्वारा माननीय सदस्य के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूचना से यह भी विदित होता है कि दिनांक 25-11-91 को जब श्री सिंह शिशु मंदिर का शिलान्यास करने गये तो उनका उक्त कार्य सदन अथवा उसकी समिति के कृत्यों से सम्बन्धित नहीं था । अतः वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामला प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है । अतएव मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री श्याम नारायण द्वारा ग्राम विकास अधिकरण द्वारा विकास कार्य हेतु धन-आवंटन में कथित परिवर्तन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री श्याम नारायण, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 26 फरवरी, 1992 को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । उक्त सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि ग्राम विकास अधिकरण द्वारा विकास कार्यों हेतु उपलब्ध धन का आवंटन परम्परानुसार विधान सभा क्षेत्रवार होता है। परम्परा से यह माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार स्थापित हुआ है । उनका यह भी कहना है कि वर्तमान में धन का आवंटन उपरोक्तानुसार न करके उसमें सांसदों एवं विधान परिषद् के सदस्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिससे जिला महराजगंज में परम्परा से स्थापित उनके विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है ।

मैंने माननीय सदस्य की सूचना का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विकास कार्यों हेतु धन आवंटन की व्यवस्था में कथित परिवर्तन से माननीय सदस्य के सदन अथवा उसकी किसी समिति के कृत्यों के निर्वहन में कोई गतिरोध उत्पन्न होता हुआ नहीं प्रतीत होता है । विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी उपस्थित होता है जब किसी सदस्य को सदन या उसकी किसी समिति से सम्बन्धित किसी कार्य के सुचारू रूप से निर्वहन में बाधा पहुंचाई जाय अथवा उसे प्रभावित करने का प्रयास किया जाय । समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों से उक्त की पुष्टि होती है । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत सूचना से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि माननीय सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसके विरूद्ध उठाना चाहते हैं ?

प्राग्दर्शन में प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है और मैं इसे इस रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।]

श्री भोला शंकर मौर्य, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी द्वारा जनपद बदायूं में दिनांक 26 जनवरी, 1992 को श्री भोला शंकर मौर्य पर हुये प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य के प्रश्न की सूचना श्री भोला शंकर मौर्य, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी, सदस्यगण द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 1992 को अभिसूचित की गयी है । दिनांक 26-1-92 को श्री भोला शंकर मौर्य पर जनपद बदायूं में हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने सूचना में कहा है कि उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल थाना बिल्सी पर दर्ज करा दी थी और शासन को दिनांक 29-1-92 को इसकी सूचना देने के बावजूद अब तक नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तथा मुल्जिमान एवं उनके सहयोगी माननीय सदस्य श्री मौर्य ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने एवं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की मांग की है । इस प्रकरण पर मैंने विरोधी दल के नेताओं एवं कतिपय माननीय सदस्यों के विचारों को भी सुना ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की घोषणा की । तत्पश्चात् कतिपय माननीय सदस्यों के सन्तुष्ट न होने पर माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण पर एस० पी० रैंक के अधिकारी से सी० आई० डी० की जांच करायी जाने एवं श्री मौर्य की सुरक्षा सरकार द्वारा किये जाने तथा उनके हथियारों के लाइसेंसों को निरस्त करने की घोषणा सदन में की है ।

प्रश्नगत मामले में मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था और कहा था कि दिनांक 19-2-92 को मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा तथा माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उस समय मैं इसका ध्यान रखूंगा। सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य श्री भोला शंकर मौर्य की सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा स्पष्ट घोषणा हो जाने के पश्चात् इसमें अब किसी अग्रतर निर्देश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । इसके अतिरिक्त नियम 300 के अन्तर्गत कोई प्रश्न उसी विषय के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है, जो नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेद के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, के निर्वचन व प्रवचन के सम्बन्ध में हो । अतः माननीय सदस्यों की प्रश्नगत सूचना को मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

दिनांक 28 फरवरी, 1992 को पूछें गये ता० प्र० संख्या–4 नत्थी (घ) से सम्बन्धित सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा माननीय सदस्य श्री विजय सिंह राणा के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

अब हम उठते हैं और 7 अप्रैल, 1992 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 21 मिनट पर दिनांक 7 अप्रैल, 1992 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

2 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38-39 पर)

श्री एस० डी० गुप्ता, कार्य अधीक्षक, अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में बछरांवा मौरावां लिंक मार्ग पर किये गये दौरे की तिथियों का विवरण

क्रम संख्या	यात्रा का दिनांक
1	12-4-1989
2	2-6-1989
	24-6-1989
	30-6-1989
3	24-7-1989
4	2-8-1989
5	5-12-1989
6	6-6-1990
	22-6-1990
7	30-7-1990
	17-7-1990
8	15-10-1990

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39-40 पर)

परिशिष्ट "क"

रा० मार्ग 28 के कार्य का भाग	कार्य का नाम	कार्य की विशिष्टि (परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार)	प्रत्येक साइज की ग्रिट की नार्म्स के अनुसार मात्रा कि०ग्रा० में प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिये							
			25 एम० एम०	20 एम० एम०	10 एम० एम०	6 एम० एम०	4.75 एम० एम०	2.26 एम० एम०	स्टोन डस्ट	ग्रिट की कुल मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कि० मी० 6 से 15	75 मि० मी० मोटाई का बी० एम०	घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सी० सी० बिटुमिन कन्टेंट 4%	2376	3168	4435	–	2693	–	3168	15840
	50 एम० एम० बी० एम०	–तदैव–	–	1584	3960	–	2376	–	-2640	10560
	20 एम० एम० एस० डी० सी०	घनत्व 2.40 ग्राम प्रति सी० सी० बिटुमिन कन्टेन्ट 5.50%	—	—	567	–	1928	794	1247	4536

कि०मी० 16 से 30	75 मि० मी० बी० एम०	घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सी० सी० बिटुमिन कन्टेंट 4 प्रतिशत	2304	3456	4896	3600	–	–	1584	15840
	50 मि० मी० बी० एम०	–तदैव–	–	2112	3696	–	3168	–	1584	10560
	मिक्स सील ग्रेड "बी"	घनत्व 2.20 ग्राम प्रति सी० सी० बिटुमिन 5%	–	–	627	2712	–	–	836	4180–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43-44 पर)

राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ में इलेक्ट्रानिक भवन हेतु क्रय किये गये सामग्री का विवरण

(अता० प्रश्न सं० 37 का संलग्नक)

1–मौरंग	121.95 घन मी०	रु०	24,790.00	22-2-90, 30-3-90
2–बालू	122.27 घन मी०	रु०	14,672.40	22-2-90, 30-3-90
3–12 मी० मी० ग्रिट	65.82 घन मी०	रु०	23,037.00	23-2-90, 28-3-90
4–20 मी० मी० ग्रिट	99.39 घन मी०	रु०	34,786.50	28-3-90
5–40 मी० मी० ओबीबी	128.59 घन मी०	रु०	93,789.15	30-3-90
6–ईटें	1,35,000 नं०	रु०	97,875.00	8-3-90, 13-3-90, 16-3-90,24-3-90, 28-3-90, 30-3-90, 31-3-90
7–चूना	5 कुन्तल	रु०	375.00	9-4-90
8–सुर्खी	शून्य	रु०	–	–
9–टी० एण्ड पी०		रु०	8,419.00	24-3-90,31-3-90, 4-4-90
10–लोहे के चौखट	650.50 किलो	रु०	8,749.23	15-3-90, 2-7-90
11–जेड सेंक्शन खिड़की	190.98 घन मी०	रु०	53,580.85	2-4-90, 23-4-90 5-5-90, 2-7-90
12–तदैव ग्रिल	4992 किलो	रु०	79,872.00	2-4-90, 23-4-90 2-7-90, 16-7-90
13–सेनेट्री का सामान		रु०	54,073.39	13-3-90, 20-3-90
14–टारस्टील सरिया		रु०	2,76,000.00	15-3-90, 16-3-90 29-3-90, 31-3-90
कुल		रु०	6,99,619.52	

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75-76 पर)

पांचवां गुरुवार अता० प्रश्न संख्या–115 का संलग्नक

प्रान्तीय खंड, लो० नि० विभाग, मैनपुरी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1991-92 में विभिन्न मार्गों पर दाग मरम्मत पत्थर दिल्ली ग्रिट एवं तारकोल से कराये गये मरम्मत कार्यों का विवरण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	व्यय (लाख रुपये में)
1	भावत किशनी मार्ग	1.28
2	सिरसागंज किशनी मार्ग	2.23
3	लिपुलेक भिण्ड मार्ग	1.27
4	मैनपुरी संसारपुर बालो मार्ग	0.86
5	बिछवां हल्लू खेड़ा मार्ग	0.85
6	जी० टी० मार्ग	3.21
7	अलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग	0.16
8	छाछा अलीपुर खेड़ा मोठा बेवर मार्ग	0.43
9	शिकोहाबाद भोगांव मार्ग	0.43
10	मैनपुरी ज्योती ओछा सकीट मार्ग	0.80
11	घिरौर कुरावली मार्ग	0.06
12	सैफई अभियानी त्रिलोकपुर मार्ग	0.11
13	किरथुआ पशुपुर मोहब्बतपुर मार्ग	0.14
14	करहल कठिया फतेहपुर मार्ग	0.24
15	बोनमा रेलवे फीडर मार्ग	0.32
16	करहल घिरौर मार्ग	1.50
17	इटवा मैनपुरी मार्ग	0.41
18	बलहार गढ़ामई मार्ग	0.28
19	मैनपुरी सिरसागंज मार्ग	0.76
20	मैनपुरी बाईपास मार्ग	0.64
	कुल योग ..	20.18

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

वित्तीय वर्ष 87-88 से 91-92 तक प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० विभाग, सहारनपुर में किये गये चौड़ीकरण के कार्यों एवं क्रस्ट की मोटाई का विवरण

(संलग्नक)

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कि० मी० जिनका चौड़ीकरण किया गया	चौड़ीकरण का विवरण (मीटर में)	चौड़ीकरण किये जाने वाले मार्ग को क्रस्ट की वास्तविक मोटाई	चौड़ीकरण वाले भाग में आगणन में निर्धारित क्रस्ट में मोटाई	वास्तविक व निर्धारित क्रस्ट की मोटाई में भिन्नता
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बाला-सहारनुपुर-मंसूरी मार्ग	139 से 149	5.50 से 7 मीटर	37 से० मी०	37 से० मी०	शून्य
2	सहारनपुर नकुड़ गंगोह थाना भवन मार्ग	54 का भाग	2.70 मी० से 4.10 मी०	23 से० मी०	23 से० मी०	शून्य
3	अम्बाला सहारनपुर मंसूरी मार्ग	114 का भाग द 115 का भाग	7 मी० से 14 मी०	35 से० मी०	35 से० मी०	शून्य
4	दिल्ली यमनोत्री मार्ग	(क) 130 से 133 एवं 145 से 158, 159 व 160	5.50 मी० से 7 मीटर			
		161 (300 मीटर)	5.50 मी० से 10 मी०			
		161 (700 मीटर)	5.50 मी० से 10 मी०			
		162 का भाग	5 मी० से 10 मी०			
			7 मी० से 12 मी०			

प्रधान सभा

		(ख) 130 से 133 145 से 162		34 से० मी०	34.5 से० मी०	0.5 से० मी०
5	चिलकाना सरसावां मार्ग	1	3 मी० से 5.50 मी०	26 से 27 से० मी०	27 से० मी०	शून्य
6	सहारनपुर चिलकाना मार्ग	1 से 6 व 12	3.70 मी० से 5.50 मी०		26 से 27 से० मी०	शून्य
7	अम्बेहटा फन्दपुरी मार्ग	8, 9 व 10		24 से० मी०	24 से० मी०	शून्य
8	सरसावां–नकुड़ मार्ग	(क) 11 से 15 व 21 से 24		23 से० मी०	23 से० मी०	शून्य
		(ख) 11 से 16 व 21 से 24	3 मी० से 4.20 मी०			
9	अम्बाला सहारनपुर मंसूरी मार्ग	117 का भाग 7 मी०	5.50 मी० से 7 मी०	24 से 27 से० मी०	27 से० मी०	शून्य

नत्थी "च"

(दखिये अता० प्र० सं० 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83-84 पर)

तालिका-क

(1) अस्थायी कारागार अतिथिगृह आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद में निरुद्ध बन्दियों का विवरण-

दिनांक	निरुद्ध बन्दियों की संख्या (उच्च श्रेणी बन्दी)
29-10-90	1
30-10-90	1
31-10-90	1
1-11-90	1
2-11-90	1

(2) ढोढेराम महाविद्यालय सेबरा फैजाबाद में निरुद्ध बन्दियों का विवरण

दिनांक	निरुद्ध बन्दियों की संख्या (साधारण श्रेणी बन्दी)
22-10-90	17
23-10-90	189
24-10-90	216
25-10-90	284
26-10-90	–
27-10-90	5
28-10-90	112
29-10-90	112
30-10-90	109
31-10-90	109
1-11-90	109
2-11-90	109
3-11-90	109
4-11-90	109
5-11-90	109
6-11-90	73
7-10-90	73

(3) बाबा बरूवादास इण्टर एवं डिग्री कालेज, पुरुइया आश्रम, जलालपुर, फैजाबाद

दिनांक	निरुद्ध बन्दियों की संख्या (साधारण श्रेणी बन्दी)
20/21-10-90	590
22-10-90	590
23-10-90	590
24-10-90	590
25-10-90	590
26-10-90	36
27-10-90	86
28-10-90	182
29-10-90	258
30-10-90	274
31-10-90	274
1-11-90	274
2-11-90	–

(4) एस० ए० इण्टर कालेज, खपड़ाडीह बीकापुर, फैजाबाद

दिनांक	निरुद्ध बन्दियों की संख्या (समान्य श्रेणी बन्दी)
28-10-90	374
29-10-90	376
30-10-90	80
31-10-90	52
1-11-90	52
2-11-90	43
3-11-90	39
4-11-90	39
5-11-90	39
6-11-90	39
7-11-90	39
8-11-90	39
9-11-90	–

तालिका "ख"

अस्थायी जेलों में निरुद्ध बन्दियों (कारसेवकों) पर हुए व्यय का विवरण

अस्थायी जेल का नाम	धनराशि (रुपया)
1–अतिथि गृह आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद ।	49,427.44
2–ढोढेराम महाविद्यालय, सेवरा, फैजाबाद	2,31,531.12
3–बाबा बरुवा दास इण्टर एवं डिग्री कालेज पुरूइया आश्रम, जलालपुर, फैजाबाद	6,52,090.90
4–एस० ए० इण्टर कालेज, खपड़ाडीह, फैजाबाद	2,09,988.17
कुल योग ..	11,43,037.63

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 163 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

अतरांकित प्रश्न संख्या–163 का संलग्नक

वाहन का नाम	वर्ष 90-91	वर्ष 91-92	टिप्पणी
1. <u>मरम्मत आदि पर व्यय–</u>	रु०	रु०	
1–ट्रक यू० टी० डी० 3164	41564.60	10064.00	1. ट्रक के लिये 90-91 में रुपया 34662.60 के टायर ट्यूब एवं फ्लैप खरीदे गये।
2–जीप यू० पी० जे० 4339	25412.00	10075.00	जीप के लिये 90-91 में 5420.00 के टायर ट्यूब खरीदे गये।
3–जीप यू० पी० 41/1301	4810.00	14584.00	
योग ..	71795.60	34723.00	
मरम्मत पर कुल व्यय रु०	106518.60		
2. <u>तेल आदि पर व्यय –</u>			
1–ट्रक यू० टी० डी० 3164	3309.05	25790.50	
2–जीप यू० पी० जे० 4339	18674.45	22025.80	
3–जीप यू० पी० 41/1301	48320.20	54534.40	
योग ..	100004.70	102350.70	
तेल आदि पर व्यय रु०	202355.40		

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 188 का उत्तर पीछे पृष्ठ 104-105 पर)

बारा विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 89-90 एवं 90-91 में निर्माणाधीन/निर्मित सम्पर्क मार्गों का विवरण

निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों के नाम	दिसम्बर, 1991 तक व्यय धनराशि (लाख रुपये में)	अवशेष धनराशि (लाख रुपये में)
1–जारी कछना मार्ग से कुकड़ी मार्ग	2.80	शून्य
2–टण्डन वन से करिया खुर्द मार्ग	0.05	4.71
3–गदा मार्ग से देवरी बेनी मार्ग	0.13	11.77
4–ओसा देवरा मार्ग	शून्य	1.46
5–करछना गोहनिया से सेमरी ताल का पूरा मार्ग ।	3.30	शून्य
6–जे० ए० एम० मार्ग सेबलापुर	शून्य	1.64
7–जारी करछना मनैया से करन्हा	शून्य	3.04
8–हथगनी से छीतूपर	3.00	1.56
9–घोघापुर से मसिका	3.00	0.04
योग ..	12.28	24.22

नोट :—क्रम संख्या–5 पर दिखाये गये मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 3.28 लाख में सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि कुछ अधिक है जो निर्धारित अनुमन्य सीमा के भीतर है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा